राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक २] चतुर्थ विधान सभा के द्वितीय सत्र का ६४ वां दिवस [संख्या २७

बृहस्पतिवार, दिनांक २१-३-१९६८

विधान सभा की बैठक म. पू. ११ बज कर २ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई उपाध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(पशुपालन, सहकारी, सार्वजनिक निर्माण कृषि, गृह, आयुर्वेद, सामान्य-प्रशासन, यातायात, स्वायत्त शासन, नगर विकास, नियुक्ति, खादी व जन-स्वास्थ्य विभाग)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न। श्री गंगासहाय !

लिपिकों के सुरक्षित स्थान

७०८. श्री गंगासहाय (कुटुमर खु.) क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या यह सही है कि पशुपालन विभाग में तीन लिपिकों के स्थान अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए सुरक्षित थे ?

(२) क्या यह भी सही है कि दिनांक १३-२-६८ को उक्त पदों के लिए उम्मीदवारों का साक्षात्कार पशुपालन विभाग, जयपुर, में हुआ था ?

(३) क्या यह भी सही है कि उक्त तीनों पदों समान पर गैर अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों की नियुक्ति कर ली गई है ?

उपमंत्री, पशुपालन (श्री हरिसिंह):

(१) जी नहीं।

(२) जी हां।

(३) जी नहीं।

श्री गंगासहाय : उपाध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि इस सरकार की ऐसी नीति है कि जिन पोस्ट पर रिजर्वेशन नहीं होगा वहां पर शिड्यूल्ड कास्ट के लोग अगर सलेक्शन में आ जायं तो उनको नहीं लिया जायगा ?

श्री हरिसिंह : ऐसी बात नहीं है, वेसे इस विभाग में तीन कनिष्ठ लिपिकों की जगह खाली थी और अनुसूचित जाति के

Page No.2

(श्री हरिसिंह)

काफी प्रार्थना पत्र आ चुके थे जी० ए० डी० को, उसके बाद में साक्षात्कार १३-२-६८ को रखा गया, परन्तु उसके बाद में मालूम हुआ कि बजट के अन्दर डिप्टी डाइरेक्टर डेअरी प्रोजेक्ट की पोस्ट नहीं रखी गई, यह नहीं रखने से उसमें पहले जो कनिष्ठ लिपिक के पद पर थे, उनको रखना आवश्यक हो गया और जो इन्टरव्यू के लिए बुलाये गये थे उनको नहीं लिया गया।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : इन तीनों में से एक भी नहीं भरी ?

श्री हरिसिंह : भरी कैसे जा सकती थी ?

श्री गंगासहाय : इन तीनों में से एक भी नहीं भरी ?

श्री हरिसिंह : डिप्टी डाइरेक्टर डेअरी प्रोजेक्ट की पोस्ट खत्म हो जाने से वह खत्म हो गई और उनको पहले वालों से भर दी गई।

श्री जयनारायण सालोदिया : नये नहीं लिये गये ?

श्री रावत राम (छापर) : क्या यह सही है कि अनुसूचित जातियों के लिए जो रिजर्वेशन है, उन पोस्टों के लिए कोई उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं होता है और दूसरे व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है तो क्या उनको अस्थाई रूप से नियुक्त किया जाता है ?

पशुपालन मंत्री (श्री शोभाराम) : विभाग से जानकारी करके मालूम हुआ है कि साढ़े बारह प्रतिशत अनुसूचित जातियों के लिए रिजर्व्ड होती हैं, मुझे बताया गया कि इतना पर्सेन्टेज पहले ही वहां पर है, शिड्यूल्ड कास्ट्स के क्लर्कस वगैरह में कर लिया गया है।

श्री रावतराम : वह नियुक्ति तो पहले की है। लेकिन जो बादमें स्थान वेकेन्ट होते हैं उनके लिए जो रिजर्वेशन में आता है कोटा, उस हिसाब से यदि कोई अनुसूचित जाति का उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होता है तो उस स्थान के लिए नियुक्ति अस्थाई होती है क्या ?

श्री शोभाराम : मैंने अर्ज किया कि तीन जगह का सवाल है....

श्री रामकिशन (गैर) : वह दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं। उनके कहने का मतलब यह है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोग उपलब्ध नहीं हों, उस स्थिति में दूसरी जातियों के लोगों से जगह भरी जाती है तो क्या जब तक शिड्यूल्ड कास्ट्स का आदमी उपलब्ध नहीं हो तब तक नियुक्ति उनकी स्थाई होगी या अस्थाई होगी—यह पूछ रहे हैं ?

श्री शोभाराम : जैसे मुझे बताया गया, दो साल तक....

श्री रामकिशन : वह तो सभी अस्थाई रहते हैं।

श्री शोभाराम : केरी फार्वर्ड करते हैं।

श्री रामकिशन : केवल दो वर्ष..

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न ! श्री रघुनाथ विश्नोई !

भूमि बंधक बैंक द्वारा विकास कार्यों के लिए ऋण

७०९. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : क्या सहकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सत्य है कि भूमि बन्धक बैंक विकास कार्यों के लिये रूपया उधार देता है ?

(२) क्या यह भी सत्य है कि भूतपूर्व सैनिकों को भी बैंक के जनरल रूल्स के अन्तर्गत ही कर्ज दिया जाता है ?

(३) क्या विकास कार्यों में कुआं बनाना, पम्प लगाना, ट्रेक्टर खरीदना सम्मिलित है ?

(४) क्या सरकार जिन भूतपूर्व सैनिकों को सन् १९६० से अब तक भूमि आवंटित हुई है उन्हें भी बैंक द्वारा लोन दिलाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किस नियम के अन्तर्गत ?

(५) क्या यह भी सत्य है कि बैंक जिन लोगों को सन् १९६० से अब तक भूमि एलाट हुई है, उन्हें लोन देने से मजबूर है ? यदि हां, तो क्यों ?

(६) क्या यह सही है कि नये भूमि प्राप्त कर्त्ताओं को विकास कार्य हेतु लोन प्राप्त करने में प्राथमिकता मिलती है ? यदि नहीं, तो भूमि बन्धक बैंक से उन्हें अन्य क्या समान लाभ है ?

उप मंत्री सहकारिता (श्री रामदेव सिंह) : (१) जी हां।

(२) जी हां

(३) जी हां।

(४) जी हां। अगर सन् १९६० के बाद की आवंटित भूमि पर यदि नियमानुसार भूतपूर्व सैनिकों को पूर्ण खातेदारी अधिकार और हस्तान्तरण के अधिकार प्राप्त हों तो उन्हें ऋण दिया जा सकता है। इस विषय में कोई अलग से नियम नहीं बने हुए हैं।

(५) जी हां। अगर सन् १९६० के बाद की आवंटित भूमि पर प्रार्थी को पूर्ण खातेदारी के अधिकार और हस्तानान्तरण के अधिकार प्राप्त नहीं हैं तो बैंक ऋण देने में मजबूर है।

(६) जी नहीं। वर्तमान नियमों में किसी को किसी कारण से भी प्राथमिकता देने का प्रावधान नहीं है। वे भी बैंक के सामान्य नियमों के अन्तर्गत ऋण प्राप्त कर सकते हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : नये एलाटमेंट करते हैं उनका लैंड खातेदारी की तारीफ में आता नहीं है तो फिर ऋण किस तरह दे सकते हैं ?

श्री रामदेव सिंह : नये को जब तक खातेदारी हक नहीं मिले तब तक ऋण नहीं मिल सकता है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यही बात इसमें पूछी है कि इस तरह की डिफिकल्टी है। जब नये एलाटमेंट करते हैं तो जमीन के विकास के लिए न तो राज्य सरकार देती है और न बैंक से मिलता है तो राज्य सरकार इस सम्बन्ध में क्या विचार रखती है ?

सहकारी मन्त्री (श्री शोभाराम) : यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। यह सवाल हमारे सामने आया, जिनको दस साल के लिए शर्त्त तय कर दी गई है एलाटमेंट की तो एलाटमेंट रूल्स के तहत उसको दस साल तक खातेदारी राइट नहीं मिल सकते। इस तरीके से कोपरेटिव सोसाइटी को या अन्य लोगों को व्यक्तिगत तरीके से भूमि आवंटित की गई है, वह दस साल तक विकास कार्य नहीं कर पायेंगे, ऋण की सुविधा नहीं मिल पायेगी। इस बात पर गौर किया है राज्य सरकार ने, सिद्धान्ततः यह बात कबूल की, ऐसे लोगों को यद्यपि खातेदारी के हक एलाटमेंट रूल्स के तहत प्राप्त नहीं होते, फिर भी एक कमेटी का निर्माण किया गया है, और सिद्धान्ततः यह स्वीकार किया गया है, जिनको रूल्स के तहत खातेदारी राइट्स नहीं मिले—उनके लिए किसी तरह का संशोधन किया जाय उन रूल्स के अन्दर ताकि जो एलाटमेंट लैंड का किया जाता है, उसके लिए एम. एल. बी, या भूमि विकास बैंक से ऋण मिल सके। इसके लिए कमेटी का निर्माण हो गया है और एक दो महीने में इस प्रकार का उसमें प्रावधान किया जायगा ताकि आवंटित भूमि जो सहकारी समिति या व्यक्तियों को दी जाती है उसके विकास के लिए ऋण प्राप्त करने की सुविधा उनको प्राप्त हो सके।

श्री मदनसिंह दांता : जब तक लगान की दर मालूम नहीं होती तब तक भूमि विकास बैंक से ऋण नहीं मिलता। भूमि विकास बैंक से जब ऋण मिलता है जब लगान की दर मालूम हो जाती है। खातेदारी यदि हो गई, लेकिन जब तक सही रूप से लगान की दर मालूम नहीं होगी तब तक ऋण नहीं मिलेगा, उसके लिए क्या प्रबन्ध किया है ?

श्री शोभाराम : इस वक्त दो तरीके की भूमि विकास बैंक हमारे सामने है, एक तो लगान की दर पर दो सौ गुना उसके लिए कर्जे की मात्रा निर्धारित करके देती है। जहां ऐसा नहीं होता तो उस एरिया में खास तौर पर पटवारी सर्किल में, गिरदावर सर्किल में उसी प्रकार की, उसी किस्म की जमीन को लेते हैं और उसका जो रिकार्ड है पिछले पांच साल के अन्दर उससे अन्दाज लगाते हैं। मान लीजिये कि बारानी जमीन ५०० बीघा है तो उसको आधार मानकर कच्ची खातेदारी पचास पर्सेन्ट होती है तो वह मात्रा होती है जिस मात्रा तक कर्जा दिया जा सकता है....

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न कर्ता।

श्री रघुनाथ विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, इस बारे में मन्त्री महोदय ने यह तो स्वीकार किया है कि नियमों में कठिनाई के कारण ऐसे काश्तकारों को उनकी भूमि

Page No.5

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

के विकास के लिये ऋण नहीं दे सकते और इस कठिनाई को दूर करने के लिये मन्त्री महोदय ने नियमों में संशोधन करने का आश्वासन दिया है। मैंने यह भी पूछा है कि कन्सेशन से जिन लोगों को जमीन देते हैं तो उनको इस सम्बन्ध में प्रायोरिटी दी जाय, वरना वे दूसरों से काश्त करवाते हैं।

श्री शोभाराम : दूसरों से काश्त करवाने का प्रश्न दूसरा है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप यह मानते हैं कि विकास होना जरूरी है तो जब कि इनको कन्सेशन से भूमि अलोट होती है तो, इस बारे में इनको प्रायोरिटी देना परमावश्यक है। इनको प्रायोरिटी देने पर अगर आप विचार नहीं करते तो वे अपने पास से पैसा लगा कर विकास नहीं कर सकते। इसलिये उनको प्रायोरिटी देना आवश्यक है।

श्री शोभाराम : इसी दृष्टि से राज्य सरकार ने जरूरी समझा है कि नियमों में आवश्यक संशोधन कर दिया जाय और ऋण उनको उपलब्ध हो सके। मैंने निवेदन किया कि एक दो महिने में ही इस प्रकार का संशोधन कर दिया जायेगा।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) क्या यह सही है कि भू विकास बैंक से कर्जा लेने के लिये सम्वत् २०१९ की टीप काश्तकारों को लेनी पड़ती है?

श्री शोभाराम : पहले प्रावधान यह था कि पिछले १२-१३ साल की जमाबन्दी, खसरा टीप देखते थे और यह देखते थे कि मोर्टगेज तो नहीं है, इसमें किसानों को परेशानी हुई इसलिये यह कर दिया कि आखिरी जमाबन्दी को देखा जाय। राजस्थान सरकार की आज्ञा के अनुसार खसरा टीप तो बन्द हो गई इसलिये सम्वत् २०१९ से ही आता है जिससे कि हम उसके स्वामित्व का पता लगा सकें।

श्री रघुनाथ विश्नोई : १० साला समस्या तो हल कर दी पर सैनिकों को अलाटमेंट होता है, उसको आप मानेंगे क्या? नियमों में तो आप संशोधन कर देंगे पर गवर्नमेंट से अलोटमेंट होता है उसको उसी कैटेगेरी में मानेंगे न?

श्री शोभाराम : हम मानेंगे।

श्री मदनसिंह दांता : क्या सरकार यह महसूस नहीं करती कि हरिजनों और सैनिकों को केवल १६ बीघा ही जमीन अलोट की जाती है जिसका लगान मुश्किल से दो चार रुपया होता है तो क्या दो चार रुपये का चार गुना या ८ गुना जो उन्हें भूमि बन्धक बैंक से मिलेगा, उससे विकास कर सकेंगे क्या?

श्री शोभाराम : इसमें ऐसी व्यवस्था है कि लगान का ४० गुना मल्टीप्लाई कर के ऋण की मात्रा दी जाती थी, अब २०० गुना मल्टीप्लाई कर दी गई है। इसमे कई जिले ऐसे हैं कि जहां सेटलमेंट रेट बहुत कम है, उससे पूरी मात्रा नहीं हो सकती। एक दो जिले हमारे सामने हैं, वहां की मार्केट रेट को देख कर अगर इसे बढ़ाने की जरूरत होगी तो विचार करेंगे।

Page No.6

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न !

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

क्या सरकार उचित नहीं समझती कि काश्तकारों को इसके लिये तहसीलों के दरवाजे बार बार खटखटानें नहीं पड़े भूमि बन्धक बैंक से ऋण लेने के लिये। काश्तकारों की इस परेशानी को दूर करने के लिये उनकी जमीन के पूरे विवरण के साथ उनको पास बुक जारी कर दी जाय। जिससे कि उनको भूमि बन्धक बैंक से ऋण लेने में असुविधा न हो ?

श्री शोभाराम : जो, रिपोर्ट पटवारी से और तहसीलदार से मांगी जाती है, उसमें दिक्कत होती है। इस दिक्कत को दूर करने के लिये पास बुक किस प्रकार से निकालें, उसका नमूना हमारे पास आ गया है। उसमें एक कालम रख रहे हैं कि सर्वे में खसरा नम्बर कितना है, कितना रकबा है, चाही है या बारानी है, कितने बीघा मोर्टगेज की हुई है। उसको एन्ट्री हो जाने के बाद पास बुक के आधार पर यह ऋण देने का सिस्टम लागू हो जायगा और पास बुक का यह सिस्टम लागू करने के बाद काश्तकार को पटवारी और तहसीलदार के पास जाने की जरूरत नहीं रहेगी।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : मैं....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज। नेक्स्ट।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूं कि सम्वत् २०१९ की नकल दी जाती है इसमें काश्तकारों को बहुत तकलीफ अधिकारी देते हैं, कानूनगो, तहसीलदार नकल देते हैं तो काश्तकार को बहुत परेशान करते हैं, तो क्या सरकार इसके लिए कोई सुविधाजनक तरीका निकालने पर विचार कर रही है ?

श्री शोभाराम : पास बुक जारी रखने का सुविधाजनक तरीका है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न संख्या ७१०।

श्री दिग्विजयसिंह !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री शीशराम !

श्री मदन सिंह दांता : क्या सरकार को यह बात मालूम है ....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर प्लीज, अगला प्रश्न बोल दिया गया है ....

श्री मदन सिंह दांता : बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है उपाध्यक्ष महोदय, क्या सरकार को यह मालूम है कि डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू में फार्म भरे जाते हैं तो काश्तकार को उसकी छः सात पीढ़ियां याद नहीं होती हैं तो ....

श्री उपाध्यक्ष : अलग प्रश्न। श्री शीशराम !

श्री रामचन्द्र आर्य : इसका मतलब यह है कि प्रश्न का उत्तर पूरा नहीं मिला। प्रश्न का पूरा उत्तर तो आना चाहिये। मैं एक सप्लीमेंटरी पूछना चाहता हूं ....

श्री उपाध्यक्ष : आप आसन के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : नहीं उपाध्यक्ष महोदय, मैं सही कह रहा हूं ....

श्री उपाध्यक्ष : मैं कब कह रहा हूं कि आप गलत कह रहे हैं, अगला प्रश्न बोल दिया गया है।

श्री रामचन्द्र आर्य : इसी प्रश्न से सम्बन्धित है....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज....

स्टडी लोन के लिये आवेदन पत्र

७११ श्री शीशराम पूनिया (सादुलपुर) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) कृषि कालेज जोबनेर व उदयपुर के किन–किन लेक्चरार्स ने गत वर्ष अमेरिका एवं कनाडा से पी. एच. डी. करने हेतु स्टडी लोन प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दिये थे ?

(२) क्या यह सही है कि उपरोक्त श्रेणी के कई लेक्चरार्स को टी. सी. एम. के माध्यम से खर्चा दिये जाने के बावजूद भी राज्य सरकार के द्वारा स्टडी लोन स्वीकृत किया गया है तथा उपरोक्त श्रेणी के कई लेक्चरार्स को, जो स्वयं के खर्च से अध्यापन हेतु गये हैं स्टडी लोन स्वीकृत करने के क्या आधार हैं ?

उपमन्त्री कृषि (श्री हरिसिंह) : (१) उदयपुर विश्वविद्यालय के उदयपुर व जोबनेर स्थित दोनों कृषि महाविद्यालयों के अध्यापक वर्ग के किसी भी सदस्य ने अमेरिका अथवा कनाडा में पी. एच. डी. के अध्ययन हेतु स्टडी लोन प्राप्त करने के लिये आवेदन पत्र नहीं दिया।

(२) जी नहीं। स्वयं के खर्चे से भी कोई लेक्चरार्स अध्ययन हेतु नहीं गये हैं।

श्री राम किशन शर्मा : आपकी आवाज कमजोर क्यों हो गई है।

श्री जयनारायण सालोदिया : आत्मा की आवाज नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मनोहर सिंह !

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्नकर्ता ने मुझे अधिकार दिया है कि मैं इस प्रश्न को पूछूं।

मेनाल कुण्ड में व्यक्तियों की मृत्यु के कारण

७१२. श्री मनोहर सिंह मेहता (मांडलगढ) (महारावल श्री लक्ष्मणसिंह) (डूंगरपुर) द्वारा पूछा गया : क्या गृहमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि कुछ महिनों पूर्व मेनाल के कुण्ड में एक परिवार के पांच व्यक्ति मरे हुए पाये गए ?

(२) जो व्यक्ति मरे हुए पाये गए उनमें कौन–कौन किस आयु का था और पुलिस की तरफ से उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही

हो रही है ?

(३) एक साथ पूरे परिवार की मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए क्या केन्द्रीय पुलिस का भी सहारा लिया गया है ?

उप मन्त्री गृह (श्री खेतसिंह) : (१) जी हां।

(२) जो व्यक्ति मरे हुए पाये गये उनका विवरण इस प्रकार है :—

(१) श्री हीरा पुत्र सेवा कुम्हार, उम्र ३० साल सा० हरिबड़ला।

(२) श्रीमती कस्तूरी पत्नी हीरा कुम्हार, उम्र २५ साल सा० हरिबड़ला।

(३) कुमारी कमला पुत्री सेवा कुम्हार उम्र ८ साल सा० हरिबड़ला।

(४) कुमारी नन्दड़ी पुत्री हीरा कुम्हार उम्र ५ साल सा० हरिबड़ला।

(५) श्री शम्भू पुत्र हीरा कुम्हार उम्र ८ माह सा० हरिबड़ला।

पुलिस के द्वारा इसका अनुसन्धान जारी है।

(३) अपर अधीक्षक आरक्षी, अपराध अनुसन्धान विभाग, अपराध शाखा, राजस्थान जयपुर इसका अनुसन्धान कर रहे हैं। अब तक के अनुसन्धान से यह मामला मरडर का पाया जाता है और छः मुलजिमान भी गिरफ्तार किये जा चुके हैं।

श्री रामकिशन : गिरफ्तार होने वाले कौन कौन हैं और उनका पता ठिकाना क्या है. कहां के रहने वाले हैं।

श्री खेतसिंह : गिरफ्तार होने वाले मुल्जिमान मगिया, हेमा, गुल्ला, मुसम्मात दाना, मुसम्मात झमकू आदि हैं, उसी गांव के रहने वाले हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती गौरी पूनियां !

ग्राम पालड़ी में आयुर्वेदिक औषधालय

७१३ श्रीमती गौरी पूनियां (डेगाना) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) पंचायत समिति डेगाना व जिला परिषद नागौर के ग्राम हरसौर से आयुर्वेदिक औषधालय पालड़ी भेजने का प्रस्ताव राज्य सरकार के पास कब से विचाराधीन है ?

(२) अब इस औषधालय को पालड़ी कब तक ट्रान्सफर कर दिया जावेगा ?

आयुर्वेद मंत्री (श्री अमृतलाल यादव) : (१) पंचायत समिति डेगाना व जिला परिषद नागौर के ग्राम हरसौर से आयुर्वेद औषधालय पालड़ी भेजने का प्रस्ताव आयुर्वेदिक निदेशालय में विचाराधीन है।

(२) औषधालय परिवर्तन की नियमित कार्यवाही पूर्ण होने पर इस औषधालय को पालड़ी में परिवर्तित किया जा सकेगा।

Page No.9

श्रीमती गौरी पूनियां : यह विचाराधीन कब से है और क्या नियमित कार्यवाही की है ?

श्री अमृतलाल यादव : जिस गांव से यह औषधालय बदलने की बात है, उस गांव के लोगों को कुछ एतराज हैं, यद्यपि उन्होंने प्रस्ताव कर दिया है तो उनको भी समझाने की बात है और इस प्रस्ताव के तहत निदेशालय से भी आदेश आ जायं। मैं समझता हूँ यह कार्यवाही अब पूरी है और परिवर्तन में देरी नहीं होनी चाहिए।

श्रीमती गौरी पूनियां : पिछले ३ वर्षों से विचाराधीन कह कर इसे टाला जा रहा है। पंचायत समिति से, जिला परिषद से प्रस्ताव पास हो गया है, कोई नियमित कार्यवाही बाकी नहीं है। राज्य सरकार का पैसा एक जगह बरबाद हो रहा है। परसनली मैं डायरेक्टर साहब से मिल चुकी हूं। मैं कहूंगी कि डिपार्टमेंट का काम बहुत ढीला है। मन्त्री महोदय मुझे एग्जेक्ट टाइम दें कि १५ दिन में या २० दिन में यह परिवर्तन कर दिया जायगा।

श्री अमृतलाल यादव : ग्राम पालड़ी में भवन की व्यवस्था समुचित नहीं है।

श्रीमती गौरी पूनियां : यह गलत है, वहां तीन साल से भवन की समुचित व्यवस्था है।

श्री अमृतलाल यादव : अगर वहां भवन की व्यवस्था है तो ज्यादा विलम्ब नहीं लगेगा।

श्री रामकिशन : इसमें सरकार ने क्या किया ? अभी तक कहीं नहीं हुआ।

श्री अमृत लाल यादव : तो जल्दी करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री केदारनाथ।

गजसिंहपुरा में खांड का कारखाना

७१५. श्री केदारनाथ (श्रीगंगानगर) : क्या सहकारी विभाग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) जगसिंहपुर में जो खांड का कारखाना लगाया जा रहा था उसमें कितने हिस्सेदारों से कितनी रकम हिस्से के रूप में व कितनी रजिस्ट्रेशन फीस के रूप में वसूल की गई है ?

(२) रजिस्ट्रेशन फीस में से कितना खर्चा हुआ और हिस्सों की मूल रकम में से कितना खर्चा हुआ और कहां कहां ?

(३) जो रकम वसूल की गई थी क्या वह रकम वसूली के समय से ही सरकारी बैंक में जमा कर दी गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(४) उपरोक्त रकम कितने अरसे से वसूल की जा चुकी है और आज तक कारखाना न लगाए जाने का क्या कारण है ?

उपमंत्री सहकारी (श्री रामदेवसिंह) : (१) गजसिंहपुर में जो खांड का कारखाना लगाया जा रहा था उसमें १७२२ हिस्सेदारों से ३,२४,५५०) रुपए हिस्से के रूप में

(रामदेव सिंह)

वसूल किए गए। रजिस्ट्रेशन फीस कोई वसूल नहीं की गई।

(२) रजिस्ट्रेशन फीस व हिस्सों की मूल रकम में से कोई खर्चा नहीं किया। खर्चा केवल जो रकम केन्द्रीय सहकारी बैंक लि० श्री गंगानगर में जमा रही उससे प्राप्त ब्याज में से किया गया। कुल खर्चा ४२६८)०४ का हुआ। मुख्यता खर्चा स्टेशनरी, पोस्टेज, पूल जीप किराया, छपाई, इश्तहार, कार्यालय खर्च, फर्नीचर वेतन-लेखक एवम् फुटकर मद में हुआ।

(३) श्री गंगानगर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि० श्रीगंगानगर में जमा करा दी गई।

(४) खांड का कारखाना लगाए जाने हेतु रकम वर्ष १९५६-५७ में वसूल की गई थी। मशीनरी एवम् लाइसेन्स प्राप्त न होने के कारण कारखाना स्थापित नहीं किया गया है।

श्री केदारनाथ : प्रश्न (४) में मैंने पूछा कि आज तक कारखाना न लगाए जाने का क्या कारण है ? आपने कहा कि मशीनरी एवम् लाइसेन्स प्राप्त न होने के कारण कारखाना स्थापित नहीं किया गया। लाइसेन्स प्राप्त करने में क्या दिक्कत आई ?

श्री रामदेवसिंह : मेरे पास तो यह सूचना नहीं है।

श्री केदारनाथ : मशीनरी खरीदने के लिए राज्य सरकार ने क्या कोशिश की ? मशीनरी क्यों नहीं प्राप्त हुई ?

श्री रामदेवसिंह : बाहर से आनी थी। जब लाइसेन्स ही नहीं मिला तो इम्पोर्ट करने का सवाल ही नहीं।

श्री रामचन्द्र आर्य : कितने दिनों में यह कारखाना खोला जायगा ?

श्री रामदेव सिंह : खोलने का सवाल ही नहीं। लिकुइडेशन में ले रहे हैं और रकम वापस लौटाई जा रही है।

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या यह सही है कि उस रकम का ब्याज भी दिया जायगा ?

श्री उपाध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

श्रीरामचन्द्र आर्य : अलग नहीं है। ७ वर्ष तक उनकी बड़ी रकम रही है, तो उन लोगों को ब्याज मिलना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत।

घाना पक्षी सेन्चुरी भरतपुर

७१५. श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत (भीम) : क्या मुख्य मन्त्री यह तबाने की कृपा करेंगे-

(१) क्या यह सही है कि भरतपुर स्थित घाना पक्षी सेन्चुरी बाहर के सैलानियों

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत)

को आकर्षित करती है। इन दो वर्षो में कहां कहां के विशेष अतिथि इसे देखने को आए ?

(२) क्या यह सही है कि टूरिज्म की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हुए भी इसका विकास करने का नहीं सोचा गया है ?

(३) यदि सोचा गया तो कृपया बतायें कि पिछले तीन वर्षो में इसके विकास के लिए क्या किया गया ?

राज्य मंत्री पर्यटन (श्री हीरा लाल देवपुरा) : (१) जी हां। इटली, फ्रान्स, बेल्जियम, अमरीका, जर्मनी, कनाडा, रूस, पोलैंड, इंगलैंड के विशिष्ट अतिथि इसे देखने आये।

(२) जी नहीं।

(३) पिछले तीन वर्षों में पक्षियों के आवास हेतु वृक्ष लगाए गए। पानी को घना में रोक रखने व निकास के मार्गों का प्रबंध किया गया। पशु पक्षियों को निश्चित स्थान पर आकर्षित करने हेतु दैनिक दाना डालने तथा नमक (मिनरल ब्रिक्स) का प्रबन्ध किया गया। वन्य पशुओं के लिए प्राकृतिक खाद्य की व्यवस्था हेतु बेर के वृक्षों में ग्राफिटंग कराया जा रहा है। पानी में पैदा हुई जल कुंभी को नष्ट किया जा रहा है। सेंक्चुरी की सडकों की मरम्मत की गई। पानी में पक्षियों के निकट पहुंचने के लिए नावों तथा सुरक्षा की दृष्टि से फेंसिंग की व्यवस्था की गई। सैंक्चुरी में स्थिति वन विश्राम गृह की मरम्मत कर आधुनिक साज सज्जा से सुसज्जित किया गया। विश्राम गृह में अस्थाई बिजली तथा पानी का प्रबन्ध किया गया। भोजन की व्यवस्था भी की गई। स्थाई बिजली व्यवस्था की कार्यवाही की जा रही है। टेलीफोन भी लगवाया गया है। इस प्रकार इस सैंक्चुरी को अधिक आकर्षित बनाने के लिए वित्त की उपलब्धि के अनुसार धीरे धीरे प्रयत्न किए गए हैं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : क्या आप बता सकेंगे कि पिछले दो सालो में पर्यटकों की हैसियत से कितने लोग आए ?

श्री हीराल देवपुरा :

सन् १९६५-६६ में भारतीय १३२, विदेशी ७८

,, १९६६-६७ में ,, १०८, ,, ६५

,, १९६७-६८ फरवरी तक १८०, ,, १७५

ये तो वे पर्यटक हैं जो वहां पर विश्राम-गृह में ठहरे। इसके अतिरिक्त १९६५-६६ में ७०० भारतीय ६०० विदेशी घूमने आए १९६६-६७ में विदेशियों की संख्या १३००, करीब इतने ही भारतीय देखने आए। इसके अतिरिक्त विशिष्ट व्यक्ति जो १९६७-६८ में आए उनमें इटली के राजदूत, फ्रांस के राजदूत और उनके परिवार के सदस्य, बेल्जियम के राजदूत, अमरीका के राजदूत, कनाडा के मन्त्री और शिष्टमण्डल रूस का व्यापार प्रतिनिधि मंडल ...

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : क्या यह सही है कि संसार में जो इनी गिनी संक्चुरीज हैं उनमें यह वन आफ दी बैस्ट है? दूसरी सैंक्चूएरीज में हजारों की संख्या में पर्यटक जाते हैं यहां केवल १००-१२५ ?

(श्रीमती लक्ष्मीकुमरी चूण्डावत)

यहां पर कम क्यों आए। क्या कारण है।

श्री हीरालाल देवपुरा : यह सही है कि यह सैंक्चूरी संसार की पक्षी सैंकुचरीज में वन आफ दी बेस्ट मानी जाती है। यह ऐसी जगह स्थित है जहां लोग सीधे नहीं आ सकते, बाई रोड आते हैं, यह एयर से कनेक्टेड नहीं है। इसलिए विदेशी पर्यटक कम आए और दिनों दिन जो सुविधायें प्रदान की गई हैं उससे विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ती जा रही है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : यह विदेशी मुद्रा कमाने का सवाल है। क्या यह सही है कि सैंकुचुरी के बारे में पब्लिसिटी नाम मात्र की भी नहीं की गई है, इसलिए पर्यटक यहां पर नहीं आते हैं, रहने का प्रबंध नहीं है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : यह सही नहीं है। पब्लिसिटी की गई है और ठहरने की व्यवस्था भी है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : पब्लिसिटी नाम मात्रा की भी नहीं की गई है। कई विदेशी यात्रियों ने मुझ से कहा कि इतनी मामूली सी पब्लिसिटी है, इतना छोटा बोर्ड लगाया हुआ है कि पर्यटक निकल जाते हैं पता नहीं लगता। पब्लिसिटी पर कितना खर्चा किया ? आगे क्या कर रहे हैं ?

श्री हीरालाल देवपुरा : यह अलग से प्रश्न है लेकिन मैं आपकी भावनाओं की कद्र करता हूं। वास्तव में पब्लिसिटी की जा रही है और भविष्य में भी की जायगी।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत : जो नेचुरल हमारी सम्पदा है उसके प्रति उदासीनता बरती जा रही है, उससे मैं असन्तुष्ट हूं।

श्री हीरालाल देवपुरा : मैंने कहा, भविष्य में पब्लिसिटी और भी की जायगी।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : आप क्या करेंगे, ठहरने की व्यवस्था ? एक बार नहीं ५० बार यह सवाल आ गया है। आप पर्यटकों की ओर ध्यान नहीं देते।

श्री हीरालाल देवपुरा : यह सही नहीं है कि टूरिज्म की ओर ध्यान नहीं दिया गया है और माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि पब्लिसिटी अधिक की जा रही है और इस वर्ष पर्यटकों की अधिक आने की आशा है।

श्री रामकिशन (गौर) : मैं समझता हूं कि मन्त्री महोदय ने जो आंकड़े दिए हैं वे तो ठीक हैं लेकिन उसमें सड़कों की मरम्मत पर पिछले तीन वर्षों से क्या खर्चा किया गया है ? दूसरा आपने कहा कि उनके निवास स्थान की व्यवस्था है। लेकिन वहां तो बिजली नहीं, गर्मियों में पर्यटक नही ठहरते क्योंकि जनरेटर पर ज्यादा खर्चा आता है। तीसरे इसका नाम रखा है चिड़िया संरक्षण गृह और उनको हत्या की जा रही है ? राजस्थान सरकार की क्या राय है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : बिजली की व्यवस्था की गई है। यह सही है कि बिजली

Page No.13

(श्री हीरालाल देवपुरा)

की व्यवस्था इसमें टैम्परेरी है, जनरेटर लगाकर बिजली दी जा रही है।

श्री रामकिशन : खर्चा ग्राता हैं, २५ रु० लेते हैं।

श्री हीरालाल देवपुरा : जहां तक स्थाई बिजली की व्यवस्था का प्रश्न है, यह विचाराधीन है। इस वर्ष वहां पर स्थाई बिजली उपलब्ध करा सकेंगे। सड़कों के बारे में कहा गया, मैं नहीं कहता कि वे ठीक व्यवस्था में है, फिर भी वे ऐसी व्यवस्था में है कि कार लेकर घूमा जा सकता है। इस वर्ष भारत सरकार के पर्यटन विभाग की ग्रोर से एक लाख रुपया सड़क के लिए मिला है। उसके ग्राधार पर सड़कों की मरम्मत का काम जारी है।

श्री सतीश चन्द्र ग्रग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) : मंत्री महोदय का कहना बिल्कुल गलत है। वहां पर कार नहीं ले जा सकते। २० दिन पहले, श्री रामकिशन को मालूम है, हम कार से गए लेकिन नहीं ले जा सके सेंक्चुरी के ग्रन्दर। इसलिए जीप ले जानी पड़ी। सड़क की हालत खराब है। जब तक पर्यटक विभाग को सफीश्शेंट एलोकेशन नही करेंगे तब तक सडकों की हालत नहीं सुधरेगी। पी. डब्ल्यू. डी. के नवाब साहब कहते हैं कि उनके जूरिसडिक्शन में नहीं ग्राती। सड़कों की हालत सुधारनी चाहिए। मेरा एक सुझाव है ग्रागरा में होटेल है क्लार्क्स शीराज, वह लगभग एक करोड़ के खर्चे से बना है। इतना बढ़िया होटल जयपुर में भी कोई नहीं, रामबाग भी इतना ग्रच्छा नहीं है। ऐसा बढ़िया होटल जब तक ठहरने के लिए ग्राप नहीं बनायेगे, बिजली की व्यवस्था न होगी, तो वहां पर पर्यटक ग्राकर ठहरेंगे, यह उम्मीद करना गलत है। मन्त्रीगण विश्रामगृह में जाकर ठहरते हैं जो पर्यटकों के लिए है वे ग्रपने स्वागत कक्ष में नहीं ठहरते इसलिए पर्यटकों के लिए जगह नहीं रहती। मंत्रियों को वहां नहीं ठहरना चाहिए जो जगह पर्यटकों के लिए है। ग्रगर इसकी ग्रोर ध्यान दिया गया तो फतेहपुर सीकरी-ग्रागरा-जयपुर-उदयपुर एक लिंक बन जायगी।

ग्रौर दूसरी बात उपाध्यक्ष महोदय एक शिकायत ग्रौर है कि गेम सेंक्चुरी में मुझे जानकारी मिली है कि भरतपुर के महाराज बिना लाइसेंस के वहां शिकार कर सकते हैं ऐसी व्यवस्था है। तो उस स्थिति में भी ग्राप जानकारी प्राप्त करें। उसके कारण हजारों की संख्या में उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर बर्ड्स ग्रौर दूसरी चीजें मार लेते हैं ग्रौर उनके गेस्ट ग्राते हैं उनके ऊपर भी पाबन्दी नहीं है ग्रौर उनके शिकार के ऊपर पाबन्दी होनी चाहिए। गेम सेंक्चुरी के लिए जो पहले कहा करते थे कि हिरन पास ग्रा जाते है ग्रौर बैठ जाते है लेकिन ग्रब वह हालत नहीं है ग्रौर ग्रब वे दूर भाग जाते है। सैकड़ों की तादाद में देखे हैं कि गाड़ी ग्राते ही वह दूर भाग जाते हैं इसलिए इस प्रश्न पर भी सरकार को विचार करना चाहिए।

Page No.14

श्री हीरालाल देवपुरा : माननीय उपाध्यक्षजी अभी जो माननीय सदस्य ने कहा....

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चुंडावत : आप जरा साफ बोलें आवाज नहीं आ रही है।

श्री रामकिशन : सुखाड़िया जी सामने बैठे हैं इसलिए इनकी आवाज दबी हुई है।

श्री हीरालाल देवपुरा : आप सुनने का प्रयत्न करेंगे तो जरूर आवाज पहुंचेगी और अगर आप सुनोगे ही नहीं तो आवाज कहां से आयेगी।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि माननीय सदस्य ने अभी यह निवेदन किया और कहा कि वे २० दिन पहले ही वहां होकर आये हैं तो मैं भी निवेदन करना चाहता हूं कि मैं भी इसी महीने में वहां जाकर आया हूं और सब सड़कों पर होकर आया हूँ। मैं बताना चाहता हूं कि वहां पर वे ही रास्ते बन्द हैं जिनके ऊपर कि काम चल रहा है। मैं साथ साथ ही जैसा अभी पहले कहा अब भी कहना चाहता हूँ कि सड़कों की हालत जितनी अच्छी होनी चाहिए उतनी नहीं है। इसके लिए अभी इसी साल १ लाख रुपया मन्जूर हुआ है और सड़के बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है बिजली की व्यवस्था के बारे में मैंने निवेदन किया कि वह इस वर्ष कर दी जायेगी और वहां से जनरेटर हटा दिया जायेगा और जनरेटर से जो डिस्टरबेन्स होता है वह भी निकट भविष्य में बन्द हो जायेगा।

दूसरी बात माननीय सदस्य ने कही कि क्लार्क्स शीराज जैसी होटल वहां पर बना दी जाये तो जो पर्यटकों की आने की संख्या है उसके हिसाब से ही कार्य किया जा सकता है। मैं यह कह सकता हूं कि टूरिस्ट्स के ठहरने के लिए शांति भवन वहां पर बनाया हुआ है और उसके अलावा एक होटल भरतपुर में बनी हुई है जो कि गेम सेक्चुरी के बिलकुल पास ही है। जो आपने शांति भवन के लिए कहा तो उसके लिए मेरी जानकारी है कि राजस्थान के जाने वाले मंत्री या अधिकारी शांति भवन में ठहरते हैं केवल तब ही जब कि वहां पर कोई स्थान खाली होता है। वर्ना अधिकतर वह टूरिस्ट्स के लिए रिजर्व रहता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : चिड़ियों के बारे में बताये....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय विरोधी दल के नेता।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) उपाध्यक्ष महोदय, यह कहा गया कि यह सेंक्चुरी सारे विश्व में थर्ड सेंक्चुरी में प्रसिद्ध सेंक्चुरी है यह मैं मानता हूं लेकिन वहां पर व्यवस्था ऐसी है कि पर्यटक आते हैं और अपने देश का मजाक करते हैं। छोटे छोटे देश उपाध्यक्ष महोदय जैसे यूगान्डा, कीनिया, टान्जिया फांस वहां पर जो सेंक्चुरी की व्यवस्था है उसके मुकाबले में हमारा इतना विशाल देश होते हुए भी यह सेक्चुरी नाममात्र की सेंक्चुरी है। सड़के भी अपर्याप्त हैं, ठहरने के लिए भी वहां पर कोई व्यवस्था नहीं है। आप

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

पर्यटकों को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं? यह तो बड़ा भारी नेशनल असेट है और इस नेशनल असेट का सदुपयोग करें तो आप फारेन एक्सचेन्ज डालर्स और स्टालिंग्स के रूप में हजारों और लाखों रुपये प्राप्त कर सकते हैं ऐसी चीज है। और अगर मैं विषयान्तर नहीं होता हूं तो मैं यह भी जानना चाहूंगा कि जैसा कुछ माननीय सदस्यों ने प्रश्न पूछा कि क्या इसके अन्दर पोचिंग है या नहीं। यदि पोचिंग हैं और यदि शिकार राइट्स हैं तो मैं किसी के राइट्स का हनन किया जाये यह तो नहीं कहूंगा लेकिन सेंक्चुरी शब्द का प्रयोग और फिर उसके अन्दर शिकार राइट्स यह तो कांट्रेडिक्शन इन टर्म्स है। आप इस पर सोच सकते हैं और मेरे ख्याल से जब तक ठहरने की व्यवस्था नहीं होगी, वातानुकूलित व्यवस्था नहीं होगी और प्रोटेक्शन बर्डस को नहीं दिया जायेगा और अगर बर्ड्स को प्रोटेक्शन देंगे तो आपको मालूम होगा कि उनकी संख्या बढ़ेगी और मनुष्यों के पास भी वह आयेंगी। यह सब बातें आप देखेंगे तो यह सेंक्चुरी ऐसी हो सकती है तो मेरे ख्याल से दूसरी सेंक्चुरीज को भी यह मात कर सकती है लेकिन उनके मुकाबले में इस सेंक्चुरी की व्यवस्था नगण्य है। मैं समझता हूं कि सरकार इस तरफ ध्यान देगी।

मुख्यमंत्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं निवेदन करना चाहूंगा कि भरतपुर हिज हाईनेस को बर्ड्स सेंक्चुरी में बर्ड्स के शूटिंग के राइट्स हैं उसके अलावा दूसरे पशुओं के बारे में किस हद तक राइट्स हैं इसका तत्काल जबाव नहीं दे सकता हूं लेकिन वहां पर कोई पोचिंग चल रहा है इसकी स्पेसिफिक कम्पलेन्ट गवर्नमेन्ट के पास नहीं आई है। अगर इस प्रकार की बात आये तो गवर्नमेन्ट उसको देख सकती है। दूसरे मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि फण्ड्स की शार्टेज की वजह से टूरिस्ट्स को जो पोटेन्शेलिटी राजस्थान में है उसके लिए हम मानते हैं कि पूरी तरह से हम एक्सप्लाइट नहीं कर पाये हैं। हम चाहते हैं कि इसके लिए ज्यादा फण्ड्स मिलें तो ज्यादा से ज्यादा कर सकें। रोड्स की जो दिक्कत है उसके लिए बतया गया कि अगलेवर्ष मे १ लाख रुपया खर्च करके रोड्स को इम्प्रूव किया जायेगा और नेक्स्ट प्लान में और ज्यादा धनराशि खर्च करके इसको अट्रेक्टिव बना सकें इसके बारे में भी हम ध्यान करके चलेंगे।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट में एक बात कहूंगा ...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय विरोधी दल के नेता से मेरा निवेदन है कि और भी प्रश्न बाकी हैं....

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : एक ही मिनट मे एक बात कहना चाहूंगा। भरतपुर हिजहाईनेस को शूटिंग के राइट्स हैं वह तो डक्स वगैरह शूट करें उससे हमारी इन्डीजिनस बर्ड्स के उपर असर नहीं होता है लेकिन मुझे मालुम है कि पर्यटकों के

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

द्वारा मैंने सुना है कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि लोग वहां पर मारते हैं। अब तो कुछ भी मिल जाये तब भी डक के नाम से होटलों में सब जगह बिक जाता है। हमारी इस प्रकार की प्रशासनिक कमजोरियों को देखकर पर्यटक हमारी मजाक उड़ाते हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जैसा मैंने कहा कि इसके बारे में हमारे पास स्पेसिफिक बातें नहीं आई हैं। फिर भी हम कहते हैं कि इस प्रकार की बात है तो उसका ध्यान रखा जायेगा।

श्री उपाध्याक्ष : श्री देवीदत्त गाड़िया

फियेट कारें बेचने की अनुमति

७१९. श्री देवीदत्त गाड़िया : (बांरा) क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :— राजस्थान के किन किन भूतपूर्व मंत्रियों ने अपनी फीयेट कारें बेचने की अनुमति मांगी है और किन किन को इजाजत दी गई और क्यों ?

उपमंत्री यातायात (श्री शिवचरण सिंह) : निम्नलिखित भूतपूर्व मंत्रियों ने अपनी फियेट कारें बेचने की अनुमति मांगी है:–

(१) श्री घासीराम यादव, उप-मन्त्री

(२) श्री आर० सी० चारीवाल, मंत्री

(३) श्री रामकिशोर व्यास, मन्त्री

इन तीनों को ही इजाजत दी गई। क्रम संख्या (१) में आर्थिक कारणों के आधार पर, क्रम सं० (२) में गाडी के एक्सीडेन्ट हो जाने के कारण तथा क्रम संख्या (३) में गाड़ी के पुरानी होने के कारण बेचने की इजाजत दी गई।

श्री भैरोंसिंह : (किशनपोल, जयपुर) इसमें से किन मंत्रियों को एक बार से अधिक अनुमति दी गई ?

श्री उपाध्यक्ष : अलग प्रश्न है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अनुमति दी गई और एक से ज्यादा किन को दी गई ?

श्री शिवचरण सिंह : अलग से प्रश्न है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह :(डूंगरपुर) क्या एक ऐसा उदाहरण भी है कि एक मंत्री को दो कारें मिली हैं ?

श्री शिवचरण सिंह : यह सूचना उपलब्ध नहीं है। केवल इनमें से एक मन्त्री ने दो बार इजाजत मांगी है श्री चारीवाल जी ने।

श्री भैरोंसिंह : रामकिशोर जी व्यास ने एक ही बार अनुमति दी गई या दो बार ?

श्री शिवचरण सिंह : इसकी जानकारी करके आपको सूचना दे दी जायेगी।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : क्या तीसरी भी किसी मन्त्री को मोटर देने की योजना विचाराधीन है ?

Page No.17

श्री शिवचरण सिंह : अगर आपका सुझाव होगा तो इस पर विचार करेंगे ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं ऐसे सुझाव का स्वागत करूंगा और यह सदन आपकी मजाक करेगा ।

श्री भैरोंसिंह : क्या अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में सरकार ने कोई पालिसी या आधार निर्धारित कर रखा है ।

श्री शिवचरणसिंह : इसके नियम हैं जो मोटर व्हीकल्स कन्ट्रोल एक्ट के तहत में और जो स्टेट लेवल की पालिसी है उसके तहत परमीशन लेनी पड़ती है और उसी के अनुसार परमीशन दी जाती है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि एक्ट में अनुमति के सम्बन्ध में कोई प्रावधान नहीं है ।

श्री शिवचरण सिंह : नहीं है । लेकिन सूटेबिलिटी को देखते हुए अगर कहीं एक्सीडेंट हो जाये या मालिक की माली स्थिति नहीं है तो हालात को देखते हुए इजाजत देनी पड़ती है ।

श्री भैरोंसिंह : जिन मंत्रियों को अनुमति दी गयी गाड़ी बेचने की तो उन्होंने गवर्नमेंट से कर्ज लेकर मार्टगेज कर रखी थी तो क्या पहले उनकी लायेबिलटी ड्यूज चुकाने की नहीं थी ?

श्री शिवचरणसिंह : कर्ज के बारे में जानकारी प्राप्त करके दी जा सकेगी ।

श्री भैरोंसिंह : अनुमति तो दे दी जायेगी लेकिन गाड़ी खरीदने के लिए जो लोन दिया गया है और उन्होने जो एग्रीमेंट किया है उसके अनुसार लोन के अगेन्स्ट में गाड़ी जमा होनी चाहिए । उस सम्बन्ध में सरकार ने क्या देखा ?

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : यह तो सही है कि जो लोन दिया जाता है उसके बाद गाड़ी गवर्नमेंट को मोरगेज होती है और अगर सेल कर दे और दूसरी गाडी न ले तो मनी गवर्नमेंट में डिपोजिट होनी चाहिए ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : (जौहरी बाजार जयपुर) जिन लोगों को अनुमति दी और जिन्होंने सरकार से लोन ले रखा है तो अनुमति देने से पहले क्या यह जानकारी प्राप्त नहीं की कि लोन चुक गया है या नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह प्रश्न अलग है और रुपया गवर्नमेंट को दिया या नहीं इसके लिये जो ए डी से पूछ लें ।....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : गाडी मोरगेज है और इजाजत दे दी तो क्या गवर्नमेंट क लोन के अगेन्स्ट में कोई सिक्योरिटी दे दी थी ?

श्री उपाध्यक्ष : लोन लिया हुआ है या नहीं इसकी कैसे मालूम ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मुझे याद है ।

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री महोदय को याद नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उनको याद आ जावेगा।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जिन मन्त्रियों ने भूतपूर्व मन्त्रियों ने सरकारी ऋण लेकर गाड़ियां खरीदीं तो बेचने के बाद सरकारी खजाने में ऋण का रुपया जमा करा दिया ?

श्री शिवचरण सिंह : यातायात विभाग से वह रुपया नहीं दिया जाता जी. ए. डी. से दिया जाता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह बेचने की इजाजत डाइरेक्टर ने दी या गवर्नमेंट ने ?

श्री शिवचरण सिंह डाइरेक्टर ट्रांसपोर्ट ने।

श्री देवीदत्त गाडिया : जिन भूतपूर्व मन्त्रियों को सरकार ने फिएट कार बेचने को इजाजत दी उनमें से इन तीन भूतपूर्व मन्त्रियों को किन किन आधार पर बेचने की इजाजत दी ?

श्री उपाध्यक्ष : बता दिया गया है। श्री कृष्णकुमार गोयल। बहुत से प्रश्न बच गए हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : एक कारण यह दिया कि कार पुरानी हो गई। कार कुछ ही दिनों पहले खरीदी गई क्या सरकार ने इसकी जांच कराई ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री कृष्णकुमार गोयल।

श्री कृष्णकमार गोयल : प्रश्न संख्या ७१७।

शिक्षण संस्थाओं की इमारतों का स्वामित्व तथा उनकी मरम्मत

७१७. श्री कृष्ण कुमार गोयल : (कोटा) क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) राज्य सरकार को सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्रधीन राजस्थान में कितनी शिक्षण संस्थाओं की इमारतों पर स्वामित्व प्राप्त है ? कृपया जिलेवार सूची दें।

(२) क्या यह सही है कि इन इमारतों की मरम्मत के लिए अलग से कोई मद स्वीकृत नहीं है ?

(३) अगर हां, तो इन इमारतों की मरम्मत किस प्रकार व किस फंड से करवाई जाती है ?

(४) कोटा शहर में स्थित प्राइमरी व मिडिल स्कूलों की इमारतों पर मरम्मत में कब कब कितना कितना रुपया कहां कहां खर्च किया गया ?

उपमन्त्री सार्वजनिक निर्माण विभाग (श्री माधोसिंह भैंसवाड़ा) : उपाध्यक्ष

(श्री माधोसिंह)

महोदय, प्रश्न की अभी पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है, उसे पोस्टपोन किया जाय।

श्री विजयसिंह (मकराना) : इसके लिये अगली बार अगर उत्तर न आवे तो मन्त्रियों को मुर्गा बनाया जाना चाहिये।

अजमेर जिले में चोरियों के मामले

७१८. श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद) : क्या गृहमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) अजमेर जिले में पिछले ५ वर्ष में कितनी चोरियां हुई ? प्रत्येक वर्ष में हुई चोरियों के आंकड़े दें।

(२) अब तक कितनी चोरियां पुलिस न बरामद की हैं ? और कितनी चोरियों के मुकद्दमे चलाये गए हैं ?

उपमन्त्री गृह (श्री खेत सिंह) : (१) अजमेर जिले में पिछले ६ वर्षों (सन् १९६२ से ६७) में कुल ४६४१ चोरी की घटनाओं के अभियोग पंजीबद्ध हुए। इनमें ४१३ अभियोग झूठे पाये गए। प्रत्येक वर्ष में हुई चोरी की घटनाओं के आंकड़ों की तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) कुल २००६ चोरी की घटनाओं में पुलिस ने माल बरामद किया व अदालत में चालान किया है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री विजयसिंह रावत : जिन्होंने झूठे केस दर्ज कराये और वे झूठे पाये गये तो क्या दर्ज कराने वालों के विरुद्ध १८२ में कार्यवाही की गई ?

श्री उपाध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है।

श्री विजयसिंह रावत : इसी से ताल्लुक रखने वाला है उपाध्यक्ष महोदय। फिर इसमें अदम पता लिखा है, यह अदम सुबूत हो सकता है, अदम पता कैसे हो सकता है ?

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : यह कानूनी बात है। इसकी इनको ज्यादा जानकारी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : अदम पता मुलजिम हो सकता है। मुलजिम हैं क्या लिखा हुआ ?

श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा) : इस सूची में आपने अदम पता लिखा है इससे सरकार की मंशा क्या है।

श्री खेतसिंह : अदम पता पता नहीं, अदम बकुआ, बकुआ नहीं। अदम पता मीन्स अनट्रेस्ड।

श्री विजयसिंह रावत : ये जो छ सालों में केस हुए हैं उनके फैसलों के विरुद्ध अपील हुई हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर प्लीज। अलग से प्रश्न है।

श्री विजय सिंह रावत - एक प्रश्न और। क्या यह सही है कि ६५-६६ और

Page No.20

(श्री विजयसिंह रावत)

६७ में अजमेर जिले में लगातार चोरियां बढ़ती गई हैं।

श्री खेतसिंह : यह तो आप फिगर देखकर जान सकते हैं।

श्री विजय सिंह रावत : इसके क्या कारण हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : जनसंख्या वृद्धि।

श्री भैरोंसिंह : जोधपुर उदयपुर के लोग अजमेर होकर जाते हैं यह कारण है।

श्री विजयसिंह रावत : पुलिस जागरूक नहीं है। क्या यह सही है कि पुलिस स्वयं करप्शन, व्यभिचार आदि बढाने में चोरियां बढाने में साथ रह कर सारे काम करा रही है। जिसके कारण यह वृद्धि हो रही है और इसके सुबूत आपके फिगर हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। स्थान ग्रहण करें।

श्री विजयसिंह रावत : अभी मंत्रीजी ने सदन को बताया था कि ३२ पानी के मीटर चोरी चले गये। अब बिना पुलिस की शह के ये कैसे आ सकते हैं, आखिर उनको खोलने में डिसकनेक्ट करने में समय लगा होगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

श्री दुर्गालाल बाददार।

श्री विजयसिंह रावत : मेरे प्रश्न का जवाब आना चाहिये। अजमेर जिले में चोरियां ज्यादा होती हैं, इसके लिए पुलिस विभाग दोषी है।

श्री शतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार, जयपुर) : उदयपुर, जोधपुर जाने का रास्ता बदल दो तो चोरियां अजमेर में कम हो जावेंगी।

श्री उपाध्यक्ष : आपने जनरल पूछा है। अब जो सूचना आपको दे दी गई उससे कोई पूरक प्रश्न नहीं बनता।

श्री विजयसिंह रावत : शासन सरकार को प्रोटेक्शन देना चाहता है। सरकार के कान बन्द हैं। क्यों नहीं वह जवाब देती है ?

गृह मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : जहां तक अजमेर के पुलिस के एस. पी. का सवाल है वे एक इफीसियेंट और इन्टेग्रिटी के आदमी हैं। अपने काम को बड़ी तत्परता से अन्जाम दे रहे हैं।

आंकड़ों को आप ठीक तरह से स्टडी करेंगे तो मालूम हो सकेगा कि ५० परसेन्ट तो माल बरामद हुआ है, सजाएं हुई हैं। अब मुकद्दमे हैं। किसी में साबित नहीं होता है किसी में बकुआ नहीं है, अदम पता भी हो गये हैं तो इसमें पुलिस की लापरवाही

(श्री दामोदरलाल व्यास)

या नाकाबलियत जाहिर नहीं होती। माननीय सदस्य की सूचना ठीक नहीं है कि पुलिस काम अन्जाम ठीक नहीं दे रही है।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट। प्रश्न संख्या ७१६।

श्री रामानन्द अग्रवाल।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

जयपुर नगरपालिका क्षेत्र में सम्मिलित किए गए ग्राम

७२०. श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवा महल जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) जयपुर नगरपालिका क्षेत्र का विस्तार करते समय आसपास के कौन-कौन से गांव सम्मिलित किये गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें और यह गांव कौन सी तारीख से नगरपालिका क्षेत्र में लिये गये हैं ?

(२) क्या राज्य सरकार ने इन क्षेत्रों का कब्जा वास्तव में नगरपालिका को दे दिया है ? यदि हां, तो कब और कौन सी तारीख से ?

(३) क्या यह सही है कि झोटवाड़ा में तथा अन्य ग्रामों में गत वर्ष में पक्के मकानों का निर्माण हो गया है और उनकी स्वीकृति नगरपालिका या ग्राम पंचायत से हासिल नहीं की गई है ?

उपमन्त्री स्वायत्त शासन (श्रीमति प्रभा मिश्रा) : (१) जो-जो गांव सम्मिलित किये गये हैं उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। उक्त गांव नगर परिषद् की सीमा में दिनांक ७।१०।६५ से सम्मिलित किये गये हैं।

(२) उक्त क्षेत्र राज्य सरकार की विज्ञप्ति क्रमांक एफ १ (३१) रूल एस. जी./ए/५८/पी. टी./दिनांक ७।१०।६५ व सम संख्या दिनांक १६।२।६६ के अनुसार दिनांक ७।१०।६५ से स्वत: ही नगरपालिका के अधिकार क्षेत्र में आ गये हैं।

(३) जी हां। बिना इजाजत तामीर के ५२ मामले परिषद् में दर्ज किये गये हैं। एक मामले में समझौता हो गया है तथा बाकी ५१ मामलों में नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री दुर्गालाल बाढ़दार। क्या यह सच है कि नगरपालिका को यह क्षेत्र दिये जाने के पश्चात् भी पंचायत अपना अधिकार इस पर जमा रही है।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : एक बस्ती पर दो का अधिकार नहीं हो सकता। जैसा बताया ७।१०।६५ से स्वत: ही नगरपालिका के अधीन वह हो गया है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : क्या इस क्षेत्र में पंचायत ने कोई जमीन अलाट नहीं

Page No.22

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

की मकान बनाने के लिये और तामीर की इजाजत नहीं दी ७।१०।६५ के बाद भी ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : जहां तक जमीन अलाटमेंट का प्रश्न है उसकी जांच करवा ली जायेगी। लेकिन मकानों की तामीर के लिए जो भी प्रार्थना पत्र नगरपालिका के पास आये उनको सूचित कर दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : क्या यह सही है.......

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न ले लिया गया है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : बहुत इम्पार्टेन्ट है। क्या यह सही है कि ७.१०.६५ के बाद, उन गांवों के नगरपालिका में आने के पश्चात् भी पंचायतों ने मकान बनाने की इजाजत दी ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : इसकी जांच करा ली जायेगी और उचित कार्यवाही की जायेगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (किशनपोल, जयपुर) : क्या यह सही है कि पंचायत अधिनियम के अन्तर्गत कोई नोटिस नहीं निकाला गया है, केवल नगरपालिका अधिनियम के अन्तर्गत नोटिस निकाला गया है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : इसकी जानकारी नहीं है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : इस प्रश्न को स्थगित कर दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मेरा नम्र निवेदन है........

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, सूचना दे दी गई है। अलग से प्रश्न पूछ लिया जाये।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : माननीय उपाध्यक्ष, सबसे बड़ी अव्यवस्था यह है कि यही नहीं मालूम पड़ रहा है कि किस कोर्ट की जुरिसडिक्शन है। लोगों के मुकदमे पड़े हुए हैं। राज्य सरकार यह तो बताये कि किस कोर्ट का जुरिसडिक्शन रहेगा ? इसका उत्तर तो मिलना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : आप ध्यान आकर्षण प्रस्ताव रख दीजिये।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : यह तो स्पष्ट मालूम हो जाये कि किसका एक्सक्लुसिव जूरिसडिक्शन है ? नगरपालिका का है या पंचायत का है।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : नगरपालिका का ही जूरिसडिक्शन है, पंचायत का जूरिसडिक्शन नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिवल्लभ शर्मा।

सब-डिवीजन मालपुरा एवं टोंक में सड़कों के निर्माण एवं मरम्मत के लिए धनराशि

७२१. श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई माधोपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) सब डिवीजन मालपुरा एवं टोंक के लिए चालू वित्तीय वर्ष में रोड निर्माण एवं सब प्रकार की मरम्मत के लिए क्रमश: कितन-कितनी राशि स्वीकार की गई ?

(२) उक्त राशि में से अब तक कितना-कितना व्यय किस-किस मद में किया जा चुका है ?

(३) क्या यह सही है कि उपरोक्त व्यय की गई राशि को पूरा करने हेतु कुछ राशि सवाई माधोपुर सब डिविजन के लिए नई सड़क निर्माण एवं रोड रिपेयर्स की राशि में से ली गई है ? यदि हां, तो कितनी और क्यों ?

उपमंत्री सार्वजनिक निर्माण (श्री माधोसिह) : (१) सब डिविजन टोंक, मालपुरा में नवीन सड़क निर्माण हेतु २,२८,००० एवं मरम्मत हेतु निम्न धनराशि वर्ष १९६७.६८ में दी गई है :

सब डिविजन	सड़क मरम्मत हेतु
टोंक	३,६३,५८३
मालपुरा	१,६१,०८०

(२) रोड निर्माण पर १,५७,२५५ तथा रोड मरम्मत पर ५,८२,६७७ जनवरी १९६८ तक व्यय हुए हैं।

(३) जी नहीं।

श्री जगन्नाथ : टोडा को क्यों कम कर दिया गया ?

श्री जयनारायण सालोदिया : टोडा का तो नाम ही हट गया दफ्तरों से।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : सवाई माधोपुर में रिपेयर्स पर कुल कितना हुआ है ?

श्री माधोसिह : ३,६५,५४३ रुपये।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : रोड रिपेयर्स पर कितना हुआ है ? रोड कन्स्ट्रक्शन पर नहीं।

श्री माधोसिह : रोड रिपेयर्स ही अर्ज कर रहा हूं।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : सवाई माधोपुर सब डिवीजन में सड़कों की मरम्मत पर कितना व्यय हुआ।

एक माननीय सदस्य : सवाई माधोपुर का पूछ रहे हैं।

श्री माधोसिह : ३,६५,५४३।

श्री विजय सिह (मकराना) : सवाई माधोपुर के लिए माधोसिह से पूछ रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री श्रवणलाल।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : ३,६५,५४३ तो कुल खर्चा है। रोड रिपेयर्स पर कितना हुआ ? मैं केवल रिपेयर्स के लिये पूछ रहा हूं।

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री अमीनुद्दीन अहमद) : यह कुल रकम है, अलग अलग की फिगर्स इस वक्त नहीं है मेरे पास, लेकिन जो भी रकम थी, वह सारी खर्च की गई है।

श्री हरि वल्लभ शर्मा : सवाई माधोपुर के रास्तों पर गढ़े ही गढ़े पड़े हुए हैं। क्या यह सही है कि जब आप वहां पधारे थे और आपको जब यह बताया गया तो आपने कहा कि गढ़ों से कह दो कि वे सड़क पर नहीं आवें।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : यह मैंने कभी नहीं कहा था और आप गलत बयान दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री भवरलाल प्रश्न संख्या ७२२

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री हरि वल्लभ शर्मा : मैं यह पूछना चाहता था कि रिपेयर्स पर कितना हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष : रिपेयर्स पर उन्होंने कहा कि ३,६५,५४३ खर्च हुआ है।

श्री हरि वल्लभ शर्मा : इतने तो रोड्स ही नहीं हैं, साहब। उन्होने सड़क निर्माण और रिपेयर्स का कुल बताया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि केवल रिपेयर्स पर कितना हुआ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। कृपया स्थान ग्रहण करिये।

श्री हरि वल्लभ शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो अधूरा ही रह गया।

श्री उपाध्यक्ष : अर्डर प्लीज। अगला प्रश्न पूछ लिया गया है।

श्री हरि वल्लभ शर्मा : यह बता रहे हैं कि ३,६५,५४३ खर्च हुआ है। यह अगर सारा रिपेयर्स पर खर्च हुआ है तो क्या यह माना जाये कि सड़क नई कोई नहीं बनी ?

महारावल श्री लक्ष्मण सिह : क्या कोरी रिपेयर्स पर ३,६५,५४३ रूपये हजम हुए हैं ?

श्री माधोसिह : जी नहीं, खर्च हुए हैं।

श्री डूंगाराम : लेकिन किस तरह हो गये ? इतनी तो वहां सड़कें ही नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट। श्रीमती कांता खयूरिया। प्रश्न संख्या ७२३।

(अनुपस्थित, कृपा आगे देखिये)

श्री मूलचन्द डागा : प्रश्न संख्या ७२३।

श्री जयनारायण सालोदिया : ये कान्ता खथूरिया कब से हो गये ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर।

श्री रतनलाल रोत।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : (श्री मूलचन्दा डागा से) शक्ल में तो कोई अन्तर नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आपस में बात न कर, माननीय सदस्य।

राज्य में अनुसूचित जातियों के अधिकारी

७२४. श्री रतनलाल रोत (चौरासी सु०) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

आई. ए. एस. और आई. पी. एस. के स्तर पर अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के कितने व्यक्ति राजस्थान राज्य सेवा में सर्विस कर रहे हैं ?

मुख्यमन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : राजस्थान में आइ. ए. एस. कैडर में ३ अनुसूचित जाति के व ३ अनुसूचित जन जाति के अधिकारी हैं। इसी तरह आई. पी. एस. में २ अनुसूचित जाति के व २ अनुसूचित जन जाति के हैं।

श्री रामकिशन : आइ. ए. एस. और आइ. पी. एस. के टोटल पद कितने हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : टोटल नम्बर तो मेरे पास इस वक्त नहीं हैं, लेकिन मेरे खयाल से १०० से ऊपर हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ये जो आपने तीन और तीन व्यक्ति बताये कि राज्य सरकार की सेवा में हैं, ये क्या राजस्थान के रहने वाले हैं ? इस समय राजस्थान में सेवा कर रहे होंगे लेकिन होंगे बाहर के। राजस्थान के मूल निवासी कितने हैं इनमें ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जहां तक मेरा खयाल है, इसमें जो आइ. ए. एस. हैं, उनमें, इग्जेक्टली तो मैं नहीं कह सकता लेकिन, अधिकांश राजस्थान के ही रहने वाले हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : प्रश्न पूछने का मतलब ही वही है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आइ. ए. एस. में श्री हनुमान प्रसाद, नन्द किशोर इन दो के लिये तो मेरी जानकारी हैं कि वे राजस्थान के ही हैं। इसी तरह आइ. पी. एस. में रामचन्द्र, राम प्रकाश भी राजस्थान के हैं।

(१२ बजे मध्यान्ह)

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, क्या इन २० वर्षों में आजादी के पश्चात् इन पिछड़ी जातियों पर करोड़ों रुपये खर्च करने के बावजूद दो आई० ए० एस० और दो पुलिस आफिसर जो ६ या २ माननीय मुख्यमन्त्री जी ने बताये हैं वह क्या आपके खयाल से पर्याप्त हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं इसमें यह स्पष्ट कर दूं कि आई० ए० एस०

Page No.26

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

का केडर जब ओरीजिनली बना तो जो स्टेट सर्विसेज के पुराने लोग चले आ रहे थे, स्टेट सर्विसेज के वक्त से उन लोगों में से उस केडर में बहुत से लोग आ गये। पुरानी स्टेट्स के जमाने में शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को प्रतिनिधित्व नहीं मिलता था, इसलिए जो बहुत से आफिसर....

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : प्रतिनिधित्व नहीं मिलता तो भीखाभाई कहां से आये, डा० आम्बेडकर कहां से आये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : वे हिन्दुस्तान से आये।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : वे आसमान से आये या आपने उनको यहां पर जन्म दिया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं निवेदन कर रहा था कि पहले जो स्टेट सर्विसेज थीं उन स्टेट सर्विसेज से इनिशियल केडर फार्मुलेट हुआ, और जो इनिशियल केडर फार्मुलेट हुआ वह काफी बड़ा केडर है, और उस केडर के अन्दर वे लेग नहीं होने की वजह से ज्यादा अनुपात हो गया और उसके अन्दर कम होगा। उसके बाद यहां राजस्थान लेवल के ऊपर सिलेक्शन नहीं होता है और आल इंडिया लेवल पर आई. ए. एस. और आई. पी. एस. का होता है, और उनके वहां जो पर्सेन्टेज फिक्स्ड की हुई है शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की वह आल इंडिया की पर्सेन्टेज पूरी होती है। उसमें राजस्थान के शेड्यूल्ड कास्ट्स या शेड्यूल्ड ट्राइब्स को प्रतिनिधित्व मिले या और किसी स्टेट वाले को मिले इसको राजस्थान स्टेट फिक्स नहीं करती है। हम को उस केडर में से २-३ एलाट होने वाले हैं और आम तौर से एक वर्ष में कभी दो, कभी तीन और कभी एक। उस लाइट से देखा जाय तो किसी वर्ष में राजस्थान के अन्दर एलाट नहीं होते हैं। लेकिन हमने इस बात का ध्यान रखा है कि राजस्थान में शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग-बाग इन सर्विसेज के अन्दर आयें। इसलिए हमारा चाहे कोटा हर साल २ या ३ का होता था हमने वहां पर उन लोगों को मौका दिया, और जिससे आम तौर से असर पड़े राजस्थान के अन्दर कि इतने व्यक्ति रहे हैं, वर्ना रिजर्वेशन के लिहाज से राजस्थान में एक भी हर साल एलाट नहीं होता है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री रामकिशन : एक प्रश्न और है। ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आई० ए० एस० हैं इनको किस किस जगह पर लगाया हुआ है अब तक ?

श्री उपाध्यक्ष : अलग प्रश्न :

श्री रामकिशन : अलग नहीं है, माननीय उपाध्यक्ष।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए यह अर्ज कर दूं कि सब के पोस्टिंग का तो मुझे

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

पता नहीं है, लेकिन आई० ए० एस० में से महेन्द्रसिंह जो कि १९६२ के अन्दर सिलेक्ट हुए हैं इस वक्त जालोर में कलेक्टर हैं। रामचन्द्र जो शेडुल्ड ट्राइब्स में से सिलेक्ट हुए हैं वे इस वक्त कलेक्टर चूरू हैं। इनके अलावा ६४-६५ और ६६ के बैच के हैं चन्द्र प्रकाश। उनकी पोस्टिंग का मुझे पता नहीं है। मेदमी जो एस०पी० हैं और किशन लाल वह एस०पी० है की जगहों पर पोस्टेड् हैं। लक्ष्मीनारायण मीणा और रामनारायण इनके पोस्टिंग का एक्जेक्टली मैं अभी नहीं कह सकता हूं।

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : माननीय मुख्यमन्त्रीजी यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में पिछड़ी जातियों के कितने प्रतिनिधि आई० ए० एस० और आई० पी० एस० में राजस्थान के अन्दर एनरोल हुए, एडमिट हुए ?

श्री उपाध्यक्ष : कितने सिलैक्ट हुए ?

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : सिलेक्शन बाई एडमिशन और एडमिशन बाई सिलेक्शन एक ही बात है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : १९६५ में हनुमान प्रसाद आई० ए० एस० में, १९६७ में नन्दकिशोर बैरवा आई० ए०एस० में। और शेडूल्ड ट्राइब्स के अन्दर ६४ में चन्द्र प्रकाश और कुमारी चम्पा शेरिंग १९६६ में, और आई० पी० एस० में ६७ में लक्ष्मी नारायण। उसके बाद ६१-६२ और ५७ में हैं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए। स्थगन प्रस्ताव।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ७२६ बड़ा ही इम्पार्टेन्ट क्विश्चन है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए। माननीय भैरोंसिंह।

(कई माननीय सदस्य एक साथ उठ कर बोलने के कारण अश्रव्य)

श्री विजयसिंह रावत : ७२६ नम्बर का प्रश्न वह इस सदन के माननीय सदस्यों से सम्बन्ध रखने वाला है इसलिए आप से रिक्वेस्ट है कि उसको ले लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : कौन सा ?

श्री मूलचन्द डागा : ७२६ दिस इज् वेरी इम्पार्टेन्ट।

श्री भैरोंसिंह : ७२८ में भी एक प्रश्न रह गया है ' वह बड़ा इम्पार्टेन्ट है।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : मेरा भी ७० नम्बर का क्वेश्चन है।

श्री देवीदत्त गाडिया : माननीय उपाध्यक्ष, ७२५ माननीय सदस्य के वैसे ही क्विश्चन कम आते हैं। इसलिए पहले ७२५ को ले लिया जाय। उसके बाद ७२६ को ले लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : ७२६ ।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : ७२५ के लिए आपने कहा था ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, ७२६ ।

विधान सभा के सदस्यों को फियेट कार व स्कूटरों के आवटन का आधार

७२६. श्री विजयसिंह (मकराना) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान विधान सभा के सदस्यों को फिएट कारें व स्कूटर जो प्राथमिकता के आधार पर सरकारी कोटे में से दिये जाते हैं उनके क्या कोई नियम हैं अथवा मन्त्री महोदय की इच्छानुसार इनका आवंटन किया जाता है ?

(२) क्या यह सच है कि विधायकों द्वारा उपरोक्त विषय में दिये गये आवेदन-पत्रों पर क्रमानुसार विचार न किया जाकर मंत्री महोदय ने अपनी इच्छानुसार फिएट कारें व स्कूटरों का आवटन किया है ?

(३) १ मार्च, १९६७ से अब तक किन-किन विधायकों ने आवेदन पत्र दिये और उनमें से क्रमानुसार किन-किन विधायकों को कारे व स्कूटरों का आवंटन कर दिया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उपमंत्री, यातायात (श्री शिवचरणसिंह) : (१) इस विषय में कोई वैधिक नियम नहीं है । अलबत्ता व्यवहार के लिए कुछ सिद्धान्त बना रखे हैं, जिन पर यथासम्भव अमल किया जाता है ।

(२) सामान्यतया क्रमानुसार ही विचार किया जाता है, लेकिन आवेदन की भारी जरूरत, यातायात का दूसरा साधन न होना, स्वास्थ्य की दशा आदि बातों के कारण प्राथमिकता भी दी जा सकती है ।

(३) सूची संलग्न है ।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या ऐसे विधायक भी हैं जिन्होंने स्कूटर लेकर बेच दिया है ?

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्नकर्ता को पूछने दें ।

श्री विजयसिंह : लेन-देन का काम तो मंत्रीजी करते हैं और जवाब उपमंत्रीजी देते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : उपमंत्री दे सकते हैं ।

श्री विजयसिंह : फिएट कारों को जो सूची दी है उसमें अमरसिंह नं० १२ पर और रेखसिंह कौन हैं । खेतसिंह को रेखसिंह बना दिया हो तो कोई बात नहीं ।

स्कूटरों की जो सूची दी है उसमें जो एलाटमेंट किया गया है इसमें १, २, ३, ४ और ५ को छोड़ दिया है और ६ नवम्बर को दे दिया है, ७ नवम्बर को दे दिया है

(विजयसिंह)

८ ठवें नवम्बर को और ६ नवम्बर को छोड़ दिया है और १० नम्बर पर हमारी उप-मंत्री श्रीमती सुमित्रासिंह हैं इनको छोड़ दिया, और ११ नम्बर को दिया है। यह जो एलाटमेंट किया है वह किन कारणों से किया है ?

श्री शिवचरणसिंह : मैंने जो अर्ज किया है कि सामान्यतया कुछ सिद्धान्त बना रहे हैं लेकिन अगर किसी माननीय सदस्य को जरूरत ज्यादा हो तो उनको एलाट किया जाता है। किसी विशेष माननीय सदस्य को एलाटमेंट किया हो और उससे आपकी नाराजगी हो तो बता दें।

श्री दिग्विजयसिंह : फर्स्ट-कम-फर्स्ट-सर्व्ड वाला आधार है तो पहले ५ को क्यों छोड़ा है।

श्री शिवचरण सिंह : सामान्यतया प्राथमिकता पर ही देते है लेकिन अगर किसी माननीय सदस्य की आवश्यकता ज्यादा हो तो उसको देखते हुए एलाटमेंट कर दिया जाता है।

श्री रामकिशन : कैसी आवश्यकता हो ?

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने के कारण अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, प्रश्न कर्ता। प्रश्नकर्ता पूछ रहे हैं।

श्री विजयसिंह : यह क्रमानुसार नहीं देते हैं तो क्यों डिमाण्ड मांगते हो और क्यों जरूरत होती है ? क्या यह सही है कि श्री अमृतलाल स्कूटर देते हैं तो उस समय ५०० रु० मांगते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री विजयसिंह : इन्होंने मांगें हैं ५०० रु० और मैं प्रूव करके छोड़ूंगा।

मैंने दिये हैं। स्कूटर के नम्बर मेरे पास हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। कृपया स्थान ग्रहण करें। आप खुद नियमों की अवहेलना कर रहे हैं। जब आसन पैरों पर हो तब भी आप आवेश में आकर कहते जा रहे हैं। आर्डर प्लीज।

श्री देवीदत्त गाड़िया : उपाध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है....

श्री उपाध्यक्ष : आसन अपने पैरों पर है। प्रश्न समाप्त हुए। व्यवस्था दी जा रही है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मेरा यह निवेदन है...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री अमृतलाल यादव (यातायात मंत्री) : माननीय उपाध्यक्षजी, यह जो माननीय सदस्य बात कर रहे हैं....

Page No.30

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने के कारण अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर) आर्डर प्लीज।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री विजयसिंह : मैं प्रूव करके छोड़ूंगा क्या समझते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज आर्डर। यह चौपड़ की मीटिंग नहीं है जहां मर्जी आवे जैसे बोल दिया। यह विधान सभा है, यहां ढंग से बोलना चाहिये।

श्री रामचन्द्र आर्य : व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : कौनसे नियम में है ?

श्री रामचन्द्र आर्य : व्यवस्था का प्रश्न यह है कि कोई सदस्य प्रश्न पूछे और जवाब आवे उस पर सप्लीमेंटरी करना चाहे तो आसन से उसको रोक दिया जाता है। कोई मन्त्री यदि गड़बड़ी करता है तो मुख्य मन्त्री को उसका जवाब देना चाहिये, यह उनकी जिम्मेदारी है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य जो कोई व्यवस्था का प्रश्न उठावें आयन्दा वे कौन से नियम के अधीन उठाते हैं इसका हवाला देना चाहिये।

श्री रामचन्द्रआर्य : हमारा अधिकार है हमको हक है पूछने का।

श्री विजयसिंह रावत : (नसीराबाद) मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जवाब देते समय आपका आदेश यह है कि आपकी तरफ मुंह करके जवाब दिया जाय। यहां पर यह परम्परा डाली है, यह अच्छी परम्परा डाली है। लेकिन अभी दो मिनट पहले श्री अमृतलालजी जब आसन खड़ा था तब उन्होंने अपना मुंह इस तरह से दिखाया जैसे रोष की भावना भरी हो। तब माननीय सदस्य को भी आवेष में कुछ कहना पड़ा। ट्रेजरी बैन्चेज पर बैठने वाले माननीय सदस्यों का व्यवहार और भावना उत्तेजनात्मक नहीं हो और वे सदस्यों को उत्तेजित नहीं करे ताकि ऐसे शब्द नहीं कहने पड़ें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ने जो बात कही है वह उचित है। जैसा पहले भी निवेदन किया था कोई प्रश्न पूछे जांय तो आवेश में हों तो आसन की मार्फत होने चाहिये। आपस में बात करने से रोष बढ़ता है। यह व्यवस्था का प्रश्न तो नहीं है लेकिन सुझाव ठीक है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने अभी यह व्यवस्था दी है कि कोई व्यवस्था का प्रश्न खड़ा करे तो कौन से नियम में कर रहा उस नियम का हवाला

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

दिया जाय। हमारे यहां के जो नियम हैं उनमें तो एक ही नियम २६४ ए ऐसा है जो व्यवस्था से सम्बन्धित है और कोई नियम ऐसा नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : कौन से नियम का उल्लंघन हो रहा है या विधान के कौनसे अनुच्छेद का उल्लंघन हो रहा है क्योंकि या तो नियम का उल्लघन हो या विधान का उल्लघन हो, कभी कभी माननीय सदस्य आवेश में आ जाते हैं, सदन की कार्यवाही को रोकना चाहते हैं व्यवस्था के प्रश्न पर इसलिये मैंने कहा है।

श्री भैरोंसिह : उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न बड़ा इम्पोरटेन्ट रह गया है। आज ही उसका जवाब हाऊस में आ जायेगा तो उचित रहेगा। बोर्डर रोड का प्रश्न है। गृहमन्त्री के कहने से मैंने इसको स्थगित कराया था, चैंबर में बात की। मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि पी. डब्ल्यू डी. मिनिस्टर साहब को १० दिन से कह रहा हूं, चिट्ठी भी लिखी है कि बोर्डर रोड के बारे में जानकारी दी जाय लेकिन वे इसको टाल रहे हैं यह समझते हैं कि विधान सभा की बैठक स्थगित हो जायगी और उनको जवाव नही देना पड़ेगा। यह इस तरह से बड़ा इम्पोरटैंट प्रश्न है इसका कोग्नीजेन्स लेना चाहिये। भारत सरकार किस प्रकार बोर्डर रोड के लिये पैसा देती है और किस प्रकार अफसरों के बंगले बनाकर उस धन का दुरुपयोग किया जाता है। इसका जवाब आप आज ही दिलवादें या इसको पोस्टपोन करवा दें।

श्री अमीनुद्दीन अहमद (निर्माणमंत्री) : जितने सवालों के जवाब थे वे कल यहां पर पहुंचा दिये गये थे इसमें देरी नहीं की गई। आपको यकीन दिलाया गया था और आज भी यकीन दिलाना चाहता हूं कि कोई भी बात सदन से पोशीदा नहीं रखी जायगी। यह आपका गलत खयाल है। जैसी सड़कों की जिम्मेदारी आपकी है वैसी ही जिम्मेदारी हमारी हुकूमत की है। यह हमारा फर्ज है कि हाऊस के माननीय सदस्यों को पूरी जानकारी दी जाय। कभी ऐसा नहीं होगा कि कोई बात छिपाई जाय। सूचना इकट्ठी करने में कोई देरी हो जाय तो दूसरी बात है, यह आपको भी समझना चाहिये।

श्री भैरोंसिह : मैं तो समझा हुआ हूं लिस्ट आपके पास उस समय भी थी, पर आपने उत्तर नहीं दिया। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इस तरह से १५ दिन का समय निकल गया।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : यहाँ पर जवाब मौजूद है, आप चाहें तो दिला दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : वैसे प्रश्नों का समय तो समाप्त हो गया है, सदन की अनुमति हो तो इस प्रश्न का जवाब दिलाया जा सकता है।

(कई मा. सदस्य एक साथ अभी जवाब दिला दीजिये।)

श्री उपाध्यक्ष : इसका जवाब दे दीजिये।

Page No.32

सीमावर्ती जिलों में रेस्ट हाऊस

७२८. श्री भैरोंसिंह शेखावत (किशर्न-पोल, जयपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) सीमावर्ती जिलों में गेंग हट्स या इंजीनियर्स के लिये रेस्ट हाउस के नाम पर कहां-कहां किस-किस लागत के भवन बनाये गये हैं ? कृपया तालिका सदन की मेज पर प्रस्तुत करें।

(२) गेंग हट्स तथा रेस्ट हाउस के लिये किस-किस वर्ष में कितना-कितना प्रावधान रखा गया था और उसमें कहां-कहां कितना-कितना खर्च हुआ है ?

(३) क्या इस प्रकार के भवन बनाने से पूर्व राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त की गई थी ? यदि हां, तो किस-किस भवन के लिए और कब-कब ?

उपमंत्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग (श्री माधोसिंह भैंसवाड़ा) : (१) सीमावर्ती जिलों में ६३ गेंग हट्स बनाये गए हैं जिनकी सूची संलग्न हैं। सीमावर्ती जिलों में रेस्ट हाउस के नाम से कोई भवन नहीं बनाए गए हैं। सिर्फ इन्सपेक्शन हाउस बनवाये गये हैं जो कि १६ हैं।

(२) गेंग हाउस वह इन्सपेक्शन हाउस के लिये कोई अलग प्रावधान नहीं किया गया था उनसे संबंधित सड़कों के स्वीकृत प्रावधान में सम्मिलित था तथा उसी के आधार पर इनका निर्णय किया गया है। खर्चे की सूची संलग्न है।

(३) इन गेंग हट्स या इन्सपेक्शन हट्स बनाने के लिए राज्य सरकार से कोई अलग से स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि सम्बन्धित सड़कों के स्वीकृत तखमीनों में गेंग हट्स व इन्सपेक्शन हट्स के बनाने के लिये प्रावधान है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री भैरोंसिंह : गेंग हट्स और इन्सपेक्शन हट्स पर कुल कितना खर्चा हुआ ?

श्री माधोसिंह (भैंसवाड़ा) : गेंग हट्स पर ९,६२,९६८ रु० और इन्सपेक्शन हट्स पर ७,३४,३३६ रुपये।

श्री भैरोंसिंह : जो बजट में प्रावधान किया गया था सड़कों के लिए, उनमें से कितना परसेन्टेज गेंग हट्स के लिये और कितना परसेन्टेज इन्सपेक्शन हट्ट के लिये रखा गया था ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : यह तमाम टोटल रूट्स का मजरिया दिया है, उससे मालूम हो जायगा।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जवाब में कहीं इस बात का जिक्र नहीं है कितना परसेन्टेज गेंग हट्स और इन्सपेक्शन हट्स के लिये रखा गया है ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : वह आसानी से निकाला जा सकता है।

Page No.33

श्री भैरोंसिंह : निर्धारित परसेन्टेज है या नहीं ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : यह रकम दे रखी है, कॅपिटल आउट ले दे रखा है, खर्चा दे रखा है, परसेन्टेज निकाला जा सकता है ।

श्री भैरोंसिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि सड़क के लिए जितना प्रावधान रखा गया है उसका कितना परसेन्ट गेंग हट्स और इन्सपेक्शन हट्स के लिये रखा गया है ?

श्री माधोसिंह (मैंसवाड़ा) : ४५००) रु० पर माइल का प्रावधान किया है उसमें गेंग हट्स और इन्सपेक्शन हट्स का प्रावधान शामिल है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि इन्सपेक्शन हट् नाम से एक-एक मकान पर ५६,०००) रु० तक लगे हैं ?

श्री माधोसिंह (मैंसवाड़ा) : अलग-अलग जगह पर अलग-अलग लागत लगती है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है इन्सपेक्शन हट्स और गेंग हट्स बनाये हैं उनमें से कई ऐसे हैं जिनकी कीमत लाख रुपयों से कम नहीं है ?

श्री माधोसिंह (मैंसवाड़ा) : लाख की कीमत किसी की नहीं है लेकिन जहां ज्यादा अफसरों के ठहरने के लिये स्थान बनाये गये हैं वहां पैसा ज्यादा खर्च हो सकता है ।

श्री भैरोंसिंह : जिन गेंग हट्स और इन्सपेक्शन हट्स में निर्धारित परसेन्टेज से ज्यादा रकम खर्च हुई है उनके लिए क्या गवर्नमेन्ट सेंक्शन लेना आवश्यक नहीं था ?

श्री माधोसिंह (मैंसवाड़ा) : इसके लिये कोई निर्धारित परसेन्टेज नहीं था ।

श्री भैरोंसिंह : आपने अभी कहा था कि ४५००)....

श्री माधोसिंह (मैंसवाड़ा) : सड़क का खर्चा माइल के हिसाब से होता है साढे चार हजार रुपये पर माइल है उसमें गेंग हट्स और इन्सपेक्शन हट्स भी शामिल हैं ।

श्री भैरोंसिंह : जो भी इन्सपेक्शन हट्स और गेंग हट्स बने हैं क्या वे निर्धारित प्रावधान के अन्दर बने हैं ?

श्री माधोसिंह (मैंसवाड़ा) : जी हां ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि बिना टेन्डर इन्वाइट किये ही ये बने हैं ?

श्री माधोसिंह (मैंसवाड़ा) : जहां टेन्डर इन्वाइट करने की जरूरत समझी गई वहां टेन्डर काल करके बनाये गये ।

श्री भैंरोंसिंह : क्या यह सही है कि इनमें से एक भी विभागीय आधार पर नहीं बनाया गया ?

श्री माधोसिंह (भैंसवाड़ा) : इसकी जानकारी करके जवाब हाजिर कर सकता हूं।

श्री जयनारायण सालोदिया : जानकारी तो दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए! स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था!

श्री फूलचन्द बाफना : स्थगित प्रश्नों का क्या हुआ। वापिस स्थगित हो गये या समाप्त हुए?

उपाध्यक्ष : समाप्त हुए।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए परिशिष्ट ३ देखिए)

(अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर)

टोंक-सवाई माधोपुर सड़क की मरम्मत

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राज्य सरकार द्वारा वर्ष १९६७-६८ के लिए सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में क्या योजना तैयार की गई थी? कृपया जिलेवार सूचना सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या यह सही है कि जिला टोंक के लिए इस वर्ष नई सड़कों के निर्माण के लिए कुछ भी धनराशि नहीं रखी गई? यदि हां, तो क्यों नहीं?

(३) क्या यह भी सत्य है कि पुरानी सड़कों की मरम्मत के लिए भी कोई धन राशि नहीं रखी गई? यदि हां तो क्यों?

(४) क्या यह सही है कि टोंक से सवाई माधोपुर सड़क की हालत इतनी खराब हो रही है कि गाड़ियां बड़ी मुश्किल से चलती हैं? यदि हां, तो क्या सरकार इस सड़क के लिए कुछ धन राशि प्रदान करेगी? यदि हां, तो कब?

उत्तर

(१) कोई नयी योजना तैयार नहीं की गई है?

(२) यह सही नहीं है। टोंक जिले में २,०३,०००)रु० का प्रावधान बजट में किया गया है।

(३) ५,८४,६६३)रु० की धन राशि स्वीकृत की गई है।

(४) यह सत्य नहीं है।

वैद्यों की पेंशन के मामले

७१९ श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राज्य सरकार के पास वैद्यों के कितने ऐसे केस पड़े हुए हैं जिनको रिटायर हुए ५ वर्ष से अधिक हो गये हैं लेकिन जिनकी पेन्शन अभी तक तय नहीं की गई है? इन केसों में इतनी देर लगने का क्या कारण है?

(श्री आयुर्वेद मन्त्री)

(२) क्या राज्य सरकार ने कोई निश्चित अवधि तय की हुई है जिसके अन्दर अन्दर पेन्शन के केस तय होने लाजमी करार दिये हुए हों ?

(३) क्या इस प्रकार के मामलों में अन्तिरिम सहायता देने का भी कोई नियम है ?

(४) क्या यह सही है कि श्री रामजी लाल उप वैद्य राजकीय औषधालय अलवर को १९-७-६० को रिटायर किया गया था लेकिन उनकी पेंशन अभी तक तय नहीं हुई है ? यदि हां, तो इसका कारण क्या है ?

(५) क्या यह सही है कि उक्त वैद्य की स्थिति बहुत दयनीय होने के कारण विभाग ने उसे १००० रू० कम्पेन्सट्री पेन्शन के रूप मेंदेने की सिफारिश की थी परन्तु यह रुपया अभी तक नही दिया गया है ?

उत्तर

(१) इस विभाग में ऐसे निम्न दो केस है:—

(अ) वद्य शिवनाथ:—

इनकी विश्रामवृत्ति दिनांक ३१-५-६१ हैं । ये जिला बोर्ड के विघटन के पश्चात इस विभाग में आये थे । ५३ वर्ष की आयु में नियुक्त किये गये थे । इन्होंने ५५ वर्ष की आयु जिला बोर्ड में ही पूर्ण कर ली थी आयु शैथिल्य व अधिक आयु से पश्चात की सेवा अवधि की पुर्न नियुक्ति में नियमन किये जाने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

(ब) वैद्य महेश चन्द्र भट्ट:—

ये जागीर विभाग के हैं । इनकी विश्रामवृत्ति दिनांक २५-५-६२ हैं । चूंकि इनको जागीर विभाग में वेतन एवं मंहगाई दोनों ही मिलाकर दी जाती थी इस लिए इनके वेतन के स्थितिकरण हेतु कार्यवाही जारी है ।

(२) कोई निश्चित अवधि निर्धारित नहीं की गई है ।

(३) एन्टीसिपेन्टरी पेन्शन देने का प्रावधान राज्य सेवा नियम में पहले से ही विद्यमान है ।

(४) जी नहीं, उप वैद्य रामजीलाल की पेन्शन का मामला तय हो चुका है व पी० पी० ओ० व जी० पी० ओ० महालेखाकार द्वारा प्रसारित हो चुका है ।

(५) जी नहीं, ऐसी कोई सिफारिश विभाग द्वारा राज्य सरकार को नही की गइ ।

भेड़ों की खरीद

७२२. श्री श्रवणलाल (हिण्डौन सु.) : क्या पशुपालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(२) भूतपूर्व खाद्य मन्त्री द्वारा आस्ट्रेलिया के दौरे के समय वहां कितनी भेड़ें कितनी धनराशि की खरीदी गई थी ?

(श्री पशुपालन मन्त्री)

(२) उन भेड़ों को यहां लाने में कितना व्यय हुआ ?

(३) इन भेड़ों को कहां-कहां रखा गया है ?

(४) इन भेड़ों को रखने और उनसे सम्बन्धित कर्मचारियों पर वार्षिक कितना व्यय होता है ?

(५) इनके लिये चारे और दवाईयों पर प्रतिवर्ष कितना व्यय हुआ है ?

(६) क्या यह सही है कि उन भेड़ों में से कई भेड़े मर गई हैं ? यदि हां, तो मरने के क्या कारण हैं और मरने वाली भेड़े किसकी देख रेख में थीं ?

(७) क्या जो भेड़ें मरी हैं वे किसी की गलती से मरी हैं ? यदि हां, तो उन व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

(८) इन भेड़ों से अब तक कितनी ऊन प्राप्त हुई है ?

(९) इन भेड़ों से कितनी भेड़ें और पैदा हुई हैं ? इनमें नर और मादा की संख्या अलग-अलग बताने की कृपा करें।

उत्तर

(१) भूतपूर्व खाद्य एवम् कृषि मन्त्री द्वारा आस्ट्रेलिया के दौरे के समय कोई भेड़े नहीं खरीदी गई थी।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता।

(४) प्रश्न ही नहीं उठता।

(५) प्रश्न ही नहीं उठता है।

(६) प्रश्न ही नहीं उठता।

(७) प्रश्न ही नहीं उठता।

(८) प्रश्न ही नहीं उठता।

(९) प्रश्न ही नहीं उठता।

विकास न्यास बीकानेर द्वारा निवासी की बेदखली

७२३. श्रीमती कान्ता कथूरिया (कोलायत)। क्या नगर विकास न्यास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) विकास न्यास बीकानेर के क्षेत्र में सरकारी भूमि पर किस वर्ष से पूर्व आबाद हुए निवासियों को बेदखल न करने के लिये सरकार द्वारा आदेश जारी किये गये हैं ?

(२) क्या इन आदेशों का पालन किया जा रहा है ?

(३) क्या इस सम्बन्ध में सम्बन्धित क्षेत्रों के निवासियों की शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

(सरकार द्वारा स्थगित किये जाने हेतु प्रार्थना की गई)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

पशु मेलों की व्यवस्था हेतु व्यय

३२५. श्री रामसिंह कुड़ी (जायल): क्या पशुपालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) नागौर, परबतसर एवं मेड़ता पशु मेलों में तम्बू वगैरह की व्यवस्था हेतु सन् १९५२ से लेकर ता. १ जुलाई, १९६७ तक कितनी-कितनी राशि प्रत्येक वर्ष में किस-किस पशु मेले में की गई व्यवस्था हेतु फर्राशखाने के मद में व्यय की गई ?

(२) नागौर, परबतसर एवं मेड़ता पशु मेलों में सन् १९५२ से ता. १-७-६७ तक प्रत्येक मेले में अलग से प्रत्येक वित्तीय वर्ष में रस्सी, बल्लियों वगैरह पर कितना-कितना खर्चा हुआ ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) क्या कलेक्टर नागौर ने सन् १९६० में नागौर पशु मेले की व्यवस्था हेतु कोई प्लान बना कर भेजा था ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध मे क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(१) सन् १९५२ से लेकर सन् १९५८ तक इन मेलों की व्यवस्था राजस्व विभाग ने की है, सन् १९५९ से लेकर १ जुलाई, १९६७ तक के खर्च का ब्यौरा (तम्बू एवं फर्राशखाना) सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(२) नागौर, परबतसर एवं मेड़ता पशु मेलों में सन् १९५९ से लेकर १-७-६७ तक बल्लियों एवं रस्सियों पर किये गये खर्च का ब्यौरा सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(३) जी, नहीं। कलेक्टर नागौर ने सन् १९६० में पशु मेले नागौर की व्यवस्था हेतु कोई प्लान बनाकर इस कार्यालय को नहीं भेजी है, अतः कार्यवाही किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

अजमेर बस स्टैन्ड

३२६. श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर–पश्चिम) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) अजमेर बस स्टैंड को पक्का बनवाने के लिए क्या निर्णय किया गया है ? और किस योजना के अन्तर्गत ?

(२) क्या सरकार सदर कोतवाली को बस स्टैंड बनाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) इस समय कोई नया निर्णय नहीं लिया गया है।

(२) इस पर विचार किया जायेगा।

Page No.38

आटो रिक्शा चलाने पर प्रतिबन्ध

३२७. श्री हरलाल सिंह खर्रा : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राजस्थान में किस-किस जिले में आॅटो रिक्शा चलाने की मनाही है व किस-किस में नहीं है ?

उत्तर

आॅटोरिक्शा चलाने की मनाई किसी जिले में नहीं है।

गोगुन्दा से कोटड़ा सड़क पर चलने वाली बसें

३२८ श्री देवेन्द्रकुमार मीणा (गोगुन्दा-सु.) क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) जिला उदयपुर की तहसील गोगुंदा व कोटड़ा में इस वक्त कितनी बसें चल रही हैं ? बसों के मालिकों का नाम भी बताने की कृपा करें।

(२) क्या गोगुन्दा से कोटडा रोड पर बसें चल रही हैं ? यदि हां, तो कितनी बसें चल रही है ?

उत्तर

(१) तहसील कोटड़ा व गोगुन्दा में इस समय निम्नलिखित बसों के अनुज्ञा-पत्र दिये हुये हैं:—

मार्ग	नाम मालिक
(१) उदयपुर से कोटडा	१) श्री त्रिलोक चन्द २) श्री मोहन लाल
२) उदयपुर-स्वरूप गंज वाया गोगुन्दा कोटडा	१) श्री नाथूलाल टांक २) श्री गोपाल दास ३) श्री लक्ष्मी मोटर्सवर्कस ४) " " " "
३) उदयपुर से साया वाया नादेशमा	१) श्री देवी सिह २) सर्व राज० ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन
४) उदयपुर से साया वाया गोगुन्दा	१) सर्व ब्रदर्स ट्रां० सर्विस २) श्री शांतिलाल बापना ३) श्री मुखी गोवर्धन दास
५) उदयपुर-रणकपुर वाया गोगून्दा	१) श्री मोहन लाल २) श्री मोहन लाल ३) श्री लीला चन्द ४) श्री सालिगराम ५) श्री पुचेन्द्र सिह ६) श्री गोपाल दास
६) जूडा-स्वरूपगंज	श्री केशव लाल
७) गोगुन्दा-सज्जनरोड	श्री केशवलाल
८) उदयपुर से सज्जनरोड वाया गोगुन्दा	श्री सालिगराम
९) उदयपुर-मोदाल वाया गोगुन्दा	श्री देवी सिंह
१०) उदयपुर-ओजना वाया गोगुन्दा	श्री बिशन लाल अर्जुन लाल

(यातायात मन्त्री)

११) उदयर-पुराणकपुर श्री राम चन्द्र
बाया गोगुंदा

१२) उदयपुर-फालना श्री कृष्ण ट्रांसपोर्ट
वाया गोगुन्दा

२) जो बसें गोगुन्दा होकर चल रही है वे उत्तर संख्या १ पर दर्ज कर दी गई हैं।

यूनानी दवाखाना तोपखाना, जयपुर के हकीम के विरुद्ध शिकायत

३२६. श्री श्रवण लाल (हिण्डौन सु.) क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(१) क्या यह सही है कि यूनानी दवाखाना तोपखाना, जयपुर के हकीम श्री मोहम्मद अमीनें के विरुद्ध शिकायतें सरकार से की गई है ?

(२) ये हकीम यहा कितने अर्से से हैं और इनके यहां से स्थानांतरण के आदेश कितनी बार होकर कितनी बार रद्द किए गये है ?

(३) क्या यह सही है कि इनके विरुद्ध दवाखाने के रजिस्टर में खाली जगह छोड़ कर बाद में उससे नाजायज फायदा उठाने की शिकायत भी है।

(४) इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) जी हां। शिकायत की गई थी परन्तु शिकायत की जांच करने पर वह निराधार सिद्ध हुई।

(२) ये हकीम इस औषधालय में सन् १९६१ से १९६७ तक थे। अब इनका परिवर्तन टोडाभीम हो गया है। वहां मई, ६७ में कार्यरत हो गये हैं। इसके पूर्व इनके दो बार परिवर्तन के आदेश दिये गये थे परन्तु इनकी सेवाऐं सन्तोषजनक रहने के कारण परिवर्तन निरस्त कर दिए गये।

(३) जी नहीं, ऐसी कोई शिकायत नहीं है। और जो शिकायत पत्र प्राप्त हुआ था वह जाच करने पर निराधार पाया गया।

(४) प्रश्न हो नहीं उटता।

राजकीय प्रवास भवन जयपुर के लिए मामान की खरीद

३३०. श्री श्रवणलाल (हिण्डौन सु०) क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजकीय प्रवास भवन, जयपुर के लिये सन् १९६२ से ६७ तक किस-किस वर्ष में कितना-कितना सामान किस-किस फर्म से किस-किस दर पर खरीदा गया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या उपरोक्त खरीदों के लिए कोई टेण्डर लिये गये थे ? यदि हां, तो किस-किस के टेन्डर आये और किस-किस का टेन्डर मन्जूर किया गया है ?

(सामान्य प्रशासन मंत्री)

(३) यदि टेन्डर नहीं लिये गये तो क्यों ? और बिना टेन्डर के सामान क्यों खरीदा गया ?

(४) उपरोक्त अवधि में कितना-कितना सामान किस-किस साल में खराब हुआ है और उसको किस आधार कितनी-कितनी कीमत पर नीलाम किया गया ?

(५) क्या यह सच है कि राजकीय प्रवास भवन के सरकारी सामान को वहां के मैनेजर अधिकतर अपने निजी कार्य में लेते हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(१) राजकीय प्रवास भवन, जयपुर के लिये सन् १९६३ से ६६ -तक प्रति वर्ष सामान खरीदा गया है और वांछित जानकारी की सूची सदन की मेज पर रखदी गई है। सन् १९६२ एवं १९६७ मे वहां के लिए कोई सामान नहीं खरीदा गया है।

(२) जी हां। वांछित जानकारी की सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता।

(४) इस अवधि में खरीदा गया सामान अभी खराब नहीं हुआ है कि उसे नीलाम कर दिया जाय।

(५) पर्यवेक्षक, राजकीय प्रवास भवन, जयपुर अपने निजी कार्य में कोई सामान नहीं लेते हैं।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पंचायत समितियों की सेवा में प्रविष्टि के लिये आयु संबंधी नियम

३३१. श्री नाथूराम (बागीडोरा) : क्या नियुक्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या राज्य सेवा में प्रविष्ट होने की न्यूनतम आयु संबंधी नियम पंचायत समितियों की सेवा में प्रविष्टि पर भी लागू होते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंधी कोई आदेश प्रसारित किये हैं ? यदि हां तो उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) यदि इस प्रकार के आदेश जारी नहीं किये गये हैं तो क्या अब ऐसे आदेश जारी करने का प्रश्न विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक ऐसे आदेश जारी होने की संभावना है ?

उत्तर

(१) पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों के लिए अलग से सेवा नियम बने हुए हैं जिनका नाम "दी राजस्थान पंचायत समितीज़ एण्ड जिला परिषदस् 'सर्विस रूल्स १९६६" है और जिनमें सेवा में प्रविष्टि की न्यूनतम आयु १८ वर्ष है।

(२) उक्त नियमों में न्यूनतम आयु संबन्धित संशोधन विचाराधीन है। इस पर निर्णय होने की शीघ्र संभावना।

जिला नागौर में पूल की गाड़ियों की मरम्मत एवं उनका उपयोग

३३२. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) जिला नागौर के जिलाधीश के अधीन पूल की कितनी गाड़ियां आज हैं ? वे कब-कब खरीदी गईं ?

(२) १-१-६२ से ३१ मार्च, ६७ तक किस-किस गाड़ी पर मरम्मत सर्विस आदि का कितना-कितना खर्चा हुआ ?

(३) पूल की गाड़ियां किस प्रकार से उपयोग में ली जाती हैं ? यदि कोई नियम बने हुए हों तो, या कोई आज्ञा हो तो उनकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(१) जिला पूल नागौर में ५ गाड़ियें हैं ये गाड़ियां सन् १९६०, १९६३, १९६४, १९६५ एवं १९६७ में खरीदी गई थीं।

(२) १-१-६२ से ३१ मार्च, ६७ तक प्रत्येक गाडी पर मरम्मत सर्विस आदि पर किये गये खर्चे का विवरण इस प्रकार है :—

गाड़ी संख्या	वार्षिक खर्चा				
	१-१-६२ से ३१-३-६३	१-४-६३ से ३१-३-६४	१-४-६४ से ३१-३-६५	१-४-६५ से ३१-३-६६	१-४-६६ से ३१-३-६७
आर. जे. एस. ४८१	२४१.६०	१४६.८०	२३६.६०	१९१.५०	१५२.२५
,, ९०	१९८.५०	१७५.७०	१५०.००	१७४.०५	४११.१९
,, ६०५	१७५.४५	१३१.४०	१०१.३८	२३४.७५	१४४.०९
,, ६८८	—	—	—	—	१६०.२६
,, ७६४	—	—	—	—	—

(३) पूल की गाड़ियों का उपयोग सरकार के नियमों के अनुसार किया जाता है जिनकी प्रतिलिपियां संलग्न हैं।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय, में रखी गई)

सहकारी समितियों को ऋण वापिस करने सम्बन्धी प्रतिज्ञा-पत्र की कृषकों द्वारा अनुपालना

३१३. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनू) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(१) क्या यह सही है कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों से कृषकों को जो ऋण दिया जाता है उसमें ऋण देते समय कृषकों से यह प्रतिज्ञ-पत्र भरवाया जाता है कि अपनी कृषि उपज सम्बन्धित क्रय-विक्रय समिति के मार्फत बेचूंगा ? यदि हां, तो यह व्यवस्था चालू करने के बाद कितने काश्तकारों को ऋण दिया गया और उनमें से कितने काश्तकारों ने इस शर्त का पालन किया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या यह भी सत्य है कि सरकार ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि उपरोक्त ऋण लेने वाले जो काश्तकार अपनी कृषि उपज क्रयविक्रय समितियों को वेचेंगे उसमें से कृषक में जो सहकारी बैंक का ऋण बकाया है उतना रुपया काटकर सहकारी बैंक में क्रय–विक्रय समिति जमा करायेगी और बाकी रकम काश्तकार को लौटा दी जायेगी ? यदि हां, तो यह व्यवस्था चालू करने के बाद कितने काश्तकारों ने किन-किन क्रय-विक्रय समितियों को कितने-कितने मूल्य की अपनी कृषि उपज बेची और उनमें कितन–कितना सहकारी बैंक का ऋण बकाया था और उनसे कितने कितने रुपये काटकर सहकारी बैंक में कब–कब जमा करवाये ? शेष राशि कब–कब कितनी-कितनी काश्तकारों को लौटाई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) उपरोक्त व्यवस्था चालू कराने के बाद राज्य में कुल कितना–कितना ऋण किन–किन सहकारी बैंकों द्वारा कब कब काश्तकारों को दिया गया और उनमें से कितना–कितना ऋण किन–किन क्रय–विक्रय समितियों ने कब–कब उपरोक्त व्यवस्था द्वारा वापस बैंकों को काश्तकारों की कृषि उपज के विक्रय में से काटकर जमा करवाया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(दिनांक २८-३-६८ को पुनः पूछा गया)

कृषकों को ऋण प्राप्ति प्रणाली में सुधार

३३४. श्री फूलचन्द बाफना (सुमेरपुर) : क्या कृषिमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या सरकार यह अनुभव करती है कि कृषकों को ऋण प्राप्ति में बहुत कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है इसलिए ऋण प्रणाली व उसके हिसाब रखने की विधि को सरल बनाया जाय ?

उत्तर

जी हां।

पशु मेलों से सरकार को आमदनी

श्री परसराम-गंगाराम (परबतसर-सु.) : क्या पशुपालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) नागौर, परबतसर, पुष्कर, मेड़ता-रोड और तिलवाड़ा के पशु मेलों से जुदा जुदा कितनी आमदनी सरकार को प्रति वर्ष होती है ?

(२) आमदनी का कितना हिस्सा मेलों की व्यवस्था में सुधार निमित्त लगाया जाता है और १९६७ की आमदनी में से परबतसर पशु मेला मैदान पर कितना रुपया लगाया गया है ? और किस–किस कार्य पर कितना–कितना ?

(३) परबतसर पशु मेले से वर्ष १९६७ में कितनी आमदनी हुई ? इस मेले के सम्बन्ध में सरकार का कितना रुपया किस–किस मद में खर्च हुआ ?

(४) पशु मेला परबतसर की आमदनी १९६७ में से परबतसर नगरपालिका को कितनी राशि दी गई ?

(दिनांक २८-३-६८ को पुनः पूछा गया)

भू:संरक्षण परियोजना कार्यालय इटावा

३३६.श्री महेन्द्र सिंह (पीपल्दा) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(१) कोटा जिले में भू–संरक्षण परि–योजना कार्यालय इटावा में कितने विभागीय ट्रेक्टर कार्य कर रहे हैं ? तथा प्रत्येक पर कौन-कौन ड्राइवर हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(२) दिनांक १-४-६७ से ३०-४-६७ तक उक्त ट्रेक्टरों ने किस किसान के लिए कितना कार्य किया, कितने घण्टे ट्रेक्टर चला तथा इसमें डीजल इत्यादि का कितना खर्चा आया ?

(३) क्या यह सही है कि कार्य कम समय किया गया है व लॉग बुकों पर बढ़ा चढ़ा कर बताया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(१) कोटा जिले में भू संरक्षण परि–योजना कार्यालय इटावा में चार विभागीय ट्रेक्टर हैं जिनमें से केवल २ ट्रेक्टर मात्र कार्य कर रहे हैं । जिस पर श्री भंवरलाल एवं श्री साहब लाल ड्राईवर कार्य कर रहे हैं । श्री भंवरलाल ड्राइवर का स्थानांतर हो जाने के कारण केवल एक ही डाईवर इस समय कार्य कर रहा है ।

(२) दिनांक १-४-६७ तक उक्त दोनों ट्रेक्टरों ने श्री अमरलाल वल्द रतन लाल मीना ग्राम गनेशगंज के खेत पर १७४ घण्टे कार्य किया तथा इनमें ९७० लीटर डीजल खर्च हुआ ।

(३) यह सही नहीं है । ट्रेक्टरों ने जितने घण्टे कार्य किया है उतना ही लॉग बुक में दर्ज किया गया है ।

पशुओं की निकासी

३३७. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे —

(१) राजस्थान से बाहर किस-किस प्रांतों में किस-किस किस्म के पशुओं की हर साल कितनी निकासी होती है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(२) राजस्थान से बाहर गायों की निकासी पर कोई प्रतिबन्ध है ? यदि हां तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(१) पशुपालन विभाग द्वारा राज्य से बाहर निर्यात होने वाले पशुओं का लेखा जोखा नहीं रखा जाता।

(२) जी हां। आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने से विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई)।

नसीराबाद-किशनगढ़ सड़क

३३८. श्री विजय सिंह रावत (नसीराबाद) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सही है कि नसीराबाद-किशनगढ़ सड़क नसीराबाद और श्री नगर के बीच में बालू मिट्टी के अत्यधिक जमाव के कारण पिछले चार पांच मास से बन्द है? यदि हां, तो इसे अब तक क्यों नहीं ठीक करवाया गया ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त सड़क को शीघ्र खुलवाने हेतु जिला परिषद् की मीटिंग में एवम् फेमिन एडवाइजरी कमेटी ने जिला अधिशासी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण को निदेश दिये थे ? यदि हां, तो इसे अभी तक क्यों नहीं पूरा किया गया ?

(३) क्या यह सही है कि जिला अधिशासी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण को कलेक्टर एवं जिला फेमिन एडवाइजरी कमेटी ने इस बालू रेत को स्थाई रूप से रोकने हेतु एक दस बारह फुट ऊंची दीवार बनाने की सलाह दी थी ? यदि हां, तो अभियन्ता ने किन-किन कारणों से इसे पूरा करने में असमर्थता दिखाई है ?

(४) क्या यह सही है कि इस सड़क के बन्द हो जाने से नसीराबाद व श्री नगर के बीच का यातायात बन्द हो गया है ? यदि हां, तो इसके बन्द होने से जनता को आज तक कितनी हानि हुई ? क्या सरकार अब ग्रामीणों की मुसीबत एवम् नुकसान को मद्देनजर रखकर इस सड़क को अतिशीघ्र पूरा करने की मन्शा रखती है ? यदि हां, तो कब तक सड़क खुल जायेगी ?

उत्तर

(१) जी नहीं। यातायात चालू रखने के लिये मजदूर व विभागीय गेंग काम कर

(सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)

रहा है।

(२) जी हां रेत हटाने का कार्य प्रगति पर हैं।

(३) जी हां किन्तु इस पर पुनः विचार किया जा रहा है।

(४) जी नहीं। यातायात चल रहा है।

गम्भीर नदी पर पुल

३३६. श्री नत्थीलाल (नदबई.सु): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या बयाना से बन्द बाराठा होकर भरतपुर जाने वाली सड़क एक मुख्य सड़क है? यदि हां, तो इसमें से कितनी और सड़कें निकलती है?

(२) क्या यह सड़क गम्भीर नदी को पार करती है? यदि हां, तो अब तक इसके ऊपर पुल क्यों नहीं बनवाया गया है, जबकि प्रति वर्ष वर्षा के दिनों में बहुत सी दुर्घटनाएं होती है?

(३) क्या इसके पुल बनाये जाने के लिये सरकार ने कभी कोई धनराशि स्वीकृत की थी? यदि हां, तो उसका उपयोग क्यों नहीं किया गया?

(४) क्या सरकार अब इस पुल को बनवाने के लिये कोई कदम उठा रही है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(१) जी हां। एक सड़क बसेडी तथा दूसरी रूपवास के लिए जाती है।

(२) जी हां। अर्थाभाव के कारण।

(३) जी हां। अपर्याप्त होने के कारण।

(४) अर्थाभाव के कारण कोई कदम नही उठाया जा रहा है।

सड़कों के निर्माण हेतु २० साला योजना

श्री आईदान सिंह: (भीनमाल): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि सड़कों के निर्माण हेतु २० साला योजना बनाई गई थी? अगर हां, तो कब?

(२) इस योजना में जालोर जिले की कौन कौन सी सड़कें है? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(३) इन सड़कों में से, कितनी सड़कों पर काम पूरा हो चुका है?

(४) जो काम अधूरा है, वह कब तक पूरा हो जायेगा?

(५) जब तक सड़क निर्माण पूरा नहीं होता, तब तक उन मार्गों को बसें आदि चलने लायक बनाये रखने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं?

उत्तर

(१) २० साला सड़कों के प्रस्ताव थे जो स्वीकृत नहीं किये गये।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

(४) प्रश्न नहीं उठता।

(५) स्वीकृति के अभाव में कार्य प्रारंभ व पूरे किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

निरीक्षक, आयुर्वेद विभाग पाली का तबादला

३४१. श्री दौलतराम आंगरी (देसूरी-सु.) क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) श्री दामोदर लाल, निरीक्षक, आयुर्वेदिक विभाग, पाली, कितने वर्षो से पाली शहर में चिकित्सक के व निरीक्षक के पद पर कार्य कर रहे हैं? उनका तबादला पाली से अब तक क्यों नहीं किया गया है?

(२) क्या सरकार इनके तबादले का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(१) दामोदर लाल त्रिवेदी मार्च ६१ से दिसम्बर ६५ तक प्रधान चिकित्सक पद पर एवं जनवरी ६६ से अब तक निरीक्षक पद पर पाली में कार्यरत है। चूंकि उनका परिवर्तन प्रधान वैद्य से जिला आयुर्वेद अधिकारी के पद पर ६६ में ही हुआ है और उनका कार्य सन्तोषजनक रहा है अतः पाली से परिवर्तन करने का वर्तमान में कोई प्रश्न पैदा नहीं होता। सामान्यतया अधिकारियों का परिवर्तन २ वर्ष बाद ही किये जाते हैं।

(२) परिवर्तन सामान्यतया जून के माह में किये जाते हैं। जब सामुहिक परिवर्तन होंगे उस समय इस प्रश्न पर भी विचार किया जा सकता है।

अस्पतालों में आक्सीजन एवं नाइट्रो-आक्साइड गैसों की व्यवस्था

३४२. श्री ओमदत्त भाटी (सरदार-पुरा, जोधपुर): क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) गत दो वर्षों में राज्य के सभी श्रेणी के अस्पतालों में आक्सीजन (O_2) व नाइट्रो आक्साइड (N_2O) गैसों की कितनी-कितनी कमी रही?

(२) क्या यह सही है कि इन गैसों को नियमित रूप से राज्य की आवश्यकतानुसार मगवाने की व्यवस्था नहीं है? यदि हां, तो इस सबंध में सरकार क्या कदम उठा रही है?

(३) क्या सरकार ने इन गैसों का उत्पादन सार्वजनिक क्षेत्र में करने के प्रश्न पर भी कभी विचार किया है? यदि हां, तो सरकार किस निर्णय पर पहुंची और

(श्री ओमदत्त भाटी)

यदि विचार नहीं किया है तो क्या भविष्य में ये गैस सार्वजनिक क्षेत्र में बनाने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

(४) क्या यह सही है कि चिकित्सा कार्यों में इन गैसों का बहुत अधिक महत्व है ?

उत्तर

(१) निश्चित रूप से यह बतलाना सम्भव नहीं है कि राज्य के सभी श्रेणी के अस्पतालों में आक्सीजन व नाइट्रो आक्साइड की कितनी-कितनी कमी रही है। जहां तक सम्भव होता है कि आक्सीजन (O_2) व नाइट्रो-आक्साइड गैसों को समय पर आवश्यकतानुसार मंगवाने की व्यवस्था की जाती है। फिर भी कमी २ इनकी कमी का आभास होता है। जिसका कारण प्रथम तो गैस सलैण्डरों की कमी है जो इस देश में नहीं बनते हैं और विदेशों से आते हैं। दूसरा कारण दिल्ली में नाइट्रो-आक्साइड गैस बनाने के उपकरणों में विदेशी सामान की कमी का होना है।

(२) जी नहीं। इन गैसों को वर्तमान में उपलब्ध सुविधाओं के अनुसार राज्य के अस्पतालों में मंगवाने की व्यवस्था है फिर भी दिल्ली से आने वाले नाइट्रो-आक्साइड गैस के आने में विलम्ब हो जाता है जिसके लिये समय-समय पर उचित कार्यवाही की जाती है।

(३) जी नहीं। फिलहाल ऐसी कोई योजना नहीं है।

(४) जी हां।

भरतपुर जिले की डिस्पेन्सरीज का निरीक्षण

३४३ श्री ओमदत्त भाटी (सरदारपुरा, जोधपुर) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि भरतपुर जिले की डिस्पेन्सरी में डाक्टरों की जगह कम्पाउन्डरों से ही काम चलाया जाता है ? वहां कितनी डिस्पेन्सरीज हैं ? और उनमें कितने डाक्टर नियुक्त हैं ?

(२) भरतपुर जिले की डिस्पेन्सरीज का निरीक्षण डी. एम. एण्ड एच. एस. ने गत दो वर्षों में कितनी बार किया और निरीक्षण रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(१) जी हां। इस जिले में १२ डिस्पेन्सरियां हैं जिनमें से केवल तीन डिस्पेन्सरियों में डाक्टर कार्य कर रहे हैं, शेष में कम्पाउण्डरों से ही कार्य लिया जाता है।

(२) सामान्यतया जिले में डिस्पेन्सरियों का निरीक्षण स्थानीय जिला अधिकारी (D. M. & H. O.) ही करते हैं। निदेशक एवं अतिरिक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर साधारणतया जिला स्तरीय अस्पतालों का ही

(चिकित्सा मन्त्री)

निरीक्षण करते हैं, पर रास्ते में पड़ने वाली अन्य संस्थाओं का निरीक्षण भी कर लेते हैं। पिछले दो वर्षों में भरतपुर जिले में डिस्पेन्सरियों का इस प्रकार का कोई निरीक्षण निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर नहीं कर पाये हैं, जिला अस्पताल भरतपुर का निरीक्षण किया गया है और उस निरीक्षण की रिपोर्ट पर आवश्यक कार्यवाही भी की गई हैं।

कत्ल करने की धमकी देने वालों के विरुद्ध थाना सवाई माधोपुर में दर्ज मामला

३४४. श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई माधोपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या थाना सवाई माधोपुर में ग्राम गिरधरपुरा निवासी केसरा व रामचन्द गूजरान एवम् उसके परिवार वालों को जान से मारने के प्रयत्न का कोई मुकदमा त्रिलोकपुरा (भगवतगढ़ के समीप) के गूजरों के विरुद्ध दर्ज थाना किया गया ? यदि हां, तो कब और कितने व्यक्तियों के विरुद्ध ?

(२) क्या बाद तफतीश पुलिस ने अदालत में अपराधियों के विरुद्ध चालान पेश किया ? यदि हां, तो किस तारीख को ?

(३) क्या यह सही है कि पुलिस इस केस के चालान में उल्लिखित सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार नहीं कर सकी ? यदि हां, तो कितने अभियुक्त गिरफ्तार नहीं किये जा सके और क्यों ?

(४) क्या यह सही है कि उक्त मुकदमे के अभियुक्त काश्तकार पेशा एवम् त्रिलोकपुरा के स्थायी निवासी हैं ? त्रिलोकपुरा थाने से कितने मील दूर स्थित है।

(५) पुलिस ने फरार अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के अब तक क्या प्रयास किए और अब तक पुलिस उन्हें क्यों नहीं गिरफ्तार कर पाई ?

उत्तर

(१) जी हां। परन्तु केसरा नहीं अपितु श्री रंगा पुत्र रामचन्द्र मीना निवासी गिरधरपुरा की ओर से रिपोर्ट पेश होने पर दिनांक २२-३-६७ को मुकदमा नं० ४० धारा ३४१। ३०६। १४८। १४९। ३२४, ४५२ ता० हि० थाना सवाई माधोपुर में ३९ मुलजिमान (गुजरान) के विरुद्ध दर्ज किया गया है।

(२) इस मुकदमे में दिनांक १२-८-६७ को १० मुलजिमान के विरुद्ध अदालत ए.डी. एम. सा. सवाई माधोपुर में चालान पेश किया गया तथा बाकी २९ मुलजिमान के विरुद्ध गिरफ्तार नहीं होने से कार्यवाही धारा ५१२ सी. आर. पी. किये जाने हेतु अदालत को निवेदन किया गया है।

(३) कुल ३९ मुलजिमान में से १० मुलजिमान गिरफ्तार हुए हैं तथा २९ मुलजिमान विरुद्ध धारा ५१२ सी. आर. पी. सी. की कार्यवाही जारी है। क्योंकि ये मुलजिमान अपनी गिरफ्तारी से बचने हेतु

(श्री गृहमन्त्री)

अपने निवास स्थानों से फरार हैं।

(४) रिपोर्ट मुस्तगीस एवं तफतीश मुकद्दमा से मुलजिमान ग्राम त्रिलोकपुरा के रहने वाले पाये गये हैं। ग्राम त्रिलोकपुरा, थाना सवाई माधोपुर से १८ मील दूर पश्चिम में स्थित है।

(५) २९ अभियुक्त जो गिरफ्तार नहीं हो पाये हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए कई दबिशें दी गईं, परन्तु मुलजिमान गिरफ्तार नहीं हो पाये हैं। इनकी गिरफ्तारी के लिए वारन्ट गिरफ्तारी अदालत एस. डी, एम., सवाई माधोपुर से जारी किये गये हैं। तथा फिर भी गिरफ्तार नहीं होने पर मुलजिमान के विरुद्ध इश्तिहार दफा ८७ सी आर.पी.सी. जारी करवाये गये। जिनकी कार्यवाही जारी है यह कार्यवाही पूर्ण होते ही कार्यवाही धारा ८८ सी. आर. पी सी. की जावेगी।

ग्राम बामोलिया के शहीद सैनिक के परिवार का सरकार द्वारा पोषण

३४५. श्री महेन्द्रसिंह (पीपलदा): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि कोटा जिले की तहसील पीपलदा के ग्राम बामोलिया का एक सैनिक चाइना वार में काम आया था? यदि हां, तो उसके परिवार के पोषण की क्या व्यवस्था राज्य सरकार ने की?

(२) क्या यह सही है कि उक्त सैनिक परिवार को आज तक भी कोई भूमि सरकार द्वारा नहीं दी गई?

(३) क्या यह भी सही है कि उक्त परिवार के ग्राम में पीने के पानी के लिये ट्यूब वैल लगाये जाने का मौखिक आदेश कलेक्टर ने दिया था? यदि हां, तो उस पर सरकार क्या सोच रही है?

(४) क्या यह सही है कि इस सैनिक की यादगार में एक मिडिल स्कूल सरकार द्वारा खोले जाने की योजना थी? यदि हां, तो विलम्ब का क्या कारण है?

(दिनांक ३०-३-६८ को पुन: पूछा गया)

नगर विकास न्यास, जयपुर

३४६. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) नगर विकास न्यास के चेयरमैन कौन हैं? चेयरमैन की नियुक्ति किन आधारों पर की जाती है? इनको क्या वेतन व टी. ए. डी. ए. मिलता है?

(२) न्यास के पास कितनी गाड़ियां हैं और वह किस काम आती हैं?

(३) नगर विकास न्यास, जयपुर का सालाना बजट क्या है? गत पांच साल के आमदनी या खर्च के आंकड़े सदन की मेज पर रखें।

Page No.50

(श्री जयनारायण सालोदिया)

(४)क्या न्यास के हिसाबों का हर वर्ष ऑडिट होता है? यदि हां, तो गत पांच साल की ऑडिट की मेज पर रखें।

उत्तर

(१) श्री सरदारमल संघी। राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, १६५६ की धारा ६ के अनुसार न्यास का गठन किया जाता है तथा उसी धारा में अध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान है। अध्यक्ष को ५००) रु० माहवार मात्र वेतन मिलता है। स्थाई रूप से कोई टी. ए. डी. ए. नहीं मिलता।

(२) न्यास के पास १ स्टेशन वेगन १ ऐम्बेसडर कार, १ जीप व ट्रक व १ दो टेक्टर ट्रॉली सहित है जो न्यास से संबंधित कार्यों में आती हैं।

(३) १६६७-६८ का सालाना बजट निम्न प्रकार है:-

आय : ३७ लाख रु०।

व्यय : ३४ लाख रु०।

गत पांच वर्षों की आमदनी व खर्चे के आंकड़े निम्न लिखित हैं:-

वर्ष	आय (लाखों में)	व्यय (लाखों में)
१६६२-६३	८-२५	७-६३
६३-६४	१०-३१	१०-५३
६४-६५	२४-५२	१८-५४
६५-६६	२४-५४	१८-८५
६६-६७	२६-१८	२२-१२

(५) जी हां, रिपोर्ट सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

परबतसर नगर परिषद्

३४७. श्री परसराम गंगाराम (परबतसर) : क्या स्वायत शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) परबतसर नगर परिषद् को १६६६-६७ में कितनी आमदनी हुई और कितना खर्चा हुआ?

(२) राजस्थान सरकार ने १६६६-६७ में परबतसर नगर परिषद् को कितनी सहायता दी?

(३) परबतसर नगर परिषद् द्वारा १६६६-६७ में कर्मचारियों को वेतन हर माह समय पर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

(४) क्या यह सही है कि नगर परिषद्, परबतसर ने मैला व कचरे का ढेर श्री तेजाजी के मन्दिर, पुलिस थाना व कुआं व धर्मशाला के सामने बना रखा है, और इससे बीमारी फैलती है।

(दिनांक २८-३-६८ को पुनः पूछा गया)

Page No.51

लाडनूं से जसवन्तगढ़ जाने वाली वाटर लाइन

३४८. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या जन-स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि लाडनूं से जसवन्तगढ़ जाने वाली वाटर लाइन से किन्हीं काश्तकारों को काश्त के लिये पानी दिया जाता है ? यदि हां, तो किन-किन को किन-किन शर्तों पर ?

(२) क्या इस लाइन पर और भी काश्तकार पानी लेने के इच्छुक हैं ? यदि हां, तो उन्हें क्यों नहीं दिया गया ?

उत्तर

(१) जी नहीं । काश्त के लिए पानी नहीं दिया जा रहा है ।

(२) जी नहीं । काश्त के लिए पानी देने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

स्थगित प्रश्न

(१३-३-६८)

१९६६-६७ में सड़क निर्माण कार्य

२४८. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राज्य सरकार ने माह जनवरी ६७ व फरवरी, ६७ में सड़कों पर कितना कितना रुपया खर्च किया और वित्तीय वर्ष ६६-६७ के अन्य महीनों से इन दो महीनों में क्या ज्यादा खर्च हुआ है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

(२) वर्ष ६६-६७ में बनाई गई सड़कों का विवरण जिले वाइज देने की कृपा करें और उसमें यह भी बताये कि कार्य की कब मंजूरी हुई, कब कार्य शुरू हुआ तथा कार्य कब बन्द हुआ तथा उस पर कितना खर्चा हुआ ? बन्द करने के कारण भी बताने की कृपा करें ?

(दिनांक २८-३-६८ को पुनः पूछा गया)

स्थगित प्रश्न

(१२-३-६८)

राजस्थान केनाल क्षेत्र में सड़क निर्माण पर व्यय

२३८. श्री हंसराज आर्य (भादरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) राजस्थान केनाल क्षेत्र में केनाल के अतिरिक्त सड़कों के निर्माण के लिये ३१ मार्च, सन् १९६८ से पहले कुल कितने रुपयों का प्रबन्ध रखा गया था ?

(२) इस रुपये में से किस-किस तहसील में कितने मील लम्बी सड़कें बनाई गई हैं तथा किस स्थान से किस स्थान तक ?

(श्री हंसराज आर्य)

(३) क्या जिन-जिन सड़कों का कार्य चालू किया गया था वे सब मुकम्मल बन कर तैयार हो गई हैं ?

(४) इस क्षेत्र में बनने वाली सभी सड़कों की लम्बाई क्या-क्या है ?

(५) सूची सदन की मेज पर रखी जावे ?

(दिनांक २८-३-६८ को पुन: पूछा गया)

(१२.२० म.प)

स्थगन-प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री उपाध्यक्ष : श्री देवीदत्त गाड़िया, सदस्य विधानसभा ने दो स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं दी हैं। (आर्डर प्लीज) ! पहले स्थगन प्रस्ताव का सम्बन्ध राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र जैसलमेर से तीन किलो मीटर दूर निर्माणाधीन सुरक्षा हवाई अड्डे का हैंगर नम्बर तीन छत सहित अचानक गिर जाने के कारण कुछ व्यक्तियों के मर जाने तथा कुछ के घायल हो जाने से है। घायल व्यक्तियों की घटनास्थल पर कोई प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था नहीं की गई है जिससे मजदूरों आदि में रोष फैला हुआ है। इसी विषय से सम्बन्धित एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना पहले भी दी गई थी और उसे अस्वीकार किया गया था। चूंकि यह मामला अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं और चिकित्सा सम्बन्धी मांग पर सदन में विचार किया जायगा अत: इस विषय को मांग पर कटौती प्रस्तावों के जरिये उठाया जा सकता है।

दूसरे स्थगन प्रस्ताव में यह कहा गया है कि बारां पंचायत समिति क्षेत्र में दिनांक २१,२२ व २३ फरवरी के मुनलक परिवार नियोजन शिविर में नसबन्दी अभियान के अन्तर्गत डाक्टर एवं विकास अधिकारी बारां ने एक अविवाहित एव निर्धन व्यक्ति का नसबन्दी आपरेशन कर दिए जाने एव एक गर्भवती महिला के लूप लगाए जाने से गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गई है....

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : यह किसने रखा है ?

श्री उपाध्यक्ष : इस विषय को भी सम्बन्धित मांग पर बहस के दौरान कटौती प्रस्ताव के जरिए उठाया जा सकता है....

श्री रामकिशन : यह लोक महत्व का है। यह लोक महत्व का नहीं होगा तो फिर होगा कौनसा ?

श्री उपाध्यक्ष : अत: उपरोक्त दोनों स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देना सम्भव नहीं है।

(विराम)

श्री मेघराज : श्री दौलतराम सारण, श्री रामचन्द्र आर्य, श्री हरजीराम बुरड़क व श्री लाभचन्द वैद ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है जिसमें चूरू जिले की तहसील रतनगढ़ पडिहारा

गांव में राजस्व अधिकारियों द्वारा वहां के किसानों के खेतों को वहाँ पर लगाए गए कुओं व उनमें लगे पम्पिंग सेटों सहित बिकवाए जाने से उत्पन्न स्थिति का उल्लेख किया गया है। इसमें यह भी बतलाया गया है कि गरीब किसानों ने वर्षों से मेहनत कर जो कृषि भूमि तैयार की है उनको अब भूमिहीन बनाया जा रहा है। यह मामला इतने अविलम्बनीय लोकमहत्व का नहीं है कि सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही को स्थगित की जाकर इस पर विचार किया जाय किन्तु फिर भी माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए यह उपयुक्त होगा यदि माननीय श्रम मन्त्री जी इस विषय में स्थिति को स्पष्ट करते हुए वक्तव्य देने की कृपा करें। उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति देना सम्भव नहीं है।

श्री सांवरमल बासोतिया, श्री रामनारायण, श्री ओमदत्त भाटी, श्री भैरो सिंह व श्री देवीदत्त गाड़िया ने इस आशय के स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें दी है कि जोधपुर डिवीजन में कई हजार मजदूर हड़ताल के कारण बेरोजगार हो गए है और इस कारण वहां का वातावरण तनावपूर्ण है। जैसा कि उपरोक्त सूचनाओं में बतलाया गया है कि स्थिति गम्भीर बतलायी जाती है अतः श्रममन्त्री जी स्थिति को स्पष्ट करते हुए कल तक एक वक्तव्य देने की कृपा करें। यह मामला अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है अतः इसे सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देना सम्भव नहीं है।

श्री भैरोंसिंह- इस पर शाम तक दिला दिया जाता तो ज्यादा अच्छा रहता। दस बारह मजदूर है।

श्री उपाध्यक्ष: स्थगन प्रस्ताव पर मन्त्री महोदय....

श्री भैरोसिंह : शाम को मामला हल हो जाता है तो मजदूर कामपर चले जायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री महोदय, क्या शाम तक दे सकते है ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, श्रम मन्त्री को देने के लिए कहा है, अच्छा यह होता कि श्रम मन्त्री से न दिला कर खनिज मन्त्री से दिलाया जाता क्योंकि सारी समस्याओं का निदान वहां पर है।

श्री उपाध्यक्ष : इसका खनिज मन्त्रीजी उत्तर दें।

श्री ओमदत्त भाटी: खनिज मन्त्री से ताल्लुक का है।

श्री उपाध्यक्ष : वह निवेदन कर दिया, खनिज मन्त्री जी !

श्री भैरों सिंह शेखावत एवं श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल द्वारा पजाब विधान सभा से सम्बन्धित सर्वधानिक प्रश्नों के सम्बन्ध में प्रस्तुत स्थगन प्रस्तावों पर माननीय अध्यक्ष की निम्नलिखित व्यवस्था है.

श्री भैरों सिंह शेखावत तथा श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल सदस्य विधान सभा ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है जिसमें उन्होंने यह व्यक्त किया है कि पंजाब विधान सभा की बैठक स्थगित किये जाने के फलस्वरूप पंजाब के राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी कर विधान सभा एवं उसके अध्यक्ष के अधिकारों में जिस प्रकार से हस्तक्षेप किया गया है उससे विधान सभा एवं उसके अध्यक्ष की गरिमा कम हुई है।

निश्चय ही पंजाब विधान सभा के सदन में जो कुछ एवं जिस प्रकार की घटनाएं हुई हैं वे प्रजातांत्रिक परम्परा से सम्बन्ध रखने के कारण कई गम्भीर प्रश्न उत्पन्न करती है। मुख्यत: राज्यपाल के अध्यादेश के संदर्भ में कई संवैधानिक प्रश्नों के अतिरिक्त सदन की गरिमा, परम्परा एवं प्रतिष्ठा से सम्बन्धित कई पहलू माननीय सदस्यों में चिंता एवं व्यग्रता उत्पन्न करते है। यह स्वाभाविक है। इसी संदर्भ में उक्त संवैधानिक स्थिति पर राज्य सभा एवं लोक सभा में भी विचार किया जा रहा है।

यह सभी माननीय सदस्यों को विदित है कि उपर्युक्त स्थिति उत्पन्न करने वाले सभी प्रश्न पंजाब विधान सभा एवं वहां के राज्यपाल से सम्बन्धित हैं, साथ ही जो अध्यादेश राज्यपाल द्वारा संविधान के अनुच्छेद २१३ के अंतर्गत जारी किये जाते हैं एवं जिन कार्यों का सम्बन्ध प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियमों के नियम २७२ से रहता है उनके सम्बन्ध में अब तक विधान सभाओं एवं संसद में चली आ रही परम्परा एवं परिपाटी के अनुसार सदन में चर्चा नहीं उठाई जाती रही है और इसके अतिरिक्त इस मामले का सम्बन्ध भारतीय संविधान के अनुच्छेद १७५, २०९ व २१३ से है जिनकी व्याख्या करना भी इस सदन का कार्य नहीं है। ऐसी स्थिति में उपर्युक्त स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति देने में असमर्थ हूं और इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा वक्तव्य दिये जाने के सम्बन्ध में आग्रह करना भी मैं उचित नहीं समझता। परन्तु क्योंकि इस मामले से सम्बन्धित विविध संवैधानिक प्रश्नों पर माननीय सदस्यों ने चिंता व्यक्त की हैं कि जिस पर–विचार विनिमय किये जाने पर सदन को भी मार्गदर्शन मिल सकता है अत: यदि यह प्रश्न इस सदन के नियमों के अंतर्गत किसी और तरीके से उठाया जा सके तो हितकर होगा। फिर भी इस संदर्भ में यदि राज्य सरकार कोई स्पष्टीकरण करना उचित समझे तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी।"

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आज करेंगे या कल करेंगे ?

श्री बरकतुल्ला खां (विधि मन्त्री) : जब कहें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल–समय निर्धारित कर लिया जाय तो उसके आधार पर विचार–विनिमय हो जाय, जैसे उत्तर प्रदेश एक्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बारे में

(श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल)

पहले भी चर्चा की है। यह एक इम्पॉर्टेन्ट प्रश्न है। जिस लेजिस्लेचर के आधार पर यह डेमोक्रेसी फंक्शन करती है, इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष की सीमाओं का सवाल है, राज्य के कुछ सवाल है। इसमें यह भी प्रश्न है कि इस देश में संवैधानिक और लोकतांत्रिक पद्धतियों की स्थापना इस देश में कैसे हो, संसदीय परम्पराओं की स्थापना कैसे हो?

इसके अन्दर एक प्रश्न यह भी बहुत गम्भीर प्रश्न है कि अपोजीशन के लोगों को विधान सभा से निकालने की कार्यवाही की जाय, पांच सौ पुलिस के आदमियों को बुला कर उनको इस प्रकार से निकालने की कार्यवाही की जाय, विधान सभा की कार्यवाही पुलिस के डण्डे के बल बूते पर चलाई जाय, यह डेमोक्रेसी के लिए और संसदीय परम्पराओं के लिए खतरा है, और यह एक इम्पॉर्टेन्ट इश्यू है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसके सारे संवैधानिक पहलुओं पर और लोकतन्त्र से सम्बन्धित जितने प्रश्न हैं उन पर सदन के माननीय सदस्य गौर कर सकें और इधर और उधर बैठने वाले अलग अलग दल के माननीय सदस्य अपने अपने विचार व्यक्त कर सकें कि इस देश में लोकतन्त्र किस तरह से चल सकता है। आम लोग और साधारण लोग भी इस प्रश्न पर विचार कर रहे हैं और पंजाब में जो घटना घटित हुई है उसके ऊपर सोचने से मन में कम्पन पैदा होता है कि क्या यही लोकतन्त्र का नक्शा है कि विधान सभा के अन्दर पुलिस बुलाई जाती हैं और विधान सभा से माननीय सदस्यों को निकाला जाता है और पुलिस के डन्डे के बलबूते पर बजट पारित किया जाता है? यह तो लोकतन्त्र का मखौल है, मजाक है और लोगों के मन में ख्याल पैदा होता है कि इससे तो आर्मी डिक्टेटरशिप अच्छी है। ऐसे विचार पंजाब की घटनाओं को देख कर आज आम लोगों के मन में आने लगे हैं। आम जनता की लोकतन्त्र के प्रति आस्था डिगे नहीं इस दृष्टि से कोई मार्ग निर्देशन इस सदन में विचार करके देश को दे सकें, इस पर विचार करके देश में लोगों के मन में लोकतन्त्र के प्रति आस्था बनाये रखने के लिए विचार रख सकें—इस दृष्टि से इस पर विचार हो रहा है, राज्य सभा में विचार हो चुका है, यदि सरकार चाहती है यह देखना कि क्या रुख और रवैया आपके बॉडीज इस सम्बन्ध में रखते हैं तो इस पर विचार करने के लिए कल या परसों समय निर्धारित किया जाय जो भी आपको सुविधाजनक हो, लेकिन विचार जल्दी से जल्दी किया जाय।

श्री बरकतुल्ला खां : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे जो बॉडीज हैं वह इस सदन के मेम्बर है और सदन के अलावा और कोई बॉडीज नहीं है। जो सदन की मर्जी हो, जो सदन का हुक्म हो उसका पालन किया जायगा। लेकिन सदन की कार्यवाही नियमों के अनुसार होती है उसका हम उल्लंघन नहीं कर सकते। मैं इस बात को महसूस करता हूँ कि पंजाब के अन्दर जो हालात और वाकयात पैदा हुए हैं उसके

(श्री बरकतुल्ला खां)

ऊपर सब लोगों को अपना दिमाग लगाना पड़ रहा है, सब लोग परेशान है। मैं सदन के माननीय सदस्यों को, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह यकीन दिलाना चाहता हूं कि हम चाहते है कि संसदीय मर्यादायें रहें, हम चाहते है कि डेमाक्रेसी रहे, हम यह चाहते हैं कि डेमाक्रेसी मजबूत बने लेकिन उसके लिए हमारा जो कॉन्स्टीट्यूशन के प्रावधान हैं, उनके अन्दर जो लिमिटेशन्स है—उन सब चीजों को हमें सामने रखना पड़ेगा।

उसके साथ-साथ, चूंकि मैं ज्यादा डिटेल्स मे इस डिस्कस नही करते हुए यह कहना चाहता हूं कि जहां हम इस ऑर्डिनेन्स को डिस्कस करेंगे तो यह भी मुमकिन है कि वहां के स्पीकर को भी डिस्कस करेंगे, राज्यपाल को भी डिस्कस करेंगे, स्पीकर के निर्णय को भी डिस्कस करेंगे और इस प्रकार की परम्परा पड़ी कि हम दूसरी असेम्बलीज के निर्णयों को डिस्कस करें, दूसरी असेम्बलीज के स्पीकर को डिस्कस करें तो हमारे यहां की असेम्बली के निर्णयों को, हमारे यहां के स्पीकर को उनके निर्णयों को, हमारे सदन के फैसलों को दूसरे सदन भी डिस्कस कर सकते हैं।

इसलिये में सुझाव देना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, कि अपोजिशन के लीडर और हम आपस में बैठ कर बातचीत करलें और उसके बाद कोई रास्ता निकलता हो तो निकाल सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : इससे मालूम हुआ कि आप हाउस में इस मामले को डिस्कस नहीं करना चाहते है ?

श्री बरकतुल्ला खां : में तो आपस में बैठ कर बातचीत करने की कहता हूं। मैं केस के मेरिट्स में नहीं जाना चाहता। जो हमारे यहां डिस्कशन हो, उसके पीछे लीगल सेंक्टिटी होनी चाहिये, वह डिस्कशन्स रूल्स के मुताबिक और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक होने चाहिये और कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना आपका, हमारा, कर्तव्य है।

मैं तो इतना ही कहता हूं कि आप और हम आपस में बैठकर बातचीत करलें और जो प्रॉब्लेम, जो पोजिशन सामने आ रही है उस पर विचार करलें।

श्री रामकिशन (वैर) : तो फिर निष्कर्ष क्या रहा ?

श्री भैरोंसिंह : समय निश्चित कर लिया जाय, यही निष्कर्ष रहा।

श्री रामकिशन : यह ऐसा प्रश्न है जिसमें मर्यादाएं भंग की गई है। संविधान की मर्यादाओं का भंग होता है तो उसके जो परिणाम होंगे उनको रोकने में आपके नियम काम नहीं देंगे, उसका प्रभाव धीरे धीरे देश के सारे सदनों पर पड़ेगा। इसलिये यदि आप कहें कि पंजाब में जो संविधान की मर्यादाओं का भंग हुआ है, उनका असर राजस्थान पर नहीं पड़ेगा तो यह गलत है। लोकतन्त्र केवल पंजाब के लिये या बंगाल के लिये ही नहीं हैं, सारे हिन्दुस्तान

(श्री रामकिशन)

के लिये है । इसलिये कोई मर्यादाएं भंग भी हो रही हैं तो संविधान की मर्यादाओं के भंग का एक व्यापक क्रम चला है उस पर यह सदन अवश्य विचार करे इस प्रकार का विचार और और जगह हुआ है और हमारे यहां भी उत्तर प्रदेश के मामले पर विचार हुआ है, तो यह मामला तो बहुत ज्यादा गम्भीर है, इसलिये इस पर हमारे इस सदन में अवश्य विचार किया जाना चाहिये । हम कोई मर्यादाओं को भंग करने के लिये डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, हम तो संविधान की मर्यादाओं की रक्षा के लिये विचार कर रहे हैं । इसलिये हमें संविधान की मर्यादाओं की रक्षा के लिये विचार करना चाहिये ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्षजी, जैसा कि विधि मन्त्री जी ने कहा मैं समझता हूं यह शायद पहला मौका होगा जब एक दूसरी विधान सभा में दूसरी विधान सभा के स्पीकर के एक्शन पर, उसके साथ-साथ दूसरे प्रान्त के गवर्नर के एक्शन पर और दूसरी विधान सभा पर डिस्कशन होगा । मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध मे हम यहां पर डिस्कशन करें उससे पहले जैसा कि विधि मन्त्रीजी ने बताया है, इस हाउस के बाहर बात करें, इसके प्रॉस एण्ड कॉन्स पर डिस्कशन करके, राज्य सभा में आज जो चर्चा हो रही है, इसके बाद सदन में चर्चा रखी जाय या नहीं रखी जाय, यह निर्णय लेंगे तो अच्छा होगा । एकतरफा फैसला नहीं कर रहे हैं, सब प्रॉस एण्ड कॉंस डिस्कस कर लें क्योंकि जो डिस्कशन होगा, पंजाब और बंगाल के स्पीकर को डिसकस करेंगे, गवर्नर को डिस्कस करेंगे, एक दूसरी विधान सभा में डिस्कशन किया जाय गवर्नर का, स्पीकर का या विधान सभा को डिस्कस किया जाय, यह कॉन्स्टीट्यूशनली उचित होगा, या नहीं होगा इस पर डिस्कशन कर लें आपस में बैठ कर, जिससे यह परम्परा नहीं हो कि एक जगह का दूसरी जगह डिस्कशन हो ।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : विरोधी पक्ष के माननीय नेता ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जो पंजाब में घटनाएं हुई हैं वे अवश्य भद्दी हैं और जनतन्त्र को चुनौती देने वाली हैं । इधर की ओर से माननीय सदस्यों ने जो विचार व्यक्त किये हैं, उसके साथ मेरी एक हद तक सहानुभूति है, लेकिन साथ ही साथ सरकार की ओर के विधि मंत्री महोदय और मुख्यमंत्री जी ने विचार व्यक्त किये हैं वे भी ऐसे हैं कि उनके ऊपर भी गम्भीरतापूर्वक हमें विचार करना चाहिये । यह परम्पराओं का प्रश्न है और अन्य राज्यों के राज्यपाल और स्पीकर को यहां पर घसीट कर लाया जाय यह हमारी स्वतन्त्रता और जनतन्त्र की स्वस्थ परम्परा के अनुकूल है या प्रतिकूल है, इस सम्बन्ध में भी अलग से इस सदन के बाहर विचार कर लिया जाता तो उत्तम

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

होगा। माननीय सदस्य जो जनसंघ के हैं जो यहां विचार व्यक्त कर रहे हैं, उनको अधिकार है। पहले सरकारी पक्ष की बात इस सदन के बाहर सुनने के पश्चात् अगर फिर भी वे यह चाहें कि इस प्रश्न को इस सदन में लाया जाय तो उनको अधिकार है, लेकिन मेरा यह विचार है कि हमको ओपन माइन्ड रखना चाहिये.......

(सरकारी पक्ष की ओर से करतल ध्वनि)

यह उलझन से भरा मामला है, और हमेशा दो पक्ष एक समस्या के हुआ करते हैं। सरकारी पक्ष भी एक ऐसा पक्ष है कि जो भी जनतन्त्र का हामी है, यह नजरन्दाज नहीं करना चाहिये। और हमारे यहां यह बहुमूल्य वस्तु है जनतन्त्र, उसको स्वस्थ रखना चाहते हैं, कायम रखना चाहते हैं तो हमको क्या करना चाहिये, इस सदन को क्या करना चाहिये, इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार कर लेना चाहिए। इसलिए मेरा विचार है कि पहले इस पर बाहर विचार कर लें।

पंजाब में जो हुआ है, इतना तो अवश्य कहूंगा शासनारूढ़ दल और विरोधी दल दोनों के लिए भद्दी और खराब बात हुई है। इसे यहां चलायें या नहीं चलायें, इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना आवश्यक है। बहतर होगा कि सदन के बाहर इस पर विचार कर लिया जाय।

श्री मदनसिंह (दांतारामगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, पंजाब में दो प्रकार की घटनाएं हुई हैं। एक तो अपने परव्यू को नहीं है। पर वहां के स्पीकर द्वारा वहां की विधान सभा को एड्जोर्न करने के बाद डिप्टी स्पीकर को अधिकार है या नहीं, इस पर हम विचार कर सकते हैं। नहीं तो कल कोई माननीय सदस्य विधान सभा को एड्जोर्न करने के बाद कहेगा कि मैं विधान सभा को चलाता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा पहले भी हुआ था।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : आपकी अनुपस्थिति में कहीं सभापति चालू नहीं कर दें।

श्री मदनसिंह : तो वहां दो प्रकार की घटनाएं हुई हैं, पहला हिस्सा तो सेंटर की परव्यू के बाहर का है पर यह जो दूसरी घटना हुई है उस पर तो यहां डिस्कशन करना आवश्यक है जिससे कि माननीय सदस्य इसको समझेंगे। इस सम्बन्ध मे कहा जायगा तो वे इससे प्रेक्टिकली अवगत होंगे कि स्पीकर को क्या अधिकार हैं, असेम्बली के क्या नियम हैं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक पंजाब विधान सभा, उसके अध्यक्ष, उनके निर्णय और राज्यपाल के कार्यों के विवरणों को डिस्कस करने का प्रश्न आता है मैं स्पष्ट तौर पर बताना चाहूंगा कि अभी जब लोक सभा और राज्य सभा में इस पर विचार चल रहा

(श्री भैरोंसिंह)

है तो यह बात तो निश्चित है कि यदि इस पर लोक सभा में और राज्य सभा में विचार होगा तो निश्चित रूप से राज्यपाल और अध्यक्ष विवाद के विषय बने हैं। कल की बहस में हर प्रश्न पर विचार हुआ है। कॉन्स्टीट्यूशनल बहस होगी जिसमें अध्यक्ष को, गवर्नर को क्या अधिकार हैं, एक दूसरे के अधिकारों पर किस प्रकार अतिक्रमण किया जा रहा है, इन सबके बारे में वहां बहस होगी।

इसमें पार्टी पोलिटिक्स का प्रश्न नहीं है, दलगत राजनीति का प्रश्न नहीं है, इस आधार पर विचार किया जाय, मैं केवल विचार के लिये नहीं कह रहा हूं, उसके आस्पेक्ट्स हैं। यदि पंजाब में यह घटना हुई है, उसकी पुनरावृत्ति सारे हिन्दुस्तान में यदि होगी तो लोकतन्त्र कहां जा कर टिकेगा ? यह गम्भीर परिस्थिति है, इस पर विचार करना आवश्यक है।

जहां तक महारावल साहब ने फरमाया कि जनसंघ पार्टी के बारे में, मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि राज्य सभा में उनकी पार्टी ने भी जो कुछ हमने सदन में कहा है, उसका समर्थन किया है।

श्री केदारनाथ (श्रीगंगानगर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी व्यवस्था की तो तारीफ करता हूँ। हमारे सदन में जब डिबेट होती है, हाउस जब सेशन में हो, हम बन्द कमरे में डिस्कस करें पालियामेंट्री या कॉन्स्टीट्यूशनल क्राईसिज, यह शोभा की बात नहीं है। पालियामेंट्री लाइफ में जितने सेशन्स अन्हैम्पर्ड होंगे उतने ही हेल्दी ट्रेडीशन्स बनेंगे। आप इंगलैंड की हिस्टोरी को पढ़ें, मैं मानता हूं ऐसे कई इन्सटेन्सेज वहां पर हुए हैं, कतल भी हुए हैं तो भी उन्होंने हेलदी ट्रेडीशन्स बनाये। आज हमारे संविधान के कई आर्टीकलस् साइलेंट हैं। अगर हमारे अन्हैम्पर्ड डिस्कशन्स हों तो संविधान में जो कमी है वह डिस्कशन से पूरा करेंगे। आज मामूली सी बात को लेकर अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव खड़ा कर दिया, यह तमाशे की बात होगी और सारी विधान सभा को पंजाब में पुलिस कस्टडी में दे दें और उत्तेजना न आएगी ? झगड़ा न करें, प्रोवोकेशन किसने दिया जिस दिन अविश्वास प्रस्ताव मूव किया गया ? तो पंजाब की स्थिति सोचने पर सदन आमादा हो जाता है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं समझता हूँ कि उचित यही होगा कि पहले अलग-अलग दलों के नेता मिल कर इस संबंध में बात करलें कि इसको सदन में किन नियमों के अनुसार या संविधान की किस धारा के अनुसार यहां पर लाया जा सकता है और उसके बाद में ही सदन में अगर रखना तय किया जो तो फिर उसके अनुसार रखा जायगा।

श्री राजवी रूपसिंह (सरदार शहर): जो सवाल उठाया गया है गंभीर तो जरूर है लेकिन इस सदन को क्या राइट है कि इश्यू को रेज करे व डिस्कस करे। हो सकता है कि इसमें कॉन्सटीट्यूनल गल्ती हो लेकिन इस सदन को राइट नहीं है कि इस तरह बैठ कर सदन में गवर्नर व अध्यक्ष

Page No.60

(श्री राजवी रूपसिंह)

महोदय बाबत डिस्कस करें, बेहतर तो यह होगा कि Leaders should sit in the Chamber, then discuss and decide it there.

श्री उपाध्यक्ष : मैंने भी यही निवेदन किया कि उसके दो पहलू हैं....

श्री मदनसिंह : What right have you to say........

श्री उपाध्यक्ष : इसके दो पक्ष हैं। पंजाब की राजनैतिक स्थिति एक प्रश्न है। इसलिए जहां तक पंजाब के विधान सभा के अध्यक्ष या वहां के राज्यपाल की कन्डक्ट का सवाल है उसकी आलोचना करना उचित नहीं होगा, लेकिन प्रश्न यह है कि अध्यक्ष महोदय एक लम्बे समय के लिए सदन को स्थगित करदें, उसके बाद में राज्यपाल उसका सत्रावसान करदें फिर अध्यादेश जारी किया जाय उसके बाद अध्यक्ष न हो तो ऐसे ही बजट पारित किया जाय। तो प्रश्न मुद्दे का यह है कि इन पर विचार कैसे किया जा सकता है, इस प्रश्न को किस रूप में, कैसे, किन नियमों के अधीन कब लिया जाय, तो उचित यह होगा कि सभी दलों के नेता बैठ कर विचार करें।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने राजस्थान की सीमा पर हवाई अड्डे पर जिस दुर्घटना के कारण मजदूर मरे और घायल हुए, उस पर आपने मांगों पर बहस करने का आदेश दिया है। मेरा इतना सा निवेदन है कि आज जो राजस्थान की सीमा है वहां पर सुरक्षा की दृष्टि से जो हवाई अड्डा या सड़कें बन रही हैं, उन पर काम करने वाले मजदूर सीमा पर रहने वाले आर० ए० सी० के नौजवान उनकी स्वास्थ्य रक्षा के लिए किसी प्रकार की प्राथमिक चिकित्सा सहायता पहुंचाने के लिए डाक्टर उपलब्ध न हों, किसी प्रकार की व्यवस्था न करना, यह गंभीर प्रश्न है। वह जो हवाई अड्डा बन रहा था उसका ठेका ४ करोड़ का था, ढाई लाख की लागत से हैटर बना और टूट गया, जिसके कारण मजदूर मर गए। उनको ट्रक में भर कर भेड़ बकरी की तरह जोधपुर ले गए, उनको सीमा पार किसी प्रकार की सहायता नहीं पहुंचाई, राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी का अनुभव न करे....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर। आपकी बात समझ में आ गई।

श्री खेतसिंह (उपमन्त्री, गृह) : आप सीमा पर कभी गए नहीं, आपको क्या मालूम ?

श्री भैरोंसिंह : आपसे ज्यादा दौरा किया है।

श्री खेतसिंह : ये नहीं गए, आप गए हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : आपकी भ्रांति है। कल ही तो आप उपमंत्री बने हैं, लेकिन पुलिस की कोई जानकारी नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : पहले भी यह प्रश्न उठाया गया था, व्यवस्था दी गई है। आपने भाषण भी दे दिया सदन में, मन्त्री महोदय जब मांग का उत्तर देंगे, तो हम उनसे आग्रह करेंगे कि उत्तर देते समय कुछ न कुछ कहें।

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : मेरा भी स्थगन प्रस्ताव है।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की बैठक शुरु होने के पश्चात दिया है, इस लिए निर्णय बाद में दिया जायगा।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर): आपने जो व्यवस्था दी है, वह तो ठीक है लेकिन जो स्थगन प्रस्ताव के बारे में आपने फरमाया, व्यवस्था दी है कि कटौती प्रस्तावों द्वारा जब मांग पर बहस होगी उस समय जवाब दिया जायगा।

श्री उपाध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें। जो मैंने निर्णय दिया है उसके प्रति कूल आप कह रहे हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : यह कटौती प्रस्ताव से सम्बन्धित नहीं है और कटौती प्रस्ताव जितने दिये जाते है उनका पूरा उत्तर नहीं मिलता, न समय ही मिलता है उन बातो को कहने के लिए। इस लिए सम्बन्धित मन्त्री से वक्तव्य दिलाया जाय, तो अच्छा रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप कौन से स्थगन प्रस्ताव के बारे में कह रहे हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : चूरू जिले में पम्पिग सैट्स के बारे मे मांगीलाल हरिजन का नाम है।

श्री उपाध्यक्ष : जो व्यवस्था दी गई है आपने शायद सुनी नहीं। उसमें मन्त्री महोदय वक्तव्य देंगे।

श्री मेघराज, श्री दौलतराम और श्री हरजीराम बुरड़क ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया था उस पर भी व्यवस्था दी गई।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

श्री विजयसिंह (मकराना) : मेरा विशेषाधिकार का प्रस्ताव है।

श्री उपाध्यक्ष : नियमों के अनुसार होता है। अभी नही हुआ है।

श्री विठ्ठल प्रसाद (अकलेरा) : यातायात विभाग में और विशेषकर कोटा आर० टी० ओ० की आफिस में जो भ्रष्टाचार है उस बारे में मैंने प्रस्ताव रखा है और मैं यातायात मन्त्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वैसे तो राजस्थान का कोई भी विभाग ऐसा नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार नही है, एन्टी करप्शन में भी करप्शन है लेकिन आर० टी० ओ० और यातायात विभाग में तो सर्वोपरि है। मैं आपके सामने कोटा आर० टी० ओ० ऑफिस के कुछ उदाहरण पेश कर निवेदन करना चाहता हूं कि वहाँ किस प्रकार का भ्रष्टाचार चलता है। मै जिस कॉन्सीट्यूएन्सी से आया हूं वह अकलेरा

Page No.62

(श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा)

है और उसमें अकलेरा मनोहरथाना दो कस्बे हैं एक सालपुरा रेलवे स्टेशन से कनेक्टेड है। वह कोटा-बीना लाइन पर है। बसें चलती हैं मनोहरथाना और सालपुरा तक किन्तु बसें पूरा रोड कवर नहीं करती हैं। हरनावदा ग्राम में ही बसें रोक दी जाती हैं। इलाके की पंचायत ने, पचायत समिति ने, तहसील ने हर जगह से लोगों ने ५० एप्लीकेशन्स दीं कि बसों को पूरा रूट कवर करने के लिए आदेश दें। लेकिन अफसोस है कि आर० टी० ओ० ने आज तक कोई कार्यवाही नहीं की। बस ऑपरेटर्स की ओर से, बस मालिकों की ओर से आर. टी. ओ. को नियमित पैसा दिया जाता है।

दूसरे मामले अर्ज करु। जब लोगों ने शिकायत की कि इस रूट पर मनोहरथाना रूट पर बसें चलनी चाहिये तो उन लोगों की एप्लीकेशन को आर. टी. ओ. ने अस्वीकार कर दिया। पर बाद में इन्हीं आर० टी० ओ० ने श्री रामचरण जी जो राज के डिप्टी मिनिस्टर हो गये है के एक भाई के नाम से परमिट जारी किया। ये शिड्यूल्ड ट्राइब के वे हैं इसलिये राज सरकार ने महरबानी की हो ऐसा नहीं है. बल्कि उनको परमिट केवल इस बात के वास्ते दिया गया कि गत वर्ष विधायकों की ९२.९३ के झगड़े के वक्त उन्होंने बोर्डर लाइन को क्रास किया था।

इस बारे में इतिहास की एक घटना मुझे याद आती है। एक बार बादशाह हुमायूं पर शेरशाह सूरी का हमला हुआ तो वह जमुना में कूद गया, कूद गया तो डूबने लगा। चिल्लाया 'मै मर रहा हूं, बचाओं'। एक भिश्ती ने आवाज सुनी, वह दौड़ा और हुमायूं को निकाल लाया। हुमायूं प्रसन्न हुआ। बोला, मांगो, क्या मांगते हो, उन्होंने कहा चमड़े का सिक्का चलाने की इजाजत दो।

तो, उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह इन रामचन्द्र जी को पॉलिटिकली ओब्लाइज करने के लिये परमिट दिया गया। जब कि उनके घराने में कभी ट्रान्सपोर्ट का धन्धा नहीं हुआ। व्यापारी चिल्लाते हैं कि हमको परमिट मिलना चाहिये, पर मिलता दूसरों को है। जिन्होंने इलाके की जनता के साथ वोट लेकर धोखा किया, विश्वासघात किया, उन लोगों को मिलता है।

यह बहुत बड़ा करप्शन है, उपाध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार है और यह राजस्थान सरकार नैतिकता की दुहाई देती है और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार करती है।

दूसरा उदाहरण, कोटा से चम्बल डैम तक चलने वालने वाली बस का बताता हूं। ये बसें इस वक्त भी चलती है। सात बसें चलती है। रास्ते में रावतभाटा पड़ता है जो एक एटोमिक प्रोजेक्ट का स्थान है। लोगों की मांग हैं कि यहाँ ट्राफिक ज्यादा है. बसों की संख्या बढ़नी चाहिये। पर कोई सुनाई नहीं। जो चलती है वे भी पूरा रूट कवर नहीं करते। कोटा से चम्बल डैम तक जाना चाहिये पर बीच में रावतभाटा ही जाकर रुक जाती है। इन्हीं मोटर मालिकों को

(श्री विठ्ठल प्रसाद शर्मा)

आर. टी. ओ , कोटा ने नीमच तक के लिये दो परमिट का एक्सटेन्शन दिया है। परमिट का नहीं, बल्कि ट्रिप का एक्सटेन्शन दिया है जब कि आर० टी० ओ० में ट्रिप के एक्सटेन्शन का नियम नहीं है। अच्छा तो यह होता कि इनको एक्सटेन्शन न देकर रोडवेज अपनी बसें चलातीं। जनता कोटा से चम्बल डैम तक बसें बढ़ाने की मांग करती है, पर आर. टी. ओ. नहीं बढ़ाता, उस रूट पर चलने वाली बस वाले ऑफिस में सबों को आर. टी. ओ. को सर्वे इन्सपेक्टर को सबको रिश्वतें देकर बसें बढाने से रोक देते हैं। इसलिये ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस भ्रष्टाचार को रोकें और जनता की दिक्कतें दूर करें।

(१२.५५ म. प.)

(श्री कृष्णकुमार गोयल, सभापति, पदासीन)

आपको विदित होना चाहिये कि यह कोटा आर. टी. ओ. का ऑफिस भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। चपरासी से लेकर आर. टी. ओ. तक रिश्वत का बोलबाला है। कोई काम ऐसा नहीं जो बिना पैसा दिये हो सकता हो। परमिट क्लर्क, ट्रान्सपोर्ट इन्सपेक्टर, मैकेनिकल इन्सपेक्टर और आर. टी. ओ. और चैकिंग इन्सपेक्टर सब रिश्वतखोर हैं। मैं निवेदन करूं कि कोई बस मालिक या ट्रक मालिक ट्रक या बस कागजात परमिट सरेण्डर करना चाहता हो तो सेरेण्डर के लिये पचास रुपये देने पड़ते हैं, वापिस कागजात निकालना चाहे तो आर. टी. ओ. का बाबू सौ रुपया रिश्वत का मांगता है पैसा बन्धा हुआ है उसकी कोटा-बूंदी-झालावाड़ एक रीजन में आते हैं वहां का मैकेनिकल इन्सपेक्टर कोटा डिविजन का एक होता है। कोटा-बूंदी-झालावाड़ में लगभग छः हजार के करीब ट्रक बसें और कार वगैरह हैं। ढाई हजार के करीब कार मोटर साइकल वगैर निकाल दें तो चार हजार के करीब बाकी की ट्रक बस गाड़ियां बचती हैं। इनका हर छठे महीने फिटनैस होता है। यह आर. टी. ओ. का मैकेनिकल इन्सपेक्टर एक गाड़ी के फिटनैस कराने का छः महिने का ५०) और साल भर का १००) रुपया लेता है। अब आप अन्दाज लगाइये कि इस कोटा के मैकेनिकल इन्सपेक्टर की सालाना इन्कम कितनी है? चार पांच लाख रुपया साल की इसकी अकेले की आमदनी है। वे मोटर साइकल और कार चलाते हैं और बेचते रहते हैं। अगर सरकार इस मैकेनिकल इन्सपेक्टर की पोस्ट को नीलाम करे तो पचास हजार सालाना ठके पर लेने के लिये मैं तैयार हूं। सरकार का दम नहीं है कि इसको बन्द कर दे। सरकार तो उल्टा चाहती है कि भ्रष्टाचार पनपे। अब गाड़ियों का टोकन लेने कोई जाता है तो टोकन क्लर्क एक टोकन का पांच रुपया लेता है। यह उसका बन्धा हुआ है। चार हजार गाड़ियों के टोकन में बीस हजार रुपया वह अकेला क्लर्क कमाता है। अब इनकी कमाई में किन-किन का हिस्सा है यह वे ही जानें, पर टोकन क्लर्क की जगह बैठने वाला बाबू इतना कमाता है।

(श्री विठ्ठल प्रसाद शर्मा)

इसके अलावा, सभापति महोदय, ट्रान्सपोर्ट इन्सपेक्टर अलग है। यह हर बस या ट्रक गाड़ी वाले से माहवार लेता है। इसका माहवारी पैसा बन्धा हुआ है कहीं से पचास रुपया महीना कहीं से तीस रुपया महीना, नियमित उसको देना पड़ता है। इस तरह से इस कोटा आर. टी. ओ. के आफिस में भ्रष्टाचार खूब खुलकर पनप रहा है।

सभापति महोदय, मैं इस विभाग के भ्रष्टाचार के कुछ और नमूने निवेदन करना चाहूंगा। बारां के अन्दर एक मुमताज हुसैन बस मालिक थे। उनमें राजस्थान सरकार का टैक्सेशन का कोई बीस हजार बाकी रह गया। वे मर गये। उनका मकान और मोटर रह गये लावारिस की हालत में। अब आर. टी. ओ. के दफ्तर ने साल भर तक उनसे कुछ नहीं मांगा। बैठे रहे। सरकार ने तवज्जोह नहीं दी। इसके बाद जब मर गया तो कलेक्टर कोटा ने पी. डी. आर. के तहत कुर्की की कार्यवाही की। लेकिन राजस्थान में हर जगह भ्रष्टाचार का जाल बिछा हुआ है, हर जगह भ्रष्टाचार का बोलबाला है। हर विभाग अच्छी तरह से लूटना, खाना चाहता है। वह बीस हजार रुपया रोक दिया गया और एक किसी सेठ के अन्दर बस वाले का आठ हजार बाकी था। सभापति महोदय, तहसीलदार बारां ने सेठ से वह आठ हजार वसूल करने की कार्यवाही की।

सभापति महोदय, तहसील बारां का उसका मकान को कुर्क करने के बजाय और अपनी रकम वसूल करने के बजाय सेठ की रकम के पेटे कुर्क किया। इसलिए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब और राजस्थान के वित्त मन्त्री महोदय देखें कि आपके २० हजार रुपये वसुल हो सकते थे उसको दूसरा महाजन हड़प कर गया और सरकार अपना पैसा वसूल नहीं कर पाई।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

सभापति महोदय मैं बहुत जल्दी में निवेदन करूंगा और उसके बाद अपना स्थान ग्रहण करूंगा। कभी कभी तो मौका मिलता है। थोड़ा मेरा निवेदन सुन लो और राजस्थान में जो भ्रष्टाचार पनप रहा है सभापति महोदय मैं उसकी ओर भी आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

श्री सभापति : आर्डर, आर्डर, बैठिये। मैं माननीय सदस्य से कहना चाहूंगा कि ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के द्वारा केवल आर० टी० ओ०, कोटा के यहां व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में ही निवेनन करना है इस लिए जो भी मुद्दा आप उठायें वह केवल आर० टी० ओ०, कोटा तक ही सीमित रहें।

श्री दिग्विजयसिंह : यह तो सभापति महोदय १२७ के तहत चर्चा है।

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा : जो मेरा मूल प्रस्ताव था उसमें समस्त राजस्थान के अन्दर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में व्याप्त भ्रष्टाचार और विशेष कर आर० टी० ओ० कोटा के आफिस में व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में था। इसलिए मैं समझता हूं कि मैं ठीक हूं।

Page No.65

(श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा)

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर टेम्पो चल रहे हैं कोटा से जयपुर और जयपुर से अजमेर और राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में टेम्पो चल रहे है, यह टेम्पो सारे राजस्थान के अन्दर घूमते हैं और आये दिन रोडवेज कारपोरेशन-के इनकम को निगल रहे हैं और सरकार को फिक्र नहीं कि उनको कैसे रोका जाय। सभापति महोदय, इस बारे में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसकी ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। जयपुर की एक फर्म है जो कि २६ हजार रुपये में टेम्पो बेचती है अगर आप टेम्पो लें तो २६ हजार रुपये में टेम्पो बेचते हैं लेकिन जो मालिक टेम्पो बेचत है वह कहता है कि अगर २६ हजार के बजाय २८ हजार देंगे तो मैं आपको आल राजस्थान का परमिट दिला दूंगा। सभापति महोदय वह दो हजार क्या होते हैं? वैसे चीज २६ हजार में बिकती है लेकिन उसको परमिट के साथ खरीदते हैं तो उसकी कीमत २८ हजार रुपये होती है। मैं पूछना चाहता हूं कि उस दो हजार रुपये का क्या होता है? सरकार के किस खजाने में जमा होते हैं? किस मन्त्री की जेब में जमा होते हैं?

सभापति महोदय, कोटा के आर० टी० ओ० के आफिस में आज से एक साल पहले वहां आर० टी० ओ० श्री नरसिंहलाल माथुर थे। उन्होंने जनवरी, ६७ के अन्दर कोटा, बूंदी और झालावाड़ के बस मालिकों और ट्रक मालिकों से और दूसरे लोगों से १०० रुपया पर हैड करके उगाया और कोटा के आर० टी० ओ० ने इस तरह से लगभग ३-४ लाख रुपया कोटा, बूंदी और झालावाड़ के बस आपरेटर्स से इकट्ठा किया और उस पैसे को राजस्थान सरकार के किसी खजाने में जमा नहीं कराया बल्कि कांग्रेस सरकार को उन्होंने चुनावों के दिनों में उस पैसे को दिया। थोड़े दिनों पहले कोटा के बस मालिकों ने और ट्रक मालिकों ने चीफ सेक्रेटरी और गवर्नर को और मुख्य मन्त्री महोदय को इस बारे में शिकायत की कि कोटा का आर० टी० ओ० हमको लूट रहा है, परेशान कर रहा है आप उसके ऊपर रोक लगाइये लेकिन सभापति महोदय किसी भी अधिकारी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी और वह आर० टी० ओ० श्री नरसिंहलाल माथुर ४ लाख रुपया लेकर आजकल उदयपुर में ट्रांसपोर्ट इन्सपेक्टर है। सभापति महोदय, आर० टी० ओ० कोटा बनने की भी नरसिंहलाल जी की एक मजेदार घटना थी। सीनियोरिटी के हिसाब से १० वां नम्बर था लेकिन मुख्य मन्त्री जी जब उदयपुर में बिजली का धन्धा करते थे तो यह उनके यहां पर पाटर्नर थे और रात दिन उनके भटियार खाने में काम करते थे इसलिए कोटा का आर० टी० ओ० बनाया और इस लिए बनाया कि मोटर मालिकों से पैसे इकट्ठा करके चंदा दो और इलेक्शन के लिए पैसा दो और सभापति महोदय कोटा के आर० टी० ओ० श्री नरसिंह लाल माथुर ने लगभग ४ लाख रुपया कमाया। दूसरे ट्रांसपोर्ट आफिसर ने जब हाई कोर्ट में शिकायत की कि सीनियोरिटी लिस्ट के हिसाब से यह हमसे १० नम्बर पीछे

(श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा)

है तो हाई कोर्ट ने राजस्थान गवर्नमेंट के चांटा मारा और उसको वापिस ट्रांसपोर्ट इन्सपेक्टर बना दिया और आज वह चितौड़ में ट्रांसपोर्ट इन्सपेक्टर बने हुए हैं।

सभापति महोदय, यह नक्शा है राजस्थान के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का जो मैंने संक्षेप में निवेदन किया। एक ओर गांधी जी कहते थे कि हम सारे हिन्दुस्तान में रामराज्य लाना चाहते हैं, नेहरूजी के समाजवाद के आधार पर समाजवाद लाना चाहते हैं लेकिन न वह रामराज्य ला सके और न समाजवाद ला सके बल्कि राजस्थान के अन्दर और सारे हिन्दुस्तान के अन्दर एक निशाचर राज्य लाये हैं। निशाचर राज्य की जो परिभाषा है सभापति महोदय खूब शराब पीओ और खूब रिश्वत लो। राजस्थान में वित्त मंत्री महोदय ने गांव गांव के अन्दर मदिरालय खोल दिये हैं। जुए के बारे में भी वित्त मन्त्री महोदय ने कह दिया है कि अब जुआ भी कानूनन खेल सकते हो क्योंकि नैतिकता नाम की राजस्थान राज्य में कोई भी चीज नहीं हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान राज्य में जूआ लागू कर सकते हैं तो मेरा बहुत ही बेहूदा लेकिन इनकम का सुझाव है कि राजस्थान के अन्दर जो सरकार ने वेश्याओं के अड्डे बन्द किये हैं उनको भी चालू कर देना चाहिए। इससे राजस्थान सरकार को इनकम होगी और सरकार १० रुपये प्रति आदमी टैक्स के वसूल कर ले और ६३ लाख रुपये का घाटा बहुत जल्दी मेकअप हो सकता है। शर्म आनी चाहिए सरकार को, जिस सरकार का कोई आदर्श नहीं है वह सरकार भी कोई सरकार है? इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभापति महोदय अपना स्थान ग्रहण करता हूं?

श्री सभापति : श्री देवेन्द्र कुमार।

श्री देवेन्द्रकुमार : सभापति महोदय मेरा मांग संख्या १८ मुख्य शीर्षक....

श्री सभापति : आप किस चीज पर बोल रहे हैं? जो अविलम्बनीय लोकमहत्व का प्रश्न है उस पर बोलें।

श्री देवेन्द्र कुमार : मांग के ऊपर बोल रहा हूं।

श्री सभापति : वह तो अभी शुरु ही नहीं हुई। यातायात मन्त्री।

श्री अमृतलाल यादव (यातायात मन्त्री) सभापति महोदय माननीय सदस्य ने चर्चा करते हुए कोटा के आर० टी० ओ० डिपार्टमेंट के सम्बन्ध में और आर० टी० ओ० के सम्बन्ध में जो भी बताया उसके बारे में चूंकि वह वहां के रहने वाले हैं उन्होंने अपनी कान्सटीटुएन्सी के बारे में भी कुछ जिक्र किया। इस सम्बन्ध में मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने दो तीन तरह की बातें कहीं। पहली बात उन्होंने यह कही कि परमिट अमुक व्यक्ति को मिला और अमुक व्यक्ति को नहीं मिला। इस सम्बन्ध में माननीय सभापति जी यह व्यवस्था है कि रीजनल ट्रान्सपोर्ट

Page No.67

(श्री अमृतलाल यादव)

अथोरिटी होती है उसमें केवल आर०टी० ओ० ही नहीं होता है आर०टी० ओ० के अलावा पुलिस के और पी० डब्लू० डी० के उच्च अधिकारी होते हैं और यातायात विभाग के आर० टी० ओ० होते हैं और वह कमेटी अपने तौर पर ही उनको परमिट ही नहीं देती है बल्कि उनकी एक व्यवस्था होती है। उन रूट्स को वह पहले नोटीफाई करते है, उसके बाद में आब्जेक्शन्स इनवाइट करते हैं और जितनी एप्लीकेशन्स आती हैं उनके ऊपर वे विचार करते हैं और विचार करने के बाद वह किसी को परमिट देते हैं। इसके उपरांत भी अगर किन्हीं को शिकायत होती है तो आर० टी० ओ० के ऊपर माननीय सभापति जी एस०टी०ए० होती हैं और एस०टी०ए० के ऊपर टी० टी० ए० होती है और टी०टी० ए० के ऊपर भी अगर किसी को सन्तोष नहीं होता है और शिकायत रहती है तो तो वह हाईकोर्ट में जा सकते हैं, इस प्रकार का प्रावधान है। आर० टी० ए० भी एक तरह से क्वैसी जुडीशियल बाडी होती है क्योंकि गवर्नमेंट से उसको एक्जीक्यूटिव आर्डर्स नहीं दिये जा सकते हैं। तो मेरा इस सम्बन्ध में यही निवेदन करना है कि किन्हीं को किसी परमिट के बारे में कोई शिकायत होती है तो यह उसकी व्यवस्था होती है उसके अनुसार चलने की जरूरत है।....

दूसरा उन्होंने बहुत सी रूट्स के लिए यह कहा कि जो कोटा से गांधी सागर बस जाती है उसको उन्होंने बढ़ा दिया तो बसों को बढ़ाने का सवाल नहीं है रूट को बढ़ाने का सवाल है।

इसके अलावा कुछ टाईमिंग्स की बात कही। वह भी आर० टी० ओ० आपरेटर्स की कन्सलटेशन से तय करते हैं।

श्री बिट्ठल प्रसाद शर्मा : मैं आप से यह कहना चाहता हूं कि....

श्री अमृतलाल यादव : मैं आप से अर्ज कर रहा हूं, माननीय सभापति महोदय कि आपका सवाल इससे हल होगा, आप मेरी बात पहले सुनें....

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : मैंने अर्ज किया था कि बसों का एक्स्टेन्शन नहीं, बल्कि ट्रकों का एक्स्टेन्शन किया है वहां जो बसें चल रही हैं उनके बजाय ट्रकों का एक्स्टेन्शन किया है।

श्री अमृतलाल यादव : एक जगह आपने यह कहा कि ७ बसें हैं उनको बढ़ाना चाहिये। एक जगह आपने यह कहा कि कुछ टाईमिंग्स की शिकायत थी। एक जगह कोटा से अमुक जगह बस जाती है उसको उन्होंने बढ़ा दिया है। ये तीनों सवाल किये हैं। किस रूट पर अधिक बसें चलनी चाहिए और समय निर्धारित करने का ये बातें वहां की व्यवस्था है उसके अनुसार वे आथोरिटीज करती हैं। जहां भी जो लोग आपरेटर्स उस पर दरख्वास्त करते हैं उन पर गौर किया जाता है।

रहा फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए इन्स्पेक्टर की शिकायत या उच्च अधिकारियों की शिकायतें हैं तो मैं उनकी डिफेन्स करने

(श्री अमृतलाल यादव)

के लिए यहां नहीं खड़ा हुआ हूं, लेकिन किसी के खिलाफ शिकायत हो तो उस शिकायत को उचित तरीके से उचित जगह पर पहुंचाया जाय। हम लोगों के. विभाग के नोटिस में यह बात लाई जाती है तो उसके ऊपर भी कार्यवाही करने की कोशिश की जाती है। मैं और जगह का, माननीय सभापतिजी, निवेदन नहीं करके आपके कोटा का ही एक उदाहरण निवेदन करना चाहता हूं कि जिससे आपको यह मालूम होगा कि विभाग सजग है, और इस तरफ कार्यवाही की जाती है। जो कुछ शिकायतें हमारे पास पहुंचती हैं उन पर कभी दस्तखत नहीं होते हैं और इस प्रकार चीज आती है कि जिससे शिकायत-कुनिनन्दा को ढूंढते है तो वह नहीं मिलता। लेकिन जो शिकायतें आती हैं और वाजिब तरीके से पहुंचती हैं उनके ऊपर उचित कार्यवाही की जाती है। उसके लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं —

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मन्त्री जी चिट आई है।

श्री अमृतलाल यादव : परमिट की शर्तों की खिलाफवर्जी करने वाले वाहनों की पकड की जाती हैं, और उनके मामलों को प्रादेशिक परिवहन अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करते हैं जिससे सितम्बर, नवम्बर और दिसम्बर, ६७ के अन्दर खिलाफवर्जी करने वाले वाहनों से २३,२७० रु. जुर्माना इसी रीजन में वसूल किया, और ११६ वाहनों का चालान अदालत में पेश किया गया, और ७६ मामलों में राजस्थान मोटर वेहिकल अधिनियम की धारा ६० के अंतर्गत नोटिस दिये गये हैं और उन पर कार्यवाही चालू है।

यह मैंने वहां के बारे में आपको बताया है।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : मैं अर्ज करना यह चाहता हूं कि किसी रूट पर बसें नहीं चलती हैं तो उनका परमिट कैन्सिल क्यों नहीं किया जाता है? आप ५० रुपये जुर्माना करके छोड़ देते हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मंत्रीजी डेस्क पर चिट आया है उसको पढ़ लें।

श्री अमृतलाल यादव : यह बात मैं कह चुका हूं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : तो सजग रहिये।

श्री अमृतलाल यादव : धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, मेरा यही निवेदन है कि इस तरह से कोशिश की जाती है और और भी माननीय सदस्यों का पूर्ण सहयोग होगा उचित शिकायतों की जांच कराने में और उनको साबित कराने में उतनी ही विभाग इस बात की कोशिश करेगा। जहां तक इन शिकायतों को दूर करने का सवाल है हमारा यह जिम्मा है कि उसको दूर करने की कोशिश करें।

श्री डूंगाराम राजोरिया : माननीय मंत्री महोदय, आप बतायेंगे कि उपमन्त्री शिवचरणजी के भाई को जो परमिट दिया है, उसके लिए उनको शेडूल्डकास्ट का समझ कर प्राथमिकता दी है उसी तरह से यह बता दें कि इससे पहले भी आपने शेडूल्डकास्ट और शेडूल्ड ट्राइब के लोगों को परमिट देने में प्राथमिकता दी है और आगे भी प्राथमिकता देंगे। इसके बारे में स्पष्टि-करण कर दें।

श्री अमृतलाल यादव : माननीय सभापति महोदय, यह इससे सम्बन्धित सवाल नहीं है, लेकिन मैं तो समझता हूं कि उनको मिलना चाहिए। प्राथमिकता का जहां तक सवाल है इस बारे में राज्य सरकार ने अभी सोचा नहीं है। इस सवाल को सोचा जा रहा है। अगर वे लोग कोई उसमें हैसियत रखता हो कि ८० हजार की गाड़ी खरीदे एक व्यक्ति या कोआपरेटिव सोसोइटी बना कर ऐसा कर सकते हैं और जेनुइनली लाभ पहुंचा सकते हैं और दूसरा कोई एक्स्प्लायट नहीं करता है तो इस बारे में विचार किया जा सकता है।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : वहां पर कोआपरेटिव सोसाइटी को परमिट दिया होता तो प्रसन्नता की बात होती। कोआप-रेटिव सोसाइटी को परमिट नहीं दिया गया लेकिन एक इन्डिविजुअल को डिप्टी मिनिस्टर के भाई को केवल इसलिए दिया कि वे कन्वर्ट हुए थे। इस आधार पर उनको पर-मिट दिया गया है। यह आधार होता कि शेडूल्ड कास्ड के हैं इसलिए परमिट दे दिया जाय तो उचित था। परमिट तो केवल इस आधार पर दिया गया कि बोर्डर लाइन को क्रास करके उधर मिल गये थे।

श्री सभापति : अनुदानों की मांगों पर चर्चा। सहकारिता मंत्री।

अनुदानों की मांगों पर विचार

मांग संख्या २०

श्री शोभाराम (कृषि मंत्री) : सभा-पति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४–सहकारिता के सम्बन्ध में ३१ मार्च १९६९ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,३४,४३,००० रुपये तक की राशि प्रदान की जाय।

मांग संख्या १८

सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१–कृषि के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६९ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ५,१९,१३,००० रुपये तक की राशि प्रदान की जाय।

मांग संख्या ३९

सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या ३९, मुख्य शीर्षक ९५-कृषि उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं में पूंजी की लागत के सम्बन्ध में ३१ मार्च १९६९,

(श्री शोभाराम)

को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २२,२७,००० रुपये तक की राशि प्रदान की जाय।

मांग संख्या १६

सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३३-पशुपालन के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १६६६, को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २,११,३८,००० रुपये तक की राशि प्रदान की जाय।

उपरोक्त मांगों पर निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

मांग संख्या १८

१. श्री आईदानसिंह (भीनमाल) : मांग संख्या १८ मुख्य शीर्षक ३१-कृषि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (जालौर जिले में २०० नल कूप चालू करने सम्बन्धी योजना को शीघ्र पूरा करने के बारे में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २०

२. श्री सांवरमल बासोतिया (नवलगढ़) : मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (झुंझुनूं जिले के होलसेल उपभोक्ता सहकारी भंडार के संचालक गलत एवं अवैधानिक ढंग से मनोनीत किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

३. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में १०० रु० कम कर दिया जाय सहकारी विभाग द्वारा झुन्झुनूं जिले में चल रही अनियमितताओं, गबन इत्यादि के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १८

४. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि के अन्तर्गत मांग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (उन्नत किस्म के बीज उत्पादन के लिए झुंझुनूं जिले में कोई सरकारी फार्म न होने के सबंध में चर्चा के लिए)।

५. मांग संख्या १८ मुख्य शीर्षक ३१-कृषि के अन्तर्गत मांग में से १००) रु. कम कर दिया जाय (किसानों को कृषि उत्पादन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए समुचित मात्रा में सहायता नहीं दिये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या २०

६. श्री गंगासहाय (कठूमर-सु०) : मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में से १०० रु० कम कर दिया जाय (भूमि बन्धक बैंक में ऋण मिलने में विलम्ब व परेशानियों पर चर्चा के लिये)।

(श्री गंगासहाय)

७. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सहकारी उपभोक्ता भण्डारों मे बढते हुए भ्रष्टाचार को रोकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १८

८. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१–कृषि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (कृषि सम्बन्धी सर्वेक्षण और अन्वेक्षण पर चर्चा के लिये)।

९. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१–कृषि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान कृषि अभियांत्रिक मण्डल द्वारा निर्मित कृषि यंत्रों की बिक्री व उपयोगिता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १६

१०. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३३–पशु पालन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पशु चिकित्सालयों में औषधियों, इन्जेक्शन्स व Surgical operation instrument की उपलब्धता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १८

११.श्री देवेन्द्र कुमार मीणा:(गोगुन्दा-सु.) मांग संख्या १८. मुख्य शीर्षक ३१–कृषि के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर १ रुपया कर दिया जाय कृषि उत्थान हेतु सरकार की वर्तमान नीति का अनुमोदन)।

मांग संख्या २०

१२. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर): मांग संख्या २०. मुख्य शीर्षक ३४–सहकारिता के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर १ रुपया कर दिया जाय(सहकारी समितियों के चुनाव विभाग द्वारा करवाने की व्यवस्था दोषपूर्ण है, इस सम्बन्धी सरकार की नीति का अननुमोदन)।

१३. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४–सहकारिता के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर १ रुपया कर दिया जाय (संयुक्त कृषि सहकारी समितियों bugs बनाई जा कर उन्हें भारी अनुदान व कर्जा देने के सम्बन्ध में सरकार की नीति का अनुमोदन)।

१४. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४–सहकारिता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (मार्केटिंग सोसाइटियों में अव्यवस्था को दूर करने में सरकार की नीति असफल रही है और अधिकांशत: अध्यक्ष दोषी हैं, इस पर चर्चा के लिये)।

१५. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४–सहकारिता में से १०० रु० कम कर दिया जाय (सहकारी विभाग के रजिस्ट्रार के कार्यालय में से नकल देने की अव्यवस्था के सम्बध में चर्चा के लिये)।

(श्री रामचन्द्र आर्य)

१६. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में से १००)रु० कम कर दिया जाय (सहकारी विभाग के निरीक्षकों और सहायक निरीक्षकों को अपने निवास स्थान पर नियुक्त करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

१७. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सहकारी समितियों को अनुदान की राशि के दुरुपयोग पर चर्चा के लिये)।

१८. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४--सहकारिता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कृषि संयुक्त सहकारी समितियों को ट्रेक्टर नहीं मिलने से कार्य में रुकावट आती है इस पर चर्चा के लिये)।

१९. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४--सहकारिता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सहकारी विभाग के अधिकारियों द्वारा किये जा रहे कार्यों में मंत्रियों द्वारा अनियमित रूप से हस्तक्षेप के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

२०. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४--सहकारिता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सहकारी समितियों के निरीक्षक पंचायत समितियों में होने पर भी अन्य कर्मचारियों की नियुक्तियां होना धन का अपव्यय है, इस सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

२१. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४--सहकारिता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (मार्केटिंग सहकारी सोसाइटी नोहर के दोषी अध्यक्ष एवं डाइरेक्टर के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १८

२२. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१--कृषि के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर १) रु० कर दिया जाय (कृषि उपज मण्डी समितियों के दोषी व्यापारियों के चालान नहीं करने सम्बन्धी सरकार को नीति का अननुमोदन)।

२३. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि के अन्तर्गत मांग में से १००) रु. कम कर दिया जाय (कृषि उपज मण्डी समिति नोहर में एक नामजद सदस्य की नियुक्ति राजनैतिक आधार से हुई है, इस सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

२४. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि के अन्तर्गत मांग में से १००) रु. कम कर दिया जाय (तहसील नोहर में भाखरा नहर व राजस्थान नहर क्षेत्र के काश्तकारों को मोघा पक्का बनाने के लिए अनुदान देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

२५. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि के अन्तर्गत मांग में से १००) रु. कम कर दिया जाय (जिला श्री गंगानगर में शंकर बाजरे का बीज नकली दिया गया जिससे कृषकों को हानि हुई, इस सम्बन्ध

(श्री रामचन्द्र आर्य)

में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या ३६

२६. मांग संख्या ३६, मुख्य शीर्षक ९५-कृषि उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से १००) रु. कम कर दिया जाय (कृषि विभाग द्वारा पंचायत समितियों के माध्यम से कृषि औजार एवं किराये पर मशीनरी ट्रेक्टर इत्यादि दिये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

२७. मांग संख्या ३६, मुख्य शीर्षक ९५-कृषि उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से १००) रु. कम कर दिया जाय (राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट एरिया के काश्तकारों को ट्रेक्टर विभाग द्वारा दिलाये जाने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या १९

२८. मांग संख्या १९, मुख्य शीर्षक ३३-पशुपालन में से १००) रु. कम कर दिया जाय (कस्बा रावतसर में मनीबेला डिस्पेन्सरी को जीप नहीं देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

२९. मांग संख्या १९, मुख्य शीर्षक ३३-पशुपालन में से १००) रु. कम कर दिया जाय (भेड़ पालन केन्द्रों में भारी घोटाले हुए हैं उन्हें रोकने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये)।

३०. मांग संख्या १९, मुख्य शीर्षक ३३-पशुपालन में से १००) रु. कम कर दिया जाय (सांड व बछड़े खरीदने में हुई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

३१. मांग संख्या १९, मुख्य शीर्षक ३३-पशुपालन में से १००) रु. कम कर दिया जाय (भेड़ व ऊन विभाग के भूतपूर्व सहायक संचालक के खिलाफ सरकार द्वारा निकाली गई वसूली को संचालक द्वारा रोके जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या २०

३२. **श्री गोकुल प्रसाद शर्मा (बीकानेर)**: मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में से १००) रु. कम कर दिया जाय (सहायतार्थ अनुदान के अंतर्गत हो रही फिजूल खर्ची व अनियमितताओं को रोकने सम्बन्धी चर्चा के लिये)।

३३. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में से १००) रु. कम कर दिया जाय (अधीक्षण के अन्तर्गत हो रही फिजूलखर्ची को रोकने हेतु चर्चा के लिये)।

३४. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में से १००) रु. कम कर दिया जाय (नवीन व्यय के अन्तर्गत होने वाली फिजूलखर्ची को रोकने हेतु चर्चा के लिये)।

(श्री गोकुल प्रसाद शर्मा)

३५. मांग संख्या २०. मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता मे से १००) रु. कम कर दिया जाय (निदेशक कार्यालय में काफी फिजूलखर्ची है, इसे रोकने हेतु चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १८

३६. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि में से १००) रु. कम कर दिया जाय (निदेशक कार्यालय में फिजूलखर्ची को रोकने हेतु चर्चा के लिये)।

३७. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि में से १००) रु. कम कर दिया जाय (जिला संगठन में होने वाली फिजूल-खर्ची को रोकने हेतु चर्चा के लिए)।

३८. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि में से १०) रु. कम कर दिया जाय (बोटेनीकल तथा अन्य सार्वजनिक उद्योगों में होने वाली फिजूलखर्ची को रोकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

३९. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि में से १००) रु. कम कर दिया जाय (शिल्पशाला में होने वाले अपव्यय को तुरन्त रोका जाय, इस पर चर्चा के लिये)।

४०. मांग संख्या १८-मुख्य शीर्षक ३१-कृषि में से १००) रु. कम कर दिया जाय (राजस्थान भूमि जल मण्डल में होने वाली फिजूल खर्ची को रोकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

४१. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि में से १००) रु. कम कर दिये जाय (रसोई घर उद्यान के अंतर्गत होने वाले खर्च की उपयोगिता सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

४२. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि में से १०० रु. कम कर दिये जाय (सेच्य प्रदेश ayacuts) में होने वाले खर्चे की उपयोगिता के सम्बन्ध मे चर्चा के लिए)।

४३. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि मे से १००) रु. कम कर दिया जाय (एक्सपेरिमेंटल फार्म मे होने वाले खर्च के सम्बन्ध मे चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ३६

४४. मांग संख्या ३६, मुख्य शीर्षक ९५-कृषि उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी की लागत में से १०० रु. कम कर दिया जाय (सछिद्रण संकार्य पर होने वाले व्यर्थ व्यय को रोके जाने हेतु चर्चा के लिये)।

४५. मांग संख्या ३६, मुख्य शीर्षक ९५-कृषि उन्नति और अन्वेषण की योज-नाओं पर पूंजी की लागत में से १००) रु. कम कर दिया जाय (कृषि शिल्प शाला पर होने वाले खर्च मे फिजूल खर्च रोकने

(श्री गोकुल प्रसाद शर्मा)

के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या १६

४६. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३३-पशु पालन में से १०० रु. कम कर दिया जाय (भेड व ऊन विकास योजना पर होने वाली फिजूल खर्ची को कम करने हेतु, चर्चा के लिये) ।

४७. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३३—पशुपालन में से १००) रु. कम कर दिया जाय (कुक्कुट प्रक्षेत्र (पोल्ट्री फार्म्स) पर होने वाले अपव्यय को तुरन्त रोके जाने हेतु चर्चा के लिये) ।

४८. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३३-पशुपालन में से १००) रु. कम कर दिया जाय (भेड़ तथा ऊन के निदेशन कार्यालय पर व्यय होने वाली धनराशि के अपव्यय को रोकने हेतु चर्चा के लिये) ।

४६. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३३--पशुपालन में से १०० रु. कम कर दिया जाय (पासारण और ऊन कटाई केन्द्र का खर्च अकारण व व्यर्थ है, इस अपव्यय को रोके जाने हेतु चर्चा के लिये) ।

५०. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३३--पशुपालन में से १०० रु. कम कर दिया जाय (ऊंट सुधार योजना में खर्च होने वाली राशि के अपव्यय पर चर्चा के लिये) ।

५१. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३३-पशुपालन में से १००) रु. कमकर दिया जाय (यायावर जातियों के पुर्णवास पर होने वाले खर्च में अपव्यय, अनियमितता तथा अकर्मण्यता को रोकने हेतु चर्चा के लिए) ।

५२. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३३-पशुपालम में से १००) रु. कम कर दिया जाय (डेयरी विकास योजना हेतु रखी गई राशि बहुत ही अल्प है इस पर पुर्नविचार करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

५३. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३३-पशुपालन में से १०० रु. कम कर दिया जाय (सांडों के सुधार हेतु रखी गई राशि अति अल्प है, इस पर पुनर्विचार करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या २०

५४. श्री भैरों सिंह शेखावत (किशनपोल जयपुर) : मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में से १०० रु. कम कम कर दिया जाय (सहकारी विभाग में सेवा नियमों के विरुद्ध अधिकारियों की पदोन्नति करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

५५. श्री सूवालाल चौधरी (दूदू) : मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकातिरा

(श्री सूवालाल)

में से १००) रु. कम कर दिया जाय (कृषि सहकारी समिति पालू, पानवा, मोरडा (तहसील दूदू) के भंग होने पर जमीन के आवंटन पर चर्चा के लिये)।

५६. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में से १००) रू. कम कर दिया जाय (सहकारी समिति को सरकार द्वारा दिया गया ऋण काफी समय तक जमा न होने पर चर्चा के लिये)।

५७. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में से १००) रु. कम कर दिया जाय (राजस्थान में कृषि सहकारी समितियों के भंग होने पर जमीन उन्हीं किसानों को आवंटित की जाने पर चर्चा के लिये)।

५८. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४- सहकारिता में से १००) रू० कम कर दिया जाय (सहकारिता के नाम पर सहस्त्रों भूमिधारियों द्वारा हजारों बीघा जमीन पर अनधिकार कब्जा करने पर चर्चा के लिये)।

५६. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४- सहकारिता में से १००) रू० कम कर दिया जाय (सहकारी समितियों से ऋण की वसूली करने में पक्षपात बरतने पर चर्चा के लिये)।

६०. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४- सहकारिता में से १००) रू० कम कर दिया जाय (बोगस सहकारी समितियों द्वारा सरकारी धन के दुरुपयोग पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १८

६१. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१- कृषि में से १०८) रूपया कम कर दिया जाय (खाद, बीज कीटनाशक दवा के लिये बजट में बहुत कम धन राशि रखने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

६२. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१- कृषि में से १००) रूपया कम कर दिया जाय (कृषि उत्पादन पर बजट में बहुत कम धन राशि रखने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

६३. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१- कृषि में से १०० रूपया कम कर दिया जाय कृषि विभाग द्वारा खरीदे गए सहस्त्रों ट्रेक्टर्स खराब हालत में होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

६४. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१- कृषि के अन्तर्गत मांग में से १००) रू० कम कर दिया जाय (कृषि की उन्नति हेतु कृषि अन्वेषण योजनाओं से किसान को अवगत नहीं कराने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या ३६

६५. मांग संख्या ३६, मुख्य शीर्षक ६५- कृषि उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी की लागत में से १००) रू०

(श्री सूवालाल)

कम कर दिया जाय (कृषि के उपयोग में आने वाले ट्रैक्टर्स के क्रय विक्रय कृषि विभाग द्वारा होने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १६

६६. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३३- पशुपालन में से १००) रू० कम कर दिया जाय (पशुधन की उन्नति हेतु उचित चारागाह की व्यवस्था करने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २०

६७. श्री नत्थीसिंह (भरतपुर): मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४- सहकारिता में से १००) रू० कम कर दिया जाय (सहकारी संस्थाओं में सरकार के अत्यधिक हस्तक्षेप पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १८

६८. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१- कृषि के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर १ रूपया कर दिया जाय (अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन सम्बन्धी असफल नीति का अननुमोदन)।

मांग संख्या ३६

६९ मांग संख्या ३६, मुख्य शीर्षक ६५- कृषि उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी की लागत में से १००) रू० कम कर दिया जाय (कृषि उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं में प्रगति न कर पाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २०

७०. श्री अमीलाल यादव (बहरोड़): मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४- सहकारिता में से १००) रू० कम कर दिया जाय (सहकारी समितियों के गठन सम्बन्धी कठिनाईयों एवं उनमें हो सकने वाले सुधार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १८

७१. श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर): मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१- कृषि के अन्तर्गत मांग में से १००) रू० कम कर दिया जाय (कृषकों को ऋण, उन्नत बीज, खाद व औजारों के दिये जाने में जो कठिनाईयां आती हैं, उन पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २०

७२. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४- सहकारिता के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर १) रू० कर दिया जाय (सरकार की सहकारिता आन्दोलन की नीति राज्य में व्यक्तिगत विकास के लिए घातक रही है और इससे राज्य की आर्थिक स्थिति की व विकास को आघात पहुंचाया है इस विषयक सरकार की नीति का अननुमोदन)।

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

७३. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में से १००) रु. कम कर दिया जाय (जयपुर नगर में बुनकर सहकारी समिति को आवास हेतु भूमि आवंटन में बरती गई अनियमितता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १८

७४. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (कृषि विकास हेतु कृषकों को विद्युत उपलब्ध कराने की असफलता पर चर्चा के लिये)।

७५. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (कृषि विकास कार्यों में राज्य सरकार द्वारा बरती गई ढिलाई पर चर्चा के लिए)।

७६. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (कृषकों को दिए गए तकावी लोन के बंटवारे व वसूली में बरती जाने वाली अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २०

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) :
७७. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में से १००) रु. कम कर दिया जाय (सहकारी समितियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम को तीव्र गति प्रदान करने के बारे में चर्चा के लिये)।

७८. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (क्रय विक्रय सहकारी समितियों को सुदृढ करने के बारे में चर्चा के लिये)।

७९. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राजस्थान क्रय-विक्रय संघ को फरटीलाइजर्स देने की एजेंसी के बारे में चर्चा के लिये)।

८०. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सहकारी आंदोलन को सक्रिय करने के बारे में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १८

८१. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय। (जिला जालौर में कृषि फार्म खोलने के बारे में चर्चा के लिए)।

८२. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालौर में कृषि के संबंध में सरकार द्वारा बरती जाने वाली उदासीनता की चर्चा के लिये)।

८३. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि में से १००) रुपया कम कर दिया

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

जाय (कृषि मण्डियों के क्रियान्वन में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

८४. मांग संख्या १८ मुख्य शीर्षक ३१-कृषि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (कृषि अन्वेषण योजनाओं के बारे में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिए)।

८५. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (ट्रेक्टर्स एवम् अन्य कृषि यंत्रों के उपलब्ध कराने के बारे में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या १६

८६. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३३-पशुपालन के अन्तर्गत इस मांग को घटाकर १) रुपया कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन के लिए सरकार को वर्तमान योजना के बारे में नीति का अननुमोदन)।

८७. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३३-पशुपालन में से १००) रुपए कम कर दिया जाय (पशुपालन धन्धे की और सरकार की उदासीनता के बारे में चर्चा के लिये)।

८८. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३३-पशुपालन में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (सांचौर पशु प्रजनन फार्म खोलने के बारे में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २०

८६. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : माग संख्या २०. मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (निवाई मार्केटिंग सहकारी समिति की गोदाम के लिए दी गई अनुदान राशि का गबन किये जाने पर चर्चा के लिए)।

६०. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता मे मे १००) कम कर दिया जाय(कृषि सहकारी समितियों पर चल रहे मुकदमों पर सहकारी विभाग द्वारा ध्यान न दिये जाने पर चर्चा के लिए)।

६१. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जय अम्बे कोआपरेटिव हाउसिंग सहकारी समिति के हिसाब में व चुनाव न होने पर चर्चा के लिए)।

६२. मांग सख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सहकारिता विभाग व राजस्व विभाग में एकता न होने से कृषि सहकारी समितियों की बर्बादी पर चर्चा के लिए)।

६३. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में से १००) रु० कम कर

(श्री जयनारायण सालोदिया)

दिया जाय (सहकारी समितियों के नियमानुसार चुनाव नहीं कराने के कारण अव्यवस्था पर चर्चा के लिए) ।

९४. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४–सहकारिता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सहकारी समितियों के बकाया की वसूली पर चर्चा के लिए) ।

९५. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४–सहकारिता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बोगस, बेकार व फर्जी सहकारी समितियों के कारण सहकारी आंदोलन की बदनामी पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या १८

९६. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१–कृषि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (कृषि कार्य के लिए सुधरे यंत्रों की कमी पर चर्चा के लिए) ।

९७. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१–कृषि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कृषि उपज मंडियों से किसानों को भारी परेशानी व आर्थिक हानि पर चर्चा के लिए) ।

९८. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१–कृषि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (तहसील निवाई में रोली रोग से फसल को नुकसान पर पंचायत समिति व तहसील की उदासीनता पर चर्चा के लिए) ।

९९. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१–कृषि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (कृषि कार्य के लिए दी जाने वाली बिजली की वर्तमान दरों से लागत खर्च वृद्धि के सम्बन्ध में चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या ३६

१००. मांग संख्या ३६, मुख्य शीर्षक ९५–कृषि उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी की लागत में से १००) रु० कम कर दिया जाय (करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद भी कृषि उन्नति में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या १९

१०१. मांग संख्या १९, मुख्य शीर्षक ३३–पशुपालन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राज्य में मादा पशु नहीं काटे जाने पर प्रतिबन्ध होते के बाद भी हजारों मादा भेड़ें, बकरियां काटी जाती हैं इस पर चर्चा के लिए) ।

१०२. मांग संख्या १९, मुख्य शीर्षक ३३–पशुपालन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पशुपालन विभाग में छोटे कर्मचारियों के मनमाने स्थानान्तरण के कारण छोटे कर्मचारियों की परेशानियों पर चर्चा के लिए) ।

(श्री जयनारायण सालोदिया)

१०३. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३३--पशुपालन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (अधिकाधिक मात्रा में धन खर्च करने के बाद भी पशुधन नस्ल सुधार में नाकामयाबी पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या २०

१०४. श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर): मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-- सहकारिता के अन्तर्गत इस मांग को घटाकर १) रु० कर दिया जाय (सरकार किसानों में सहकारी खेती के लिए अनुकूल वातावरण पैदा करने व सुविधायें उपलब्ध कराने में असफल रही, इस सम्बन्ध सरकारी नीति का अननुमोदन)।

मांग संख्या १८

१०५. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१--कृषि के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर १) रु. कर दिया जाय (सरकार गेहूं की पैदावार को प्रति एकड़ बढ़ाने में किसानों को सुविधायें देने में असफल रही, इस सम्बन्धी नीति का अननुमोदन)।

मांग संख्या २०

१०६. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता के अंतर्गत इस मांग को घटा कर १) रु. कर दिया जाय (कृषि सहकारी समितियों को रजिस्टर करने सम्बन्धी सरकारी नीति का अननुमोदन)।

मांग संख्या १८

१०७. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि के अंतर्गत इस मांग को घटा कर १) रुपया कर दिया जाय (उन्नत बीज सप्लाई सम्बन्धी सरकारी नीति का अनुमोदन)।

मांग संख्या २०

१०८. श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४—सहकारिता के अंतर्गत इस मांग को घटा कर १) रु. कर दिया जाय (कृषि सहकारी समितियों को रजिस्टर करने सम्बन्धी सरकार की नीति का अननुमोदन)।

मांग संख्या १८

१०९. मांग संख्या १८ मुख्य शीर्षक ३१—कृषि के अंतर्गत इस मांग को घटा कर १) रुपया कर दिया जाय (उन्नत बीज की सप्लाई सम्बन्धी सरकार की नीति का अननुमोदन)।

मांग संख्या १६

११०. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३३—पशुपालन में से १००) रु. कम कर दिया जाय (राजस्थान व राजस्थान के बाहर से खरीदे जाने वाले पशुओं के सम्बन्ध

Page No.82

(श्री श्रवणलाल)

में चर्चा के लिये) ।

१११. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३३-पशुपालन में से १००) रु. कम कर दिया जाय (राजस्थान के पशु मेलों में दिये गए इनामों के सम्बन्ध में चर्चा के लिए) ।

११२. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३३-पशुपालन में से १००) रु. कम कर दिया जाय (नागौर व करौली के पशु मेलों में विभाग की लापरवाही से सरकार को हुई हानि पर चर्चा के लिए) ।

११३. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३३—पशुपालन में से १००) रु. कम कर दिया जाय (राजस्थान में पशु मेलों में विभाग की लापरवाही पर चर्चा के लिए) ।

११४. मांग संख्या १६ मुख्य शीर्षक ३३-पशुपालन में से १००) रु. कम कर दिया जाय (राजस्थान पशुधन को प्रोत्साहन देने में सरकार द्वारा ध्यान नहीं देने पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या २०

११५. श्री मूलचन्द डागा (पाली) मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४—सहकारिता में से १००) रु. कम कर दिया जाय (पाली जिले की सहकारी, समितियों को उचित सहायता न देने पर चर्चा के लिये) ।

११६. मांग संख्या २० मुख्य शीर्षक ३४—सहकारिता में से १००) रु. कम कर दिया जाय (उपभोक्ता सहकारी भण्डारों में कमियों पर चर्चा के लिये) ।

११७. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४ सहकारिता में से १००) रु कम कर दिया जाय (पाली कोआपरेटिव बैंक की डूबत खाते की रकम के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

११८. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४—सहकारिता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पाली तहसील की सहकारी समितियों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये) ।

११६. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में से १००) रु. कम कर दिया जाय (सहकारिता में सही भावना से प्रेरित कर्मचारियों की कमी पर चर्चा के लिए) ।

१२०. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में से १००) रु. कम कर दिया जाय (सहकारिता विभाग का लाभ पिछड़ी जाति के लोगों को नहीं मिलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या १८

१२१. मांग संख्या १८ मुख्य शीर्षक ३१-कृषि में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में वैज्ञानिक तरीकों से

(श्री मूलचन्द डागा)

खेती का समुचित विकास न कर सकने पर चर्चा के लिए) ।

१२२. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१- कृषि में से १००)रुपया कम कर दिया जाय (कृषि मेलों का आयोजन जिला स्तर पर करने पर चर्चा के लिये) ।

१२३. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१- कृषि में से १००)रुपया कम कर दिया जाय (कृषि कार्यालयों में भारी अव्यवस्था पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या ३६

१२४. मांग संख्या ३६, मुख्य शीर्षक ६५- कृषि उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी की लागत में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कृषि शिल्पशालाओं की अव्यवस्था और फिजूल खर्ची पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या १६

१२५. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३३- पशुपालन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पशु चिकित्सालयों का नवीनीकरण किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

१२६. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३३- पशुपालन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (नगरपालिकाओं द्वारा कमजोर घोड़ों की चिकित्सा न करवा कर उनको काम में लेने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

१२७. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३३- पशुपालन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (भेड़ों की चराई की कोई सन्तोषजनक व्यवस्था न होने पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या २०

१२८. श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४- सहकारिता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सहकारिता में भयंकर अनियमितताओं तथा अव्यवस्था पर चर्चा के लिये) ।

१२६. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४- सहकारिता में से १००) रु. कम कर दिया जाय (सहकारिता में व्याप्त व्यक्तिगत स्वार्थ, जाति वाद और पार्टी बाजी तथा भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

१३०. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४- सहकारिता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सहकारिता में मिलने वाले अनुदान ने सहकारिता को भारी नुकसान पहुंचाया है, इस पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या १८

१३१. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१- कृषि के अन्तर्गत इस मांग को घटा

Page No.84

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

कर १) रु० कर दिया जाय (अन्न उत्पादन पर ध्यान न दिया जाकर कैश क्रोप पर अधिक ध्यान देने सम्बन्धी सरकार की नीति का अननुमोदन) ।

१३२. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१- कृषि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (छोटी जोतों की उत्पादन वृद्धि पर अधिक ध्यान देने तथा हर जिले में एक विकास खण्ड को सघन खेती के लिये लेने पर चर्चा के लिये) ।

१३३. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१- कृषि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (अन्न के स्थान पर कैश क्रोप बोने को प्राथमिकता दी जा रही है जिससे अन्न का उत्पादन कम होता है इस पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या १६

१३४. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३३- पशुपालन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पशुपालन का खेती के साथ अटूट सम्बन्ध होने से इस पर अधिक ध्यान देने पर चर्चा के लिये) ।

१३५. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३३- पशुपालन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (गाय पालने तथा अच्छी नस्ल के सांड देने इत्यादि के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

१३६. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३३- पशुपालन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (खेती के लिये गोपालन ही अधिक उपयोगी हो सकता है, लेकिन इस पर कम से कम ध्यान दिया जा रहा है इस पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या २०

१३७. श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (झुंझुनू सहकारी केन्द्रीय उपभोक्ता भंडार के संचालक मंडल के मनोनयन में हुई अनियमितता पर चर्चा के लिये) ।

१३८. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में से १००) रुपए कम कर दिया जाय (सहकारी संस्थाओं को दिये गये अनुदान के दुरुपयोग पर चर्चा के लिये) ।

१३६. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सहकारी समितियों द्वारा ऋण वितरण में अनियमितता पर चर्चा के लिये) ।

१४०. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में से १००) रुपए कम कर दिया जाय (झुंझुनू जिले में सहकारी आंदोलन के प्रसार में आने वाली कठिनाइयों पर चर्चा के लिये) ।

१४१. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (झुंझुनूं जिले की सहकारी समितियों में सरकारी हस्तक्षेप पर चर्चा के लिये)।

१४२. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में से १००) रुपए कम कर दिया जाय (भूमि विकास बैंकों द्वारा ऋण दिये जाने की प्रणाली को सरल करने पर चर्चा के लिये)।

१४३. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४—सहकारिता में से १००) रुपए कम कर दिया जाय (सहकारी विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

१४४. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४—सहकारिता में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (भूमि बंधक बैंकों की अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

१४५. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४—सहकारिता में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (झुंझुनूं जिले में सहकारी विभाग की अकर्मण्यता एवं सहकारी आन्दोलन की गिरती हुई स्थिति पर चर्चा के लिये)।

१४६. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४—सहकारिता में से १००) रुपए कम कर दिया जाय (झुंझुनूं जिला उपभोक्ता सहाकारी भंडार के संचालक मंडल के मनोनयन में की गई अवैधानिकता एवं अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १८

१४७. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१—कृषि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (झुंझुनूं जिले में बीज फार्म स्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिये)।

१४८. मांग संख्या १८,मुख्य शीर्षक ३१—कृषि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (झुंझुनूं जिले के लिये कृषि उत्पादन कार्यों में सहयोग देने की उपेक्षापूर्ण नीति पर चर्चा के लिये)।

१४९. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१—कृषि में १००) रुपया कम कर दिया जाय(विभाग की अकर्मण्यता के कारण व्यय अधिक होने व कृषि में उत्पादन गिरने पर चर्चा के लिये)।

१५०. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (झुंझुनूं जिले में भू-संरक्षण के नाम पर अनियमित खर्च पर चर्चा के लिये)।

१५१. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१--कृषि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय) झुंझुनूं तहसील के काश्तकारों को कुए खोदने के लिये ४०००) रुपये तक की राशि देने पर चर्चा के लिये)।

१५२. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक

(श्री रामनारायण चौधरी)

३१--कृषि में १००) रुपया कम कर दिया जाय (काश्तकारों को खाद व बीज उधार देकर उनसे ब्याज न लेने पर चर्चा के लिये)।

१५३. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१--कृषि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों को कृषि हेतु अनुदान की राशि बढ़ाने पर चर्चा के लिये)।

१५४. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१--कृषि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (काश्तकारों को कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये समुचित प्रोत्साहन न दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

१५५. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१--कृषि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (कृषि पैदावार बढ़ाने के लिए झुंझुनूं जिले में ट्यूब वेल खोदने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १९

१५६. मांग संख्या १९, मुख्य शीर्षक ३३--पशु पालन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बिसाऊ (झुंझनूं) में पशु चिकित्सालय के अभाव पर चर्चा के लिये)।

१५७. मांग संख्या १९, मुख्य शीर्षक ३३--पशु पालन में से १००) रु० कम कर दिया जाय। राजस्थान में अच्छी किस्म के पशुओं की कमी पर चर्चा के लिये)।

१५८. मांग संख्या १९, मुख्य शीर्षक ३३--पशुपालन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (झुन्झुनूं जिले में पशु चिकित्सालयों की कमी पर चर्चा के लिये)।

१५९. मांग संख्या १९, मुख्य शीर्षक ३३--पशुपालन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं की बिमारी की रोकथाम में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २०

१६०. श्री शंकरलाल (जैतारण): मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४--सहकारिता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सहकारी आन्दोलन में शिथिलता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १८

१६१. मांग १८, मुख्य शीर्षक ३१--कृषि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (पाली जिले में कुओं को गहरा करने व नल कूपों की योजना लागू न करने पर चर्चा करने के लियें)।

१६२. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१--कृषि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (जैतारण तहसील में भूमि जल का सर्वेक्षण व अनुसंधान कराये जाने पर चर्चा के लिये)।

(श्री शंकरलाल)

मांग संख्या १६

१६३. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३३--पशु पालन के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर १) रु० कर दिया जाय (डेयरी विकास योजना को गैर सरकारी तरीके पर चलाने के बारे में नीति का अननुमोदन) ।

१६४. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३३--पशुपालन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (गौशाला विकास कार्यालय को उपयोगी बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या २०

१६५. श्रीविजयसिंह रावत (नसीराबाद) : मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४--सहकारिता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सहकारिता में व्याप्त अनियमितताएं व भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये) ।

१६६.मांग संख्या २०.मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में से १००) रु० कम कर दिया जाय)भू बन्धक बैंक व केन्द्रीय सहकारी बैंक, अजमेर में अव्यवस्था व पक्षपात के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या १८

१६७. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१--कृषि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (जीरे की फसल को बीमारी से बचाने के उपायों पर चर्चा करने के लिए) ।

१६८. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१--कृषि में १००) रुपया कम कर दिया जाय) (खाद व बीज किसानों को समय पर न मिलने से उत्पादन पर होने वाले दुष्परिणामों के संबंध में चर्चा के लिये)।

१६९. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१--कृषि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (खाद व बीज का न्यूनतम व अधिकतम मूल्य निर्धारित नहीं करने के संबंध में चर्चा के लिये) ।

१७०. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१--कृषि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय) कृषि उपयोगी औजार अत्यधिक महंगे होने के कारण कृषि योग्य भूमि का उत्पादन से वंचित रहने के संबंध में चर्चा के लिये) ।

१७१. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१--कृषि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (प्रत्येक पंचायत समिति में आधुनिक कृषि औजार सप्लाई किये जाने पर चर्चा के लिये) ।

१७२. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१--कृषि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (फसलों में बीमारी लगने व टिड्डी दल के आक्रमण से बचाव के संबंध में विभाग द्वारा समय पर सहायता न देने के संबंध में चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या ३६

१७३. मांग संख्या ३६, मुख्य शीर्षक ६५--कृषि उन्नत और अन्वेषण की योज-

(श्री विजयसिंह रावत)

नाओं पर पूंजी की लागत में से १००) रु. कम कर दिया जाय (कृषि उन्नति और अन्वेषण के कार्य की प्रगति नहीं होने से आधुनिक कृषि औजार एवं संयंत्र के देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

१७४. मांग संख्या ३६, मुख्य शीर्षक ६५-कृषि उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी की लागत में १००) रु. कम कर दिया जाय (कुओं को गहरा करने हेतु अपर्याप्त मशीनरी के कारण काश्तकारों की परेशानी पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या २०

१७५. श्री ओमदत्त भाटी (सरदारपुरा मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४—सहकारिता में से १००) रु. कम कर दिया जाय (सहकारिता आंदोलन में अव्यवस्था पर चर्चा के लिए) ।

१७६. श्री भगवान दास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में से १००) रू. कम कर दिया जाय (सहकारिता में योग्य व्यक्ति न होने के कारण, उस पर चर्चा के लिये) ।

१७७. श्री गोरधन सोनी (मेड़ता) मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४—सहकारिता में से १००) रु. कम कर दिया जाय (सहकारिता विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार व राजधन में हो रहे अपव्यय के बारे में चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या १८

१७८. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१—कृषि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (कृषि विकास के लिए ग्राम किसानों को उत्साहित करने के साधनों के अभाव पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या २०

१७९. श्री रामकुमार नन्दवाना (चित्तौड़गढ़) मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४—सहकारिता में से १०० रु. कम कर दिया जाय (केन्द्रीय भूमि बंधक बैंक व भूमि विकास बैंक के माध्यम से दिए जाने वाले तकावी लोन में आने वाली दिक्कतों के संबन्ध में चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या १८

१८०. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१—कृषि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (गंठेडी कृषि कार्य पंचायत समिति भदेसर) की असन्तोषजनक स्थिति पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या २०

१८१. श्री महेन्द्रसिंह हाड़ा (पीपल्दा) मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४—सहकारिता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सहकारी समितियों द्वारा दिये गए ऋण की वसूली में बरती गई ढिलाई पर चर्चा के लिये) ।

(श्री महेन्द्रसिंह)

१८२. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४—सहकारिता में से १००) रु० कम दिया जाय (सहकारिता आंदोलन की प्रगति में आने वाली बाधाओं पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या १८

१८३. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (भू संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत किये गये अदूरदर्शितापूर्ण खर्च पर चर्चा के लिए)।

१८४. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (कोटा जिले मे फसलों को बीमारियों एवम् कीडों से बचाने में की गयी ढिलाई पर चर्चा के लिए)।

१८५. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१—कृषि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (कोटा जिले में संकर मक्का, संकर ज्वार एवं सरसों की फसलों की क्षति पर चर्चा के लिये)।

१८६. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१—कृषि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (भू संरक्षण प्रोजेक्ट इटावा में लाग बुकों को फाड़े जाने एवं नई लाग बुक बनाने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या १६

१८७ मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३३-पशुपालन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में पशु औषधालयों का अभाव एवं वर्तमान औषधालयों के अभाव पर चर्चा के लिए)।

१८८. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३३–पशुपालन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा पशुओं की नस्ल सुधार में बरती गई अदूरदर्शिता पूर्ण नीति पर चर्चा के लिये)।

१८९. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३३-पशुपालन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पशुपालन के सम्बन्ध में ग्रामीणों को तकनीकी जानकारी न देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

१९०. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३३–पशुपालन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पशुधन के उपयुक्त गोचरों के अभाव में होने वाली पशुधन की क्षति पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २०

१९१. श्री रावतराम (छापर सु०) : मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४–सहकारिता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (चूरू जिला भूमि बंधक बैंक को अधिक धन राशि दिये जाने के बाबत चर्चा के लिए)।

१९२. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४–सहकारिता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कस्बा छापर एवं राजलदेसर (चूरू) में सहकारी उपभोक्ता भंडार चालू करने के संबंध में चर्चा के लिए)।

(श्री रावतराम)

मांग संख्या १९

१९३. मांग संख्या १९, मुख्य शीर्षक ३३–पशुपालन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बांसापर में पशु चिकित्सालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २०

१९४. श्री गिरधारीलाल व्यास (ग्रासीन्द) : मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४–सहकारिता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (भूमि विकास बैंकों व मार्केटिंग सोसाइटीज को मजबूत बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या १८

१९५. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१–कृषि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (ग्रन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड द्वारा जिले वाइज ट्यूब वेलस की सम्भावना के बारे में जांच के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २०

१९६. श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना) : मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४–सहकारिता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सहकारिता के कारण मारी सरकारी पूंजी का गबन होने के कारणों पर चर्चा के लिये)।

१९७. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४–सहकारिता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सहकारी समितियों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

१९८. श्री आलमअली (फतेहपुर) : मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४–सहकारिता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सहकारी विभाग में अनियमितताए, भ्रष्टाचार, पक्षपात व घोटालों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १८

१९९. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१–कृषि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कृषि उत्पादन हेतु फतहपुर तहसील में आवश्यक खाद एवं बीज की उपलब्ध न करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २०

२००. श्री हंसराज आर्य (मादरा) : मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४–सहकारिता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सहकारी विभाग द्वारा क्रय विक्रय सहकारी समितियों की ओर ध्यान नहीं देने पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या १८

२०१. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१–कृषि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (कृषि विभाग किसानों को वैज्ञानिक ढंग से खेती करने का ज्ञान नहीं करा रहा

(श्री हंसराज आर्य)

है जिससे कृषि में अधिक बाधा उपस्थित हो रही है, इस सम्बन्धी चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या २०

२०२. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा सु.) : मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में से १००) रु. कम कर दिया जाय (बीकानेर जिले में धनिकों से सम्बन्धित सहकारी समितियों का उत्थान न करने पर चर्चा के लिए) ।

२०३. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४—सहकारिता में से १००) रु. कम कर दिए जाय (ग्राम देसलसर तहसील नोखा की कताई व बुनाई सहकारी समिति में पिछड़ी जाति के लोगों को सदस्यता से वंचित रखने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) :

२०४. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४—सहकारिता में से १००) रु. कम कर दिया जाय (कृषि सहकारी समितियों को पंजीकृत करने में सरकार की ढिलाई पर चर्चा के लिये) ।

२०५. मांग संख्या २०. मुख्य शीर्षक ३४—सहकारिता में से १०० रु. कम कर दिया जाय (पिछड़े वर्ग को सहकारिता के लाभ से वंचित रखने पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या १८

२०६. मांग संख्या १८ मुख्यशीर्षक ३१—कृषि के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर १) रुपया कर दिया जाय (बीकानेर जिले में उन्नत बीज एवं खाद्य वितरण संबन्धी सरकार की नीति का अननुमोदन) ।

२०७. मांग संख्या १८; मुख्य शीर्षक ३१-कृषि के अन्तर्गत मांग में से १००) रु. कम कर दिया जाय (बीकानेर जिले में कृषि उन्नति की ओर ध्यान न देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए) ।

२०८. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१—कृषि के अन्तर्गत मांग में से १००) रु. कम कर दिया जाय (बीकानेर जिले की तहसील नोखा के ग्राम मदनसर आदि की कृषि योजनाओं को कार्यान्वित नहीं किये जाने से कृषकों को हुए नुकसान के संबंध में चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या ३६

२०९. मांग संख्या ३६, मुख्य शीर्षक ६५-कृषि उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी की लागत में से १००) रु. कम कर दिया जाय (ग्राम मेनपर (तहसील नोखा) की कृषि उन्नति में सरकारी बाधाएं एवं असहयोग पर चर्चा के लिये) ।

२१०. मांग संख्या ३६, मुख्य शीर्षक, ६५.-कृषि उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी की लागत में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जिला बीकानेर में कृषि उन्नति एवं अन्वेषण के सम्बन्ध में सरकार द्वारा पूर्णतया उपेक्षा करने पर चर्चा के लिए) ।

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

मांग संख्या १६

२११. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३३–पशुपालन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (तहसील नोखा (जि० बीकानेर) को घुमक्कड़ पशुपालन योजनाओं से सरकार ने जानबूझ कर वंचित रखा है, इस पर चर्चा के लिए) ।

२१२. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३३–पशुपालन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बीकानेर जिले की तहसील में जो आई० सी० डी० स्कीम लागू की गई थी उसमें सरकार द्वारा पक्षपात करके यह योजना लूणकरणसर में लागू की गई है न कि पूर्ण बीकानेर जिले में लागू की गई है, इस पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या २०

२१३. श्री फूलचन्द बाफना (सुमेरपुर) : मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४–सहकारिता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सहकारिता आन्दोलन की असफलता पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या १८

२१४. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१–कृषि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बीज व खाद के उचित वितरण नहीं करने पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या १६

२१५. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३३–पशुपालन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (गोपालन सम्बन्धी सरकार की ढिलमिल नीति पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या २०

२१६. श्री नाथूलाल करोल (जमवा रामगढ़) : मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४–सहकारिता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जयपुर जिले में भूमि बन्धक बैंक से काश्तकारों को रुपया काफी देर से मिलने पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या १८

२१७. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१–कृषि में से १००) रु० कर दिया जाय (जयपुर जिले में रबि की फसल में रोली लगने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या २०

२१८. श्री शंकरलाल (कपासन) : मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४–सहकारिता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सहकारिता के सही स्वरूप को क्रियान्वित करने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या १८

२१६. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१–कृषि में से १००) रु० कम कर दिया

(श्री शंकरलाल)

जाय (कृषि उत्पादन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाने पर चर्चा के लिए)।

२२०. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि में से १००) रु. कम कर दिया जाय (किसानों को समय पर फर्टीलाइजर प्राप्त नहीं होने से उत्पादन में कमी पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या ३६

२२१. मांग संख्या ३६, मुख्य शीर्षक ६५-कृषि उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी की लागत में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कृषि उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं पर लगाई गई पूंजी के दुरुपयोग पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या १६

२२२. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३३-पशु पालन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (अब तक पशु पालन पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया, उस पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या २०

२२३. श्री केशरीसिंह हाड़ा (हिन्डोली): मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों के आधीन की सहकारी समितियों से वसूली पंचायत समितियों द्वारा नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

२२४. श्री देवीलाल बुगासियां (केकड़ी सु०): मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (उपभोक्ता भण्डारों में उपयोग्य वस्तुओं के नहीं मिलने पर चर्चा के लिये)।

२२५. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सहकारी समितियों के मैनेजरों (सचिवों) व अध्यक्षों द्वारा भ्रष्टाचार करने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १८

२२६. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि में से १००) रु० कम कर दिया जाय। (बीज वितरण में पंचायत समितियों द्वारा घोटाले पर चर्चा के लिये)।

२२७. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पम्पिग सेटों व कुए खुदवाने में तकाबी सहायता में हुए पक्षपात पर चर्चा के लिये)।

२२८. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कृषि तथा अन्य क्षेत्रों में मेढबन्धी के सबंध में हुए दुर्व्यवहार पर चर्चा के लिए)।

२२६. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि में १०० रु० कम दिया जाय।

Page No.94

(श्री देवीलाल बुसारिया)

(कृषि उपज मंडियों की अविलम्ब स्थापना करने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २०

२३०. श्री श्रीनिवास (निम्बाहेड़ा): मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४–सहकारिता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सहकारी प्रणाली में उत्पन्न होने वाली दुविधाओं पर चर्चा के लिये)।

२३१. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा): मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४– सहकारिता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सहकारिता विभाग की समितियों में भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

२३२. श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़): मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४– सहकारिता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (शासन द्वारा सहकारिता की उपेक्षा और असफलता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १८

२३३. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१– कृषि में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (कृषि उत्पादन बढाने में राज्य सरकार की असफलता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

२३४. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१– कृषि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राजस्थान भूमि जल मण्डल द्वारा मरुस्थलीय भू-भाग में किये जाने वाले कार्यों की उपेक्षा और असफलता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ३६

२३५. मांग संख्या ३६, मुख्य शीर्षक ९५– कृषि उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी की लागत में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राजस्थान भूमि जल मण्डल द्वारा चूरू जिले के सुदूरवर्ती ग्रामों में भूगर्भ जल की खोज हेतु बोरिंग की व्यवस्था न होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १९

२३६. मांग संख्या १९, मुख्य शीर्षक ३३– पशुपालन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पशुपालन की उपेक्षा और असफलता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २०

२३७. श्री देवीदत्त गाड़िया (बांरा): मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४– सहकारिता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सहकारी कार्यालय, बारां, में चल रही धांधली एवं भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

२३८. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४– सहकारिता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सहकारी विभाग में व्याप्त

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

भ्रष्टाचार व सहकारी समितियों के चुनावों पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या १८

२३६. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१- कृषि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर में कर्मचारियों के वेतन, सिटी एलाउन्स आदि के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

२४०. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१- कृषि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (कृषि विभाग में सामान की खरीद में भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ३६

२४१. मांग संख्या ३६, मुख्य शीर्षक ६५- कृषि उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी की लागत में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कृषि उन्नति और अन्वेषण की योजना में धांधली पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १६

२४२. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३३- पशुपालन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कोटा जिले में पशुओं की बीमारी से प्रति वर्ष होने वाली पशुधन की क्षति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

२४३. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३३- पशुपालन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पशुपालन विभाग में से धन के खुले दुरुपयोग पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २०

२४४. श्री हीरा भाई (कुशलगढ़) : मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४- सहकारिता के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर १ रुपया कर दिया जाय (सहकारिता विस्तार आन्दोलन में सुधार करने और निश्चित समय पर कर्जा प्राप्त न हो सकने सम्बन्धी सरकार की नीति का अननुमोदन)।

२४५. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४—सहकारिता में से १००) रुपए कम कर दिया जाय (क्रय विक्रय संघ, कुशलगढ़ के कोष की रकम के गबन के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही व जांच करने के सबन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १८

२४६. मांग संख्या १८. मुख्य शीर्षक ३१—कृषि के अन्तर्गत मांग में से १००) रुपए कम कर दिया जाय (कृषि उत्पादन बढाने हेतु अधिक धनराशि खर्च करने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या २०

२४७. श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई-माधोपुर) मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४—सहकारिता के अन्तर्गत इस मांग को

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)

घटाकर १ रुपया कर दिया जाय (सहकारी समितियों को आर्थिक इकाई बनाने की कोई योजना न होने के बारे में नीति का अननुमोदन) ।

२४८. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४—सहकारिता में से १००) रुपए कम कर दिया जाय (केन्द्रीय सहकारी बैंकों में निर्वाचित प्रतिनिधियो की संख्या समुचित न होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

२४९. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४—सहकारिता में से १००) रुपए कम कर दिया जाय (अधिकारी वर्ग का अनुचित तरीके से सहकारी आन्दोलन के सम्बन्ध में हस्तक्षेप पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या १८

२५०. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१—कृषि के अन्तर्गत मांग में से १००) रुपए कम कर दिया जाय (कृषि उपज को बढ़ाने हेतु बीज सस्ता व समय पर वितरित किये जाने पर चर्चा के लिए) ।

२५१. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१—कृषि के अन्तर्गत मांग में से १००) रुपए कम कर दिया जाय (बीज की खरीद में विभिन्न संस्थाओं द्वारा किए गये घोटालों पर चर्चा के लिए) ।

२५२. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१—कृषि के अन्तर्गत मांग में से १००) रुपए कम कर दिया जाय (पशु-चिकित्सा की पुरानी पद्धति को बढ़ावा देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए) ।

२५३. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१—कृषि के अन्तर्गत मांग में से १००) रुपए कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों द्वारा कृषकों को उधार बीज न दिए जाने पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या २०

२५४. श्री बालसिंह सोढ़ा (जैसलमेर) मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४—सहकारिता में से १००) रुपए कम कर दिया जाय (जैसलमेर जिले में आज तक जो सहकारी ऋण दिया है उसके दुरुपयोग पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या १८

२५५. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१—कृषि के अन्तर्गत मांग में से १००) रुपए कम कर दिया जाय (जिला जैसलमेर में कृषि विकास हेतु उपलब्ध साधनों को जुटाने एवं वहां अधिक खर्चा करने पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या १९

२५६. मांग संख्या १९, मुख्य शीर्षक ३३—पशुपालन में से १००) रुपए कम कर दिया जाय (जैसलमेर जिला में पशुपालन के

(श्री बालसिंह सोढा)

लिए विशेष योजना बना कर उसके पशुधन के विकास के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २०

२५७. श्री नाथूराम (बागीडोरा) मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४–सहकारिता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बांसवाड़ा जिले में सहकारिता में अनियमितता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १८.

२५८. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१–कृषि के अन्तर्गत मांग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बांसवाड़ा जिले के किसानों की दयनीय स्थिति पर चर्चा के लिये)।

२५९. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१–कृषि के अन्तर्गत मांग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बांसवाड़ा जिले में कृषि उत्पादन को प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है, इस पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या २०

२६०. महारावल श्री लक्ष्मणसिंह। (डूंगरपुर): मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४–सहकारिता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सहकारी संस्थाओं में लगे जन-धन के दुरुपयोग पर चर्चा के लिये)।

२६१. श्री मेघराज। (चूरू): मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४–सहकारिता में १००) रु० कम कर दिया जाय (मार्केटिंग सहकारी समितियों में फैली अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

२६२. श्री हरजीराम बुरड़क। (लाडनू): मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४--सहकारिता में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कार्यालय रजिस्ट्रार, जयपुर में नकलें देने के सम्बन्ध में अव्यवस्था के कारण हो रही कठिनाइयों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

२६३. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४--सहकारिता में से १००) रु. कम कर दिया जाय (निम्बी जोधा उपभोक्ता भंडार को खत्म करने के राज्य सरकार के आदेश के बावजूद भी सहायक रजिस्ट्रार, नागौर, द्वारा उसको चालू रखने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)

२६४. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४--सहकारिता में से १००) रु. कम कर दिया जाय (गांधी चर्म उत्पादन सहकारी समिति, लाडनू, में किये जा रहे घोटालों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

२६५. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४ सहकारिता में से १००) रु. कम कर दिया जाय (लाडनू मार्केटिंग सोसाइटी के गठन में हुई अनियमित कार्यवाही के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

(श्री हरजीराम बुरड़क)

२६६, मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४ सहकारिता में से १००) रु. कम कर दिया जाय (लाडनू मार्केटिंग सोसाइटी के संचालकों द्वारा किये जाने वाले कार्यों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

२६७. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४--सहकारिता में से १००) रु. कम कर दिया जाय (भामासी बहुधन्धी सहकारी समिति के लिक्वीडेटर, सहायक रजिस्ट्रार नागोर द्वारा की गई अनियमित कार्यवाहियों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

२६८. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४ सहकारिता में से १००) रु. कम कर दिया जाय (मार्केटिंग सोसाइटी, डीडवाना की रकम के दुरूपयोग पर चर्चा के लिये) ।

२६९. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४--सहकारिता में से १००) रु. कम कर दिया जाय (नागोर सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक में संचालकों द्वारा किये गए कार्यों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

२७०. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४--सहकारिता में से १००) रु. कम कर दिया जाय (कस्बा लाडनू में गलत रूप से उपभोक्ता भंडारों का गठन किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

२७१. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४--सहकारिता में से १००) रु. कम कर दिया जाय (राजनैतिक कारणों से लाडनू में लोकल सहायक निरीक्षकों की लाडनू में हीं नियुक्ति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

२७२. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४–सहकारिता में से १००) रु. कम कर दिया जाय (ग्राम सेवा सहकारी समिति चन्द्राई (तहसील लाडनू) की आडिट रिपोर्ट मे गबन के आरोप होते हुए भी विभाग द्वारा कोई कार्यवाही न करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या १८

२७३. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१–कृषि के अन्तर्गत मांग में से १००) रु. कम कर दिया जाय (राजस्थान भूमि जल मण्डल द्वारा मशीनों के सदुपयोग के सम्बन्ध में चर्चा के लिए) ।

२७४. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१--कृषि के अन्तर्गत मांग में से १००) रु. कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा पूर्व में दिये गये ट्रेक्टर लोन के दुरुपयोग के सबंध में चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या ३६

२७५. मांग संख्या ३६, मुख्य शीर्षक ६५–कृषि उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से १००) रु. कम कर दिया जाय (कृषि शिल्प शाला में आवश्यकता से अधिक कच्चा माल खरीदने के कारण हो रहे नुकसान के सम्बन्ध में चर्चा के लिए) ।

(श्री हरजीराम बुरड़क)

मांग संख्या १६

२७६. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३३--पशुपालन में से १००) रु. कम कर दिया जाय (भेड़ व ऊन विभाग द्वारा मैसर्स स्टील क्राफ्ट, जयपुर, से सन् १६६६-६७ में खरीदे गये लोहे के सामान में घोटालों के संबंध में चर्चा के लिये) ।

२७७. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३३--पशुपालन में से १००) रु. कम कर दिया जाय (भेड़ व ऊन विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ चल रही विभागीय जांच कार्यवाहियों में धांधली के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

२७८. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३३--पशुपालन में से १००) रु. कम कर दिया जाय (विभाग के अधिकारियों द्वारा झूठे यात्रा बिल उठाने पर भी विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

२७६. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३३-पशुपालन में से १००) रु०. कम कर दिया जाय (भेड़ व ऊन विभाग के अधिकारियों द्वारा विदेश में ट्रेनिंग लेने में सरकार के आदेशों की अवहेलना करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या २०

२८०. श्री रतनलाल रौत (चौरासी सु.) मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में से १००) रु. कम कर दिया जाय (सहकारी समितियों के मार्फत दिए गए खाद, बीज की रकम वसूली पर चर्चा के लिये) ।

२८१. मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारिता में से १००) रु. कम कर दिया जाय (सहकारी बीज भण्डार भवनों के निर्माण में लगी पूंजी की कमी पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या १८

२८२. मांग संख्या १८ मुख्य शीर्षक ३१-कृषि के अन्तर्गत मांग में से १००) रु. कम कर दिया जाय (कृषि उपज बढ़ाने हेतु कुओं को गहरा करने तथा खोदने के लिए पर्याप्त आर्थिक सहायता देने पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या १६

२८३. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३३—पशुपालन के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर १ रुपया कर दिया जाय (जिला डूंगरपुर में भैंस, गाय, बकरी आदि पशुओं की बीमारियों को रोकने के बारे में सरकार की नीति का अननुमोदन) ।

मांग संख्या २०

२८४. श्री देवीलाल (सराड़ा सु.) मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहका-

(श्री देवीलाल)

रिता में से १००) रु. कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारिता को सुदृढ़ बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या १८

२८५. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१—कृषि के अन्तर्गत मांग में से १००) रु. कम कर दिया जाय (भूमिहीन काश्तकारों की समस्या पर समाधान हेतु सरकार की असफलता पर चर्चा के लिए)।

२८६. श्री जुझार सिंह (रामगंज मंडी) मांग संख्या १८ मुख्य शीर्षक ३१—कृषि में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (इटावा क्षेत्र में भूमि समतल करने के प्रोग्राम की अव्यवहारिकता पर चर्चा करने के लिए)।

२८७. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१—कृषि में से १००) रु. कम कर दिया जाय (कृषि विभाग के भूसंरक्षण प्रोग्राम को अधिक व्यवहारिक व व्यापक बनाने पर चर्चा के लिए)।

२८८. मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१—कृषि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (सांगोद तहसील में भू-संरक्षण कार्य में अधिक धन राशि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या १९

२८९. मांग संख्या १९, मुख्य शीर्षक ३३—पशुपालन में से १००) रु. कम कर दिया जाय (राजस्थान में मुर्गीपालन की अव्यवहारिकता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १८

२९०. श्री राम प्रसाद बोहरा (झालरापाटन) मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१—कृषि में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (किसानों को समय पर खाद-बीज एवं कृषि औजार उपलब्ध न होने से कृषि उत्पादन में कमी के बारे में चर्चा के लिए)।

२९१. श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१—कृषि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (काश्तकारों को पम्पिंग सेट के लिए बिजली उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या १९

२९२. मांग संख्या १९, मुख्य शीर्षक ३३—पशुपालन में से १००) रु. कम कर दिया जाय (बेकार सांडों के बधिया करण के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या १८

२९३. श्री कल्याण मल (जहाजपुर): मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय

(श्री कल्याणमल)

(कृषि में देशी खाद की व्यवस्था पर चर्चा के लिए)।

२९४. श्री रोशन लाल शर्मा (सलूम्बर) : मांग संख्या १८,मुख्य शीर्षक ३१-कृषि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (उदयपुर जिले में मैक्सिकन गेहूं खराब होने से पैदावार कम हुई, इस पर चर्चा के लिये)।

२९५. श्रीमती गौरी पुनिया (डेगाना) : मांग सख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि के अन्तर्गत इस मांग को घटाकर १) रु. कर दिया जाय (भूमिगत जल बोर्ड की सरकार की शिथिल व गलत नीति का अननुमोदन)।

२९६. श्री डूंगाराम राजोरिया (दौसा सु.) : मांग संख्या २८, मुख्य शीर्षक ३१ कृषि के अन्तर्गत मांग में से १००) रु. कम कर दिया जाय (सरकार कृषि के साधन बढ़ाने में अयोग्य रही है इस सम्बन्धी चर्चा के लिए)।

मांग सख्या ३६

२९७ श्री नन्दलाल बैरवा (पाटन सु.) : मांग सख्या ३६, मुख्य शीर्षक ६५—कृषि उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी की लागत में १००) रू. कम कर दिया जाय (बून्दी जिले में चम्बल व मेज नदी के ऊबड़ खाबड़ नालों का कार्य न होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

२९८. श्रीलादूराम सुलाणियां (फागी) मांग सख्या ३६, मुख्य शीर्षक ६५—कृषि उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से १००) रू. कम कर दिया जाय (जयपुर जिले में सुधरे हुए औजारों की खरीद के सम्बन्ध में हुई अनियमितताओं पर चर्चा के लिए)।

२९९, श्री महेन्द्रकुमार (पाड़वा सु.) मांग संख्या ३६, मुख्य शीर्षक ९५-कृषि उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से १००) रू. कम कर दिया जाय (कुएं गहरे करने की पत्थर तोड़ मशीनों के अभाव पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या १६

३००. श्री वृद्धि चन्द जैन (बाड़मेर) मांग सख्या १६, मुख्य शीर्षक ३३—पशु पालन के अन्तर्गत इस मांग को घटाकर १) रू. कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन की उन्नति के लिए सरकार की वर्तमान योजना के बारे में नीति का अननुमोदन)।

३०१. मांग सख्या १६, मुख्य शीर्षक ३३—पशुपालन में से १००) रू. कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिला में intensive cattle development scheme लागू किए जाने पर चर्चा के लिये)।

३०२. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३३-पशुपालन में से १००) रू. कम कर

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

दिया जाय (चौहटन में थरपारकर पशु प्रजनन फार्म खोलने के बारे में सरकारी उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

३०३. श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत (भीम) : मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३३—पशुपालन में से १००) रू० कम कर दिया जाय (पशुधन की वृद्धि हेतु सरकार की असफलता पर चर्चा के लिए)।

श्री सभापति : कटौती प्रस्ताव।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : सभापति महोदय, मैं अपने कटौती-प्रस्तावों को मूव नहीं करना चाहता हूं। मेरे दल को पूर्ण समय दे दिया जाय।

श्री सभापति : श्री आईदानसिंह।

श्री आईदानसिंह (भीनमाल) : माननीय सभापति महोदय, मैंने अपने कटौती-प्रस्ताव में जालोर जिले में २०० नल कूपों की जो योजना थी वह आजकल कुछ ठप्प सी हो गई है। उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूँ।

जालोर जिले में काफी मात्रा में पानी होते हुए भी और जमीन भी उपलब्ध होते हुए वहां पर नलकूपों को एक तरह से क्रियान्वित नहीं कर या उनको इस्तेमाल नहीं करना राजस्थान के लिए और देश के लिए एक दुर्भाग्य की बात है। बड़ी लम्बी-चौड़ी योजनाएं बनी थीं। वैसे तो ट्यूब वैल की योजनाएं १६५८ में ही शुरू हो गई थीं, लेकिन उसके बाद में कुछ बिजली उपलब्ध नहीं थी या अन्य किसी कारण से उस योजना को लागू नहीं किया गया। उसके बाद १६६२ में ८० ट्यूब वैल खोदने के लिए कुछ एरिया सिलेक्ट किया गया था। उसमें जयपुर, अलवर और भरतपुर के जिले लिये थे। वह भी किसी कार्यवश पूरा नहीं हो सका या शुरू नहीं हुआ। उसके बाद २०० ट्यूब वैल की योजना प्लानिंग डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट आफ राजस्थान ने बनाई इस योजना की कोपी मेरे पास है, सरकार के पास भी है इसलिये इसमें से पढ़ कर सुनाना तो मुनासिब नहीं होगा फिर भी सारे डिफिकल्ट मामलों को निकाल कर बड़ी केयरफुली इस योजना को तैयार किया गया था। इस योजना के अनुसार यदि नल कूप खोद कर खेती की जाय तो रबी की करीब २६ हजार एकड़ जमीन सिंचित हो सकती है और करीब-करीब खरीफ की ३३,००० एकड़ जमीन सिंचित हो सकती है और उससे ४ लाख क्विंटल अनाज मिल सकता है जो मेरे खयाल से आज की खाद्यान्न समस्या को देखते हुए काफी ज्यादा मात्रा में है।

यह नल कूप योजना सन् १६६६ में शुरू की गई। २६ कूए खोदे गये जिनमें से २३ सकसेसफुल पूरे माने में हैं। विशेषज्ञों के अनुसार इन नलकूपों के पानी की 'क्षमता' ३० हजार से ६२ हजार गैलन पर ओवर १५ फुट से ४५ फुट की गहराई तक मिलता है। वैसे जैसलमेर में चानण ट्यूबवैल को

(श्री आईदान सिंह)

काफी चर्चा रही है और वह चर्चा काबिल है भी पर वहां पर पानी २५० फुट नीचे जाने पर मिलता है लेकिन यहां पर ४५ फुट के नीचे ही पानी मिल जाता है। हमारे यहां पर बागोराव्यू बवेल में से २० फुट पर ही पानी मिल गया और तालाब आधा भर गया और ज्यादा से ज्यादा २४ फुट नीचे तक जाना पड़ा उससे अधिक नीचे नहीं जाना पड़ा और वहां पर इंजिन २४ से २६ घंटों तक चला फिर भी पानी समाप्त नहीं हुआ। इतनी बड़ी मात्रा में पानी उपलब्ध होते हुए भी बड़ी-बड़ी योजनाएं आप बनाते हैं। मैं यह नहीं कहता कि योजनाएं नहीं बनाई जावें, लेकिन जो भी योजनाएं बनाई गई हैं, उनमें से हर योजना के साथ वर्षा का होना जरूरी रखा है लेकिन यह ऐसी योजना है, जिसमें वर्षा का सवाल नहीं होता। इस योजना के विशेषज्ञों ने यह भी कहा है कि यदि इन कूओं का इस्तेमाल नहीं किया गया तो यहां पर वाटर लॉगिंग की प्रोबलम हो सकती है यह निसंदेह सत्य है, हमारे यहां के पुराने लोग जो गांवों में रहते हैं वे अपने तजुरबे से कह रहे हैं कि वहां पर पहले १००.१५० फुट नीचे पानी था वह आज १५ से २० फुट पर ही रह गया है। इतना ऊपर आ गया है। आपको समय रहते चेतना चाहिये वरना आग लगने पर कूआ खोदने से कुछ नहीं होगा। पानी मकानों की नीवों में भर जायगा और आप उसको पंप आउट नहीं कर पाओगे। आप कृपा करके नल कूप योजना को जल्दी से जल्दी लागू करें इस बजट में भी हमारे यहां के लिये कोई प्रावधान नहीं है और आगे मुझे मालूम नहीं सरकार किस प्रकार काम को हाथ में लेगी।

इस योजना को चलाने के लिए सरकार ने कुछ पंपिंग सेट्स के लिये आर्डर दिया था लेकिन दुर्भाग्य से वे पंपिंग सेट्स बिहार के अकाल ग्रस्त एरिया में भेज दिये गए। मैं मानता हूं कि उनकी मदद भी करनी चाहिये थी लेकिन जालोर जिला भी अकाल ग्रस्त एरिया घोषित किया गया था इसलिए हमारे यहां के लिए ओर्डर किए हुए पंपिंग सेट्स बिहार भेज देना हमारे साथ ज्यादती थी। और तत्कालीन कृषि मन्त्री महोदय ने इस चीज को मंजूर भी किया था। तत्कालीन कृषि मन्त्रीजी से मैंने एक सवाल भी पूछा था, हालांकि सरकार किस ढंग से सदन में जवाब देती है इसका यह एक नमूना है। तारांकित प्रश्न को अतारांकित कर दिया उसका कारण यह था कि जवाब देने से मुंह छिपाना चाहते थे क्योंकि उसके सिवाय और कोई चारा नहीं था। सवाल यह था कि जालोर जिले में २०० नल कूपों की योजना के अन्तर्गत अब तक कितने कुए खोदे गए है? जवाब मिलता है कि कोई नहीं। अफसोस इस बात का है कि....

श्री शोभाराम : यह जवाब कब दिया था?

श्री आईदान सिंह : यह आपके समय का नहीं है। पहले जवाब दिया गया था इसलिये मैंने तत्कालीन शब्द यूज किया

(श्री ग्राईदानसिंह)

था। इसी में दूसरा प्रश्न यह था कि उपरोक्त नल कूपों की खुदाई कब की गई? उसका उत्तर यह दिया गया कि योजना भारत सरकार के विचाराधीन है। पहला नमूना तो यह है कि हमारे यहां के लिए मंगाई गई मशीनरी बिहार भेज देते है और दूसरा नमूना यह है कि सदन में प्रश्न उठाया जाय या ध्यान आकर्षित किया जाय तो इस तरह का जबाब मिलता हैं। मैं ज्यादा समय न लेकर थोड़े में ही निवेदन करूंगा क्योंकि और लोग भी बोलना चाहते हैं। मै यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार हर एरियाका विकास करना चाहती हैं और अन्न की विकट समस्या हमारे यहां पर है जिसके कारण भूतपूर्व प्रधानमन्त्री शास्त्रीजी ने जोर देकर सोमवार को व्रत रखने को कहा था, इस समस्या को हल करने के लिए यदि पानी और जमीन दोनों ही उपलब्घ होते हुए इनका इस्तेमाल नहीं करें तो इससें ज्यादा दुर्भाग्य की बात और कोई नहीं हो सकती।

सभापति महोदय, जालौर जिले का क्षेत्रफल १० हज़ार वर्ग किलोमीटर है। इसमें ४.६२ लाख हैक्टर जमीन में खेती की जाती है और इतना पानी और जमीन उपलब्ध होते हुए भी इसका सिर्फ दसवां हिस्सा सिंचित एरिया है। जोती हुई जमीन करीब २.२० लाख हैक्टर भीनमाल तहसील में है और उसमें से करीब २० हजार हैंक्टर जमीन को ही पानी दिया जाता है जब कि ट्यूबवेल से करीब २ लाख हैक्टर जमीन को पानी दे सकते हैं यह वहां की हालत है जब कि वहां पर जमीन उपलब्ध है, पानी उपलब्घ हैं उसको काम में नहीं लिया जा रहा है। यह मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार की क्या नीति है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि नल कूप योजना को लागू करने के लिए पैसा उपलब्घ करें और काम प्रारम्भ करें।

श्री सभापति : श्री सावरमल बासोतिया।

श्री सावरमल बासोतिया (नवलगढ): सभापति महोदय, मैने दो तीन कटौती प्रस्ताव सहकारिता और कृषि की मांग को लेकर रखे थे। मै सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान में सहकारिता के बढ़ावा देने के लिए, उसको पनपाने के लिए पिछले वर्षों से मैं सोचता हूं कि करोड़ों रुपये व्यय किए है। इस व्यय का कहां तक उपयोग हुआ या दुरुपयोग हुआ, मैं उसकी गहराई में नहीं जाकर संक्षेप में अपने जिले में सहकारिता के नाम पर क्या हो रहा है, क्या हुआ हैं, क्या गडबडियां हैं उनका विवरण संक्षेप में सदन के सामने पेश करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, हमारे जिले में झुंझुनूं जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक की साख इतनी खत्म हो गई है कि आज रिजर्व बैंक या जो संबंधित फाइनेन्स कोरपोरेशन वगैरा हैं वे सिर्फ हमारी जिले की बैंक को ही नहीं बल्कि उस बैंक के कारण राज्य की अन्य बैंकों

(श्री सांवरमल बासोतिया)

को भी ऋण देने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने साफ इन्कार कर दिया है। सहकारिता के नाम पर धन का गबन और दुरुपयोग हुआ है, सरकारी मशीनरी का गबन में हाथ है। जानबूझ कर वसूली नही करने देते और बैंक की ऐसी स्थिति हो गई है कि किसी तरह से सहकारिता के नाम पर धन का उपयोग नहीं किया जा सकता। सभापति महोदय, हमारे झुन्झुनूं जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक में इस तरह की गड़बड़ी हो रही है कि जब लोन एप्लीकेशन देते हैं तो विथड्रावल फार्म पर डबल साईन कराये गये और एक विथड्रावल फार्म पर सिर्फ ५००) ४००) रुपये पार्टी को दे दिये गये और दूसरे विथड्रावल फार्म पर प्राइवेट रूप में मनी को विथड्रा करके अपनी पाकिटों में भर लिया। इस तरह से बेचारे ग्रामीणों को, सहकारी समिति के सदस्यों को धोखा दिया गया। बजट में जो धन था, जो रकम थी वह सहकारी सोसाइटी के मैनेजर अथवा हमारे जिले के नेताओं की पाकिट में गयी और सहकारी समिति से सम्बन्धित जो व्यक्ति थे उन पर कई मामलों में अनधिकार चेष्टा करके लांछन लगाया गया।

सभापति महोदय, सबसे बड़ा घोटाला जो हमारे जिले में हुआ है, मैं उसका विवरण पेश करना चाहता हूँ। वहां पर एक पाव श्री बुनकर सहकारी समिति है, उसमें एक लाख रुपए का घोटाला हुआ है। एक लाख रुपए का ऋण उक्त समिति को दिया गया, इसके लिए संचालक मण्डल से कोई उस चीज की स्वीकृति नहीं ली गई, उस संचालक मंडल के सामने यह लोन से सम्बन्धित बात पेश नहीं की गई और सचालक मण्डल की बैठक समाप्त होने के बाद उक्त मंडल के मैनेजर और मैनेजर के साथ में वहां के संचालक मण्डल के कुछ सदस्य बैठे और उन्होंने मिलकर बाद में रिपोर्ट लिख दी, उक्त बैठक की और उसमें बाद में ऐड किया गया कि पाव श्री बुनकर सहकारी समिति को एक लाख रुपए का लोन स्वीकृत किया जाता है। यह बाद में एडीशन किया गया है, उसकी स्याही ही दूसरी है, और जो ऐड किया गया है उसकी लिखावट दूसरी है और उक्त बैंक के उपाध्यक्ष और मैनेजर दोनों के सिगनेचर हैं। इस तरह धोखे से बाद में रिपोर्ट लिख कर लोन वहां सैंक्शन किया गया। सभापति महोदय, मैं सदन के माननीय सदस्यों को अर्ज करूं कि यह मामला कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, यह साधारण मामला नहीं है, इस मामले में साधारण व्यक्ति नहीं हैं, साधारण व्यक्तियों के द्वारा इस तरह की गड़बड़ी हो नहीं सकती है। मैं स्पष्ट रूप से कह दूं कि हमारे जिले की एक बहुत बड़ी नेत्री हैं, उसका इसमें हाथ है और जो मुलजिमों के विरुद्ध ४२८, ४०६ आई. पी. सी. के तहत मुकदमे दायर किए गए, उनको प्राटेक्शन देने में उक्त नेत्री का पूरा-पूरा हाथ है। इतना बड़ा काण्ड होने के बावजूद उक्त काण्ड में किसी भी मुलजिम के ऊपर, प्रोटेक्शन के कारण, कोई आंच आने नहीं दी गई और हर तरह से उनको प्राटेक्ट किया जा रहा है। सभापति महोदय, मुझे सदन को सूचित करते हुए

(श्री सांवरमल बासोतिया)

दुःख होता है कि यह जो एक लाख रुपए का लोन दिया गया, उस लोन के अग्रीमेन्ट में न व्यक्तिगत जमानत ली गई और न किसी सहकारी समिति अथवा किसी व्यक्तिगत प्रापर्टी को मोर्टगेज रखा गया क्योंकि सारा मामला पहले से ही प्री प्लान्ड था और सब नेताओं, मैनेजर, उपाध्यक्ष वगैरह का उसमें हाथ था, इसलिए यह सब पहले कार्यवाही की गई और उसके बाद रुपया उठाया गया। आज हालत यह हो गई है कि झुंझुनूं जिले की सहकारी समिति बैंक का लाखों रुपया बरबाद हो गया है, बैंक बरबाद हो गया है, जनता बरबाद हो गई है और सहकारिता के आधार पर जो उपयोगिता जिले को मिलनी चाहिए वह नहीं मिली। सभापति महोदय, मैं इस विषय में थोड़ा सा, जो सहकारी समितियों द्वारा चीनी वितरण किया जाता है, उस पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। सहकारी समितियों को जहां-जहां जनता को चीनी वितरण का लाइसेंस दे रखा है, वहां-वहां पर गड़बड़ियां अधिक होती हैं। उसका एकमात्र कारण यह है कि सहकारी विभाग द्वारा अथवा फूड और सप्लाई विभाग द्वारा कड़ी निगरानी नहीं रखी जाती है। वह लोग होल सेलर से चीनी उठा लेते हैं अथवा नहीं उठाते हैं तो भी ऊपर ही ऊपर ब्लैक का रुपया ले लेते हैं। बोरियों को वहीं, जहां होल सेलर से लेते हैं, ब्लैक में बेच दिया जाता है और गांवों तक चीनी को पहुंचने नहीं दिया जाता है। इसके सम्बन्ध में, माननीय सभापति महोदय, आपके जरिये से सम्बन्धित मन्त्री महोदय से निवेदन है कि ऐसी सहकारी समितियों के प्रति कड़ा रुख अपनाना चाहिए, उनका लाइसेन्स रद्द किया जाना चाहिए, उनका रजिस्ट्रेशन खत्म कर देना चाहिए।

सभापति महोदय, इसके अलावा मेरा एक कटौती प्रस्ताव झुंझुनूं जिला उपभोक्ता सहकारी भंडार को लेकर है। इस विषय में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब से झुंझुनूं जिला उपभोक्ता सहकारी भण्डार की स्थापना हुई है तब से लेकर इसमें बड़ी गड़बड़ियां हैं। जो संचालक मण्डल बनाया गया है वह बिल्कुल गलत तरीके से, अवैधानिक तरीके से बनाया गया है। जितने संचालक मण्डल के सदस्य हैं उनमें से मैं सोचता हूं सेन्ट पर्सेन्ट नहीं तो ६० पर्सेन्ट ऐसे हैं जिनका सहकारिता से सम्बन्ध नहीं है, जिस कस्बे के लिए बनाया गया है, उन कस्बों से उनका सम्बन्ध नहीं है और महज एक दल विशेष की बहुमतता को बनाये रखने के लिए लोगों को संचालक मण्डल में मनोनीत किया गया है। मुझे दुःख है, इतना लम्बा अर्सा हो गया है परन्तु अभी तक संचालक मंडल का कोई चुनाव नहीं किया गया है और मनोनीत मण्डल के जरिये से ही काम कराया जाता है, जिसके प्रति झुंझुनूं जिले के लोगों की आस्था बिल्कुल खत्म हो गई है। वह नहीं चाहते कि इस तरह की गड़बड़ियां सरकार द्वारा मनोनीत संचालक मंडल के द्वारा की जावें, परन्तु बार-बार इस सम्बन्ध में शिकायत करने पर भी इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। मैं सदन को अर्ज करूं कि नवलगढ़ से जिस

(श्री सांवरमल बासोतिया)

व्यक्ति को उपभोक्ता भंडार के संचालक मण्डल में लिया गया था उसके सम्बन्ध में मैंने शिकायत रजिस्ट्रार सोसाइटीज को की, उसमें मैंने स्पष्ट तौर से लिखा है कि उक्त व्यक्ति पिछले दस वर्षों से नवलगढ़ से बहुत दूर बम्बई रहता है और वहां पर आढ़त, दलाली का धन्धा करता है। वह नवलगढ़ मुश्किल से साल में एक बार आता है, वह सालों तक नहीं आता है। ऐसे व्यक्ति को संचालक मंडल में लिया जाना गलत बात है, इसकी इन्क्वायरी की जाय, इसको हटाया जाये और इसकी जगह पर किसी उपयुक्त व्यक्ति को लिया जाय। सभापति महोदय, मेरी शिकायत के आधार पर उन्होंने न जाने कोई इन्क्वायरी की या नहीं की, लेकिन मुझे ताज्जुब हुआ, उस शिकायत का मुझे जो उत्तर दिया गया, उसके अन्दर लिखा कि आपकी शिकायत बेसलेस है और निराधार है। सभापति महोदय, मुझे बड़ा दुःख होता है, जो व्यक्ति वर्षों से बाहर रहता हैं, यह एक तथ्य है, इसकी जानकारी छिपी नहीं रह सकती है, इसकी बिल्कुल इन्क्वायरी करके या न करके रजिस्ट्रार महोदय का ऐसा जवाब आता है, इस सदन का जो सदस्य है, उसके द्वारा जो की हुई शिकायत है वह निराधार है, बेबुनियाद हैं। मुझे दुःख होता है, शर्म आनी चाहिए ऐसे विभाग पर। मैं आज भी कहता हूं, मेरी शिकायत यदि निराधार बता दें तो मैं इस सदन से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। सभापति महोदय, मैं आपके जरिये मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूं, मैंने मन्त्री महोदय से जाकर भी कहा कि मैंने इस तरह की शिकायत की थी, उस शिकायत की एवज में इस तरह का गलत उत्तर दिया गया हैं। मन्त्री महोदय ने हो सकता है कि इसकी इन्क्वायरी की हो, लेकिन उन्होने विश्वास दिलाया, उन्होंने कहा कि मैंने उसको हटा दिया है, हटाने के आर्डर्स कर दिये हैं। लेकिन मुझे दुःख होता है, मन्त्री महोदय यहां बैठे चुपचाप सुनते हैं, उन्होंने कह दिया था कि उसको हटा दिया है लेकिन वह आज भी संचालक मंडल में मौजूद है। इससे अधिक दुःख की बात क्या हो सकती है।

श्री श्रवणलाल : वह आप जैसे होंगे।

श्री सांवरमल बासोतिया : यह फिजूल की बात आपसे ही हो सकती हैं मेरे से नहीं हो सकती। आपके सारे गुणों को मैं जानता हूं। मैं आपके साथ रह चुका हूं।

श्री डूंगाराम राजोरिया : यह कह रहे हैं कि इस्तीफा दे दूंगा– यह बात सिर्फ इनको डराने के लिए है।

श्री सांवरमल बासोतिया : इसके अलावा नवलगढ़ सहकारी भण्डार के विषय में दो शब्द कहना चाहता हूं। वहां यह हालत है नवलगढ़ में सहकारी भंडार बहुत थोड़े लोगों के लिए है, इसके आस-पास पांच मील तक कस्बों का इलाका है किन्तु कई बार चेष्टा करने के बावजूद भी वहां दूसरा भंडार नहीं खोला जा सका। बहुत से लोगों की इच्छा है कि वहां दूसरा भंडार

(श्री सांवरमल बासोतिया)

खोला जाय लेकिन आज वहां अधिकारियों से मिलकर दूसरा भंडार उस भंडार के संचालकों ने नहीं खोलने दिया गया और यह आश्वासन दिया गया कि इस भंडार में जो सदस्य बनना चाहें उनको बना दिया जायगा। मेरा निवेदन है कि न इस ओर ध्यान दिया गया है और न भंडार के सदस्य बनाये गये हैं, और न दूसरा भंडार खोलने दिया गया है। मैं निवेदन करूंगा कि इस ओर ध्यान देकर इन्क्वायरी कराके दूसरा भंडार वहां खुलवाया जाय, या जो सदस्य उसमें सम्मिलित होना चाहें उनको सम्मिलित होने दिया जाय।

अन्त में मैं निवेदन करूं कि गत पांच तारीख को राजस्थान सहकारी विभाग के खिलाफ कुछ तथ्य रखे थे, जिनके बारे में भी मैं जानकारी चाहूंगा कि अभी तक मन्त्री महोदय ने कहां तक प्रगति की है, उसका भी विवरण उत्तर में थोड़ा दे दिया जाय।

श्री सभापति : श्री गंगासहाय।

श्री गंगासहाय (कठूमर) : सभापति महोदय, जिस सहकारी विभाग में ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार हो, अनियमिततायें हों, भाई भतीजावाद हो भानजा वाद चलता है, वह सहकारी विभाग प्रेम सद्भावना का जनता में क्या प्रगति कर सकता है। प्रचार कर सकता है। इसके कुछ नमूने मैं आपके सामने पेश करता हूं। इस विभाग में अभी तक सीनियोरिटी लिस्ट नहीं बनाई गई है। उसका कारण है, मिनिस्टरों के भाई भतीजे, जैसे गोविन्द व्यास रामकिशोर व्यास का लड़का है। श्री कृष्ण माथुर, मथुरादास माथुर के भाई हैं। राधाकृष्ण चौधरी जो पुराने मिनिस्टर कुम्भारामका रिश्तेदार है। इनको डाइरेक्टर सेलेक्शन में लिया है। इनको पी० एस० सी० ने कन्फर्म नहीं किया है लेकिन वह आज भी काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त उनको फायदा देने के लिए नियमों की अवहेलना करके इन्हें डिप्टी रजिस्ट्रार को-आपरेटिव सोसाइटी के पद पर रखा। जब कि पी० ए० सी० के लोग थे जिनको वास्तव में हक था उनको प्रमोशन नहीं दिया गया। इतना ही नहीं, उनको किसी प्रकार से प्रमोशन दिया जा सके, इस कारण से एक सेलेक्शन कमेटी बनाई गई और उनको चुनाव में लिया गया और उनको चुनाव में लेने के बाद भी अपने आदमियों को प्रमोशन दे दिया गया। अभी भी कुछ कमियां हैं क्योंकि उनका कन्फर्मेशन नहीं हुआ था तो कन्फर्मेशन इनकाकर दिया गया और जो लोग पहले से कन्फर्म होने चाहिए वह आज तक कन्फर्म नहीं हुए हैं। उनको बाद में कन्फर्मेशन दे दिया गया और दस साल से उनका कन्फर्मेशन रोक दिया गया। इतना ही नहीं कन्फर्मेशन होने से पहले जो डिपार्टमेंटल प्रमोशन एक्जामिनेशन पास करना पड़ता है तब आदमी कन्फर्म होता है। दुःख के साथ कहना पड़ता है कि ३५ अधिकारी जिनका वास्तव में हक था उनको प्रमोशन नहीं दिया गया, क्योंकि

(श्री गंगासहाय)

डिपार्टमेंटल प्रमोशन का एक्जामिनेशन पास करना पड़ता और इन तीन चार व्यक्तियों को प्रमोशन के लिए डिपार्टमेंटल प्रमोशन एक्जामिनेशन से एक्जेम्पशन दे दिया गया और इस प्रकार आज उनको जोइन्ट रजिस्ट्रार को-आपरेटिव सोसाइटीज के पद पर बिराजमान कर दिया गया। सभापति महोदय, यह आदेश १६-६-६७ को को-आपरेटिव प्रमोशन २५ सहकारिता जो संयुक्त रजिस्ट्रार के पद पर पदोन्नति करना था। इसमें इन उपरोक्त तीन व्यक्तियों के नाम न होने के कारण यह आदेश १२-२-६८ तक रोका गया और १३-३-६८ को उपरोक्त आदेश रद्द कर देने के बाद ऐसा आदेश निकाला गया जिसके अनुसार फिर पी० एस० सी० से चयन हुए कर्मचारियो और अन्य ३५ कमचारियों का हक मारकर इस विभाग के सर्वोच्च पद पर नियम के विरुद्ध नियुक्तियां की गई थीं। इस गलत रूप से सयुक्त रजिस्ट्रार बना दिये गये। जबकि यह जूनियर हैं। पी० एस० सी० से कन्फर्म नहीं हैं। सेलक्टेड नहीं है। उस पर भी यह कार्यवाही की गई। ऐसे विभाग से क्या आशा करेंगे कि यह नियमों का पालन करेगा और सहकारिता को आगे बढ़ायेगा।

अब मैं कुछ होलसेल भण्डारों के मामले रखना चाहता हूं। अलवर का उपभोक्ता भण्डार नं० ६ जिसके मैनेजर उस समय थे ललिता प्रसाद। उसके खिलाफ १८२२ बोरियों के गबन का मामला उठाया गया था। इसके अलावा १०४४.२३ पै० का गबन का मामला उठाया गया था। १६२६ का मामला उठाया गया था। परन्तु उसके खिलाफ पुलिस में अब तक कोई कार्यवाही नहीं करके उसको छोड़ दिया गया। आज तक वह पूरी धनराशि जमा नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त उन्होंने एक घोटाला किया है। जो ४२० का है। वह मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं। यानि उपभोक्ता भण्डार के खाते में २१२५.५३ था और उपभोक्ता भण्डार के खाते में दिखायी गई है १८०० की राशि। तो उसमें भी गबन के रूप में बताया गया है क्योंकि वह होलसेल भंडार में जमा नहीं है। इस पर कुछ अन्य लोगों के विरुद्ध गबन का मामला निकाला गया परन्तु उनके खिलाफ, उचित कार्यवाही नहीं की गयी है, ऐसा लगता है। इसके साथ-साथ होलसेल भंडार जोधपुर के चुनाव हुए। उसमें पुराने अध्यक्ष महोदय ने नये को चार्ज दे दिया लेकिन विभाग के लोगों की धांधलीबाजी के कारण और कुछ लोगों के बचाव के कारण क्योंकि इस भंडार के अन्दर ढाई लाख का घाटा एक वर्ष के अन्दर हुआ है। उससे उनको बचाने के कारण उसको कार्य ढग से नहीं करने दिया जाता है। यद्यपि पिछले इसके अध्यक्ष थे उन्होंने यह बात कही, बार-बार कही, सेक्रेटरी वगैरह को कि आप लोग लेजर अकाउन्ट्स ठीक प्रकार से रखें। लेकिन लेजर अकाउण्ट्स ठीक तरह मैंटेन नहीं किये गये। इसलिए उसको बचाने के लिए इस विभाग के उच्च अधिकारीगण अनुचित रूप से हस्तक्षेप करते रहे हैं बचाने की कोशिश कर रहे हैं।

(श्री गंगासहाय)

इसी तरह से एक मामला बताना चाहता हूं वह है राजगढ़ क्रय विक्रय सहकारी संघ का मामला । ४ वर्ष पहले इसके अध्यक्ष रामस्वरूप के विरुद्ध ५ हजार के गबन का मामला साबित हो गया । डिप्टी रजिस्ट्रार को-आपरेटिव सोसाइटी इसकी जांच के लिए गया । सारे कागज इस विभाग में मंगवा लिये गये लेकिन वह कागजात चार वर्ष से पड़े हुए है लेकिन कार्यवाही नहीं की जा रही है । इतना ही नही जो आदमी माल जमा कराने भंडार संघ में भेजते है, उनको ७५ प्र० श० मूल्य एडवांस में मिल जाता है, माल बिके या नही बिके । बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ता है कि वहां के भूतपूर्व एम. एल. ए. श्री हरिकृष्ण के ५ हजार कुछ पैसे जमा थे उनको ११ हजार एड्वांस में रकम दे दी गई और जब इस मामले की आगे रिपोर्ट हुई तब पैसा जमा करवा दिया गया । मगर आज भी बहुत सी रकम बकाया पड़ी है लेकिन कोई कार्यवाही नही की जा रही हैं । इसी प्रकार भूतपूर्व प्रधान जो चेअरमैन संघ के थे जो आज प्रधान राजगढ हैं, २५ २५ बोरी चीनी की उन्होने मृत्युभोज के लिए दे दीं । इसका आडिट आब्जेक्शन हुआ । लेकिन आज तक उस सम्बन्ध में कार्यवाही नहीं हुई । मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की अनियमितता और धांधली को रोके और ऐसे लोगों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाये । सजा दी जाये । दु:ख के साथ कहना पड़ता है कि वहां के लिए एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया जा चुका है। उसके बाद भी माननीय मन्त्री जी ने स्टे आर्डर दे दिया है जो इस परिस्थिति में दिया जाना नियम विरुद्ध है । मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की धांधलेबाजी और अनियमितता को रोकें और सख्त से सख्त कार्यवाही करें । अन्यथा विभाग के द्वारा जो कुछ हम करना चाहते हैं उसमें यह फेल हो रहा है, और अधिक फेल होगा ।

थोड़ा निवेदन और करना चाहता हूं, सहकारिता में चारों तरफ हर क्षेत्र में बढ़ावा देना चाहिए । लेकिन वास्तव में चारों तरफ नहीं देखते है । अलवर मे ४४ चर्म उद्योग सहकारी समिति हैं । मैं कहना चाहता हूं कि मैं उद्योग विभाग में रह चुका हूं । इनमें से एक भी सहकारी समिति सही रूप में आज भी काम नही कर रही है । इसी प्रकार २४ बुनकर सहकारी समिति हैं उनमें से एक भी संस्था काम नही कर रही है । वह क्यों नहीं कर रही हैं, क्या कारण है ? इस बात की जांच नहीं की गई हैं । इन चर्म उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाये । इन्हें कच्चा माल दिया जाये । इसके बारे में कार्यवाही नहीं की गई हैं । इस प्रकार की धांधलेबाजी चल रही है । मैं समझता हूं कि नियम बनते जा रहे हैं । प्रगति का नारा बुलन्द करते जा रहे हैं । लेकिन इस प्रकार की बातें चलती रहीं तो भगवान मालिक हैं कि इस सहकारिता को कहां जाकर डुबोयेंगे । इतना कह कर मैं मन्त्री महोदय को निवेदम करना चाहूंगा कि इसकी जांच होनी चाहिये और इस प्रकार की जो धांधलेबाजी हो रही है । अनियमितता हो रही है और नियमों की अवहेलना हो रही है उस पर अंकुश लगाया जाना चाहिए ।

श्री सभापति : श्री देवेन्द्र कुमार ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) : ग्रोन ए प्वाइंट ग्राफ ग्रार्डर । मैं यह प्रश्न उपस्थित करना चाहती हूं सभापति महोदय, जब मांग प्रस्तुत की जाती है तो सदस्यों से अपेक्षा की जाती है कि उस पर वादविवाद करें और इसलिए सामग्री दी जाती है ।मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जो सामग्री हमें सप्लाई की गई है वह इतनी कम है कि उसके बारे में न कुछ पता लगता है । इसके ऊपर क्या बोलें । क्या बहस करें । इसलिए कोई ऐसी व्यवस्था की जाये, जब मांग आवे तो हमारी जानकारी के लिए पूरी-पूरी सामग्री दी जाये ताकि डिबेट में उपयोग कर सकें और डिटेल्स के ऊपर सोचा जा सके । हम नहीं चाहते कि अन्धाधुंध अनर्गल बात बिना आंकड़ों के बोलें । इसलिए ऐसी व्यवस्था हो तो अच्छा है ।

श्री रामकिशन : सरकार नहीं चाहती है कि ढंग की बात हो । सरकार चाहती है कि ऊट पटांग बात हो और आंकड़ों में नहीं आयें ।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : सरकार अन्धेरे मे रखना चाहती है ।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : सभापति महोदय, जो माननीय सदस्या द्वारा प्रश्न उठाया गया है वह अत्यन्त महत्वपूर्ण है । यह सरकार, मुझे तो ऐसा महसूस होने लगा है, कि इस सदन को और इस सदन के माननीय सदस्यों को चटसाल की तरह ट्रीट करने लगी है कि जब चाहा तब सामग्री भेज दी और जब नहीं चाहा सामग्री नहीं भेजी । वैसे तो माननीय सभापति महोदय, हम महसूस कर रहे हैं कि आज यह कांग्रेस हिन्दुस्तान में जनतन्त्र का जनाजा निकाल रही है ....

श्री मूलचन्द डागा : आप निकाल रहे हैं....

श्री नत्थीसिंह : आप चिल्ला क्यों रहे हैं, आपका नम्बर तो आना नहीं है, घबराइये मत ।

तो इस प्रकार यह सरकार सम्बन्धित विभागों के बारे में मेटिरियल समय पर सदन के माननीय सदस्यों को न देकर, सारी बातें सदन के सामने आयें, इसमें रुकावट डाल रही है । इसलिए सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में आपके द्वारा मन्त्री महोदय को आदेश दे कर इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिये कि जिस विभाग की डिमाण्ड रखी जाय उससे पहले उस विभाग से सम्बन्धित पूरी सामग्री सदन के माननीय सदस्यों को उपलब्ध कराई जानी चाहिये ।

श्री सभापति : क्या माननीय मन्त्री जी कुछ कहना चाहेंगे । माननीय सदस्यों ने आपत्ति उठाई है कि जिस मांग पर बहस शुरू हो उससे पहले उससे सम्बन्धित सामग्री सदन के माननीय सदस्यों को दी जानी चाहिये, इस सम्बन्ध मे आप कुछ कहना चाहते हैं ?

श्री शोभाराम (कृषि मन्त्री) : मैं समझता हूं यह ठीक है। आयन्दा इस बात का ध्यान रखा जायगा कि जब मांगों पर बहस हो तो पहले, काफी पहले पूरे विवरणों के साथ उस मांग से सम्बन्धित साहित्य दिया जाय।

श्री सभापति : मैं कहना चाहूंगा कि कई बार इस सम्बन्ध में आसन से व्यवस्था दी जा चुकी है कि कोई मांग आये, बजट प्रस्तुत किया जाय तो सम्बन्धित विभाग विस्तृत रिपोर्ट अपने विभाग के बारे में प्रस्तुत करे ताकि माननीय सदस्य अच्छी तरह से उस मांग के सम्बन्ध में, उस विभाग के सम्बन्ध में प्रकाश डाल सकें। उसी बात को दुबारा दोहराते हुए सरकार से कहना चाहूंगा कि जब कभी बजट आये, या मांगे आयें, उससे पूर्व, सम्बन्धित पूरी सामग्री माननीय सदस्यों को वितरित कर दी जाय।

श्री देवेन्द्रकुमार मीणा (गोगुन्दा सु.) : सभापति महोदय, मैं एग्रीकल्चर के बारे में कुछ निवेदन करना चाहूंगा। आज हमारे देश का तीसरा हिस्सा देश की खेती की पैदावार को बढ़ाने वाले लोगों का है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे देश की आर्थिक हालत तभी ठीक हो सकती है जब कि हमारी भूख को बुझाने वाले किसान जो खेतों में काम करते हैं उनको खेती की पैदावार बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा साधन उपलब्ध कराये जांय, उनको अच्छा बीज दिया जाय, उनको आधुनिक अच्छी किस्म के खेती के औजार दिये जाय और इन साधनों से किसान हमारे देश की खेती की पैदावार को और अधिक बढ़ा सकें। आज हम देखते हैं कि हमारी सरकार ने कई तरह के कालेज कृषि के लिए खोल रखे हैं. कैम्प खोल रखे हैं. सूरतगढ़ फार्म में कैम्प खोल रखा है। मुझे खुशी है कि बहुत से ग्रामीण लोग वहां गये और वहां सारी बातें देख कर आये हैं, उनकी रिपोर्ट है कि इस तरह खेती के बारे में बतलाया जाय और ठीक ढंग से खेती की जाय तो हम और अच्छी तरह खेती कर सकते हैं और हमारे खेतों मे ज्यादा अन्न पैदा कर सकते हैं।

मैं इस बात को मानता हूं कि सरकार जिन कामों को लेकर चलती है, उनमे बहुत खामी रहती है और उस खामी के कारण हैं बहुत से अधिकारी। बहुत से अधिकारी तो फील्ड में काम करने वाले जिम्मेदारी से काम करते हैं पर बहुत से अधिकारी लापरवाही से काम करते हैं। इस बारे में माननीय सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इस बात का बड़ा अफसोस है....

(१.५५ म. प.)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत, सभानेत्री पदासीन)

कि पंचायत समिति बड़गांव में तीन पंचायतों के अन्दर सुनारा गेहूं के बीज के नाम पर दूसरा बीज दिया गया, उस गेहूं को बोने के बाद काश्तकारों को पता लगा कि वह गेहूँ सुनारा नहीं है, उनको सुनारा

(श्री देवेन्द्रकुमार मीणा)

गेहूं का बीज नहीं दिया गया है। ग्राम सेवक साहब स्टडी करके आते हैं, क्योंकि उनको खेतों में काम करने का मौका नहीं मिलता है, उनको तो केवल पुस्तकें रटने का मौका मिलता है। तो मैं कहता हूं कि जहां तक गवर्नमेंट की यह पोलिसी हैं कि खेती को पैदावार अधिक से अधिक बढ़े तो किसानों के बच्चों को खेती के बारे में ट्रेनिंग देकर और कैम्पों में उन्हें भेज कर नये तरीके समझाये जांय कि इस तरह से नये तरीके से खेती की जांय तो अधिक पैदावार बढ़ सकती है। इससे वे किसानों के बच्चे समझेंगे कि खेती के बारे में हम किस तरह प्रोग्रेस कर सकते हैं।

सभानेत्री महोदया, मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने आंकड़े प्रस्तुत किये हैं, उन्होंने ५१–५२ के जो आंकड़े पेश किये हैं वे ५१ लाख के आंकड़े पेश किये हैं ६६-६७ में ६०८ लाख के आंकड़े पेश किये हैं और ६८-६९ के भी इस तरह से आंकड़े पेश किये हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि सरकार इस तरह पैसा खर्च करती है, इससे किसानों को क्या मिलता है। सभापति महोदया, किसानों को ५५ पैसा पड़ता है। मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह गवर्नमेंट ज्यादा से ज्याया पैदा कराना चाहती है। किसानों में ज्यादा अन्न पैदा करने की भूख पैदा हो गई है, आज किसान चाहते हैं कि वे अच्छा बीज लें, अच्छे अच्छे साधन उनको खेती की पैदावार बढ़ाने के लिये मिलें उनको खेती की पैदावार बढ़ाने के लिए बिजली मिलें पर आज उनको अच्छा बीज नहीं मिलता, साधन नहीं मिलते, बिजली नहीं मिलती। गांवों के किसान सरकार के सामने आकर बिजली की और इन सब चीजों की मांग नहीं कर सकते। आज शहरों में तो उजाले के लिए बिजली की जरूरत है क्योंकि शहरों वाले सरकार के सामने मांग करते है पर सरकार किसानों को बिजली नहीं देती है, जिससे कि किसान जमीन में ज्यादा पैदावार बढ़ा कर देश की भूख को दूर कर सकें। इसमें सरकार को ओर से बड़ी भारी कमी है। गांवों के किसानों को सरकार के सामने आकर हड़ताल करने को टाइम नहीं है, उन किसानों के पास इतना टाइम नहीं कि वे अपने खेतों को छोड़कर यहां शहर में आयें और सरकार के सामने अपनी मांग रखें। आज शहरों के बाजारों में इतनी इलेक्ट्रिसिटी दे रखी है पर गांवों में किसानों को बिजली नहीं दी जाती अगर गांवों में किसानों को बिजली नहीं दी गई तो वे खेती की पैदावार को नहीं बढ़ा सकेंगे।

मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे उदयपुर में कई ऐसे एरिया हैं कि वहां खेती के एरिया बहुत कम हैं, काश्तकार मेहनत करके छोटे छोटे जमीन के टुकड़ों को खेती के लिये बड़ी मुश्किल से तैयार करते हैं, उनमें कुंए खोदते हैं पर कुओं के अन्दर पत्थर आ जाता है और पत्थर आ जाने के कारण वे कुए नहीं खोद सकते। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि

(श्री देवेन्द्रकुमार मीणा)

उदयपुर डिवीजन में सरकार की ओर से कुए खुदवाने के लिए और कृषि के काम के लिये ज्यादा से ज्यादा मदद मिलनी चाहिये, क्योंकि किसान चाहते हैं कि वे खुद मजदूरी करें और गवर्नमेंट से मदद मिले उससे कुए खोद कर अपनी आर्थिक हालत को ठीक करें और देश की पैदावार को बढ़ावें। ऐसे एरिया की तरफ सरकार को ध्यान देना जरूरी है, यह मैं गोगुन्दा के लिए निवेदन कर रहा हूं। उदयपुर से १४ मील दूर है, गोगुन्दा गांव राजस्थान में सबसे पिछड़ा हुआ है, किसी को जांच करने के लिये भेजा जाय तो पता चलेगा कि गोगुन्दा, कोटड़ा के किसान कुए के मेंढ़क की तरह हैं।

(२ म० प०)

हमारे कृषि मंत्री आप किसानों के लिए सहानुभूति रखते हैं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे एरिया में बिजली के लिए कोशिश करें और सम्बन्धित मंत्री महोदय से कहें ताकि हमारे किसान बिजली लेकर कुएं से ज्यादा पानी निकाल सकें और गन्ना ज्यादा पैदा कर सकें। मेरे बहुत से साथी यहां पर बोले हैं उसके लिए मुझे खुशी है, लेकिन अपने कटौती प्रस्ताव पर ही बोलना चाहिए और सदन में सही रूप से बात रखनी चाहिए।

उदयपुर डिवीजन में जमीन की कमी है, वहां ज्यादा से ज्यादा सरकार की तरफ से किसानों के लिए सुविधा देनी चाहिए और आदिवासियों के पास कम जमीन है, उनको अधिक जमीन देनी चाहिए ताकि वे अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकें।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : मैं सहकारी विभाग के मांग पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि सहकारी विभाग द्वारा राजस्थान में जो सहकारी आन्दोलन चलाया जा रहा है उसके अन्दर बड़ा ही दोषपूर्ण वातावरण बना हुआ है। पहली बात तो यह है कि गलत सोसाइटीज बनाई जाती है और उसके बाद सोसाइटीज के जो चुनाव कराए जाते हैं उनके बारे में सोसाइटीज को अधिकार है कि चुनाव कराएं या नहीं। इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि चुनाव नियमों में संशोधन किया जाकर दूसरी संस्थाओं में जैसे चुनाव होते हैं उसी तरह से इन सोसाइटीज के चुनाव कराए जाय ताकि यह प्रवृत्ति समाप्त हो जाय।

दूसरा मेरा प्रस्ताव है मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४। संयुक्त सहकारी समितियां जो बनी हैं राजस्थान में अक्सर उनको ऋण और अनुदान दिया जाता है, लेकिन उनका कोई उपयोग नहीं होता है। ६० प्रतिशत ऐसी सोसाइटीज मिलेंगी जिनमें कोई काम नही होता है। इसकी जांच होनी चाहिए। हमारे इलाके में जो संयुक्त कृषि सोसाइटीज बनी हुई हैं उनके पास कोई फार्म नहीं। उन पर रुपया खर्च किया जाता है, वे अपने निजी स्वार्थ में खर्च करते हैं इसलिए मैं

(श्री रामचन्द्र आर्य)

मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इसकी जानकारी करवाई जाकर इसकी जानकारी हमें दी जाय, क्योंकि कटौती प्रस्ताव जो हम देते हैं उनके उत्तर में लिखित में हमारे पास में कोई सूचना नहीं है। कुछ को उत्तर मिल जाता है या नीति सम्बन्धी वक्तव्य हो जाता है लेकिन जितने व्यक्तिगत या सांकेतिक प्रस्ताव दिए जाते हैं उनका उत्तर मिलना चाहिए।

तीसरा मेरा प्रस्ताव है मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४। मार्केटिंग सहकारी समितियां हैं उनके जो अध्यक्ष हैं वे उन्हीं सोसाइटीज से उनकी रकम इस्तेमाल करते हैं और फिर उनके खिलाफ वसूलियां निकलती हैं, अनेक मामले इस प्रकार के हैं और उन अध्यक्षों को हटाया नहीं जाता और जो डाइरेक्टर्स हैं उन सोसाइटीज के वे भी उन सोसाइटीज की रकम से नाजायज फायदा उठाते हैं और उनके खिलाफ विभाग कोई ध्यान नहीं देता। मैं आपको नोहर मार्केटिंग सोसाइटी के बारे में जानकारी देना चाहूंगा। उस अध्यक्ष के खिलाफ कुर्की भी जारी हुई है लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। मार्केटिंग सोसाइटी से कोई डाइरेक्टर कर्जा नहीं ले सकता लेकिन इस विभाग में राजनैतिक दृष्टि से मंत्रियों द्वारा इसके अन्दर बार बार हस्तक्षेप किया जाता है और बड़े अधिकारियों को और सोसाइटीज के पदाधिकारियों को आश्रय मिलता है, जिससे रात दिन जुर्म बढ़ते हैं और जिस उद्देश्य के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है, वह पूरा नहीं होता। करोड़ों रुपये बेकार में जाते हैं। आप आज जितनी भी मार्केटिंग सोसाइटीज हैं उनके डाइरेक्टर्स और प्रधानों की सूची देखें कि उनके खिलाफ कोई कर्जा तो नहीं है, जिनके खिलाफ कर्जा है उनकी इन्कवायरी करानी चाहिए।

चौथा मेरा प्रस्ताव है मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सहकारी विभाग से कोई नकल प्राप्त करना होती है तो उसके लिए बड़ी कठिनाई होती है और महीनों तक नकल नहीं दी जाती है। रजिस्ट्रार का आफिस हो चाहे असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार का लेकिन समय पर नकलें नहीं मिलती हैं और फिर आदमी चक्कर काटकर हैरान हो जाता है, इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। इसलिए जैसे दूसरे महकमों में व्यवस्था है, इसमें भी होनी चाहिए।

पांचवां प्रस्ताव है मेरा मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४ के बारे में निरीक्षकों की नियुक्ति की जाती है वे उसी तहसील के, उन इलाकों के रहने वाले होते हैं और खुल कर राजनीति में भाग लेते हैं और उनको लगाने में मंत्रियों का हाथ होता है, सत्तारूढ दल उनका समर्थन करता है और खुल कर राजनीति में भाग लेते हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं होती है। इसलिए जितने सहकारी विभाग के निरीक्षक या नए कर्मचारी हैं, उस तहसील में न रखे जायें जिस तहसील के अन्दर उनके गांव हैं ताकि वे राजनीति में भाग नहीं ले सकें और पार्टीबाजी की ओर न जा सकें।

(श्री रामचन्द्र आर्य)

एक प्रस्ताव है मेरा मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४, अनुदान के सम्बन्ध में। सोसाइटियों को जितना अनुदान दिया जाता है उनका कोई उपयोग नहीं होता है। वे व्यक्तिगत तौर से स्तेमाल करते हैं, अनुदान का जितना पैसा होता है, गलत तरीके से खर्च किया जाता है, यह रकम सरकारी खजाने से बेकार जाती है। इसलिए अनुदानों के बारे में बारीकी से जानकारी की जाय कि वाकई अनुदान सही तरह से खर्च किया जाता है या नहीं।

मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४-सयुक्त सहकारी समितियों को ट्रैक्टर्स विभाग की तरफ से दिलाए जाएं। जो सोसाइटीज काम करने वाली हैं उनको विभाग द्वारा ट्रैक्टर का प्रबन्ध नहीं है इसलिए काम नहीं कर सकते। कृषि विभाग की ओर से उनको ट्रैक्टर्स दिलाने की कृपा करें चाहे लोन के रूप में ही हो।

इसमें मन्त्रियों का हस्तक्षेप होता है और उनके कहने से कर्मचारियों का तबादला किया जाता है या उनको आश्रय दिया जाता है, इस महकमे को स्वतन्त्र रखा जाय। विभाग में जो गड़बड़ी होती है, उसका कारण तो जो सम्बन्धित मन्त्री हैं वह उससे नाजायज फायदा उठाने के लिए स्तेमाल करते हैं, जिससे सहकारी आन्दोलन का जो मक्सद है वह समाप्त हो जाता है। इस सहकारी आन्दोलन को सही रूप देने के लिए, निष्पक्ष रूप से काम करने दिया जाय और राजनैतिक वातावरण से दूर किया जाय।

एक प्रस्ताव है मेरा मांग संख्या १८ मुख्य शीर्षक ३१ पर। कृषि उपज मन्डी कमेटियों को सरकार द्वारा एक सक्यूलर जारी किया गया है कि किसी भी दोषी व्यापारी का चालान नहीं किया जाय। इस प्रकार का आदेश यदि सरकार दे तो फिर मार्केटिंग कमेटिज बनाने का क्या मतलब है। यदि दोषी व्यापारियों का चालान नहीं होता तो कमेटी के हुक्म को कौन मानेगा? यह जो सक्यूलर जारी किया गया है, वह शर्मनाक बात है। इन कमेटियों को समाप्त करने जैसी कार्यवाही सरकार द्वारा की जाय, यह ठीक नहीं है। इस सक्यूलर को रद्द किया जाय और मंडी कमेटियों को पूर्ण अधिकार दिए जाएं ताकि अधिक से अधिक उपज का माल मिले, सही ढंग से माल बेचा जा सके और खरीदने वाले बेईमानी नहीं कर सके। इसी मक्सद के लिये मंडी कमेटी बनाई गई है लेकिन राज्य सरकार इसके अन्दर भी राजनीतिक दाव पेच खेलती है, वह हरकत नहीं होनी चाहिये।

एक मेरा प्रस्ताव मांग संख्या १८ मुख्य शीर्षक ३१ कृषि में है वह है कृषि उपज मन्डी समिति नोहर में एक नामजद सदस्य की नियुक्ति राजनैतिक आधार पर करने के बारे में है। मंडी कमेटी के अगस्त में चुनाव हुए थे उस वक्त २७ उम्मीदवार थे। उसमें एक कांग्रेसी एम० एल० ए० का रिश्तेदार खड़ा

(श्री श्री रामचन्द्र आर्य)

हुआ और वह हार गया, लेकिन हारने के बाद भी उसको नियुक्त किया गया। तो फिर क्या मक्सद है चुनाव करने का, जब हारे हुए सदस्य को भी, क्योंकि वह एक कांग्रेसी एम. एल. ए. का रिश्तेदार है, आप फिर नियुक्त कर देते हैं। चुनाव के होने के बाद में सरकार की तरफ से नाजायज कार्यवाही की गई। इसका असर राजस्थान की दो करोड़ जनता पर पड़ता है। अभी-अभी एक माननीय सदस्य ने कहा था कि कांग्रेस वाले जनतन्त्र का जनाजा निकाल रहे हैं। यह बिल्कुल सत्य है और इस तरह से प्रजातन्त्र को समाप्त करने की कार्यवाही जान-बूझ कर की जा रही है। इसके जो नतीजे होंगे वे शासन करने वालों को भी भुगतने पड़ेंगे। (समय समाप्ति सूचक घंटी) अभी मुझे थोड़ा सा और कहना है।

कृषि विभाग ने जिस तरह मन्डी उत्पादन समितियों में घोटाले किये, उसी तरह और भी बड़े घोटाले इस विभाग में होते हैं और उन घोटालों की तरफ सरकार का कतई ध्यान नहीं जाता। इसका भी कारण है और कारण आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि निष्पक्ष काम नहीं करने का वजह से ये सारे मामले बढ़ते ही जा रहे हैं।

पशु पालन विभाग में जो भेड़ और ऊन का महकमा है। उसके द्वारा हमारे राजस्थान से २ आदमी आस्ट्रेलिया में ट्रेनिंग के लिए भेजे गए। उनमें एक का नाम है मिस्टर दुबे और दूसरा है श्री चढा वे जहां भेजे गये, जिस कोर्स के लिए भेजे गये उसमें तो वे शामिल हुए नहीं, उसके बाद में एक आदमी फेल हो गया, तो उनसे खर्चा जो हुआ वह वसूल करने के आदेश सरकार ने दिये। लेकिन वे आदेश आदेश ही बन कर रह गये, और करीब १५ हजार रुपये की रकम उन लोगों पर जायज की गई वह आज तक वसूल नहीं हुई और संचालक महोदय ने वसूली को दबा दिया है। इस प्रकार के अनेकों घोटाले राजस्थान के अन्दर आज सामने है लेकिन सरकार और सरकार के मन्त्री बिल्कुल मौन हैं। आप क्यों ऐसे मामलों को दबाते हैं? क्यों नहीं इनके खिलाफ जांच करके सजा देते हैं? अगर इस तरह ही आप प्रशासन को चलाते रहे तो बहुत दिन नहीं चलने वाले हो क्योंकि भ्रष्टाचार की भी सीमा होती है। इस पर आपको गम्भीरता से विचार करना है।

(२.१३ म. प.)

(श्री केदारनाथ, सभापति, पदासीन)

। य जो दुबे साहब हैं, इनके खिलाफ और भी कई चार्जेज हैं और उन चार्जेज पर उनके खिलाफ जो एनक्वायरी हुई है उसमें वे साबित हुई हैं, उनके ऊपर बड़े गम्भीर आरोप थे, वे साबित होते हुए भी उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नही की गई। इस प्रकार उन्होंने रेल यात्रा के फर्जी बिल बनाये। फर्स्ट क्लास में बैठे नहीं लेकिन बिल फर्स्ट क्लास का बनाया। इसकी जांच की गई, वह साबित भी हुई लेकिन दुबे साहब

(श्री रामचन्द्र आर्य)

को आज तक कोई सजा नहीं मिली। इस प्रकार के अनेकों उदाहरण हैं उदाहरण और अनेकों मामले हैं जो तमाम सुनने वाले यह महसूस करेंगे कि यह हुकूमत है या खटाला गेंग है। एक महकमे के अन्दर इतने बड़े घोटाले हों और उनकी जांच हो जाय और जांच होने के बाद केस साबित हों और फिर भी अधिकारी को सजा नहीं दी जाये इससे बढ़कर अंधेरगर्दी क्या हो सकती है? सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि मैंने जो कटौती प्रस्ताव दिये है उन कटौती प्रस्तावों की गहराई में जाकर देखें, और मैं तो यह कहूंगा कि कटौती प्रस्ताव बड़े ज्यादा तादाद में पेश होते हैं उन सब को गहराई से देखने का मन्त्री महोदय का कर्त्तव्य है। अगर दौराने बहस इसका उत्तर नहीं दे सकें तो बाद में बता दें। और जो माननीय सदस्य अपने कटौती प्रस्तावों पर समयाभाव के कारण नही बोल पाते हैं, उनके कटौती प्रस्ताव रखने का भी जवाब उनको मिलना चाहिये, तब ही जाकर कटौती प्रस्ताव रखने का मकसद पूरा हो सकता है। नहीं तो जैसे पंजाब मे बजट पास करवाया है। आप भी उस तरह से अपोजीशन के सदस्यों को निकलवाकर चार मिनट में बजट पास करवा दीजिये। फिर न मीटिंग करने की जरूरत रहेगी और न जवाब देना पड़ेगा। लेकिन मै निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह से शासन अधिक दिन नहीं चलने वाला है। आपको सभी कटौती प्रस्तावों में गहराई से जाना है और जितने भी मुद्दे माननीय सदस्यों ने उठाये हैं उसके बारे में सभी माननीय सदस्यों को जानकारी देनी चाहिये।

अब मैं आपको कोआपरेटिव बैंक नागौर के संचालक श्री उदाराम के बारे में बताता हूं। वहां की सहकारी समिति ने १६.१.६८ को श्री उदाराम के स्थान पर श्री पूरणमल को प्रतिनिधि बनाकर नागौर भेजा, फिर भी आज तक उदाराम संचालक मण्डल में बैठे हुए हैं। वह स्थान अभी तक रिक्त नहीं किया गया। इस प्रकार के, कई घोटाले इस बैंक में चल रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि यह सहकारी विभाग क्यों खोला गया। यह खोला गया जनता को लाभ पहुंचाने के लिए और प्रजातन्त्र में गरीब आदमियों को लाभ पहुंचाने के लिए। लेकिन इस विभाग में काम सरासर उल्टा किया जा रहा है। गरीब आदमी को इससे कोई लाभ नहीं मिलता। सोसाइटी के अन्दर कुछ आदमी हावी होते हैं, वे ही लोन उठाते हैं और झूठे सर्टीफिकेट जारी करते है और सरकारी पैसो को नाजायज काम में खर्च करते है। वसूली का समय आता है तो लोन जमा करा देते है और फिर बैंक से पैसे निकाल देते हैं। इस प्रकार की बातों को रोकने के लिए मैंने एक कटौती प्रस्ताव रखा है और दूसरे जो कटौती प्रस्ताव मैंने रखे है उनके द्वारा जो मुद्दे उठाये गए है, उससे आपको जानकारी मिलेगी कि किस प्रकार से आपके सहकारी विभाग के अन्दर काम होता हैं। करोड़ों रुपये इस विभाग पर खर्च हो रहे हैं लेकिन इसका सही मक्सद हल नहीं हो रहा है।

(श्री रामचन्द्र आय)

दो करोड़ रुपया इसमें खर्च हो रहा है पर फिर भी इसका सही मक्सद हल नहीं हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि आप समय को पहचानते हैं प्रजातन्त्र की जड़ को मजबूत करने के लिए इस विभाग में जितना भी भ्रष्टाचार फैला हुआ है जितनी भी गलतियां की जा रही हैं, जिन्हें आप जान बूझकर करवा रहे हैं, अब उमे बन्द करिये, अब उनको रोकने की चेष्टा करें। अन्यथा यह होगा कि राजस्थान की यह सरकार जावेगी सो तो जावेगी ही, पर इसके साथ साथ जितने चार्जेज इसके खिलाफ लगाये जाते है आने वाली हुकूमत इन सब बातों पर गौर करेगी और इन मुद्दों के आधार पर उन पर मुकद्दमे चलायेगी और उसके परिणामों से आप भी नहीं बच सकेंगे क्योंकि आपके हुक्म से ये सारे कुकर्म हो रहे हैं न कि अधिकारियों के हुक्म से। राज आप करते हैं। अधिकारी नहीं करतें, अधिकारी तो आपके हुकम की पालना करते हैं। वे रक्खे जाते है शासन को सही ढ ग से चलाने के लिए। पालिसी आप बनाते है, हुक्म आप देते है। पर आज आप निजी स्वार्थ के लिए सत्ता पर चिपके रहने के लिए बुरे से बुरे कर्म करने से नहीं चूकते बुरे से बुरे आर्डर देने से नहीं चूकते।

इसलिए जब आपका वक्त आयेगा, तब सारा चित्र आपकी आंखों के सामने आवेगा जब आप जनता की अदालत के कटघरे में खड़े होंगे। इसलिए मेरा आप से निवेदन है कि ईश्वर के नाम पर आप अपने इन कुकर्मो से बाज आवें आप ऐसा न करें। सही ढ ग से शासन चलावें। नहीं तो अपने इन कुकर्मो की आगे आने वाले वक्त में सजा भुगतनी पड़ेगी। आप बच नहीं सकेंगे। आप अपने अधीनस्थ अधिकारियों को और राज्यकर्मचारियों को कठपुतली की तरह अपने स्वार्थों के खातिर नचाते हैं। आंज भले अधिकारी या कर्मचारी की आज इस राज में कोई कदर नहीं है। उसका आप तबादला कर देते है, नाना प्रकार से उसे परेशान और हैरान करते हैं। और जो अधिकारी और कर्मचारी आपको हाजरी बजाते रहते है आपकी पार्टियों के चुनावों में आपकी मदद करते रहते हैं, हर तरह से आपकी जां बेजां हुकम को मानते रहते हैं उनको आप सिर पर बिठाकर चलते हैं। उनसे जनता के प्रति अन्याय भी कराते हैं। इसलिए आपको इन सब बातों पर गहराई से ठंडे दिमाग से सोचना पड़ेगा। यदि आपने इस पर समय रहते ध्यान नहीं दिया तो आगे आने वाले समय में आपको पछताना पड़ेगा। जो आज आपकी हाजरी में हाथ बांधे खड़े रहते है वही लोग आपके खिलाफ सुबूत के रूप में खड़े होंगे। आंज जो नाजायज हुकम अथवा आदेश देते है उनको वे नोट करत है और फाइल में ऊपर रखते है। समय पर यही आपके खिलाफ गवाह होंगे। आप ऐसी परिस्थिति पैदा न करें। समय रहते सावधान हो जावें।

इतना बडा आपका जो बजट है हमने इसको पढ़ा है। कहीं भी विकास कार्यों के लिये पर्याप्त धन राशि इसमें नहीं रक्खी

(श्री रामचन्द्र प्रार्य)

है। सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, मिनिस्टरों के वेतन, भत्ते बंगले का खर्चा, मोटरों का खर्चा आदि इसके सिवाय इसमें अधिक कुछ उल्लेख है नहीं। इस तरह का बजट आप हमसे पास करवा रहे हैं और उन मांगों पर बहस हो रही है। इस प्रकार का यह बजट आप हमसे पास करवा रहे हैं और उनकी मांगों पर बहस हो रही है।

मैं सोचता हूं इस बजट से क्या राजस्थान का भला होने वाला है किसी भी काम के लिये पर्याप्त रकम नहीं रक्खी गई है। इसका कारण यह है गलत नीतियां। इसके कारण आज राजस्थान की आर्थिक स्थिति बिगड़ चुकी है और इस बिगड़ी हुई हालत में आप बचकर इससे निकलना चाहते नहीं ऐसा मुझे लगता है। अगर चाहते तो हालत दूसरी होती। आज तो निकलना चाहें तब भी नहीं निकल सकते क्योंकि यह अखाड़ा जो आपने कायम कर लिया है, वह निकलने नहीं देगा आपको। पिछले साल सुना था दो मार्च को कि जिस वक्त आपका यह सिंहासन डोल रहा था तब सेक्रेटेरियट से बीस हजार फाइलें गायब हो गई थीं। इस तरह से आप फाइलों को गायब नहीं कर सकेंगे अब। इन घोटालों को दबा नहीं सकेंगे। ये तो आपके सिर पर चक्कर बोलेंगे कभी न कभी। इसमें अधिक देर नहीं है। ये घोटाले आपके सब सामने आवेंगे इसलिये आपको चाहिये इस विषय में आप ठंडे दिमाग से सोचें। पीछे आपने जो किया सो किया। अब आगे तो सावधान हो जाओ।

पर समय आपका आ चुका है। आपको जाना है और जल्दी ही जाना है क्योंकि देश की परिस्थिति इस प्रान्त की परिस्थिति अन्य राज्यों की परिस्थिति ऐसी पैदा हो गई है कि अब आप अधिक दिनों तक इन कुर्सियों पर टिक नहीं सकेंगे क्योंकि आपके टिकने का सहारा हट चुका है।

श्री सभापति : काफी समय हो चुका है माननीय सदस्य।

श्री रामचन्द्र आर्य : इसलिये आपके भले के लिये मैं आपको यह नेक सलाह देना चाहता हूं कि आप ईमानदारी से अब सोचें और ईमानदारी और नेक नीयती से कुशलता से इस प्रशासन को चलावें। इसको सही ढंग से चलावें क्योंकि अभी आपको महसूस नहीं हो रहा है, पर आपके जाने के बाद आपको महसूस होगा जब आप सड़क पर खड़े होंगे कि आपने क्या-क्या गलतियां की हैं और किस तरह से घोटाले किये और उनको दबाया। समय आपसे एक-एक गलती का हिसाब ले लेगा।

जो भी राज पलटे हैं, और पलटने के बाद में शासन करने वाले जब नीचे आये हैं तब उनको पता चला है कि लोग उनके साथ कैसा सुलूक करते हैं। वही सुलूक

(श्री रामचन्द्र आर्य)

आपके साथ होगा क्योंकि आपने स्वयं अपने हाथो वे परिस्थितियां बना ली हैं।

इसलिये अधिक न कहकर अपने कटौती प्रस्ताव के द्वारा मांग की है उन पर गौर किया जावे वारीकी से जांच करें और उनका फिर सही सही उत्तर दें।

श्री सभापति : श्री गोकुलप्रसाद।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (बीकानेर) : सभापति महोदय, सहकारिता के प्रश्न पर मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। कई वर्षों से यह सहकारिता का आंदोलन चल रहा है और राज का काफी धन इसमें लगा है।

पर मैंने हर जगह देखा है कि लोगों में आन्तरिक सहकारिता की भावना नहीं है, यही कारण है कि जो कोआपरेटिव सोसायटियाँ बनाते हैं वे अपनी निजी जमीन का स्वार्थ नहीं छोड पाते। वे तो यह सोचकर कोआपरेटिव में आते हैं कि इसकी आड़ में किसी न किसी तरह से राज से जमीन मिल जावेगी, पैसा मिल जावेगा और यह सोचकर कोआपरेटिव सोसायटी बना ली।

मन्त्री महोदय अपने उत्तर में यह बता दें कि जितने कोआपरेटिव हैं उनके पास सिवाय सहकारिता की जमीन और साधन के अलावा अपनी निजी जमीन और साधन कितने हैं और कितनों के पास कुछ नहीं है। कितने पूरी तरह से इसी पर निर्भर हैं और इसी के सहारे अपना भरण पोषण करते हैं। मैं समझता हूँ ऐसा एक भी कोआपरेटर आप नहीं बता सकेंगे।

जितनी ऋणदात्री समितियों राज ने बनाई उन्होंने ऐसी कितनी सहकारी समितियों को ऋण दिया जिनका उद्देश्य यह रहा हो कि एक सबके लिये और सब एक के लिये।

सब एक के लिये हैं, पर एक सब के लिए हो ऐसी भावना जगानी चाहिये। यह भावना नहीं जगाई जासकती। क्योंकि जिनको इसके प्रचार प्रसार का आपने अधिकार दिया है वे स्वयं ही उस तरह की भावना के नहीं हैं।

अब आप सहकारी विभाग के खर्चे का हिसाब देखें।

सभापति महोदय, हर साल पचास साठ लाख रुपया अनुदान दिया जाता है और इतना ही स्टाफ पर खर्च कर दिया जाता है। इस वर्ष भी ५६ लाख ६४ हजार अनुदान और १६ लाख का संचालन का खर्चा है, डाइरेक्टरेट का।

५६।५७ में खर्चा करीब डेढ लाख का था, ५७।५८ में दो लाख का हुआ, इसी तरह हर वर्ष कुछ बढता गया और आज बढते-बढ़ते यह डाइरेक्टरेट का खर्चा १६ लाख हो गया। यहां का डाइरेक्टरेट आफिस क्या सहकारिता का मन्त्र पढता है दफ्तर

(श्री गोकुल प्रसाद शर्मा)

में बैठकर कि जिसमें उस पर १६ लाख खर्च आप कर देते हैं। गत वर्ष वह १४ लाख था, इससे पहले वर्षों में वह १२ लाख, ८ लाख सात लाख छः लाख और दो लाख ड़ेढ लाख से शुरु हुआ। आज १६ लाख तक पहुँच गया। यही रफ्तार रही तो कुछ वर्षों में यह खर्चा एक डेढ करोड़ तक पहुँच जावेगा। यह दफ्तर किस तरह का कोआपरेटर है, यह पता नहीं।

पर खर्चा कुल मिला कर दस सालों में चार करोड़ दस लाख का तो अनुदान दिया है और चार करोड ६० लाख स्टाफ पर खर्चा कर दिया। हम इस प्रकार अब तक ६ करोड़ रुपया इस पर खर्च कर चुके हैं इसके मूवमेन्ट को चलाने में।

इसके सिवाय सभापति महोदय, बैंक से जो गारन्टी दी है वह करीब २७ करोड़ की है। अगर कोआपरेटिव सोसायटियां ये रुपया जमा नहीं कर पाई तो हम करावेंगे। ३।। करोड़ का ऋण दिया और दस करोड़ की पूंजी लगाई। इस तरह चालीस करोड़ का भार सरकार ने ले रक्खा है और सवा डेड करोड़ हर साल खर्च करती है।

पर मन्त्री महोदय, इन सब का नतीजा मुझे यह बतादें कि कितने आदमियों को वास्तव में उन्होंने इतना खर्च करने के बाद कोआपरेटर बनाया। अब कर्जा देने वाली समितियां या बैंक करजा देती हैं करती हैं वे ही वसूल करती हैं, उनका अस्तित्व तो समझ में आता है पर यह डाइरेक्टरेट का दफ्तर इसमें क्या करता है, यह समझ में नही आता, अब कर्जा देने के लिये फलां को देना चाहिये या नहीं देना चाहिये इसकी तस्दीक करता है पटवारी। यह तो खाली दस्तखत करके पैसा वसूल करता है।

ऐसी सूरत में इस सारे काम को इस सारे फिजूल खर्चे को या तो बन्द कर देना चाहिये या फिर खर्चा करते हैं तो सहकारिता के आन्दोलन को पूरी तरह से सही तरीके से चलाना चाहिये।

सहकारी आन्दोलन अपने आप में बहुत अच्छा है लेकिन उसको चलाने के तरीके अच्छे नहीं हैं और इस वजह से आज हमें कष्ट उठाना पड़ रहा है।

मैं इसी प्रकार आपको कृषि के लिए कुछ अर्ज करना चाहता हूं। कृषि में हमने खर्च कर रखा है अण्डरग्राउन्ड वाटर बोर्ड का। सभापति महोदय, अण्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड का १६३२-३३ से कोई हिसाब नही है कि हमने कितना रुपया खर्च किया, कितना वापिस आया इसका कोई पता नहीं लगता है कि इसमें नफा है या घाटा है। सामने जो प्रत्यक्ष देखते हैं तो घाटा ही घाटा नजर आता है। कितना रुपया हर साल आया। १६६६-६७ के अकाउन्ट्स आये हैं सभापति महोदय ६७ लाख का चालू वर्ष का घाटा है और ५० लाख रुपये नहीं आये हैं। इसी तरह से उसमें घाटा है १६६७-६८ का अनुमान है कि ६२ लाख रुपये का खर्चा होगा और ६५ लाख आयेंगे। अब इन

(श्री गोकुल प्रसाद शर्मा)

अन्दाजों से अगर हम अण्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड चलाए और इसमें कई करोड़ रुपयों की पूंजी लगाए और उसके बाद में जब बोर्ड काम करे और २०-२५ लाख रुपए का हर साल का घाटा है और इतना रुपया हम सरकारी मशीनरी पर लगाते हैं फिर भी उसका हिसाब नहीं मिले तो....

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : सभापति महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। सभापति महोदय, अभी इस सदन के सामने लगभग ५-७ हजार किसान सरकार ने अभी छोटी जोतों पर लगान लगाने की घोषणा की है उस प्रश्न को लेकर, सरकार ने जो सीलिंग कानून को लागू करने में लगातार देरी की है उस बारे में, आज गंगानगर जिले में जो जमीन की नीलामी के आदेश दिये हैं उसके खिलाफ भूमिहीन किसान जमीन के बंटवारे के सवालों को लेकर, बैटरमेन्ट लेवी के सवाल पर जो सिंचाई की दरों में बढोतरी की है इन तमाम सवालों पर आज राजस्थान भर से किसान बड़ी तादाद में यहां आकर इकट्ठा हुए हैं। किसानों में बहुत भारी असन्तोष है कि यह सरकार लगातार किसान विरोधी नीति अपनाती आ रही है आम चुनाव के बाद जो इन्होंने अनआर्थिक जोतों पर लगान बढ़ाने की घोषणा की है जो कि पहले नहीं है उसको वापिस लागू कर दिया इससे किसानों में बड़ा क्षोभ पैदा हुआ है। वह बहुत बड़ी तादाद में यहां इकट्ठे होकर आये हैं और वे सरकार से यह मांग करना चाहते हैं कि सरकार ने जो वापिस इस तरीके से अनआर्थिक जोतों पर लगान वापिस लागू किया है उसको फिर से सरकार को वापिस लेना चाहिए।

(२.३३ म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई उपाध्यक्ष, पदासीन)

यह किसानों के साथ अन्याय है, विश्वासघात है और धोखा है और राजस्थान के दो करोड़ किसानों के साथ सरकार ने विश्वासघात किया है जिसको किसान बरदाश्त नहीं कर सकते। वह किसान नारा लगाते आ रहे हैं कि या तो सरकार इस बात को माने नहीं तो हम सरकार को बदल कर छोड़ेंगे। वे इस प्रकार का नारा लगाते हुए आ रहे हैं। वे सरकार के पास डिमान्ड पत्र लेकर आये हैं और इस विधानसभा के समक्ष उसको रखना चाहते हैं इसलिए मैं चाहूंगा कि इस सरकार के प्रतिनिधि चलकर उन किसानों से मिलें उनकी जो समस्यायें हैं उनको सुनें। उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर डूंगरपुर के किसान आये हैं, भरतपुर जिले के किसान आये हैं....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री रामानन्द अग्रवाल : दूसरे जिलों के किसान आये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज आप अवहेलना कर रहे है आसन की। आपने कह दिया कि एक जुलूस आ रहा है।

(श्री उपपाध्यक्ष)

अभी बहस कटौती प्रस्ताव पर चल रही है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि वह हजारों मील से चल कर आये है । सरकार जो कि वोट लेकर आई है उनके घरों पर जा जा कर और रात को १२-१२ बजे जाकर उनकों जगाया है । तो वह हजारों मील से चलकर आये हैं । सरकार के प्रतिनिधियों को जाकर उनसे मिलना चाहिए और उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए । इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आप आदेश दें इस सरकार को कि उसके प्रतिनिधि जाकर उनसे मिलें ।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में भी किसानों के सम्बन्ध में बहस चल रही है और इस सदन में इधर बैठने वाले और उधर बैठने वाले माननीय सदस्य भी किसानों का नारा रोज देते हैं । आज जब किसानों के मसले पर बहस हो और किसानों की तकलीफों की बात कही जाये और किसान हजारों की तादाद में विधान सभा के सामने आकर अपना दुख रोने आयें और यह कहने आयें कि यह वह सरकार है जो सदन में कहती है कि हम किसानो का दुख दूर करेंगे और अनआर्थिक जोतों से लगान वापिस लेते हैं, किसानों की सुविधाओं की बातें कहते हैं और आज किसान आपके दरवाजे पर चलकर आये हैं और वह किसान जो कि राजस्थान में इस राज्य का मालिक है वह अपनी बात कहने आये और सरकार के प्रतिनिधि उनके पास जायें नहीं मैं निवेदन करूंगा कि आज जो हजारों की तादाद में विभिन्न जिलों से किसान आये हैं और आज यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि इधर बैठने वाले राजस्व मंत्री जी बिराजमान हैं वह श्रमिकों के नेता बनते हैं और कृषि मंत्री भी जो किसानों के नेता बनने का दावा करते हैं वह कम से कम इस दकियानूसी बात को छोड़ दें कि मुख्य मंत्री जी का इशारा नहीं हुआ तो कैसे उनसे मिलने के लिए जायें— वे दोनों वहां पर जायें और किसानों की बातें सुनें । चीफ मिनिस्टर साहब कहते हैं कि किसान लगान देना चाहता है और आज वही किसान आपके सामने आये हैं यह कहने के लिए कि उनके ऊपर से यह लगान हटाया जाये तो इसका फैसला इस सदन के बाहर जाकर करें और उन किसानों से पूछें कि क्या आप अनआर्थिक जोतों पर लगान देना चाहते हो........

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री नत्थीसिंह : इस सदन में किसानों की बातें कहकर किसानों के प्रति विश्वासघात और कुठाराघात करते हैं तो आज यह फैसला होगा । इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि कृषि मंत्री जी और राजस्व मंत्री जी उनसे जाकर मिलें और उनकी बातें सुनें ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें ।

श्री रामकिशन : यह सरकार बिल्कुल सो गई है क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, सुन रही है ।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के सुदूरवर्ती गांवों से चलकर बहुत से किसान यहां आये हैं और वह इस सरकार के सामने अपनी समस्यायें रखना चाहते है। वह बतलाना चाहते हैं कि इस प्रशासन की तरफ से क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानियां हैं। यह सरकार बार बार यह कहती है कि वह मजदूरों, पिछड़े वर्ग, आदिवासी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों के लिए हमदर्दी रखती है लेकिन इससे जाहिर है कि आज जो लोग दूर दूर से पिछड़े वर्ग के लोग, मजदूर और किसान लोग आये हैं उनकी आवाज को सरकार नहीं सुनना चाहती है तो सरकार की किसानों के प्रति कोई निष्ठा नहीं है........

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर.

श्री दौलतराम सारण : आज वह लगान के बारे में कहने आये हैं। अल्प आय वाली जोतों के सबंध में कहने आये हैं........

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, संक्षेप में कहें।

श्री दौलतराम सारण : और वह खेती बाड़ी की जो समस्यायें हैं उनके बारे में कहने आये हैं। इसलिए मैं शासन के प्रतिनिधियों से निवेदन करूंगा कि वह उन किसानों के पास जाकर उनकी बातों को सुनें। अगर नहीं सुनना चाहते हैं तो इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि यह शासन उनके प्रति जिम्मेदार नहीं है, उनके ऊपर निष्ठा नहीं रखता है, उनमें कोई विश्वास नहीं है, यह इससे साफ जाहिर है।

श्री मदनसिंह दांता (दांतारामगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय ....

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोकुलप्रसाद शर्मा।

श्री मदनसिंह दांता : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में आगे कहना चाहता हूँ। इन किसानों को यहां आने की आवश्यकता नहीं थी लेकिन यह चेलेन्ज दिया गया था चीफ मिनिस्टर के द्वारा कि आज राजस्थान में कोई भी ऐसा किसान नहीं है जो कि लगान देने से इन्कार करे। अगर यह प्रचार नहीं होता, और यह उनकी घोषणा नहीं होती तो आज यह यहां नहीं आते। इसलिए सरकार का फर्ज है कि हजारों की संख्या में किसान भाई खड़े हैं या तो मन्त्री महोदय वहां जायें और उनसे मिलें नहीं तो मुझे इजाजत दें मैं उन्हें यहां ले आऊं। आज दोनों में से एक डिवीजन होगा क्योंकि वह बराबर आपके दरवाजे पर खड़े हैं। राजस्थान के रेवेन्यू मिनिस्टर हमेशा यह कहते हैं कि हम किसानों के सेवक हैं। आप मेरे साथ चलें कोई डर नहीं होगा। अगर आप उनकी मांग स्वीकार नहीं करें तो कम से कम आपको जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे वह भाषण याद है जब कि ये कहते थे कि राजाओं के द्वारा पर हम हजारों की संख्या में जाते हैं और

(श्री मदनसिंह दांता)

राजा महाराजा महलों में बैठे हैं। आज मन्त्री महोदय राजाओं से भी बड़े राजा बन गये हैं कि जो बिल्कुल लेट रहे हैं या इनको चिन्ता नहीं है। यह बड़े शर्म की बात है कि हजारों की संख्या में आज आपके किसान आपके सामने आये हैं और....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री मदनसिंह दांता . आपका आर्डर है तो बैठता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा वापस प्रारम्भ होती है मांग पर। श्री गोकुल प्रसाद।

श्री रामकिशन : माननीय उपाध्यक्ष।

श्री रामचन्द्र आर्य। आज बिल्कुल अजीब बात है....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज....

श्री रामचन्द्र आर्य : राजस्थान के काश्तकारों पर लगान माफ किया था उसको फिर दुबारा लगाकर सरकार ने गुनाह किया है इसलिए काश्तकारों से जाकर नहीं मिलते हैं। अगर वे नहीं मिलते हैं तो काश्तकार राजस्थान का बगावत करेगा और उस बगावत को कोई रोक नहीं सकता।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था....

श्री उपाध्यक्ष : वापस चर्चा चालू होती है।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): एक मिनिट, माननीय उपाध्यक्ष।

श्री उपाध्यक्ष। समय का ख्याल रखें माननीय सदस्य।

श्री मदनसिंह दांता : सारे नियम इन्हीं के लिए बने हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यों ने अपनी अपनी बातें कह दीं। सरकार के मन्त्री बाहर नहीं जाना चाहते हैं तो....

श्री नत्थी सिंह : कुछ कहें तो सही। अगर नहीं आना चाहते हैं तो न आयं।

श्री मदनसिंह दांता : नहीं जाना चाहते हैं तो हम जाना चाहते हैं।

श्री जयनारामण सालोदिया : माननीय उपाध्यक्ष, एक मिनिट के लिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं....

श्री दौलतराम सारण : वायदा बदलने से शर्म आती है इसलिए नहीं जाते है या भय लगता हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री रामचन्द्र आर्य : जनता को....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री रामचन्द्र आर्य : ये जांय तो किस मुंह से जायं। शर्म ही नहीं आती है इनको। बार बार घोषणा करते हैं और फिर वापिस ले लेते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : जितना समय है वह उस दल के समय में से काटा जायगा जिसके कि माननीय सदस्य बोल रहे है।

श्री जयनारायण सालोदिया : एक मिनिट के लिए, माननीय उपाध्यक्ष, यह प्रश्न बहुत गम्भीर प्रश्न है, इसलिए मुझे भी दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : गम्भीर प्रश्नों के लिए नियम और व्यवस्थाएं बनी हुई है उसके अनुसार उन्हें लाया जा सकता है।

श्री जयनारायण सालोदिया : माननीय उपाध्यक्ष, नियम तो हम हाउस में मैंटेन कर सकते है, लेकिन जो हाउस के बाहर होती है प्रक्रिया उसके सम्बन्ध में यहां...

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री जयनारायण सालोदिया : एक मिनिट।

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनिट हो गया। आर्डर।

श्री डूंगाराम राजोरिया : किसान वर्ग यहां आया हुआ है उसकी आवाज को यहां....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री डूंगाराम राजोरिया : उठाना हमारा कर्तव्य हो जाता है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बारबार नियमों की अवहेलना करेंगे तो (कुछ माननीय सदस्यों के बोलने पर) आर्डर प्लीज।.... तो बाध्य होकर यह कहना पड़ेगा कि यह जो आपने भाषण दिये हैं इसकी प्रेस रिपोर्टिंग न करें फिर क्यों होगा ?

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : क्या हम प्रेस रिपोर्टिंग के लिए कहते हैं। यह तो जनता का दर्द है।

श्री उपाध्यक्ष : (श्री मदनसिंह दांता के खड़े होने पर) आर्डर प्लीज, माननीय मदनसिंह, आप बारबार आसन के आदेशों की अवहेलना कर रहे हे।

श्री मदनसिंह दांता : आसन के आदेशों की अवहेलना नहीं कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप आसन की बराबर अवहेलना कर रहें है। माननीय गोकुल प्रसाद।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : मैं यह निवेदन कर रहा था कि कृषि के अन्दर जो खर्च किया जा रहा है....

श्री रामकिशन : माननीय उपाध्यक्ष, प्रश्न यह है कि सरकार चुप क्यों है ?

Page No.128

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से यह अपील करूंगा कि यह सदन के फ्लोर का कहा जाय दुरुपयोग है तो अनुचित नहीं होगा। माननीय सदस्यों द्वारा बाहर जो एक जलसा आया है उसका सदन के अंदर एक वातावरण बनाया जाय मैं समझता हूं उपयुक्त बिल्कुल नहीं हैं। और जो चर्चा चल रही है उस पर विचार करें और मामला गम्भीर है तो उसके बारे में सदन के नियम काफी लचकीले हैं इस मायने में और किसी तरह से उठा सकते हैं। और मौके पर रखा जा सकता है। लेकिन इस तरह से सदन के काम में बाधा उपस्थित नहीं करना चाहिये। यह मैं सहयोग की आशा लेकर आप से निवेदन कर रहा हूं।

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि हम सहयोग देते रहे हैं हमेशा।....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार) : उपाध्यक्ष महोदय, यह आपने अभी यह कहा कि नियमों की अवहेना नहीं करनी चाहिए और निर्धारित....

श्री उपाध्यक्ष : यह आपने सुबह भी प्रस्ताव रखा था नियमों की अवहेलना करके कम से कम आज तो....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं इन सब बातों को मानता हूं कि प्रश्न दूसरा चल रहा था और यहां पर श्री गोकुलप्रसाद जी वाद-विवाद में भाग ले रहे थे और अपना भाषण दे रहे थे और दूसरे माननीय सदस्य ४-५ बोल लिये है, और एक नया विषय बीच में आ गया है,. यह सब प्रक्रियाओं के विरुद्ध है, ऐसा आपका मानना है, लेकिन गवर्नमेंट को क्या काठ मार गया है कि वे खड़े होकर यह नहीं कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से कि यह प्रक्रियाओं के खिलाफ है, व्यवस्था का सवाल है। आपको बीच में कनफिलक्ट में आने की क्या जरूरत है। सरकार ने आपत्ति नहीं की कि यह बीच में विषय आगया है और उस पर चर्चा चलने दी। सरकार की तरफ से कोई मन्त्री खड़ा नहीं होता है, न कोई बोलता है, न कोई पाइंट आफ आर्डर उठाता है, न कोई इन्टरप्शन करता है, न कोई चेयर से प्रोटेक्शन सीक करता है। उनकी तरफ से कुछ नहीं होता है और घेंघें की जात बैठे हैं। वे आपके और हमारे बीच में फर्क डलवाना चाहते हैं। चेयर का काम तो यह है कि वह डिबेट को रेग्युलेट करे। वे चाहते हैं कि इस तरह से इस विषय पर चर्चा होती रहे। गवर्नमेंट को चिन्ता नहीं कि जो बोल रहे हैं वे क्यों बोल रहे हैं। खड़े होकर राजस्व मन्त्रीजी को कहना चाहिए, व्यवस्था का सवाल खड़ा करना चाहिए था सरकार की तरफ से....

श्री उपाध्यक्ष : आयन्दा आपका सुझाव मान कर कार्य करेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसलिए मैं कहता हूं कि आपका अधिकार क्षेत्र तो यह है कि आप डिबेट को रेग्युलेट करें। सरकार को कोई आपत्ति नहीं है....

श्री उपाध्यक्ष : और नियमों का उल्लंघन होता रहे तो उसकी पालना करवाई जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपको कनफ्लिक्ट में नहीं आना चाहिए। यह सरकार चाहती है कि आप अनपापुलर हों। हम नहीं चाहते हैं कि आप अनपापुलर हों।

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसलिए आपको कनफ्लिक्ट में आने की आवश्यकता नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, सवाल सिर्फ यह नहीं है कि एक डिमान्स्ट्रेशन आया है। इसकी एक पृष्टभूमि है कि सरकार ने जब छोटी जोतों पर लगान वापिस लगाया तो यह एलान किया था कि हमें जानकारी मिली है कि किसानों में से कोई भी इस लगान की माफी नहीं चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं कि यह झूंठ है। किसान पसंनली माननीय सदस्यों के सामने या सारा सदन चले वहां पर और किसानों से खुद से जानकारी करे कि किसान छोटी जोतों पर लगान की माफी चाहते हैं या उनको डर है कि उनकी जमीन छिन जाएगी और उन्होंने वापिस रिक्वेस्ट की है कि लगान को लगा दो। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि आखिर सरकार को अपना दृष्टिकोण तो इस बारे में रखना चाहिये। आपके द्वारा सरकार से कहना चाहता हूं कि सरकार का इसमें क्या कहना है। सदन में या तो वे इस बात से इन्कार करे तो दूसरी लाइन आफ एक्शन तय करेंगे, लेकिन सरकार का कोई रिप्लाई, कोई दृष्टिकोण इस बारे में आना चाहिए और बताना चाहिए कि वे क्या कहना चाहते हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (राजस्व मंत्री) : माननीय उपाध्यक्षजी, इस बारे में एक परिपाटी है कि जहां तक सदन की प्रक्रिया का सम्बन्ध है वहां तक तो यह बहस बहुत हो चुकी है और जहां तक सरकार का निर्णय है उसके बारे में निर्णय लिया जा चुका है। सिर्फ यह है कि कोई मेमोरेण्डम तकलीफों के बारे में जो कोई भी इस प्रकार की मांगें आई हों तो ५ प्रतिनिधि उसमें से आकर अपनी बात कह सकते है और मिल सकते हैं। मैं अपने कमरे में मौजूद हूं। वहां जाकर उनकी बात सुन सकता हूं। सदन के बीच इसके उठाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री रामकिशन (वैर) : मेरा इस सम्बन्ध में यह निवेदन करना है कि माननीय मंत्रीजी ने जो कुछ कहा है उससे हम सहमत हैं, लेकिन यह कौन सी परम्परा या संविधान की कौन सी धारा है कि जिसमें यह लिखा हुआ है कि मंत्रीजी से ५ ही आदमी मिलें। यह मेरी समझ में नहीं आता कि परम्परा क्या है। जब जनता को तकलीफ हो तो वे कहने आते हैं जब चुनावों का समय आता है तो मंत्री उनके घर पर नहीं जाते, उनके दरवाजे पर नहीं जाते बल्कि उनकी खाट के नीचे बैठ जाते हैं और वे कहते हैं कि आप ऊपर बैठो तो वे कहते हैं कि मैं तो नीचे ही ठीक हूं। (हंसी) आज कहते हैं कि चैम्बर में मिल लो। यह लोकतन्त्र में कौन सी परम्परा है। मैं लोकतन्त्र की बात नहीं कहता भरतपुर में एक प्रदर्शन हुआ

(श्री रामकिशन)

था तो भरतपुर का राजा भरतपुर से डीग २० मील आया था प्रदर्शनकारियों से मिलने के लिए। वह तो एकतन्त्र राज्य था, लोकतन्त्र नहीं था। उसे प्रदर्शन से कोई मतलब नहीं था।

तो मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वे डरें नहीं हम हिंसात्मक लोग नहीं हैं। आपका इतना ही कह देना कि लगान दे दो नहीं तो जमीन चली जायगी। आप कहते हैं कि हाउस में तो बात मत करो, चेम्बर में चलो यह कैसी बात है। इसमें आपकी कौनसी परम्परा है कि मन्त्री जी बाहर नहीं जा सकते। लोकतन्त्र के रक्षक के नाते मैं कहूंगा कि मन्त्री जी किसानों से जाकर मिलें उनका दृष्टिकोण समझें, अपना दृष्टिकोण उनको समझावें: यह बात नहीं है कि वे कहें उसे मान ही लें। यह लोक तन्त्र की प्रक्रिया है लेकिन मन्त्री जी डरते हैं। बाहर जाकर उनको उनसे मिलना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोकुल प्रसाद।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सरकार के रुख पर हम एतराज करते हैं और उसके विरोध स्वरूप वाक आउट करते हैं। (सदन से बहिर्गमन करते हैं)

श्री दौलतराम सारण : विरोध प्रदर्शन करने हेतु हम बहिरगमन करते हैं।

(श्री दौलतराम सारण, श्री नत्थसिंह, श्री रामचन्द्र आर्य, श्री रामकिशन सदन से बहिर्गमन करते हैं)

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा (बीकानेर): उपाध्यक्ष महोदय, अण्डर ग्राउण्ड वाटर बोर्ड में घोटाला मालूम पड़ता है। इस बारे मैंने काफी कहा है। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि हिसाब ठीक करें।

कृषि शिल्प शाला में हर साल घाटा जाता है। यन्त्र बनते हैं या किस कारण घाटा जाता है। घाटे नफे की बात करते हैं तो कार्माशियल डिपार्टमेन्ट की तरह से घाटे नफे का हिसाब आना चाहिए जिससे हर साल पब्लिक को मालूम हो जाय कि फलां काम में नुकसान होता है। रेवेन्यू के साथ साथ रखते हैं तो टैक्स बढ़ाया या और कुछ किया लेकिन सुधार की आवश्यकता नहीं समझी। कृषि शिल्प शाला में और अंडर ग्राउन्डर वाटर बोर्ड में सुधार करना चाहिए।

दूसरा मेरा यह निवेदन है कि मन्त्री जी बतादें यह रसोई घर क्या है, विज्ञान क्या है और कहां चलता है। गृह विज्ञान कहां चलता है और कहां इस पर खर्च होता है। कृषि शिल्प शाला का बजट अब लाखों से ऊपर जाता है जो हजारों तक ही था। कहीं तो आप हाथ रखेंगे या ये बढ़ते ही जायंगे। यदि कर्जा मिलता जाय और उसको इस प्रकार खर्च करते जायं और योजना का पैसा खर्च करना है उसमें बुद्धि का उपयोग नहीं करें जहां मन में आया वहीं

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

खर्च कर दिया तो समझता हूं यह हमारे किसी काम का नहीं है। मुझे लगा अजीब सा कि रसोईघर में हजारों रुपये खर्च होते हैं पर यह है कहां ?

इसी प्रकार मैं पशु पालन विभाग के में बारे अर्ज करना चाहता हूं। पशु पालन विभाग के दो डाइरेक्टर बना दिये । हरेक विभाग में चाहे माइनिंग हो, चाहे कृषि हो सब में जिस विषय का जानकार हो उसीको डाइरेक्टर बनाते है। उस व्यक्ति को विभाग की जानकारी होगी तभी वह अच्छी तरह से विभाग का काम चला सकता है। लेकिन इसमें आपने एक भेड़ ऊन विभाग अलग बनाया है जिस पर काफी पैसा सरकार का खर्च होता है और अब तक करोड़ों रुपयों का नुकसान इसमें कर चुके है और जिस व्यक्ति को इस काम की जानकारी नहीं है। उसको आपने डाइरेक्टर बना दिया। पशु पालन विभाग का खर्चा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। भेड़ ऊन विभाग के डाइरेक्टोरेट पर ४ लाख रुपये खर्च होते है : एक ही मकान में बैठकर क्या डाइरेक्टरी अलग चलाते हैं । खाली कागजी कार्यवाही से काम नहीं चलेगा। पशु पालन विभाग जितना पैसा खर्च करता है उपाध्यक्ष महोदय उस पैसे का अन्दाजा लगाया जाय तो पशु पालन विभाग में ऊन का जितना वर्गीकरण केन्द्र है और उनमें ऊन खरीदने के बाद कताई छंटाई पर जो पैसा खर्च होता है वह हमारे पशु पालन विभाग का लगता है और बाकी खर्चा भेड़ ऊन विभाग में लगता है। ऐसा कोई उद्योग देखने में नहीं आया होगा जिसमें रुई खरीदी जाय वह तो केपिटल खाते में खर्चा मांडा जाय और कपड़ा बने वह उद्योग की आय में लगे, मेनुफेक्चरिंग पर जितना खर्चा लगे उसको कह दिया जाय कि हमने सिलाने में लगाया है। इनका यह सब खर्चा पशु पालन विभाग देता है। ऊन कच्ची और पक्की बेची जाय उससे जो घाटा हो उसको और ऊनकी छंटाई सोर्टिंग आदि का खर्चा पशु पालन विभाग क्यों देगा ? भेड़ ऊन का जो अलग विभाग है क्यों नहीं देगा ? वह नफा करके वह कहे कि हमने ऊन खरीदी और साफ करके उसको बेच दिया उसका सारा खर्चा रेवेन्यू में जायगा। ३० लाख रुपये हर साल इसमें जाते हैं। यह बिल्कुल गलत है ? आप उत्तर दें कि किस कारण यह किया गया है। आप उससे क्यों बचना चाहते हैं। क्या इस लिए कि घाटे को इसमें से कम कर दें तो कम दिखाई देगा ? मैं अर्ज करना चाहता हूं कि पशु पालन विभाग द्वारा पशुओं के उत्थान के लिए खर्चा किया जाता है। गोशाला के लिए खर्च किये गये १ लाख २१ हजार रुपये। इससे गौ सदन भी चलेगा, पशु मेले भी होंगे और गायों की डेरी भी होगी लेकिन कुक्कड़ शाला के लिए १२ लाख रुपये आपने रखे हैं। राजस्थान में इतने तो कुक्कड़ भी नहीं हैं और यदि हैं तो १२ लाख रुपये किसमें खर्च होंगे ? योजनाओं में हमने एक और खर्चा किया है। भेड़ की ऊन लायेंगे उसकी कटाई, छटाई और ग्रेडिंग करेंगे। इसके अलावा भेड़ के उत्थान के लिए १० लाख रुपये भी

(श्री गोकुल प्रसाद शर्मा)

रखे हैं। मुर्गों के लिए १२ लाख रुपये रखे हैं। सांडों के लिए १ लाख रुपये रखे हैं और गायों के लिए १ लाख २० हजार रुपये रखे हैं। जैसे गाय और सांड तो कुछ है ही नहीं। इसके अलावा सूअरों के विकास के लिए ७ लाख १४ हजार रुपये रखे हैं। आप सूवरों का भी विकास करेंगे, अब तो रह गया एक ही जानवर जो बहुत काम का है कुम्हार उस पर हांडे लाद कर बाजार में बेचने आता है, ईंटे लाद कर लाता है। उस गधे के विकास के लिए और जोड़ दीजिये।

श्री मदनसिंह दांता : इसके लिए मन्त्रिमण्डल का एक्सटेन्शन कर दें।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : आप न बोलें तो अच्छा है। आप तो बैठे हुए ही अच्छे लगते हैं।

ऊंट नस्ल सुधार के लिए आपके ३ लाख ८० हजार रुपये खर्च होते हैं। बीकानेर से कुछ दूरी पर ऊंट विकास केन्द्र खोल रखा है। उसके बाहर वाइट फेंसिंग किया गया है। गायें उधर चरने आती हैं तो फाटक में डाल दी जाती हैं और रोज झगड़े होते हैं। ऊंट सुधार केन्द्र को ५० मील दूरी पर ले जाना चाहिए। वहां पर अभी जितनी जमीन इसके लिए दी है उससे चौगुनी जमीन मिल सकती है, लेकिन उनको तो शहर वालों को अच्छी तरह से रहने नहीं देना है। बाहर से देखने के लिए आने वालों को स्टेशन के पास ही दिखाना चाहते हैं कि हमारे यहां केमल ब्रीडिंग फार्म है। बाहर वाले स्टेशन से आये और उनको दिखा दिया। उनकी बला से शहर वाले चाहे कहीं भी जायें। घुमक्कड लोगों के लिए जो रकम रखी गई है उससे बहुत कम रकम इनके काम आती है और बाकी गायब हो जाती है। मुझे कहना नहीं चाहिए कि बेइमानी करते हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि बेइमानी की हद है। मन्त्री जी यदि जांच करेंगे तो आज भी कागज पर झूठे अंगुठे हुये मिलेंगे। जो लोग गांव में रहते ही नहीं हैं, पैदा भी नहीं हुए हैं उन लोगों के पशुओं का उत्थान इस पैसे से होता है यदि सबूत चाहे तो मैं चांच कराने के लिए तैयार हूं। सबसिडी की झूठी रकम दिखाकर खर्चा बता देते हैं लेकिन उन लोगों को कोई नहीं देता, बीच में ही रकम उड़ जाती है। कहां गई यह रकम इसका पता नहीं।

(३ म. प.)

मैं इसके बाद थोड़ा सा डेअरी के बारे में निवेदन कर दूं। मैं कहना चाहता हूं, उन उद्योगों के बारे में, जो कि राजकीय उद्योग चलते हैं, मैंने कहा था लेकिन आज मैं डेअरी के बारे में और जानकारी लेकर आया हूं। जयपुर के अन्दर जो डेअरी चलती है, उसके लिए मन्त्री महोदय ने बताया कि उसकी कैपेसिटी है बीस हजार लीटर की। लेकिन क्या उसका कोई फार्म बना हुआ है। जयपुर डेअरी जो बीस हजार लीटर की एक यूनिट है, उस पर बीस

(श्री गोकुल प्रसाद शर्मा)

हजार लीटर की कैपेसिटी के हिसाब से खर्च किया जाता है लेकिन उसमें छः हजार, सात हजार लीटर ही दूध आ पाता है लेकिन खर्च बीस हजार लीटर का ही लगता है, इसलिए पर लीटर खर्च भी ज्यादा लगता है। मैं समझता हूँ कि यह नान मैनेजमेंट का तरीका है, एक गलत तरीका है और इस कारण इस व्यापार में नुकसान होता जा रहा है। आज स्थिति यह है कि पांच हजार लीटर से ज्यादा दूध नहीं बेचा जाता है और दो हजार लीटर जानबूझ कर अलग रख दिया जाता है और दो हजार लीटर दूध रख कर उसका घी निकाला जाता है और इस घी को बेचा जाता है। घी निकालने में काफी खर्च आता है, क्योंकि वह दो हजार लीटर से निकाला जाता है लेकिन उसको दस रुपये कुछ पैसे किलो के भाव से बेचा जाता है और इसको उन्हें जहां-जहां अपने-अपने लोगों को पहुंचाना चाहिए वहां-वहां पहुँचा देते हैं, जैसा कि अंग्रेजों के राज्य में होता था और उससे रोजाना काफी नुकसान होता है क्योंकि दो हजार लीटर दूध रोज रख लिया जाता है। आपको डेअरी चलानी है वास्तव में, आपको मजाक नहीं करनी है। लोगों में यह ख्याल पैदा हो गया है कि जो भी सरकारी व्यवसाय चल रहे हैं वह घाटे में चलते हैं। मैं समझता हूं कि इस विभाग में भी बुद्धिमान लोग हैं और उनसे काम लिया जा सकता है और इसको अच्छी तरह से चलाया जा सकता है। इसके अलावा जितना पांच सात हजार लीटर दूध आता है मैं समझता हूं, उसके लिए पांच सौ या हजार गाय भैंस काफी हैं। लेकिन आपके पास पांच सौ या हजार गाय भैंस रखने के लिए कोई जमीन नहीं है, कोई फार्म नहीं है। आपके पास में काफी जमीन है, उसमें ऐसा फार्म हो, जिसमें आप कुए खुदवायें, ट्यूब वैल्स खोदे जायं और कैटल रखे जाय तो कुछ हजार रुपयों में आप देखिये कि पूरे जयपुर शहर के लोगों को दूध मिलता है। अभी जो जगह-जगह से दूध आता है, कहीं से सौ लीटर कहीं से दो सौ लीटर और इस तरह जो दूध इकट्ठा होता है, उसमें भेड़-बकरी, गाय-भैंस सबका दूध सम्मिलित होता है। क्या कोई इस सम्बन्ध में आप ध्यान देते हैं ? तो इसकी ओर सरकार को देखना पड़ेगा कि क्यों यह व्यापार घाटे मे चलता है और क्यों लोगों को दूध नहीं मिलता है। अभी जो दूध मिलता है उसमें सारे जानवरों का दूध मिलाया जाता है, इसको रोकिये और आप अच्छी व्यवस्था चलाइये। मैं समझता हूं कि आपके पास में अच्छे आदमियों की कमी नहीं है लेकिन अच्छे आदमी इस जगह पर रखे नहीं जाते हैं, उनको रख कर आप इस व्यापार को चलाइये। मेरा निवेदन है कि जो मन्त्री हैं, वह कोई नये नहीं है, वह पुराने कार्यकर्त्ता है, उनको इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए क्योंकि जितना घाटा हुआ है स्टेट ट्रेडिंग में, मैं समझता हूं, यह वर्कर्स और कार्यकर्त्ताओं के लिए शर्म की बात है। आप महनत से और ठीक तरह से काम कराइये, यही मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह !

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस मांग के सम्बन्ध में अपने आपको केवल भेड़-ऊन विभाग ही तक सीमित रखूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में भेड़-ऊन का काम जिस स्थिति में चल रहा है, उससे मैं समझता हूं, इस सदन के सदस्यों को और स्वयं माननीय मन्त्री महोदय को संतोष नहीं होगा। सारे देश की ऊन का ४५ पर्सेन्ट ऊन राजस्थान से मिलता है। इससे इस बात का अन्दाजा लगाया जा सकता है कि इस विभाग की कार्यवाहियां राजस्थान की व राजस्थान की जनता की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कितनी सक्षम हो सकती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि एक ओर हम पैसा तो खर्च करते जाते हैं लेकिन पैसे का फल जिस गति से हमें मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाता है। सन् १६६३ में हमने भेड़ और ऊन के सम्बन्ध में एक इन्टेग्रेटेड प्लान को स्वीकार किया था, इस प्लान के अन्तर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ से हमें सहायता मिली, एक्सपर्ट्स मिले, कुछ एडवाइजर्स मिले। और आस्ट्रेलियन सरकार ने इस योजना को सफल बनाने के लिए समय-समय पर हमें हर प्रकार से एडवाइज किया। इस एडवाइज के बावजूद जहां इन एडवाइजर्स के ऊपर जो राजस्थान में मेरी जानकारी के अनुसार, जिन्हें एक्सपर्ट्स कहें या एडवाइजर्स कहें, चार व्यक्ति संयुक्त राष्ट्र संघ और आस्ट्रेलियन सरकार की तरफ से नियुक्त हैं, इन पर प्रति व्यक्ति प्रति माह में लगभग दस हजार रुपया का खर्च आता है और इससे इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है कि आज संयुक्त राष्ट्र संघ और आस्ट्रेलियन गवर्नमेंट इतना पैसा खर्च करने के बावजूद, वह पैसा खर्च करके राजस्थान के क्षेत्र में भेड़ व ऊन को विकसित करने की कितनी चिन्ता रखती है, लेकिन दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि न केवल सरकार के मंत्री उससे असन्तुष्ट रहे हैं, इस सीमा तक गलत कार्यवाहियां की हैं, बल्कि हमारी गलत कार्यवाही इस सीमा तक पहुंच गई है कि यह एडवाइजर्स अब इस बात की चिन्ता में लगे हुए है कि हम राजस्थान को छोड़ कर किसी दूसरे प्रदेश में भेड़-ऊन की कार्यवाही चालू करें। मेरी जानकारी के अनुसार, पंजाब, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और गुजरात इन सब सरकारों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के इन एडवाइजर्स को अपने प्रदेश की स्थिति बतलाकर अपने यहां पर यह इन्टेग्रेटेड प्लान्स की स्कीम को लागू करने के लिए प्रेरित किया है और उस प्रेरणा के फलस्वरूप पंजाब के अन्दर यह लोग जा रहे हैं, और चण्डीगढ़ कुछ समय के बाद अपने को शिफ्ट कर लेंगे और यह बिलकुल असन्तुष्ट होकर जा रहे हैं कि राजस्थान में जिस स्कीम को हाथ में लिया है उस स्कीम में हमें बिल्कुल सफलता नहीं मिली। उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन को सुन कर चिन्ता होगी कि अगर यह इन्टेग्रेटेड प्लान राजस्थान में स्वीकार हो जाता तो संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से आस्ट्रेलियन गवर्नमेंट जो शीप ब्रीडिंग फार्म राजस्थान में खोलना चाहती थी, जिसमें तीन करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट होता, जिसमें आस्ट्रेलियन सरकार और संयुक्त राष्ट्र संघ के खर्च के

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

ऊपर लाखों रुपये की मशीनरी आती, एक्सपर्ट्स आते, एडवाइजर्स आते और जो आस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट मेरिनो शीप को एक्सपोर्ट नहीं करती है, वह मेरिनो शीप दरअसल शीप की नस्ल सुधार के लिए बहुत लाभदायक है, यह राजस्थान की नस्ल सुधारने के लिए उपलब्ध हो जाती। लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है और राजस्थान की सरकार के लिए शर्म की बात है कि करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद भी वह शीप ब्रीडिंग फार्म की बात राजस्थान में मेन्टेन नहीं कर सकी और अब वह हरियाणा में चालू कर दिया गया है। अगर वह फार्म खुलता तो ४५ पर्सेन्ट राजस्थान का ऊन, जो भारत की पूरी वूल का महत्वपूर्ण शेअर है, उसकी कितनी प्रगति होती और भेड़ पालकों को कितनी सहायता होती लेकिन हमारी सरकार इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कर पाई है। मैंने इस सरकार के सब आंकड़ों को देखा है और देखने के बाद कितना रुपया इन्होंने खर्च किया है और खर्च करने के बाद किस नतीजे पर यह पहुंची है उसको देख कर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह राजस्थान सरकार के लिए शोभा की बात नहीं है कि लाखों-करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद वह भेड़ों की ऊंचाई के अन्दर कुछ वृद्धि कर पाई हो वह ऊन के तार की लम्बाई मे कुछ वृद्धि कर पाई हो, ऊन की क्वालिटी में कुछ वृद्धि कर पाई हो। आप कह सकते हैं कि हमने कुछ जिलों के अन्दर कुछ काम चालू किया है, आप कह सकते हैं कि हमने कुछ विकास केन्द्र खोले हैं, आप कह सकते हैं कि हमने ऊन के वर्गीकरण की योजना के अन्तर्गत कुछ सेन्टर्स खोले हैं, आप कह सकते हैं कि हमने कुछ कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया है, आप कह सकते हैं कि हमने कुछ प्रजनन केन्द्र खोले हैं, आप कह सकते है कि हमने कुछ भेड़-पालकों को पंजीबद्ध किया है और इस प्रकार से अन्य खर्चा भी हमने किया है। लेकिन इसके उपरान्त भी यह कहने की स्थिति में नहीं हैं कि हमने इस विषय में कितनी प्रगति की है, भेड की क्वालिटी कितनी बढ़ी है, ऊन की क्वालिटी कितनी बढ़ी है ? उपाध्यक्ष महोदय, आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि १९६६-६७ तक इस शीप ब्रीडिंग फार्म के ऊपर ११ लाख ५६ हजार खर्च किया है और इस खर्च मे हमने १ लाख १७ हजार मेढ़े तैयार करके भेड़-पालकों को दिये हैं। आपको सुनकर ताज्जुब होगा, मैंने हिसाब लगाया तो एक मेढ़े पर लगभग चार हजार रुपया खर्च आता है, अगर चार हजार में एक मेढ़ा तैयार करें और उसके बावजूद भेड़ और ऊन की क्वालिटी में अन्तर नहीं आये तो यह मानकर चलना पड़ेगा कि जो हमने खर्च किया है वह खर्च भयंकर रूप से अपव्यय था। आप चार हजार में एक मेढ़ा तैयार करते हैं, तो राजस्थान में चार हजार में तो एक मन्त्री तैयार हुआ है और आज भी हो सकता है तो इस मेढ़े और मन्त्री में अन्तर नहीं है ? यह नहीं मानते तो आप अन्दाज लगा कर चल सकते है कि एक मेढ़ा तैयार करने के अन्दर हमने कितना खर्च किया है और जो किया है उसका किसी प्रकार से उपयोग नहीं है। ऐसी स्थिति में

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आखिर यह चीज क्यों नहीं पनप पाई। दुर्भाग्य की बात यह थी कि हमने जो स्पोट सलेक्ट किया, किन स्थानों के ऊपर हमें भेड़-पालकों को प्रोत्साहन देना चाहिए, किस किस जगह पर भेड़े हैं जिन भेड़ों की आसानी से प्रगति की जा सकती है, ऊन की क्वालिटी में आसानी से सुधार किया जा सकता है इस सलेक्शन में भी दुर्भाग्य से राजनीति आई।

आज बीकानेर, सीकर और जोधपुर के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां यदि पूरा रुपया खर्च किया जाकर सलेक्शन के बेसिस पर भेड़-पालन में प्रगति कराई जाये, भेड़ की क्वालिटी में प्रगति कराई जाय और ऊन की क्वालिटी में सुधार करने लिए कुछ खर्च किया जाये तो यह बात हो सकती है। लेकिन आपने सलेक्शन कुछ ऐसे स्थानों का किया है, जिन स्थानों पर कितना ही खर्च क्यों न कर दें उसके बाद भी जिस इस तरह का फायदा भेड़-पालकों को दिलाने की कोशिश कर रहे हैं उस तरह नहीं दिला सकते। उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार बहुत पहले से कहती आयी है कि हम भेड़-पालकों के बीच में, सरकार के बीच, में और जहां माल एक्सपोर्ट होता है उनके बीच में जो मध्यस्थ हैं उनको समाप्त करना चाहते हैं। और मध्यस्थ जो लाभ उड़ाते हैं, उसको कम करना चाहते हैं ताकि भेड़ पालकों को लाभ मिल जाये। सरकार को लाभ मिल जाये। इस सम्बन्ध में आप व्यवस्था करना चाहते हैं। मुझे याद है जब यह स्कीम लागू की गई तो राज्य सरकार ने ढोल पीटकर यह घोषणा की थी कि भेड़-पालकों को ऊन की पूरी कीमत नहीं मिलती है, पूरी कीमत न मिलने के कारण उन आदमियों की आर्थिक स्थिति नहीं सुधरती है, इस लिए हम भेड़-पालकों से ऊन खरीदेंगे, ऊन खरीद कर उसका ग्रेडिंग करेंगे और ग्रेडिंग करने के बाद उसका एक्सपोर्ट किया जायगा। और इस तरह भेड़-पालकों को हम शोषण से बचा पायेंगे। उस हिसाब से मन्त्री महोदय आप ने स्थिति अब तक देख ली होगी। मैंने पिछले सेशन में इस सम्बन्ध में एक प्रश्न उठाया था और मैं आशा करता हूं कि राज्य सरकार जहां छोटे छोटे मामलों की चिन्ता नहीं करती है वहां कम से कम ऐसे मसले पर जरूर चिन्ता व्यक्त करेगी जिस मसले में दो लाख-चार लाख का ही प्रश्न नहीं है बल्कि जिसमें लाखों रुपयों का प्रश्न इन्वोल्व्ड है। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है पिछले सेशन में मैंने जो आंकड़े प्रस्तुत किये थे और सरकार को कन्विस किया उसके बाद में इस विभाग की सारी कार्यवाही की जांच करने के लिए हमारी सरकार ने कोई एफर्टस नहीं किये। मैं निवेदन कहना चाहूंगा कि इस सरकार को खास तौर से इस प्रश्न के उपर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय एक करोड़ ८० लाख की जो एडवांसेज दी गई वह हमारी सरकार के अधिकारियों की मार्फत दी गई। लेकिन उसमें इस बात की चिन्ता नहीं की कि जिस अधिकारी के मार्फत ए० सी० बिल्स के अगेन्स्ट एडवांस दे रहे हैं उसकी गारंटी क्या है? क्या उस आदमी की सिक्योरिटी ली

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

है ? हम तहसील के अकाउन्टेंट्स की सिक्योरिटी लेते हैं, और कहीं भी जो अकाउन्ट्स को डील करते हैं उनसे सिक्योरिटी लेते हैं लेकिन १ करोड ८० लाख के एडवांसेज दिये इसके बावजूद सिक्योरिटी नहीं ली। उसका परिणाम क्या निकला ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह आपको और इस सदन को सुन कर ताज्जुब होगा कि चार साल में जो एडवांसेज दिये, उसका हिसाब हमारे बाकी के डिपार्टमेंट्स के अन्दर एक महीने में हो जाना चाहिए लेकिन इस डिपार्टमेंट के साथ एक रियायत के रूप में एक महीने के बजाय दो महीने कर दिये और दो महीने के अन्दर १ अप्रेल १९६७ तक केवल ३९ लाख के अकाउण्ट्स सबमिट हुए। १ करोड़ ८० लाख में से ३९ लाख का अकाउण्ट सबमिट हुआ जब कि पूरे का हिसाब पेश हो जाना चाहिए था दो महीने में वह चार चार साल तक हिसाब पेश नहीं किया गया। केवल ३९ लाख का पेश किया गया। उसके बावजूद आज भी कोई खास प्रगति हुई हो यह मैं नहीं कहता। सरकार को कुछ अकाउन्ट पेश किया है और हिसाब पेश कर दिया लेकिन क्या सरकार इस स्थिति में है आज कहने की कि आज दस लाख का हिसाब बाकी है ? मैं राजस्थान की हुकूमत से पूछना चाहता हूं कि जब आपने कानून बना रखा है, नियम बना रखे हैं, आपने आदेश दे रखा है तो १ करोड ८० लाख का अकाउण्ट दो महीने में सबमिट क्यों नहीं किया गया ? आज तक किसी ने जांच की है कि भेड़-पालकों के लिए एडवांस जो उनके नाम से लिया गया था वह एक-एक व्यक्ति को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। स्थिति यह है कि बिल्कुल झूठी रसीदें देकर अकाउण्ट सबमिट कर दिया और ऊन के खाते में उसको एडजस्ट कर दिया। इससे बड़ा फ्राड राजस्थान के इतिहास में नहीं मिलेगा। मैं चाहूंगा कि राजस्थान सरकार केवल वाउचर आ गये हैं, बिल आ गये हैं, लोगों ने हिसाब पेश कर दिया है, इससे ही सन्तोष न करे। मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो एडवांस लिया गया है वह शीप ब्रीडर्स को नहीं मिला है बल्कि उससे लोगों ने बिजनेस किया है, उससे ब्याज कमाया है और वर्षों तक भेड़-पालकों से अमाउन्ट को दूर रखा है। इतना ही नहीं आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि पिछले चार सालों में २१ लाख भेड़-पालकों को बुकिंग के लिए दिया था। जिनसे भेड़ की ऊन लेनी हो उनसे एक एक भेड़ के लिए बुकिंग किया गया। और बुकिंग का एक एक रुपया दिया जाता है इस प्रकार हमने २१ लाख रुपया खर्च किया है बुकिंग के नाम पर लेकिन आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि उसमें से पिछले वर्ष तक वसूली नहीं हुई थी, पिछले वर्ष यह प्रश्न मैंने इस विधान सभा में उठाया था। लगता है, उसके बाद कुछ प्रगति हुई है। लेकिन आज भी ७ लाख बुकिंग का बकाया राजस्थान सरकार का लोगों के अन्दर पड़ा है। अब बुकिंग का मामला ऐसा है कि जो भेड़-पालक से रसीद ले आये उसको अस्वीकार करने का अधिकार नहीं है। इस तरह २० लाख की बुकिंग के गलत आंकड़े दे दिये

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

और झूंठी रसीद दे दी। इस बात की जब जांच की तो शीप ब्रीडर ने कहा कि हमारा नाम नहीं है ; हमने एक पैसा नहीं लिया है। इस तरह एक आदमी की जांच हुई तो उसमें २० हजार का घपला निकला। इसलिए सारे अकाउण्ट्स की, जो २१ लाख रु० का है, पूरी जांच कराई जाये तो पता लग सकता है कि कितने भेड़-पालकों को रकम दी गई। ऐसा लगता है कि इस विभाग का ढांचा आरम्भ से ही इस बात के लिए बनाया गया था कि सरकारी धन को किस प्रकार से खर्च किया जाये, किस प्रकार खर्च किया जाना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार से जब इस बात की जांच की मांग करते हैं तो राजस्थान में एक अजीब सा प्रश्न उपस्थित होता है। आज कल क्या हो रहा है। इस विभाग में एक बूचड़खाना चल रहा है, वह इसलिए चल रहा है कि जो छोटे कर्मचारी हैं जो ऊन की खरीद में शामिल हो गए, पैसे के लेन देन में शामिल हो गए उन छोटे कर्मचारियों के सिर के ऊपर तलवार लटक रही है। लेकिन जो व्यक्ति आज सबसे ज्यादा जिम्मेदार है वह है, इस विभाग का भूतपूर्व डाइरेक्टर निरंजन सिंह, जिसको दूसरे विभाग का डाइरेक्टर बनाकर बड़े बड़े पद पर लगाया जाता है। आवश्यकता इस बात की है, ऐसे व्यक्ति को मोअत्तिल करके उसके मामले को विजीलेन्स कमीशन को दिया जाये। ऐसे अधिकारी को नियुक्त क्यों किया? जो रुपया एडवांस के रूप में दिया गया उसके अकाउण्ट को दो महीने में सबमिट क्यों नहीं करवाया गया ? बुकिंग का अकाउण्ट आरम्भ में ही एडजस्ट क्यों नहीं किया गया ? क्यों नहीं रसीद ली गई ? मेरा निवेदन है कि यह सारा घपला एक व्यक्ति की अयोग्यता के कारण हुआ है? और आप उसकी जांच कराने के लिए तैयार नहीं है। लाखों रुपया जनता का है वह एक व्यक्ति की अयोग्यता के कारण समाप्त हो सकता है। वह डाइरेक्टर सुखाड़िया जी के बहुत नजदीक व्यक्तियों में से हो सकता है, यह भी हो सकता है कि मुख्य मन्त्रीजी उसके ऊपर कृपा रख कर चलते हों, लेकिन मुख्य मन्त्री जी मैं आपको चुनौती देकर चलता हूं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को प्रोत्साहन दिया तो राजस्थान की जनता उस अधिकारी और सरकार के विरुद्ध खड़ी होगी। मैं कहना चाहूंगा कि केवल इतना ही नहीं है कि इनके खिलाफ शिकायत की जाय और उसको दबा दिया जाय, पिछले सैशन में वूलटैक्स का मामला उठाया गया था। क्या मुख्य मन्त्री जी, आपने यह जानकारी की है कि उसमें कितना घोटाला हुआ है ? चालीस हजार वूलटैक्स के लिए टेण्डर इन्वाइट किये गए। उसके बाद में एक फर्म से गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट किया। वह फर्म माल सप्लाई करने को तैयार थी। लेकिन उस फर्म से माल न लेकर जयपुर की दूसरी फर्म से एग्रीमेंट कर लिया तो उसने कहा कि एग्रीमेंट तो मेरे से है, माल मेरे से लीजिये, मैं अच्छे से अच्छा माल सप्लाई करता हूं, समय पर देता हूं फिर मेरा माल नहीं लेकर दूसरे से क्यों लिया जा रहा है। दूसरे से करीब दस हजार वूलटैक्स लेने का प्रश्न था। हमने इस प्रश्न को विधान सभा में उठाया और मैंने चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

लिखी और उसमें कहा कि पहली वाली फर्म से राज्य सरकार माल खरीदे, अगर एग्रीमेंट के अनुसार जितनी वूलटॉक्स खरीदनी चाहिये वह नहीं खरीदी तो बाद में बात आगे जायगी। उसके बाद में यह मामला विजिलेन्स कमीशन को दिया और विजिलेन्स कमीशन ने डाइरेक्टर की गलती इस मामले में पाई और सरकार ने भी यह स्वीकार किया। लेकिन जब उसकी रिपोर्ट आ गई तो सरकार उस रिपोर्ट को दबाकर बैठी है। इतना ही नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज प्रश्न केवल यहां तक ही सीमित नहीं है. मन्त्री महोदय कई बार कहते हैं कि भेड़-पालकों की सुरक्षा के लिए ऊन खरीदेंगे और उस ऊन का ग्रेडेशन करने के बाद में उसको एक्सपोर्ट करने की बात कहते थे। मैं मानता हूं कि पिछले दिनों में सरकार ने ऊन एक्सपोर्ट की है। स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन की मार्फत, वह वूल अमेरिका में गई है और उस ऊन की वहां बड़ी तारीफ भी हुई है। लेकिन वहां कितनी ऊन गई, कितनी ऊन के माध्यम से अमेरिका की सरकार यह फन्वे कर पाई कि राजस्थान में ऊन की वृद्धि हुई है? यह केवल एक्सीडेंटल बात है। लेकिन ऊन की प्रगति जितनी हमारे यहां हो सकती थी उतनी नही हो पाई है।

लेकिन अब इतना ही प्रश्न नहीं, आगे प्रश्न आता है कि ऊन खरीदी कैसे जाती है और ऊन की बिक्री कैसे होती है। उपाध्यक्ष महोदय, आज कोई ऊन खरीदे और ऊन खरीद कर उसका ग्रेडेशन करवाये और ग्रेडेशन करवाने के बाद फिर उस ऊन को बेचे तो उसमें घाटे का कोई सवाल पैदा नहीं होता। मन्त्री महोदय कहते हैं कि हम कामशियल बेसिस पर अकाउन्ट्स मैंटेन नहीं करते हैं इसलिए हमें पता नहीं चलता है कि एस्टेब्लिशमेंट पर कितना खर्चा हुआ, कितनी कुल आमदनी हुई और ऊन में कुल कितना घाटा हुआ? प्रश्न यह है कि ऊन आपने भेड़-पालकों से खरीदी है या नहीं? कल आपने कहा मंडियों से खरीदी। पर मंडियों से ऊन खरीदते समय क्या आपने कभी इस बात की चिन्ता की कि मंडी से ऊन खरीदने से भेड़-पालकों को कितना लाभ होता है? आपको भेड़-पालकों को लाभ पहुँचाने का खयाल नहीं। जोधपुर में गत वर्ष ४ लाख रुपयों की ऊन खरीदी गई और अच्छी ऊन की जो कीमत होती है उस ऊंची कीमत में घटिया किस्म की ऊन खरीदी गई। मैं जोधपुर गया तो मुझे उस ऊन का नमूना मिल गया, वह मैं लेकर आया और उस चार लाख की ऊन में मैं दावे के साथ कहता हूं कि दो लाख रुपयों का घपला है; उस ऊन की खरीद में।

एक माननीय सदस्य : एक लाख का।

श्री भैरोंसिंह : एक लाख आप कह रहे हैं लेकिन आज के भावों से देखें तो २ लाख होंगे। मैंने मैथेमेटिकल केल्कुलेशन नहीं किया, दो लाख से कुछ कम ज्यादा हो सकता है, आपको १ लाख के घपले की जान-

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कारी है तो आप फिफ्टी पर्सेन्ट तक को स्वीकार करने की स्थिति में आये हैं ।

पिछली बार ऊन बेचने की बात कर रहे हैं, बीकानेर में वूल का आक्शन होने वाला था । ऊन के मार्च और सितम्बर ये दो सीजन्स होते हैं, इनमें ऊन बिकती है । मार्च के प्रारम्भ में और सेप्टेम्बर के प्रारम्भ में ऊन बिकती है । पिछली बार बीकानेर में ऊन बेची तो एडवरटाइजमेंट किया गया, समाचार पत्रों के द्वारा एडवरटाइज किया गया, रील्स दिखाई जाती हैं, हिन्दुस्तान के ऊन के व्यापारियों को सूचना दी जाती है कि अमुक समय पर अमुक स्थान पर इतनी ऊन का नीलाम होगा । सारे भारतवर्ष में इतने प्रचार के बाद मार्च के प्रथम सप्ताह में तारीख तय कर दी । फिर राजस्थान के सचिवालय में बैठे-बैठे न मालूम क्या बात समझ में आई कि इतना एडवरटाइजमेन्ट करने के बाद सेलेरीज, एडवरटाइजमेंट, टी. ए., डी. ए. आदि का ७० हजार रुपया खर्च करने के बाद राजस्थान सरकार ने सचिवालय में बैठे कह दिया कि ऊन की नीलामी स्थगित कर दी जाय। और ऊन की नीलामी स्थगित कर दी गई । मार्च के अन्तिम सप्ताह में ऊन बेची उसमें एक लाख की कमी आई, सितम्बर में जो ऊन आती है, उसमें ऊन का पीला रंग होगा और मार्च में जो ऊन आती है, उसका रंग सफेद होता है । हमारे केन्द्रों से जो ऊन इकट्ठी की गई वह ऊन सफेद रंग की थी । नई ऊन नहीं आ जाये तब तक मार्केट ऊंचा रहता है, मार्च में सफेद ऊन आने लगती है तो ऊन के भाव गिर जाते हैं । जब नई सफेद ऊन बाजार में आ गई तब पुरानी ऊन को बेचा और इससे एक लाख का घाटा हुआ । इतना ही नहीं मैं सहकारी मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि एक तरफ तो एस्टेब्लिशमेंट का खर्चा बता दीजिये और यह बता दीजिये कि कितनी कितनी ऊन किस-किस वर्ष में खरीदी गई और किस-किस वर्ष में कितना-कितना लाभ हुआ, कितना-कितना घाटा हुआ, और घाटा किस प्रकार हुआ ? लेकिन अभी तक तो इस विभाग में कोई कार्यवाही ठीक प्रकार से हो जाय, यह स्थिति नहीं है । एक अधिकारी दूसरे अधिकारी के खिलाफ नहीं जायगा उसे बचाने की कोशिश करेगा । मुझे मालूम हुआ कि जोधपुर का एक मामला एन्टी-करप्शन डिपार्टमेंट को दिया है । जहां बड़े-बड़े अधिकारी इन्वोल्व्ड हों, सरकारी नीतियां इन्वोल्व्ड हों, राजस्थान का सचिवालय इन्वोल्व्ड हो, वहां एन्टी-करप्शन के वश की बात नहीं । ऊन की पर्चेज के मामलों को और इन सब मामलों को विजिलेंस कमीशन को भेजा जाय ताकि राजस्थान की जनता को मालूम हो कि हमारा रुपया कहां गया, किस प्रकार गया और गड़बड़ी करने में कौन कौन जिम्मेदार हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय, खर्च भी काफी करते जा रहे हैं, खर्च में कोई कमी नहीं है । इस विभाग का बजट २४ लाख का ६६-६७ में था, ६७-६८ में २६ लाख हुआ, ६८-६९ में २९ लाख, प्लान एक्सपेन्डीचर २७ पर इस

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

बार दिया है, कोई कारण होगा सरकार का जिससे कम हुआ। इतना होने के बाद भी भेड़-पालकों की सुरक्षा की कोई गारन्टी नहीं। क्या इनकी सुरक्षा की गारन्टी लेने की सरकार ने कभी चिन्ता की है? राजस्थान की भेड़ें माइग्रेट होकर मध्य प्रदेश में चली गईं, आज ३० लाख राजस्थान की भेड़ें मध्य प्रदेश में हैं। आप कई बार राजाओं-महाराजाओं की आलोचना करते हैं, उन्हें सामन्त, डिक्टेटर कह कर बदनाम करने की कोशिश करते हैं पर जोधपुर रियासत के समय जब जोधपुर स्टेट से भेड़ें बाहर जाती थीं और हिन्दुस्तान के किसी हिस्से में जोधपुर की भेड़ें चली गई तो भी उनकी सुरक्षा की गारन्टी जोधपुर स्टेट लेती थी, उनके साथ क्लर्क, कम्पाउन्डर्स, डाक्टर, पुलिस अधिकारी और दूसरे अधिकारी रहते थे, उनके खाने पीने की व्यवस्था करते थे, उनके ठहरने की व्यवस्था करते थे। आज राजस्थान की ३० लाख भेड़ों के लिये क्या राजस्थान की सरकार ने कोई सुरक्षा की गारन्टी दी है? क्या उनके साथ रहने के लिये डाक्टर, कम्पाउण्डर, पुलिस अधिकारी या क्लर्क आपने मुकर्रर किये हैं? मध्य प्रदेश में राजस्थान की भेड़ें माइग्रेट हो कर गई, मध्य प्रदेश की सरकार अच्छी २ नस्ल की राजस्थान की भेड़ों को खूब पैसे देकर खरीद रही है और इस तरह से राजस्थान की अच्छी नस्ल की भेड़े मध्य प्रदेश में रह जायेंगी और जो अच्छी नस्ल की भेड़े नहीं होंगी वह चराई के बाद राजस्थान में आयेंगी। ऐसी हालत में इस विभाग पर किये जाने वाले इस खर्चे को देख कर तो ऐसा लगता है कि यह विभाग भेड़ों की ऊन कतरने के बजाय राजस्थान की जनता की ऊन कतरने लग गया है और शायद अमेरिका कि फ्लोरिड कम्पनी के साथ समझौता करके राजस्थान के लोगों के बाल वहां भेजना चाहता है, राजस्थान के आदमियों के १५ लाख के बाल अमेरिका की फ्लोरिड कम्पनी को दिये जायेंगे, शायद इस विभाग ने तय कर लिया है कि राजस्थान की दो करोड़ जनता के ऊन उतार कर इसकी चमड़ी उधेड़ लेनी चाहिये, ऐसा राजस्थान सरकार ने शायद तय किया है।

अब मैं इस विभाग में नियुक्तियों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय जानते हैं कि इस विभाग में नियुक्तियों में किस प्रकार अनियमितताएं हुई हैं। मैंने सदन में सवाल उठाया था कि भेड़ों के मामले में समझने वाले, परिश्रम करने वाले व्यक्तियों को इस विभाग में नियुक्त किया जाना चाहिये था पर उनके बजाय यू. पी. के लोगों को नियुक्त किया गया, जो जोधपुर नहीं जाना चाहते, जैसलमेर में नहीं रहना चाहते, शहरों से बाहर निकल कर गांवों में नहीं रहना चाहते, ऐसे लोगों को इस विभाग में नियुक्त किया गया और इसका परिणाम यह हुआ कि हमारे केन्द्र खाली पड़े है, उनका कोई उपयोग नहीं, जिनको भेड़ प्रशिक्षण देते हैं उनका कोई उपयोग नहीं। जिन लोगों को ट्रेनिंग दी गई वे कोई अध्यापक बन गये,

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कई पुलिस में चले गये कोई वेटिरनरी में चले गये हैं, उनके फोलो एक्शन के बारे में विभाग ने बिल्कुल मौन रखा। जिनको शिक्षा दी गई, वह शिक्षा भी बिल्कुल समाप्त हो गई। अपोइन्टमेंट्स के मामले में राजस्थान सरकार कितना पक्षपात करती है, इसके संबंध में कई बार इस सदन में चर्चाएं आई है। मैं एक ताजा उदाहरण रखना चाहूंगा, उससे सदन को पता चलेगा कि किस प्रकार राज्य सरकार काम करती है।

श्रीमान् मनोहर सहाय माथुर हैं, ये पहले एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में आते थे फिर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और एनीमल हस्बेन्डरी का सेपरेशन हुआ तो उसमें आ गये। ५६ के पहले कुछ तो ट्रेनिंग में रहे, कुछ दिन के लिए क्लर्क रहे और कुछ दिन के लिए स्टाक मैन रहे। जोधपुर स्टेट की सर्विस थी। जब प्रमोशन का सवाल पैदा हुआ तो डिपार्टमेंट ने एतराज किया कि इस व्यक्ति की सर्विस का ब्रेक है कुछ तो ट्रेनिंग की वजह से कुछ प्रोबेशन पीरियड की वजह से सर्विस में ब्रेक था, उसको कन्डोन भी कर दिया जाय तो उस दिन से सर्विस नहीं गिनें इसे सारे डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने माना। उस वक्त डाइरेक्टर ने इसे नहीं माना, मंजूर नहीं किया और उसको सीनियर बनाया। तो सीनियर बनाने के साथ साथ वेटिरनरी एसिस्टेंट सर्जन्स में उनको सीनियर बनाया। फिर सचिवालय से जो लिस्ट पब्लिश हुई, प्रोवीजनल लिस्ट उसमें उसको सीनियर न माना तो फिर उसने रिप्रेजेन्टेशन किया कि मेरी ट्रेनिंग का, क्लर्क था उस समय का स्टाकमैन था उस समय का सारा पीरियड लेंथ आफ सर्विस में गिना जाय। गिना गया। आदेश हो गए, उनको सीनियर बनाया। अब प्रश्न आया कि उस व्यक्ति के खिलाफ डाइरेक्टर से लेकर नीचे तक डिस्ट्रिक्ट आफिसर ने कान्फीडेन्शल रिपोर्ट में लिखा कि यह आदमी इन्एफीशियेंट है, इसमें काम करने की कैपेसिटी नहीं है, इधर हमारी राज्य सरकार ने आदेश निकाल दिए कि इस प्रकार की अयोग्यता जिस व्यक्ति में होगी, उसको २५ वर्ष की सर्विस पूरी होने के बाद में रिटायर किया जायेगा, रिटायरमेंट का नोटिस दे दिया। नोटिस देने से पहले ए. जी. से सर्टिफिकेट ले लिया सरकार ने कि २५ वर्ष कम्पलीट हो गये। अब राजस्थान सरकार का चमत्कार देखें, उस व्यक्ति का देखें। प्रमोशन लेते समय तो दिखाया कि २५ साल की सर्विस हो गई। अब यदि सर्विस का फिर ब्रेक मन्जूर कर लिया जाय तो २५ वर्ष से कम होगी और फिर ३ साल की सर्विस कर लेंगे। तो रिटायरमेंट के बाद पहले रिप्रेजेन्टेशन कृषि मंत्री को दिया। उन्होंने दया की तीन महीने के रिटायरमेंट के पीरियड में दो महीने का एक्सटेन्शन दिया। सदन को सुनकर ताज्जुब होगा कि उसका रिप्रेजेन्टेशन हमारे सीधे सादे वित्त मंत्री ने ले लिया जिनके पास नियुक्तियों का काम नहीं है। सर्विस के बारे में कोई एक्सपर्ट ओपीनियन देने का अधिकार नहीं, उन वित्त मंत्री ने रिप्रेजेन्टेशन लिया, रिप्रेजेन्टेशन लेकर वित्त सचिव से कमेंट्स मांगे और पूछा कि बताओ कि ब्रेक है? इस ब्रेक को

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

जो पहले कन्डोन किया था ए. जी. और संबंधित विभागों से पूछने के बाद और रिटायरमेंट नोटिसेज जारी करने के बाद वित्त विभाग कहता है कि नहीं जो सर्विस कन्डोन की गई है, वह वाजिब नहीं थी। इस आदमी को उस दिन से लेंथ ग्राफ सर्विस में शुमार नहीं किया जाय, बल्कि उस दिन से अलग किया जाकर लेंथ ग्राफ सर्विस कम की जाय। २३ वर्ष की सर्विस मानी जाकर आदेश जारी कर दिए गए कि उसकी पुनः नियुक्ति की जाय।

इससे भी बड़े घपले हैं। मैंने तो एक ही उदाहरण दिया, ऐसे मामले तो कई हैं, कई बातें बताई जा सकती है लेकिन मैंने जैसे कहा, आज इस विभाग के अंदर जिस प्रकार से नियुक्तियां हो रही हैं, उन नियुक्तियों के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि विभाग का काम सुधरने वाला नहीं है। स्कीम्स अपने आप में अच्छी हैं। इस स्कीम को देखकर बाकी राज्य राजस्थान से जलन रखते थे, मुख्य मंत्री ने भी कोशिश की लेकिन वह शीप ब्रीडिंग फार्म जिसके अंतर्गत तीन करोड़ का इन्वेस्टमेंट राजस्थान में होता, वह राजस्थान में नहीं हुआ, हरियाना में गया।

एक सवाल मैं पूछता हूँ मंत्री महोदय से, वह प्रश्न विशेष नहीं है लेकिन सहकारी विभाग से संबधित है। जोधपुर और जयपुर में जो सहकारी बाजार आपने खोले हैं। उन सहकारी बाजारों के आपने कामर्शियल बेसिस पर अकाऊंट्स मेन्टेन किए हों तो कम से कम जब से खुले हों अब तक कितना लाभ और हानि हुई, सदन को बताने की कृपा करें ताकि कम से कम हमें विश्वास हो जाय ये जितने भी इस तरह से सहकारी बाजार खुले हैं उनसे किसी प्रकार का घाटा तो नहीं हो रहा है। कागजों को देखने से तो मिलता नही लेकिन मंत्री महोदय बतायेंगे।

श्री सुवालाल चौधरी (दूदू) : कृषि और सहकारिता के संबंध में मैंने कटौती प्रस्ताव भेज दिए हैं। पहले मैं सहकारिता के सबंध में निवेदन करना चाहता हूं। राजस्थान में और खास तौर से जयपुर जिले में जितनी भी सहकारी समितियों का गठन हुआ है, जिस मन्शा को लेकर किया गया है, वह पूरा नहीं हुआ है। मेरे क्षेत्र में कई किस्म की सहकारी समितियां हैं - ग्राम सेवा सहकारी समिति, चर्म उद्योग सहकारी समिति, दुग्ध योजना की सहकारी समिति। इसी तरह कृषि के संबंध में कृषक सहकारी समितियां हैं। जहां तक मेरी जानकारी है, हर समिति का उद्देश्य यही रहा है कि हम सरकार से कर्जे के रूप में पैसा किस तरह से लें और किस तरह से जो उनके सदस्य हैं जो नफे-नुकसान को समझते थे उन लोगों ने सारे पैसे का फायदा उठाया और बहुत से भोले जो सहकारिता के नफे नुकसान को नहीं समझते थे वे झूठे सदस्य बनाए गए और जो उनको लाभ कर्जे का मिलना चाहिए था वह नहीं मिल पाया। आज लोन का पैसा वसूल नहीं हुआ। मेरे क्षेत्र में जो

(श्री सुवालाल चौधरी)

सहकारी समितियां हैं किसी में ५० हजार,किसी में ४०,०००, जो होशियार सदस्य थे उन्होने सारा पैसा आपस में बांट लिया और अपने घर के काम में लिया। मेरे खयाल से यदि यही हाल रहा और सरकार का प्रशासन इसी विचारधारा को लेकर चलता है तो मैं कहता हूं कि सरकार का पैसा जो गरीबों से टैक्स के रूप में या अन्य रूप से लिया जाता है, उसका सही उपयोग नहीं होता है। बालों में कृषि सहकारी समिति है हरिजन वर्ग की उसके १६ सदस्य थे जिसका अध्यक्ष मागूराम था। उसको ४०० बीघा जमीन एलॉट हुई थी लेकिन वहां के लोगों ने उस जमीन को उनके पास नहीं रहने दिया और विभाग में झूठी शिकायत की। आखिर सहकारी विभाग ने एक सहकारी समिति को बल देने के बजाय झूठी जांच की और सहकारी समिति भंग करके और गरीबों को जो दूसरी जगह जमीन एलॉट होती, उससे वंचित किया गया। ४०० बीघा जमीन की कीमत ३० हजार हो सकती है, आज वह जमीन वहां के तहसीलदार ने बजाय कृषि समिति के जो सदस्य थे उनको देने के भूमिदारों को आवंटन कर दी। कृषि सहकारी समितियों के नाम जमीन एलॉट करने के नाम इसी तरह दूसरी योजना चलाते हैं।

दूध की सहकारी समितियां हैं उनको लाखों रुपया दिया गया है लेकिन यदि उसकी जांच करें तो जिस मकसद के लिए खर्च होना चाहिए था, वह नहीं हुआ। इस तरह सरकार का पैसा बेकार खर्च हो रहा है। आपको बजट का पैसा जमीन के सुधार में कृषि पर खर्च करना चाहिए लेकिन अफसोस है कि राजस्थान का १२७ करोड़ का बजट है और जहां आप कृषि को भाषणों में प्राथमिकता देते हैं, अपनी योजना में बताते हैं लेकिन आज बीज, खाद और अन्य औषधियों के सबंध में देखें तो बजट के अंदर काफी कमी है, जो बजट में आंकड़े रखे हैं।

खास तौर से राजस्थान के इलाकों में आज सिंचाई के साधन नहीं हैं और सिंचाई के साधन नहीं होने की वजह से किसान अपनी जमीनों की सिंचाई नहीं कर सकते हैं। आज बड़ी बड़ी योजनायें हैं। कहीं चम्बल है, कहीं दूसरी योजनायें चल रही हैं। कोई ऐसा जिला नहीं हैं जहां आप पूरी योजना लागू कर सकते है, इस पर आप कोई विचार नहीं करते। आपको इन लघु, छोटी सिंचाई योजनाओं को प्राथमिकता देनी चाहिये। लघु सिंचाई के आप आंकड़े देखेंगे तो आपको नहीं के बराबर दिखेंगे। एक करोड़ रुपया खर्च करके, क्योंकि बिजनेस करना, व्यापार करना चाहते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

व्यापार में खर्च करना चाहते हैं लेकिन जहां खाद्य समस्या है, खाने की समस्या है, उसको हल नहीं करेंगे तो मैं कहता हूं कि आपकी कोई समस्या हल नहीं हो सकती है। वह राज्य कभी सफल नहीं हो सकता है जो

(श्री सुवालाल चौधरी)

व्यापार करने की श्रेणी में आता हो, खाद्य समस्या को सुलझाने का कोई प्रयत्न नहीं करता हो। आप व्यापार करना चाहते हैं, जिसमें सरकार कुछ समझती नहीं है तो वह कभी सफल नहीं हो सकती है। बड़ी बड़ी व्यापारिक योजनाओं पर आपका जो पैसा है उस पर कम खर्च करना चाहिये और खाद्य समस्या पर अधिक खर्च करना चाहिये, इतना ही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री नत्थीसिंह : उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री उपाध्यक्ष : श्री हंसराज। (अनुपस्थित)

एक माननीय सदस्य : न कोई हंस राज है और न कागला राज है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नत्थीसिंह।

श्री नत्थी सिंह (भरतपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, बजट पर जो सामान्य वाद-विवाद हुआ उस पर मैं वित्त मन्त्री महोदय को अबकी बार बधाई देना चाहता हूं। वह इसलिये कि उन्होंने अपने पिछले २३ वर्षों के गुण को त्यागा है कि वे अपनी कमजोरी को छिपाने में बहुत चतुर हैं और उन्होंने अपनी सारी कमजोरियों को एक बहुत ही झीने पर्दे पर लेकर सदन के सामने रखा। जब मैंने सहकारिता के बजट को देखा और इस आर्थिक विकास की मांग को देखा तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि अबकी बार जो सहकारिता के मन्त्री हैं, उन्हें कोई सहकारिता का ज्ञान नहीं हो, ऐसी बात नहीं है। वे सहकारिता के बड़े नेता रहे हैं, ऐसे हमारे सहकारिता के मन्त्री हैं। उसके बाद हम देखते है कि जहां पिछले सालों उत्तरोत्तर सरकार द्वारा बजट में आर्थिक विकास के व्यय में बढ़ोतरी की गई है वहां इस साल घटोतरी की गई है। समझ में नहीं आता वह कैसे सम्भव हुआ ? वे समझे नहीं हों यह बात भी नहीं है। मैं उनकी भर्त्सना नहीं करना चाहता। मुझे लगता है मजबूरी है मन्त्रि मण्डल में। उनकी इस पृष्ठ भूमि के साथ किसान वर्ग के पिछड़े हुये लोगों की समस्या और उस समस्या का समाधान इस वर्ग शोषण सहकारिता को एक साधन के रूप में मानता हूं। योजनाओं की बड़ी-बड़ी बढ़ोतरी हुई है। मैं तो यह समझता हूं कि सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं आया या इस मन्त्रि मण्डल में ऐसा लगत है कि कोई सहारा नहीं मिला। राजनैतिक कारणों से छटपटाकर जो कटौती होती है, इसके अलावा उनके पास कोई चारा भी नहीं है। नहीं तो, उपाध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में यह कहा जाता है कि कई प्रकार के दृष्टिकोण से सहकारिता में घोटाले बड़े-बड़े नजर आते हैं। सहकारिता में सरकार ने बड़ा योगदान दिया है, इसको भी दुहाई दी जाती है। आज सहकारिता के नाम में भी मतभेद है। मैं निष्ठा के साथ कह सकता हूं कि सहकारिता एक पुनीत साधन है। आज के पिछड़े वर्ग की उन्नति और समाज में वर्गहीन समाज की स्थापना सहकारिता के आधार पर मानता हूं और यह भी

(श्री नत्थीसिंह)

मानता हूं — इस बात से इन्कार नहीं कर सकता पिछले सालों में जो कुछ हुआ है बिना किसी दिशा के, बिना किसी ज्ञान के और बिना किसी योजनाबद्ध तरीके से इस क्षेत्र में कुछ न कुछ विकास हुआ है। इसमें दो राय नहीं है लेकिन जिस तरह विकास किया जाना चाहिये और जिस तरह का विकास होना चाहिये, उसके विकास में सबसे बड़ी बाधा इस प्रदेश में जो नजर आती है वह स्वयं राजस्थान सरकार द्वारा नजर आती है। यह भ्रामक नीति और दिशा का ज्ञान न होना हमको यह कहने को बाध्य करता है कि जिधर विकास को जाना चाहिये था उधर जा नहीं पाया। उपाध्यक्ष महोदय अभी माननीय डागा साहब ने फरमाया— वे बड़े समाजवाद की बात करते हैं। आज इस देश के सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि जनतन्त्र को खतरा पैदा हो गया है। पंजाब में क्या, इसके बारे में यहां बहस हुई बंगाल में क्या, राजस्थान में क्या सब जगह आज सारे हिन्दुस्तान में जनतन्त्र को खतरा है। किसान की दुहाई करने वाले लोग आज किसानों से बात करना भी पसन्द नहीं करते। हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है, वह भी बिल्कुल चरमरा चुकी है। हिम्मत के साथ कहना पड़ता है कि एक प्रकार की खिचड़ी की अर्थ व्यवस्था है जिसे मिक्स्ड इकानोमी कहते हैं। अगर उस तरफ जाते हैं तो मैं समझता हूं निश्चित रूप से देश बद से बदतर हालत में जायगा। आज जरूरत है देश को सही दिशा में बढ़ाने की। हमें बिलकुल निश्चित रूप से कहना पड़ता है कि प्राईवेट सेक्टर में जो काम कर रहे हैं उसे घटायें और धीरे-धीरे पब्लिक सेक्टर को बढ़ायें और प्राईवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के बीच के सम्बन्ध को उत्तरोत्तर मजबूत बनायें। इस बजट में हमने देखा है दिशा जाती किधर है? इस बजट में पूंजीपति को स्थान दिया जाता है, छोटे आदमियों को या छोटी योजनाओं को कोई स्थान नहीं है। इस बजट में किसानों पर मार डाला जाता है। किसान को जहां आर्थिक विकास की बात होगी वहां बजट में कटौती करेंगे। हिसाब लगायें तो, उपाध्यक्ष महोदय, आप देखेंगे कि सहकारिता पर, कृषि पर और पशु पालन पर १० पर्सेन्ट खर्च किया जा रहा है। दो करोड़ की राजस्थान की आबादी है उसमें केवल ३२ लाख रहते हैं शहरों में। उनकी तरफ हम क्या व्यय करें? यह एक सोचने की बात है। इस सारी आपकी आर्थिक स्थिति में गरीबों पर टैक्स पड़ता है और उसका फायदा अमीर लोग उठाते हैं। हमारी सरकार दक्षिण पंथ की ओर झुकती जा रही है।

श्री दौलतराम सारण : पंथ वंथ की ओर कोई नहीं झुक रही है।

श्री नत्थीसिंह : पंथ है या लेकिन झुकने अवश्य लग गई है।

एक माननीय सदस्य : इनका तो पार्टी पथ है।

श्री नत्थीसिंह : हमारे माननीय वित्त मन्त्री जी समाजवाद की बड़ी बात करते हैं और दुहाई देते हैं लेकिन मुझे खेद होता है उनका समाजवाद एकदम व्यक्तिवाद में बदल जाता है।

(३.४९ म. प.)

(श्री केदारनाथ, सभापति, पदासीन)

बात करते हैं समाजवाद की और काम करते हैं व्यक्तिवाद का। सहकारिता में कटौती करनी पड़ती है इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं इस देश में जो सबसे बड़ी बात नजर आती है वह यह है कि धीरे-धीरे करके इस कांग्रेस सरकार ने जो घोषणायें की हैं, वह बदलती जा रही हैं।

आज स्वयं सरकार की गलत नीतियों और कार्यवाहियों के कारण यह सहकारिता का क्षेत्र जहां बढ़ना चाहिये था बढ़ने के बजाय विस्तार तो इसका थोड़ा हुआ है, पर जिस तरह से फलना और फूलना चाहिये था उसमें रुकावट आ गई है।

आज सहकारिता नहीं रही। सब जगह यह होता जा रहा है जो सार्वजनिक क्षेत्र हैं उनमें भी मजदूरों को, काम करने वालों को श्रमिकों का क्षेत्र न बनाकर एक सरकारी मशीनरी की तरह बना दिया है उसी तरह से इस सहकारिता के क्षेत्र में भी सरकारिता पैदा कर दी है। इस क्षेत्र में धीरे धीरे सहकारिता जो स्वेच्छा पर आधारित आंदोलन था उसको केवल ये लोग आज सरकारी दफ्तरों में बदल देना चाहते हैं।

सहकारी सामितियों के आधार को, सरकार चाहती है, सहकारिता को सरकारिता के रूप में बदल दें। यह दुर्भाग्य है। जब यह एक्ट पास हुआ था जिसमें भारी अधिकार सरकारी अधिकारियों को दिये गए हैं तो मुझे याद है रात्रि के साढ़े दस बजे सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि इस एक्ट का पालन इस तरह से करेंगे कि सहकारिता पर आंच न आने पावे। इसके स्वच्छ प्रशासन में कोई किसी तरह का भी सरकार हस्तक्षेप नहीं होगा। पर आज उल्टी चीज हमारे सामने है। आज चाहे समितियों का गठन हो, विलीनीकरण हो, भंग करना हो, चाहे किसी रूल की, नियम की व्याख्या करनी हो हर जगह सहकारिता पर कुठाराघात किया जाता है।

कई बार कहा गया एक्ट में संशोधन करें। एक बात विचित्र देखी मन्त्री जी से कहना चाहता हूं। उनका भी अनुभव है। धारा ३४ का प्रावधान रक्खा है जिसके अन्तर्गत फैसला किया है क्या क्या योग्यताएं होंगी कमेटी का मैम्बर बनाने में। रूल ३४ बनाया गया है जिसमें वे प्रावधान किये गए हैं जो कतई एक्ट की मंशा के खिलाफ है। मूलभूत निर्योग्यताएं एक्ट में दी हैं उनको लागू करने के लिए नियम बनाये जा सकते हैं। पर उसकी मंशा के खिलाफ इस तरह जकड़ने की कोशिश की गयी है सहकारी आंदोलन को कि वह बिना

(श्री नत्थीसिंह)

सरकार की मन्जूरी के एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता ।

तो इस रीति और सरकार की सहकारिता के प्रति नीति में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने की जरूरत है । मुझे तो ऐसा लगता है आये कैसे यह । रूल ४१ है जिसमें अधिकार दिया गया है सहकारी समितियों की सेवाओं के क्या नियम होंगे । इसकी सारी ताकत भी सरकार ने अपने हाथ में ले ली है । मन्त्री महोदय कहेंगे कि यह तो रजिस्ट्रार के हाथ में है । यह तो मैं आगे बताऊंगा कि यह शक्तियां रजिस्ट्रार के हाथ में हैं या सरकार के हाथ में हैं । पर समितियों के सहकारिता के विकास में गतिरोध खड़ा हो गया है । यह कैसे ? मैं बताऊंगा । मैंने पिछले दिनों में कई बड़े काश्तकारों से बातें की हैं । कहा मैंने उनसे कि क्यों नही आप लोग सामने आते ? आप सहकारी समितियां बनाकर अपना कारोबार चलाना क्यों नहीं चाहते ? उन्होंने इसके उत्तर में एक सवाल पूछा जिसका जवाब मैं तो दे नहीं पाया ।

उन्होंने कहा कि हम अपने सारे साधन सहकारी समिति का गठन करके उसको सौंप दें और इसके बाद पता नहीं सरकार की कब किस दिन मर्जी हो जावे और कमेटी को भंग करके, समिति को भंग करके एक इन्सपेक्टर उस पर बिठा दे और हमारे सारे जीवन भर की कमाई को यह सरकार एक कलम से एक मिनिट में समाप्त कर दे । यह सहकारिता है या मखौल ?

यह वह सवाल था जिसका मैं उत्तर नहीं दे सका । यह इसलिए हो रहा है कि इस सरकार की नीति, मुझे दुःख है इस बात का, यह हो गई है कि चाहे पचायत राज संस्था हो, चाहे सहकारी संस्था हो ये सब आज सरकार की केवल मात्र कठपुतलियां बन कर रह गई हैं ।

फिर मैं पूछना चाहता हूं मन्त्रीजी से कि कौनसा इसमें तथ्य है आपको अधिकार मिला है आप हमारे पास डाइरेक्टिव भेजते हैं कि सहकारी संस्थाओं में भी ५५ वर्ष से ज्यादा उम्र के आदमी को रख नहीं सकते । क्यों नहीं रख सकते ? आपने इसको क्या सरकारी नौकरी मान ली है ? आज मैं कोई जोइन्ट कोआपरेटिव सोसायटी बनाता हूं और कई संस्थाएं बनाता हूं कौनसा मन्त्री, कौनसा ट्रेजरी बैंचों में बैठने वाला कहेगा कि वह सारी पूंजी अपनी सारी शक्ति, सारी जमीन एक तरफ रख दे और ५५ वर्ष का हो गया तो छुट्टी कर दो । सहकारिता हमारे जीवन का दर्शन है । हम इसे जीवन-यापन के रूप में रक्खेंगे तो ही सहकारिता पनपेगी, पर अगर इसे एक सरकार की एजेन्सी के रूप में रक्खें तो चल नहीं सकती यह ।

आज राजस्थान में आये दिन शिकायतें आती रहती हैं । कई माननीय सदस्य मुझ से कह रहे थे यह हो गया, वह हो गया, रजिस्ट्रार ने भी यह हुक्म कर दिया । मैं

(श्री नत्थीसिंह)

एक बात कह रहा हूं कि राजस्थान में इस तरह से एक वह फिजा तैयार की जा रही है कि अगर कोई आदमी ईमानदारी से, नेकनीयती से, तत्परता और लगन से काम करे तो काम नहीं करने दिया जावे। कोई ईमानदारी से सरकारी अधिकारी काम करे तो नहीं करने दिया जावे। यह मेरा मानना है। मैं मानता हूं कि कई रजिस्ट्रार आये हैं, और गये हैं, वर्तमान रजिस्ट्रार मेरे इलाके से आये हैं। मैं उनको अच्छी तरह जानता समझता हूं। वैसे मेरे खिलाफ भी मन्त्रियों के कहने से आर्डर पास किये हैं। पर हिम्मत दिखाते थे, ईमानदारी के साथ महसूस करते थे कि सहकारी संस्थाओं में हस्तक्षेप नहीं हो, और कोई कारण नहीं होता था तो नहीं करते थे। अड भी जाते थे पहले। पर कुछ दिनों से उन में भी परिवर्तन पाया गया है। इसलिए कि इधर तो सरकार के मिनिस्टर नाराज हैं और उधर एम० एल० ए० नाराज हैं। सोचते हैं असेम्बली में हो हल्ला मचावेंगे। आप जांच करावे इसमें मुझे ऐतराज नहीं पर कहना चाहता हूं कि आखिरकार यह सहकारिता को किस तरह से ठीक लाइन पर चलने देना चाहते हैं। इसका पहला सुबूत मिला।

यहां राजस्थान में क्रय विक्रय संघ भी है। पहले भी थे। इस सदन में उधर से आवाज उठाई गई, इधर से भी उठाई गई। क्या हुआ? हमारा दल भी चाहता था कि क्रय विक्रय संघ के खिलाफ जांच करो। गुड़ का नाम लिया। घोटालों का नाम लिया। उधर से कहा गया जांच नहीं होगी। और आज? वही क्रय विक्रय संघ है। आज घोटाले नहीं हैं और वह काम करना चाहता है। वह खाद का काम करता है, दूसरी प्रोसेसिंग इन्डस्ट्रीज कायम करना चाहता है। पर आज आपने दफा ७० का नोटिस दिया है। और मुझे दुःख हुआ जब नोटिस को भी देखा। उसमें लिखा था सरकार के सचिव यानि सचिवालय के आदेश से रजिस्ट्रार नोटिस देने को मजबूर होता है जिसमें एक भी कारण नोटिस देने का नहीं बताया जाता। आखिर उसका दोष आज क्या है? अगर कोई सर्टिफिकेट है अच्छा काम कर रहा है, विस्तार कर रहा है तो उसको प्रोत्साहन मिलना चाहिये था। कहा जाता है इसमें सरकार का करोड़ों रुपया लगा है। अच्छा! यह भी बताना चाहता हूं। भ्रम में नहीं रहना चाहिये कि सरकार का कितना रुपया सहकारिता में लगा है। यह भी स्पष्ट देख लेना चाहिये। बहुत कम लोग हैं जो वास्तविकता जानते हैं।

इस क्रय विक्रय संघ में चालीस लाख रुपया दिया खाद के काम के लिये। मन्त्री महोदय जानते है महाराष्ट्र में सहकारिता में २० करोड़ रुपया दिया गया है। मध्य प्रदेश में २० करोड़ दिया। उन्होंने मोनोपोली दी इस बात पर की कि जो भी पर्चेज करेगी सरकार के बिना पर वह सहकारी समितियां करेंगी।

(श्री नत्थीसिंह)

आज सवाल आता है, एक तरफ किसान मर रहा है। कोई साधन आप उसको नहीं देना चाहते। पर टैक्स आप उस पर लगाने को तैयार हैं। कीमतें उसके उत्पादन की गिर रही हैं। सहकारी संगठन के मार्फत अपनी एजेन्सी खड़ा करना चाहते हैं तो आप उसको कमजोर करना चाहते हैं। बिना बात इन को बदनाम किया जाता है।

एक तरफ जो लोग निहित स्वार्थ वाले हैं, दूसरी ओर उनके रक्षक सरकार में बैठे हैं। सदन के बाहर भी हैं, उधर भी हैं। निहित स्वार्थ ऊपर आना चाहता है, वह सहकारिता को बदनाम करके एक वातावरण उसके विरुद्ध बनाना चाहता है। सरकार साझेदार होती है इसमें मुझे कहते हुए बड़ा भारी दुःख होता है आज। वित्त मन्त्री यहां नहीं हैं। वे कहते हैं हमने तो उन संस्थाओं में शेअर पूंजी रक्खी है। कितने सपेक्ष बैंक का नाम लेते हैं। ४० लाख दे रखा है।

(३.५९म.प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

४५ लाख लगा रक्खा है और सहकारी समितियों द्वारा ५२ लाख कर्जे में लगा रखे हैं। सेन्ट्रल बैंक में दिया है। पर इन संगठनों को आप खड़े नहीं होने देना चाहते। आपके दिमाग में यह आ गया है कि लोग इनको समाजीकरण के तौर पर चलाना चाहते हैं। दुःख होता है अगर कोई यूनियन में राजस्थान के चुनावों में एक फिजा पैदा कर दी है कि मन्त्री के खिलाफ किसी ने इनमें से चुनाव लड़ लिया है तो वहां फिर उसमें कमी करने की सोची जाती है। वहां अडंगा खड़ा किया जाता है। पिछली बार तो बड़ी मुश्किल से हुआ।

(४ म. प.)

लेकिन उसके साथ ही साथ अब की बार क्रय विक्रय संघ में वह पहुँच गये हैं तो वहां पर नोटिस दे दो पिछली बार किसी और संगठन में आये तो नोटिस दे दो।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इस तरीके से काम चलेगा नहीं। मैं अपनी पार्टी से अकेला ही बोल रहा हूं और और दलों को कितना समय आप दे रहे हो वह मैं देख रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : समय से ऊपर चले गए इसलिए चेतावनी दे रहा हूं।

श्री नत्थीसिंह : सिर्फ १५ मिनट हुए हैं। हमारे दल का समय ३० मिनट है। उसमें समाप्त कर दूंगा।

इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आज फूड कारपोरेशन का मामला है। फूड कारपोरेशन आपने बनाया। दूसरे प्रदेशों में फूड कारपोरेशन सहकारी संस्थाओं को साथ देता है। यहां पर प्राईवेट ट्रेडर्स के जरिये यह कारपोरेशन काम करता है और सहकारी संस्थाओं को मार्ग का कांटा समझता है।

(श्री नत्थीसिंह)

यह कारण क्या है ? सप्लाई विभाग में जब सहकारिता की बात आती है तो वहां भी इसी तरह की बात करते हैं। इसके साथ ही साथ हम यह देखते हैं कि सहकारी कामों को कराने में भी क्या सुविधायें देते हैं। बजट में अनाउन्स किया गया, जमीन और बिजली की बात की गयी। जमीन किस को दी जायेगी जो व्यापारिक संस्थान होंगे उनको जमीन में रियायत देंगे, उन्हें बिजली में रियायत देंगे। जयपुर में रामनिवास बाग के सामने चेम्बर आफ कामर्स के भवन बनाने के लिए १ रुपया गज में जमीन देंगे और भरतपुर के बैंक के लिए १५ रुपये गज में भी देने को इन्कार करती है सरकार। जब कि वहां के ३ सेठ हैं उनको ८ आना प्रति वर्ग गज में जमीन दी है। यह है आपकी समाजवादी नीति का उदाहरण।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आखिर इस सरकार का हाल क्या है। सरकार कहती है कि हम तो समाजवादी हैं। एक कानून बनाया था सहकारिता में साहूकार नहीं घुसें और बोहरे नहीं घुसें। इसलिए कानून बना दिया कि लाइसेन्स लेना पड़ेगा। ५ लाख रुपये जमा करा दिये और वह जमा के जमा ही रह गए। लाइसेन्स दे नहीं रहे और सारा काम रोक दिया। आज एक तरफ सरकार कहती है कि हम तो कृषि के क्षेत्र में किसानों को सुविधायें देना चाहते हैं। इस सरकार ने घोषणा की कि हम तो रेगुलेटेड मन्डी कायम करेंगे। अब वह रेगुलेटेड मण्डियां भी कायम कर दीं। गंगानगर की बात है चुनाव भी हो गए और यह काम भी करने लग गई लेकिन मैं सुनता हूं कि सेठ साहूकारों की आफर आ रही है कि पी० सी० सी० का अधिवेशन यहां पर कर लो और हम ५ लाख रुपया दे देंगे। आज वह कानून रोका जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि आप या तो कहें कि हम रेगु-लेटेड मण्डियां नहीं बनाना चाहते हैं और अगर आप बनाना चाहते हैं तो सही तरीके से उसको लागू करें। साहूकारों का कानून भी बनायेंगे और लागू भी नहीं करेंगे यह कहां की बात है। इसी तरह से, उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार किसी भी तरह से अपने वचन पर कायम रहना नहीं चाहती है।

इसके साथ ही साथ दूसरी बात जो कहता हूं उसके संबंध में निवेदन करना है कि यहां पर बहुत कहा गया। कृषि विभाग की बात कही गई। कृषि विभाग ने काम किया है इसमें दो राय नहीं है लेकिन यह सरकार कैसे काम करती है इसको देखो तो सही। यहां पर कई बार सवाल उठता है खाद के बारे में। खाद कौन सा आना चाहिए, सरकार कहती है कि खाद सहकारी संस्थाओं से देते हैं और दूसरी तरफ डी० सी० एम० को भी खाद बांटने के लिए दे दिया। यह सरकार एग्री-मेन्ट करने के बाद मुकरती है। प्राईवेट कम्पनी को भी कहती है कि तुम भी लेकर खाद बांटो। फिर कहते हैं कि वक्त पर खाद नहीं पहुंचा। आप करते क्या हैं ? किसान खाद मांगते हैं कि हमें यह खाद चाहिए और दे दूसरा देते हैं। किसानों को अमो-नियम सल्फेट चाहिए तो दूसरा देंगे। आज

(श्री नत्थीसिंह)

हालत यह है कि किसान मांग करेगा सी० ए० एन० की और उधर सरकार कहेगी कि हम तो अमोनियम सल्फेट देंगे और भेज देंगे जबरदस्ती उनकी इच्छा के विरुद्ध और मांग के विरुद्ध। आज किसानों के पास ढेर पड़ा है कोई काम में नहीं लेता है। किसान स्पेसिफिक कहता है कि मुझ को फलां खाद चाहिए आप उसको दूसरा दे देते हैं। इसके अलावा किसान कहता है कि मुझ को खाद नहीं चाहिए बी० डी० ओ० कहता है कि नहीं चाहिए, कलेक्टर कहता है कि नहीं चाहिए, लेकिन आप खाद जबरदस्ती भेज देते हो।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

क्या इससे आपकी पैदावार बढ़ेगी ? दो बातें कहना चाहता हूं कि जो मूलभूत बातें हैं। आप कहते हैं कि उन्नत किस्म की फसल हो। इसका फैसला आप ने पिछली बार कर दिया। कौन किसान छांटा जाये। आप सहकारी समिति के लोगों को पूछते नहीं, योजना बनाते समय किसी को विश्वास में लेते नहीं, आपकी कमेटी बनी हुई है एडवाइजरी कमेटी उसको बुलाते नहीं और फिर कहते हैं कि ६० परसेन्ट होना चाहिए सहकारी क्षेत्र में तो यह सब कैसे हो सकता है ?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक बात कहकर क्योंकि उपाध्यक्ष महोदय की कई घन्टियां हो गई हैं मैं समाप्त करना चाहता हूं। सहकारिता का सरकारी अधिकारियों के साथ भी यही रवैया है। पिछली बार मैंने तीन-चार साल पहले कहा था कि कोआपरेटिव सर्विस बने लेकिन उनके ग्रेड्स देखे। कृषि अधिकारियों के ग्रेड देखिये आर० ए० एस० का ग्रेड उनसे ज्यादा और सहकारी क्षेत्र में उनसे कम। फिर प्रमोशन में भी पक्षपात ज्वाइन्ट रजिस्ट्रार में एक आधार सर्विस काउन्ट की जायेगी। डिप्टी में कौन आ गया डिपार्टमेन्ट प्रमोशन कमेटी के सामने यह कौन सा आधार है। आपका एक आधार बनता नहीं। मै कहता हूं चलो कोआपरेटिव को छोड़िये सारे राजस्थान की सर्विस में एक भूल आफ प्रमोशन होने चाहिए।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं मन्त्री महोदय से। मंत्री महोदय जानते हैं लेकिन उनके माध्यम से मुख्य मन्त्री जी से कहना चाहता हूँ कि आप सोचिये तो सही क्या हो रहा है। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों कई साथियों के साथ दक्षिण में गया। सब पार्टियों के आदमी एक मत से सोचते हैं। विरोधियों की हुकूमत थी केरल में। मुझे ताज्जुब हुआ मद्रास की गवर्नमेन्ट में नामीनेशन किया मार्केटिंग सोसाइटी में और अपेक्स में कांग्रेसमैन को चैयरमैन बनाया है। यहां पर तो सबसे पहले सोचते हैं कि दूसरी पार्टी का कैसे आ गया। सहकारिता के अन्दर तो सब पार्टी के लोगों को एक मत से सोचना चाहिए। वहां पर हारे हुए लोगों को अध्यक्ष नियुक्त

(श्री नत्थीसिंह)

करते हैं के० सन्थानम जो मिनिस्टर हैं उनसे जांच कराई है । ७ आदमियों की कमेटी है उनमें ३ कांग्रेस के भी मेम्बर हैं। आप तो कभी रिव्यू कमेटी बैठाते नहीं हैं। आप तो सोचते हैं कि चुने हुए स्थानों पर भी विरोधी दल के लोग कैसे पहुंच गये, आपके मनों में गिला होती है । आपने देखा अपेक्स बैंक के नत्थीसिंह कैसे चेयरमैन हो गए । यहां सवाल नत्थीसिंह का, नारायण चतुर्वेदी का या शोभाराम का नहीं है । सहकारिता पूरे समाज की है, सब मिलकर करना चाहते हैं परन्तु आपको तो सहकारिता नहीं चाहिए सरकारी दफ्तर चाहिए । अगर आप उन्नति करना चाहते हैं, समाज को आगे ले जाना चाहते है तो निश्चत रूप से यह बात होगी । इसके लिए उपाध्यक्ष महोदय एक नुस्खा सुझाया राष्ट्रीय कोआपरेटिव कांग्रेस में । यह तीसरे साल होती है । सरकार का हस्तक्षेप कैसे मिटे उसके लिए उन्होंने कहा है कि चाहे रजिस्ट्रार अपने मन का बना दो लेकिन वह आपके फिर कन्ट्रोल में नहीं होना चाहिए ।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

फिर आपका मिला जुला बोर्ड होना चाहिए और उसके हाथ में अधिकार होने चाहिए । मै समझता हूं कि बहुत संक्षेप में ही समय की कमी के कारण मैंने कुछ बातें कही हैं। वैसे अभी मेरी १० मिनट और बाकी हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आपके दल का समय १५ मिनट है आज आपने ३० मिनट ले लिए ।

श्री नत्थीसिंह : ३५ मिनट वालों को १।। घण्टा मिला है । मैंने गिना है ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमीलाल

श्री नत्थीसिंह : पशु पालन के बारे में भी कुछ शब्द कहना चाहता हूं ।

पशु-पालन के सम्बन्ध में कह रखा था कि शायद न बोलूं, पर सदन से बाहर जाते समय एक तथ्य मिला और वह तथ्य विचित्र था । बीकानेर में सांडों की खरीद हुई । बछड़े खरीदे गए २१०० और यह बताया गया कि ५१ रु प्रति बछड़े के हिसाब से खरीदे गए हैं । माननीय मन्त्रीजी भैरोसिंह जी से कह रहे थे घोटाले के लिए तो इधर इतना बड़ा घोटाला है तो इसकी जांच कराइये हिम्मत के साथ । एक इन्सपेक्टर का ट्रांसफर नहीं होता है तो एक नाराज हो गया और एक ए. आई. का नहीं करते हैं तो वह नाराज इसलिए हुआ करते हैं । वे कहते हैं कि सहकारिता के माध्यम से आगे इस देश को तरक्की पर ले जाना चाहते हैं । लेकिन यह सरकार सारी योजनाओं की पीठ में छुरा भोंक रही है । हमको अपनी नीतियों के सम्बन्ध में स्पष्ट होना चाहिये और तभी जाकर हम इस राजस्थान में वर्ग हीन समाज की रचना करने में समर्थ हो सकते हैं, अन्यथा नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री अमीलाल !

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : हमारे दल के लिए ४५ मिनिट हैं और उसमें....

श्री उपाध्यक्ष : उसमें से दो-तीन मिनिट आप और खर्च कर देंगे।

श्री अमीलाल !

श्री अमीलाल यादव (बहरोड़) : माननीय उपाध्यक्षजी, मैंने सहकारिता के ऊपर और इसका गठन किस तरह से हो, इसको प्रोत्साहन मिलना चाहिये इस संबंध में कटौती प्रस्ताव दिया है। मै समझता हूं कि कुछ लोगों को छोड़कर सहकारिता आन्दोलन को सभी मन्जूर करते हैं, लेकिन सहकारिता आंदोलन का....

श्री नत्थी सिह : माननीय उपाध्यक्ष, एक व्यवस्था का प्रश्न है, कि माननीय सदस्य जो बोल रहे हैं वे समाजवादी पार्टी से कांग्रेस में पहुंच गए हैं तो वहां पहुंचने से सहकारिता का नया रूप वहां पर सीख लिया है या और कोई रूप है ?

(विपक्ष की ओर से शेम, शेम)

श्री अमीलाल यादव : सहकारिता के रूप में माननीय....

कई माननीय सदस्य : (जनसंघ) गद्दार है।

श्री अमीलाल यादव : जो माननीय सदस्य ने बात रखी है उनसे मैं यह कहना चाहता हूं कि उनसे प्रगतिशील मैं ज्यादा हूं। इस बात से न घबराइये और मेरी बात सुनें....

(कई विपक्ष के माननीय सदस्यों के बोलने के कारण अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर !

एक माननीय सदस्य (जनसंघ) : क्या शक्ल है यार तेरी।

श्री जयनारायण सालोदिया : बहुत रोटी खाई है तुमने।

श्री अमीलाल यादव : सहकारिता का गठन आवश्यक है। तो वहां पर जो लोग सहकारिता में आस्था रखते हैं और जो सही मायने में सहकारिता के आंदोलन को आगे चलाना चाहते हैं उन लोगो का सहकारी समिति का मेम्बर बनने का मौका नहीं दिया जाता है। इसलिए जिस वक्त में सहकारी समितियों का गठन किया जाय उस समय कम से कम जो कर्मचारी या वहां पर जिन लोगों के हाथ में यह चीज दी जाती है उनको इस प्रकार के आदेश मिलने चाहिए कि वहां पर जो गरीब आदमी है वे किसी प्रकार की सहकारी समिति बनाना चाहते हैं उसके अन्दर आस्था रखते हैं उन्हींको इसका मेम्बर बनाना चाहिये। मैं मिसाल के तौर पर आपके सामने अर्ज करूंगा कि सहकारिता के अन्दर लेबर कोआपरेटिव सोसाइटीज बनाई जाती है तो उनके अन्दर लेबर्स होते हैं, मजदूर होते हैं...(कई माननीय सदस्यों

(श्री अमीलाल यादव)

के एक साथ बोलने पर अश्रव्य)...

..उन सहकारी समितियों में जो सदस्यता रखी जाय उनमें वे ही सदस्य बनने चाहिये जो उसमें आस्था रखते हों।

दूसरी बात मैं यह अर्ज करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, सहकारिता के गठन के अन्दर जिस प्रकार की कड़ाई रखी जाती है तो उसमें उसी तरह का गठन हो जाता है तो उसको प्रोत्साहन नहीं मिलता हैं। इसलिए जितने आपके ठेके होते हैं या दूसरे काम जो सहकारिता के नाम से दिये जाते हैं वे उन कोआपरेटिव सोसाइटी को दिये जाते हैं वैसे फर्जी तरीके से सोसाइटी बन जाती है। इसलिए वहां पर कोआपरेटिव सोसाइटीज जैसी कि हमारे पड़ौसी राज्य पंजाब के अन्दर है इस तरह से बननी चाहिये। वहां पर उनको सबसे ज्यादा परमिट दिये जाते हैं। लेबर सोसाइटीज़ को वर्क दिया जाता है, और दूसरे प्रकार की जो कोआपरेटिव्ज़ हैं उनको इसके अंदर प्रोत्साहन दिया जाता है। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि कोआपरेटिव सोसाइटीज को हमें नाम के रूप में या दूसरे तरीके से इसके आंदोलन के आधार पर ही न रख कर इसको वास्तविक रूप में क्रियान्वित करना चाहिये, और उसके साथ साथ उनको प्रोत्साहन उनके अन्दर ग्रांट इन एड, उनको अनुदान देकर और काम देकर देना चाहिये।

दूसरा सुझाव है कोआपरेटिव आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए यह है कि जैसे यह कुछ राजनैतिक तरीके से उठाया जाता है, सही बात यह है कि कोआपरेटिव सोसाइटीज को हमें राजनीति से दूर रखना चाहिये। इसका तभी विकास हो सकता है और कोआपरेटिव सोसाइटीज या कोआपरेटिव आंदोलन तभी आगे बढ़ सकता है जब कि इसको राजनीति से थोड़ा दूर रखा जाय।

देखा जाता है कि इनके चुनावों के अन्दर किसी को तीन–तीन दफा आर्डर्स हो जाते हैं कि अब यह चुनाव नहीं हुआ और दूसरे ढंग से चुनाव किया जाना चाहिए। कहीं एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किया जाता है। अब यह आटोनोमस बोडी है और उसके आधार पर इसको पूर्ण अधिकार है कि कार्यकारिणी जिस प्रकार के आदेश जारी करती है उसी प्रकार से चुनाव करादें, और चुनावों की मान्यता उनकी कार्यकारिणी के सदस्यों के आधार पर होना चाहिए।

श्री लादूराम सुलानिया : उपाध्यक्ष महोदय, हमको समय बहुत कम मिला है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री अमीलाल यादव : इसमें परिवर्तन की आवश्यकता है। या तो इनके चुनाव ग्राम पंचायत के चुनावों की तरह बैलट पेपर के आधार पर करा देना चाहिए, और मानलो कि इस तरह से नहीं करवाये जा सकते हों तो इसके अन्दर जो कोआपरेटिव सोसाइटी में सहकारिता की जो भावना होनी चाहिए वहां के कार्यकर्ता पूर्ण सहयोग से सब कुछ काम करें, लेकिन मुझे इसका

(श्री ग्रमीलाल यादव)

बिल्कुल विपरीत ग्रर्थ दिखता है। जहां सहयोग से काम करना चाहिए ग्रौर सहयोग से इसको चलाना चाहिये वहां इसमें सबसे ज्यादा फूट पाई जाती है, ग्रौर इस फूट के कारण ही यह सहकारिता आन्दोलन फेल होता जा रहा है, ग्रौर जो इसको ज्यादा ग्रच्छी तरह से समझते हैं वे इससे ज्यादा फायदा उठाते हैं।

कई तरह की बातें सुनने में ग्राती हैं उनकी सब की चर्चाग्रों में न जाकर मैं यह ग्रर्ज करना चाहता हूं कि वास्तव में जो कोग्रापरेटिव सोसाइटीज हैं, सहकारी संस्थाएं हैं, इन संस्थाग्रों को सही मायने में प्रोत्साहन देना चाहिए। ग्राज जैसी एग्रीकल्चर कोग्रापरेटिव सोसाइटीज बनती हैं वे तरीके से नियमानुसार नहीं होती हैं। सही रूप में जो काश्तकार हैं सही रूप में जो कल्टीवेटर्स हैं उनकी जांच करके ही फिर उनको काम देना चाहिए........

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : माननीय उपाध्यक्ष ....

श्री उपाध्यक्ष : ग्रार्डर प्लीज। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री ग्रमीलाल यादव : इसलिए मेरा जो सुझाव है वह यह है कि जिस प्रकार से नहर बोर्ड बना है इसी प्रकार से एक बोर्ड बनना चाहिए ग्रौर वह बोर्ड इस बात का सर्वे करे कि वास्तव में कौन कौनसी सोसाइटी सही ढंग से ग्रपने लक्ष्य का काम कर रही है। वास्तव में कौन कोग्रापरेटिव सोसाइटीज सही ढंग से लक्ष्य के ग्रनुसार काम कर रहीं है, कौन नहीं कर रही है, जो सस्था सही माने में सहकारिता का काम उसमें विश्वास रख कर करती है उसको ग्रागे बढ़ाना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सहकारिता के बारे में संस्थाग्रों के गठन के बारे में ग्रौर उनको प्रोत्साहित करने के बारे में दो बातें ग्रापके सामने रखीं। ग्रब मैं तीसरी बात सहकारिता के बारे में ग्रौर ग्रर्ज करना चाहता हूं।

सहकारिता के जो कर्मचारीगण हैं ग्रौर जो देहातों में कार्य कर रहे हैं उनको दर ग्रसल में किसी पार्टी का कार्यकर्ता न माना जाय बल्कि उनको नोकर ही माना जाना चाहिए ग्रौर उनके ग्रधिकारों को कर-टेल नहीं करना चाहिए। लेकिन देखा यह जाता है कि इसके विपरीत काम होता है। यदि कोई पार्टी है जिसका बहुमत होता है, मैं किसी पार्टी पर लांछन नहीं लगा रहा हूं लेकिन इस बारे में जरूर हमको सोचना पड़ेगा। हमें कुछ न कुछ ग्रपनी नीति में सुधार करके चलना पड़ेगा। ग्रौर इसके साथ साथ यदि देश ग्रौर समाज की उन्नति करना चाहते है तो संकट ग्रौर सहनशीलता ग्रावश्यक है, कठिनाइयां भी झेलनी पड़ेंगी, लेकिन सभी कठिनाइयों को पार करके यह कहा करना चाहिये जिससे सहकारिता को ग्रधिक से ग्रधिक बढ़ावा मिले ग्रौर सही माने में सहकारिता समितियां हैं उनको प्रोत्सहित करें। उनको काम देकर प्रोत्साहित करें, उनको ग्रनुदान देकर प्रोत्साहित करें। बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि ऐसी संस्थाग्रों को रिवार्ड देना चाहिए। जो सोसाइटीज ग्रच्छा काम करें वे आगे बढ़ें तो उनको प्रोत्साहन देने के लिए यह होना

(श्री अमीलाल यादव)

चाहिये कि जो कर्मचारी अच्छा काम करें उनको रिवार्ड मिलना चाहिये। जिस तरह से मिलिटरी में सिपाही या अफसर अच्छा काम करता है तो उनको गेलेन्टरी रिवार्ड मिलता है, इसी तरह से सहकारी समितियों के जो कर्मचारी अच्छा काम करते हैं उनको रिवार्ड मिलना चाहिए चाहे वह एप्रिशियेशन लेटर क रूप में ही हो लेकिन कुछ न कुछ सरकार की ओर से मिलना चाहिये। अब क्योंकि उधर के कई माननीय सदस्य बोलने के इच्छुक है, कुछ हो हुल्लड़ की बात आती है इसलिए उनको भी मौका मिलें और वे भी कुछ कहें यही कहता हुआ मैं अपने कटौती प्रस्ताव आपके सामने रखता हूं और उपाध्यक्ष महोदय. सहकारी मंत्रीजी से उम्मीद करता हूं कि वे इन बातों पर विचार करेंगे। मुझे विश्वास है कि आप दिलचस्पी रखते हैं, यदि दिलचस्पी रखते है तो सही रूप में रखनी चाहिये खाली पेपर पर ही नहीं रखनी चाहिये इसलिये निवेदन करूंगा कि मेरे सुझावों को दृष्टिकोण में रखेंगे।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, सहकारिता और कृषि पर सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई मांगों पर अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करता हुआ मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से राज्य सरकार के सहकारिता मंत्री एवं सदन के सभी माननीय सदस्यों के समक्ष यह बात निवेदन करना चाहता हूं कि जिस सहकारिता आन्दोलन को लेकर यह राज्य सरकार आगे चल रही है, मेरी समझ के अनुसार इस सहकारिता के सही सिद्धान्त को राज्य सरकार ने समझने की चिन्ता नहीं की है।

माननीय उपाध्यक्ष जी, इस देश के सस्कार और सस्कृति में प्रचलित समाजवाद के मूलभूत सिद्धान्तों का गला घोटने वाली सरकार किस प्रकार सहकारिता आन्दोलन चला रही है, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारे देश की संस्कृति में सहकारिता और समाजवाद हमारे परिवार में देखने को मिलता है। इन कुरसियों पर बैठने वाले समाजवाद का दावा करते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि हमारी सस्कृति में चतुष्पद वर्णव्यवस्था में समाजवाद चला आ रहा है। हमारे यहां की जोइन्ट फेमिली को देखें उसमें सहकारी भावना ७ पुस्त आगे और ७ पुस्त पीछे जो सद्भावना थी उसका आप गला घोंटने जा रहे हैं। फैमिली स्वीटनेस जो लोगों के हृदय में चली आ रही है उसके प्रति कानून बनाना चाहते हैं और आप सहकारिता का आन्दोलन लेकर जनता में आगे जाना चाहते हैं, यह चलेगा कैसे ?

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सहकारिता के मूलभूत सिद्धान्त का खात्मा करने पर डटे हुए है। दस बीस आदमियों को इकट्ठा करके जिन लोगों में आपस में सद्भावना नहीं, जिनके विचार एक दूसरे से मेल नही खाते उनको इकट्ठा करके सहकारी समिति का फर्जी निर्माण कर लेते हैं फिर किसी से ५०) किसी से १००) फर्जी तौर पर इकट्ठे करके कह देते हैं कि जनसहयोग है और उसके सहारे अनुदान सरकार से ले लेते हैं। लोगों से टैक्स वसूल करने के बाद सरकारी ट्रेजरी में लाखों रुपये पड़े हैं

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

उनको सरकार इस तरह से बांटती है जैसे अंधा बांटे सीरनी घरकों को ही दे। इस प्रकार इन संस्थाओं का निर्माण किया जाता है। जिले से फर्जी मेम्बर और फर्जी रुपये इकट्ठे किये जाते हैं और उसके बाद लाखों रुपयों का अनुदान लिया जाता है और उसके बाद संस्था को आगे बढ़ाने की चेष्टा की जाती है। जिस संस्था का जन्म ही मूल भूत सिद्धान्तों पर नहीं है, जिसकी मूलभूत बुनियाद ही बेईमानी से भरी हो उसे आप कैसे कहेंगे कि वे देश का कल्याण करेंगे। संस्थाएं चलती हैं, अनुदान के रूप में रुपये राज्य सरकार से मिलते हैं और कारोबार चालू करते हैं। आप देखिये कि कारोबार संभालने का उत्तरदायित्व कोई नहीं लेगा, उसको आगे चलाने के लिए कोई आगे नहीं आता। ९ मामों का भाणजा रात भर भूखा ही सो जाता है। इन सहकारी संस्थाओं के कारबार को संभालने के लिये जिम्मेदारी लेने के लिये कौनसा मैम्बर होगा ? कोई उत्तरदायित्व इस पर डालता है कोई उस पर डालता है इसका परिणाम यह होगा कि काम ठीक ढग से नहीं चलेगा। काम चलाने के लिए कर्मचारी रखने पड़ते है। प्रत्यक्ष को प्रमाण नहीं जयपुर और जोधपुर में सहकारी बाजार खोले उनका हाल क्या है। जितना कारबार उन दोनों का नहीं होगा उससे अधिक का कारबार करने वाले ऐसे कई लोग मिल जायेंगे जो आपके इन दोनों सहकारी बाजारों से ज्यादा का कारबार करते हैं। उन सब पर एक आदमी कन्ट्रोल करता है, तीन, चार सेल्स मैन होते हैं। वह जानते हैं कि कहां से माल खरीदना चाहिये, किस वक्त खरीदना चाहिये, किस वक्त बेचना चाहिए, कितना मुनाफा होना चाहिये यह सारे काम वह करता है और सब पर नियंत्रण करता है और किसी भी ग्राहक को बिना खरीदे जाने नहीं देता। यह सब उत्तरदायित्व वह अपने ऊपर लेता है। लेकिन आपके यहां उत्तरदायित्व लेने वाला कौन है। सरकारी कर्मचारी तो समझते हैं कि हमकों तो वक्त पर तनख्वा मिलेगी। कर्मचारी सोचते है कि १० बजे काउन्टर पर जाकर बैठ जाना है, उनको सैल्समेनशिप का एक्सपीरियेन्स नहीं, ग्राहक किस चीज की मांग करता है, कौनसी वस्तु चलनी चाहिये कौनसी नहीं इन बातों के बारे में विचार नहीं करते हैं। यदि आप व्यापारिक ढंग से किसी कार्य को चलाना चाहते हैं तो किन किन बातों की आवश्यकता होती है उस पर विचार करना चाहिए। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि एक ओर तो व्यापारिक भावना रख कर बताना चाहते हैं कि सहकारी आन्दोलन को राज्य सरकार तेजी से बढाना चाहती है और सोचती है कि जितने मैम्बर्स हैं उनको बेनिफिट मिल जाय और आन्दोलन चलता रहे और हमको रुपये मिल जायं लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि १०,१५ साल का जितना कारोबार है उसमें से एक भी उदाहरण नहीं रख सकते हैं कि जितना कारोबार हुआ उसमें से घाटा नहीं हुआ है। सारी संस्थाएं फैल हो जाती हैं और फैल होने के बाद उनसे रुपया वसूल करने के साधन नहीं और सारा रुपया जो राज्य के खजाने से लिया जाता है उसको राइट ओफ करना पड़ता है।

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

परिणाम यह होता है कि राज्य सरकार यह अनुभव करती है और अनुभव के आधार पर नवीन-नवीन अन्वेषण करती है, नई सहकारी समितियों संस्थाओं का निर्माण करती हैं और उसके अन्दर सरकार का लाखों रुपया, जो विकास के कार्यों में लगाना चाहिए था वह उसमें न लग कर नुकसान की सीमा में जाता है। यह कारण है कि आज राजस्थान की यह दरिद्र नारायण की सी अवस्था इस राज्य सरकार के इस प्रकार के कारनामों के कारण हुई है। यदि राज्य सरकार के अन्दर आया हुआ, इकट्ठा हुआ, राज्य के कोष के रुप मे जो रुपया जमा होता है, उसको सुव्यवस्थित ढंग के साथ खर्च किया जाय और इस प्रकार अनाप शनाप संस्थाओं के अन्दर खर्च न किया जाय तो मैं निश्चयात्मक रुप से कह सकता हूं कि बीस साल का राजस्थान का नुकसान पूरा हो सकता है। लेकिन आज स्थिति क्या है, भुखमरी फैली हुई है, अकाल हर वर्ष पड़ता है, सड़कें सारी टूट गई हैं, पेयजल की व्यवस्था नहीं है, दूसरी बातें नहीं हैं—और राजस्थान सरकार के सामने किसी समस्या को लेकर जाते हैं तो एकमात्र उत्तर मिलता है कि हमारे पास रुपये का अभाव है। दूसरी ओर इनके दल का ही कोई आदमी कोई भी दूसरी योजना लेकर चला जाता है, तो मेरी समझ में नहीं आता कि इनके खजाने में उस योजना के लिए देने के लिए रुपया कहां से आ जाता है। अपने दल के लोगों की योजनाओं पर खर्च करने के लिए इनके पास रुपया आ जाता है लेकिन जनता के कल्याण के लिए इनके पास में पैसा नहीं आता। मेरा निवेदन है कि सिद्धान्त रुप से आप विचार कर लीजिये, देश के संस्कारों के आधार पर आप विचार कर लिजिये, अपने अनुभवों के आधार पर आप विचार कर लीजिये कि बीस साल के अन्दर सहकारिता आन्दोलन ने राज्य सरकार को क्या मुनाफा दिया है या नुकसान दिया है। एक आदमी एक बार ठोकर खाकर संभल जाय तो उसको बुद्धिमान कह सकते हैं लेकिन यहां तो हमारे सामने इस प्रकार के मूर्ख हैं, इस प्रकार के अन्धे हैं कि दस बीस बार ठोकर खाने के बाद भी सही रास्ते पर नहीं आते। मेरी समझ में नहीं आता कि इस प्रकार जनता के धन का दुरुपयोग कितने अर्से तक करते रहेंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह सहकारिता आन्दोलन का आपका सिद्धान्त है यह देश की मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए बिल्कुल उपयुक्त नहीं है, इस आन्दोलन को आपको समाप्त कर देना चाहिए। इसके उपरान्त भी यदि आप आन्दोलन चलाना चाहते हैं तो आपके सामने दो तीन महत्व पूर्ण बातें इस प्रकार की रखना चाहूंगा कि जब तक उन पर आप विचार नहीं करेंगे, आपको इस आंदोलन में सफलता नहीं मिल सकती। मन्त्री महोदय, आपको अच्छी तरह से मालूम होगा, यह सहकारी संस्थायें है, इनमें जमीन एलाट करते हैं, जमीन एलाटमेंट के बाद, भवन निर्माण के बाद अनुदान दे देते हैं, इन्हें कारोबार के लिए बहुत रुपया दे देते है-लेकिन इन पर नियन्त्रण किस प्रकार होता है। सहकारिता का मौजूदा कानून है, छोटी मोटी सहकारी संस्थाओं का अध्ययन करने के बाद मुझे

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

जानकारी हुई है कि आपके इस सहकारिता विभाग के कर्मचारी इस प्रकार, विचित्र प्रकार कानून का नियन्त्रण इन संस्थाओं पर रखते हैं कि कोई आदमी सहूलियत के साथ अपना कारोबार सुगमता से नहीं कर सकता। जब इस प्रकार का नियन्त्रण होगा तो किसी नियम से बचने के लिए उनका दिमाग कागजी कार्यवाहियां करने में, पचासों तरीके के फार्म भरने के अन्दर लगा रहेगा और वह व्यापार में लाभ नहीं कर सकेंगे। जब तक ऐसे नियम नहीं बनाये जायेंगे जो व्यापारिक दृष्टिकोण के नियम हों तब तक सफलता प्राप्त नहीं हो सकती इस विभाग को। दूसरे विभाग के द्वारा इन सहकारी संस्थाओं के ऊपर किसी प्रकार नियन्त्रण इस प्रकार का नहीं हो जिससे उनके कारोबार में बाधा उत्पन्न हो तभी आपका यह सहकारिता का आंदोलन आगे चल सकता है।

इसके साथ ही संक्षेप में कृषि के बारे मे मै दो तीन बातें निवेदन करना चाहूंगा। मै यह मूलभूत भावना मान कर चलता हूं कि जो सरकार है शासन में वह किसी भी दल की हो, वह कांग्रेस की हो या और किसी विरोधी दल में से किसी की हो,उसका पुनीत कर्त्तव्य एकमात्र होता है कि उसका लक्ष्य होना चाहिये वह देश के कल्याण के लिए होना चाहिये, अपने दल के कल्याण के या किसी व्यक्ति के कल्याण की भावना को लेकर—कोई दल अगर बढ़ता है तो वह सही मायने में प्रजातन्त्र को मानने वाला दल नहीं कहलाया जा सकता। यह कृषकों की उन्नति को दबाये रखने वाली सरकार है। इसलिए पिछले बीस वर्षों के अन्दर कृषकों के उत्थान के लिए क्या क्या कार्य कर सकती थी, क्या २ सुविधा उन्हें दे सकती थी इन सब बातों पर विचार करना पड़ेगा। समयाभाव के कारण में दो तीन बातें, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन कर देना चाहता हूं। सबसे पहले यह थी कि कृषि विकास के लिए काश्तकारों को आसानी से पानी मिलना चाहिये। पानी खींचने के लिए बिजली की व्यवस्था होती। लेकिन बिजली की दुर्व्यवस्था के कारण क्या हुआ कि आपने लोगों को बिजली के कनेक्शन दे दिये लेकिन वक्त पर बिजली सप्लाई नहीं की जा सकी। उसका परिणाम क्या हुआ, वह गरीब काश्तकार अपने बैलों के द्वारा जो कुए से पानी खींचा करता था उसने अपने बैलों को बेच दिया क्योंकि बिजली आने वाली थी। लेकिन आज बिजली की हालत यह हो गई है कि दिन में, रात में जब देखो वह आंख मिचौनी का खेल खेला करती है। परिणाम यह हुआ, इस बिजली की व्यवस्था के कारण कि काश्तकारों की स्थिति बिगड़ गई। चूंकि समय कम है इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण बात कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह महत्वपूर्ण बात यह है कि काश्तकारो को तकाबी दी जाती है, लेकिन तकाबी देने के मामले में घोटाला है और लोन देने के मामले में भी घोटाला है। माननीय मंत्री महोदय, आपको इस विषय पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए। अभी फिलहाल मेरे सामने दो-

Page No.161

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

चार केस इस प्रकार के आये हैं। एक काश्तकार का कुआ बनाने के लिए आप दो हजार रुपया या चार हजार रुपया तकावी का सेंक्शन करते हैं। उस दो हजार रुपये की तकावी में किसी न किसी कारण वश आपने एक हजार रुपये की तकावी सेंक्शन कर दी। काश्तकार ने सोचा कि एक हजार ही मिल जाए। लेकिन अब एक हजार रुपये का वितरण भी किस प्रकार करते है, वह एक हजार चार किश्तों में दिया जाय, ढाई सौ रुपये की एक किश्त काश्तकार को दे दी, फिर उससे दो महिने के बाद फिर ढाई सौ देते हैं। अब उसके दो माह बाद फिर ढाई सौ देते हैं। अब विचार करके देखिये कि ढाई सौ रुपये की रकम तकावी में से देने मतलब है कि उसने वह अपने घर में व्यय कर दिये क्योंकि काश्तकार अपना सारा कुआ ढाई सौ रुपये में बना सकता है क्या। परिणाम यह होता है कि ढाई सौ रुपये नष्ट हो जायेंगे, जो रुपया इस प्रकार उसे मिलता है वह बरबाद हो जाता है इससे जिस पर्पज से आप रुपया देना चाहते हैं वह सर्व नहीं होता है। और ढाई सौ रुपये देने में भी देखियेगा, क्या होता है—फिलहाल यह मसला सदन के सामने काफी विस्तृत रूप से आ चुका है, लेकिन आज अल्प बचत आन्दोलन चलाया जा रहा है, उसमें यदि ढाई सौ रुपये की एक किश्त देते हैं तो उसके साथ ही कम से कम पच्चीस रुपये का अल्प बचत योजना का सर्टीफिकेट खरीदने को उसको मजबूर करते हैं। आप विचार करियेगा, आपकी लाल फीताशाही इस प्रकार की है कि जिसके कारण काश्तकार तहसील हैड क्वार्टर, निजामी हैंडक्वार्टर तक लोन लेने को जाता है तो उसके बीस बीस रुपये खर्च हो जाते हैं। दस चक्कर उसको लगाने पड़ते हैं तो दो सौ रुपये तो उसके निबट गये, उसके अलावा अल्प बचत में ले लिये, इतने रुपये आपकी इस लालफीताशाही के कारण कम हो गये। मैं नहीं कहता कि रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार सभी करते हैं कि लालफीताशाही इतनी जरूर है कि दस बीस दफा आने जाने में परेशान कर ले और उसमें उसके दो सौ रुपये ठण्डे हो गये। फिर आपने उसको क्या निहाल किया, उसको आपने बरबाद कर दिया। अब आप वसूली की कैफियत देखियेगा। मेरे सामने एक केस अजीबो गरीब आया, उसको सुनकर मैं सन्नाटे में पड़ गया, और मंत्री महोदय यहां सोते हैं, यहां ऊंघते हैं, अफीम खाकर बैठे रहते हैं, इन्हें मालूम नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक काश्तकार को लोन दिया गया ट्रेक्टर खरीदने के लिए पांच हजार, उस लोन के सिलसिले में उस काश्तकार ने एक आदमी का नाम जमानती के रूप में लिखाया जिससे एग्रीमेंट के रूप में लिखाया जाता है। समझ में नहीं आता कि मंत्रीजी सोचते हैं या अधिकारी सोचते हैं, आप जांच कीजिये। उसके तीन दिन के बाद जबकि उसका लोन एग्रीमेंट फाइनल हो गया, उसके बाद में लोन सेंक्शन हो गया, लोन दे दिया गया, उसके बाद, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिसने जमानत दी थी, वह दरख्वास्त पेश करता है कि साहब, मैं तो इसकी जमानत वापिस विथड्रा करना

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

चाहता हूं, इसका जमानती मैं नहीं रहना चाहता। बड़े ताज्जुब की बात है। उससे नवीन जमानत नहीं ली जाती और अधिकारी वर्ग ने उस पर आर्डर कर दिया, अच्छी बात है, अपनी जमानत निकलवाना चाहते हो तो, उसकी जमानत निकलवाने की इजाजत दे दी। जमानत निकलवा दी गई, रुपया खत्म हो गया, ट्रैक्टर खरीदा गया या नहीं, यह आप जानें। राज्य सरकार ने रुपया दिया, वह चला गया। अब रुपया वक्त पर वापिस नहीं पहुंचा, किश्त जमा नहीं हुई। वसूली का सवाल हुआ तो उस व्यक्ति के पास, जिसको लोन दिया था, पैसा नहीं था। जमानती को कहा गया तो उसने पेश कर दिया कि मेरा जमानतनामा तीन दिन के बाद ही निकाल दिया था। मेरी समझ में नहीं आता, किस तरह की व्यवस्था करते हैं। आपने लोन दे दिया, जमानती और हो उसके पहले ही उसकी जमानत रिलीज कर दी। अब उस जमानती के ऊपर कुर्की करना चाहते हैं। मान लीजिये कि आपने लालफीताशाही के कारण कुर्की भी कर ली, जायदाद नीलाम करवा ली, लेकिन कानून राज्य सरकार के दस्तावेजों को टेनेबल और वसूली के लिए लाइएबल करार नहीं देगा। मेरी समझ में नहीं आता कि आप कृषकों को मदद देते हैं या उन पर अत्याचार करते हैं? क्या हो रहा है इस राज्य सरकार के अन्दर आप आशा करते है कि आप कृषि की उन्नति करेंगे। मैं कहना चाहूंगा कि जहां तक इस सहकारिता आन्दोलन और कृषि का मसला है यह दोनों ऐसे गम्भीर और ऐसे महत्वपूर्ण मसले हैं।

श्री शोभाराम (कृषि मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़ा आभारी होऊंगा यदि आप बता दें कि कौनसा आदमी है, जिससे एग्रीमेंट लिखवाया।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : आप इन्क्वायरी करा लीजिए। यह तो इन्क्वायरी से मालूम हो जाएगा। दुर्भाग्य से मैं कलेक्टरेट गया था। वहां मैंने सुना था। वही यह केस पेंडिंग है आप चाहेंगे तो नाम लाकर बता दूंगा। मैं सुनकर परेशान हूं....

श्री शोभाराम : नाम याद होगा ?

श्री उपाध्यक्ष : नाम याद नहीं है। सुनी सुनाई कह रहे हैं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : आप इन्क्वायरी करा लीजिए उससे मालूम हो जाएगा कि क्या हालत है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब एक ओर हम अपने हृदय में सद्भावना लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। मन्त्री महोदय से मैं केवल इतना निवेदन करूंगा कि वह सद्भावना है लेकिन इस सद्भावना के साथ जब तक आप अपने इस देश में न तो अपना सम्मान स्थापित कर सकते हैं, न जनता का कल्याण कर सकते हैं, न आप इस आन्दोलन को लेकर अग्रसर हो सकते हैं और न यह आन्दोलन सफल हो सकता है। इसलिए मैं अपने कटौती प्रस्ताव के द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक इस सहकारिता

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

का प्रश्न है, इस राज्य सरकार को एक पैसा भी नहीं दिया जाना चाहिए।

इसी तरह कृषि के अन्दर यह सरकार असफल रही है। कृषि में काश्तकारों को बरबाद करके रख दिया है। विधान सभा के सामने २५ हजार काश्तकार आये और उनकी आवाज को सुनने के लिए इस मन्त्रि-मण्डल का कोई व्यक्ति तैयार नही हुआ। आप उन गरीब कश्तकारों को जाकर आवाज नहीं सुनते तो फिर किस आधार पर आप जनता के खजाने का पैसा चाहते हैं? क्या आप अपने स्वार्थी तत्वों को बांटने के लिए, अपने आप का फायदा उठाने के लिए चाहते हैं, इस मांग के रूप में। मैं मन्त्री महोदय को बताना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि इस कटौती प्रस्ताव के द्वारा कि कृषि के सम्बन्ध में एक पैसा भी इनको नहीं मिलना चाहिए क्योंकि यह लोग अमानत में खयानत करने के लिए तैयार हैं।

श्री जुझारसिंह : (रामगंजमण्डी) आन ए प्वाइंट आफ क्लैरीफिकेशन, सर''''

श्री उपाध्यक्ष : आपके दल का समय समाप्त हो गया।

श्री जुझारसिंह : सिर्फ दस मिनट बोले हैं।

श्री लादूराम सुलानिया (फागी) : दल का बेसिस मुकर्रर किया है, उसके लिए निवेदन करना चाहता हूं कि दल के सदस्यों के नाम आयें उसके अनुसार टाइम पहले डिसाइड कर दिया, उसमें हमारा टाइम दूसरे माननीय सदस्य खा गये है तो यह ड्यूटी है आसन की, हमारी नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि हम आज जब तक नहीं बोलेंगे तब तक विधान सभा छोड़ कर नहीं जायेंगे। जब तक बोलें नहीं, हमें टाइम मिले नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोल तो रहे हैं।

श्री लादूराम सुलानिया : हमें बोलने की इजाजत दे दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : समय दे दिया जायगा।

श्री रामनारायण (मंडावा) : आन ए प्वाइंट आफ आर्डर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप से इस बात की व्यवस्था चाहता हूं कि विधान सभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले आसन की तरफ से यह बता दिया जाये कि अमुक अमुक दल की तरफ से अमुक अमुक व्यक्ति बोलेंगे। इससे थोड़ी सुविधा होती है बोलने वालों को।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें मेरे सामने कोरम का प्रश्न रहता है। मैं यह कह दूं कि यह बोलेंगे तो दूसरे बैठेंगे नहीं जब कि उन्हें बोलना नहीं है।

श्री रामनारायण : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह तो जानकारी के लिए आ जाना चाहिए कि अमुक दल से अमुक अमुक व्यक्तियों के नाम आसन के

(श्री रामनारायण)

पास आये हैं जिससे वह इस उम्मीद में रहें कि उनको समय मिलेगा या नहीं मिलेगा।

श्री उपाध्यक्ष : इस बात पर गहराई से विचार किया है। इस नतीजे पर सोच विचार करके मैं पहुँचा हूं।

श्री जुझारसिंह : आन ए प्वाइंट आफ क्लैरीफिकेशन....

श्री रामनारायण : लोगों को बार बार कसरत करनी पड़ती है उठ बैठ की वह नहीं करनी पड़ेगी।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : वह तो करनी पड़ेगी।

श्री रामनारायण : इस पर व्यवस्था हो जाती तो अच्छा रहता।

श्री जुझारसिंह : मेरा क्लैरीफिकेशन प्वाइंट यह है कि हमारी पार्टी को स्ट्रेंथ के माफिक टाइम नहीं दिया गया है। दूसरी बात जो टाइम....

श्री रघुनाथ विश्नोई : इससे तो टाइम खराब हो रहा है।

श्री जुझारसिंह : होता है, उसमें कुछ लोगों को ओवर टाइम की इजाजत दे दी जाती है, बोलते समय।

श्री उपाध्यक्ष : जो समय का बंटवारा हो उसमें आपके दल का कितना समय मानते हैं, आप बता दीजिए ?

श्री लादूराम सुलानिया : फिफ्टी परसेन्ट मानते हैं।

श्री जुझारसिंह : मैं रेस्पेक्टफुली निवेदन करना चाहता हूं कि जो जो इम्पोर्टेन्ट मेम्बर हैं उनके लिए समय का ख्याल नहीं रहता है।

श्री उपाध्यक्ष : घन्टी मैं बराबर बजाता रहता हूं।

श्री जुझारसिंह : यह सही है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, जो सहकारिता की मांग है,

श्री उपाध्यक्ष : पांच मिनट दल के बाकी है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस पर जो माननीय सदस्यों ने विचार रखे है, मैं भी आपके जरिये, राज्य सरकार को बताना चाहता हूं कि सहकारिता का जो आन्दोलन राजस्थान में जिस तरीके से चल रहा है, और राज्य सरकार की जो मन्शा थी, उसमें ट्रेनिंग के प्रोग्राम को पहली सीढ़ी के रुप में लिया उसमें इस रुप में काफी कमियां रही हैं कि इस सहकारिता आन्दोलन को राजस्थान में जिस रुप में जन आन्दोलन बनाना चाहते थे वह नहीं बना। इसके साथ साथ यह भी मन्जूर करना पड़ेगा हमको कि सहकारिता आन्दोलन ने राजस्थान में जिन कमियों के साथ साथ कुछ तरक्की की है उससे भी कोई इन्कार नहीं कर सकता है। अभी भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ आकड़े और

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

तथ्य रखे, इसके अलावा भी जो सहकारी समितियों की संख्या है, जो शेअर मनी है, जो बैंकिंग सिस्टम है और हर सीगे में जिस तरह से जितने तमाम साधन हैं उस तरह से तरक्की की जा सकती थी, उसमें कोई कमी नहीं रखी गई। इस विभाग के बारे में, विशेष तौर से इसके अन्दर भेड़ और ऊन महकमे के बारे में, एनीमल हजबेन्ड्री के बारे में इधर से स्वतंत्र पार्टी की ओर से, जनसंघ की ओर से कुछ माननीय सदस्यों द्वारा, जिनकी ओर से हमेशा इस पर जोर से आक्रमण किया जाता है, यह कहा गया कि यह सहकारी विभाग है, यह भेड़ ऊन का विभाग है, इस विभाग के अन्दर सारा घोटाला हुआ है, जो पैसा दिया गया है उसका दुरुपयोग हुआ है, कोई भी काम नहीं हुआ है, यह मैं मानने के लिए कतई तैयार नहीं हूं, क्योंकि जो भी काम काज हुआ है, जो सहकारी समितियां हैं, जो मार्केटिंग सोसाइटीज हैं, जो बैंकिंग सिस्टम है, जिसके जरिये जितनी सोसाइटीज आगे बढ़ी है। उस सबके आंकड़े हमारे समक्ष आंकड़े प्रस्तुत किये जाते हैं, विभाग की ओर से जो पुस्तिकायें जारी होती हैं, उसमे होता है कि उसमें कितनी गलती हुई हैं, कितनी प्रोग्रेस हुई है, कितने आंकड़े गलत है-यह सब सामने रखें उसके बाद में कह सकते हैं कि यह कमियां है। हर चीज में, हर विभाग मे, या सहकारी विभाग में, उपाध्यक्ष महोदय, हमको मालूम है, यह विभाग ऐसे लोगों से सम्बन्ध रखने वाले हैं कि सारे के सारे लोग इससे सेटिसफाइड नहीं होते हैं। उसका इलाज भी नहीं है। लेकिन कमियों की वजह है, आज सहकारी समितियों की आर्थिक हालत खराब होने के कारण वह अच्छा मैनेजर नही रख सकती। उसके बाद जो कुछ सारे के सारे लोग्स लिये है उस सारे में कार्य सुचारु रूप से किया गया है। इसके साथ ही साथ आडिट डिपार्टमेंट भी होता है, और जो कमियां, जो टेक्निकल एम्बे-जलमेंट और जिस तरह के केसेज होते हैं, वह उनके द्वारा बताये जाते है और उन मामलों को पुलिस में रिपोर्ट की जाती है। तो इस बारे में जो कठिनाइयां हैं, वह हम लोगों को सहन करनी पड़ेगी। इससे हम यह नहीं मान सकते कि इनमें सारी कमियां है। आप दूसरे क्षेत्रों को ले लीजिये, प्राइवेट एन्टर प्राइजेज और प्राइवेट एजेंसी के रूप में कोपरेटिव साथ साथ काम कर रही है, उनसे हमें इस बात को मानना पड़ेगा कि आज जो आर्थिक सकट है, उसको दूर करने के लिए सामाजिक व्यवस्था मे ऐसा कण शुरू से लगाया गया है। तो इस बारे में सब तरफ से आक्रमण होना स्वाभाविक है। यह एक ऐसा आन्दोलन है जिसमे कमियां हो सकती हैं। राज्य सरकार के जितने सीमित साधन है, उनको देखते हुए यह आन्दोलन जिन लोगों को अफेक्ट करता है, जिन लोगों का इससे फायदा होता है, जितना थोडा बहुत धन उपलब्ध होता है उसके मुका-बले में इसकी प्रोग्रेस को देखें तो किसी भी हालत में इसको कम नही बता सकते और यह नहीं कह सकते कि जो पैसा सोसा-यटियो को दिया गया वह सारा का सारा बरबाद हो गया। हां, कुछ परटीक्यूलर सोसायटीज में गड़बड़ हो सकती है, कुछ

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

सदस्य खराब हो सकते हैं पर इससे यह कन्क्लूजन नहीं निकाला जा सकता कि जितनी सहकारी समितियां हैं, जितनी सोसायटीज हैं वे सब की सब खराब हैं, जितने इनके सदस्य हैं वे सब के सब खराब हैं और जितना पैसा इनको दिया गया है वह सारा का सारा बरबाद हो गया है। सोसायटीज का बराबर प्राडिट होता है और जहां कहीं गड़बड़ी पाई जाती है तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। पिछले आंकड़ों को देखें तो पता चलेगा कि आडिट के आधार पर जो कमियां नजर आईं कि हर पंचायत में दो-दो, तीन-तीन सोसायटियां होने से वे ठीक तरह से काम नहीं कर सकती हैं, उनमें कुछ सदस्य गड़बड़ करते हैं उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होती है, इसलिए राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि हर पंचायत में एक बड़ी सोसायटी होनी चाहिए जिसमें कम से कम २०० सदस्य हों। यह विलीनीकरण का जो कदम उठाया गया है, इसलिए उठाया गया है कि जो कमियां नजर आईं उनको दूर करने के लिए एक ऐसी सशक्त सोसायटी हो जो सारा काम अच्छी तरह से कर सके। पहले सोसायटीज के जिम्मे केवल ऋण देने का काम था पर अब ऋण, अमोनिसाइड्स पैस्टीसाइड्स फर्टीलाइजर्स आदि का भी इनके पास काम रहेगा, कृषि के साथ-साथ सहकारिता का भी काम, कृषि और सहकारिता में समन्वय करने के लिए दिया गया है, इस तरह इनके पास ज्यादा काम आया है। इसके लिए यह वायेबल यूनिट बनाना आवश्यक था, वह बनाया है, यह राज्य सरकार ने उत्तम कदम उठाया है। पर इसके साथ ही साथ मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जिस मकसद से यह विलीनीकरण की योजना लागू की है, इसको सफल बनाने के लिए ट्रेनिंग देने की भी समुचित व्यवस्था की जाय। जिस मंशा से आपने यह फैसला किया है उस लिहाज से मैं सहकारी मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि लोगों को इस सम्बन्ध में ट्रेनिंग देने के लिए कितने इन्स्टीट्यूशन्स का प्रावधान आपने किया है? आपकी यह मंशा तभी सफल हो सकती है जब कि गांवों के अब अनपढ़ सदस्यों को अधिक से अधिक ट्रेन्ड किया जाय। आज आपके मैनेजर ट्रेन्ड हैं, सरकारी अधिकारियों को ट्रेनिंग दी है, जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनकी तो ट्रेनिंग के जरिये संख्या सरकार ने बढ़ाई है. इसमें काफी प्रगति हुई है, इसको मैं मानता हूं पर जो पुस्तक सहकारी विभाग ने वितरित की है, उसमें दिये गये आंकड़ों को मैंने अच्छी तरह से देखा है, उनसे मुझे स्पष्ट रूप से मालूम पड़ा कि जो नान आफिशियल सदस्य सहकारी समितियों के हैं उनकी संख्या ट्रेनिंग में जितनी बढ़ाई जानी चाहिये उतनी नहीं बढ़ाई गई है। उसका कारण पुस्तिका में बताया है कि सोसायटीज अपने सदस्योंको समय पर ट्रेनिंगके लिए नहीं भेजतीहैं, उनकी आर्थिक हालत ठीक नहीं होने से कारण वे सदस्यों को ट्रेनिंग के लिये नहीं भेज सकती हैं, सोसायटीज अपने सदस्यों को ट्रेनिंग दिलाने में कम कोआपरेट करती हैं। तो इसके लिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सदस्यों को ट्रेनिंग देने के लिए आपको इन सोसायटीज की सहायता करनी चाहिये।

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

इतना फर्टीलाइजर, अमोनियाइड्स, ऋण आदि का बड़ा काम इन सोसायटीज को दे रहे हैं तो नान आफिसियल सदस्यों को ट्रेनिंग देने का काम भी उतनी ही तेजी के साथ आपको बढ़ाना चाहिये, उनको ट्रेनिंग देने की सबसे पहली आवश्यकता है वरना जिस मंशा से आपने यह कदम उठाया हैं, आपकी वह मशा पूरी नहीं हो सकेगी। मैं सहकारी मन्त्रीजी से कहना चाहूंगा कि यदि थोड़ी बहुत कमियां भी राज्य के इस फैसले को क्रियान्वित करने में रहीं तो फिर आपको यही बातें सुनने को मिलेगी कि यह यह खामियां रहीं, यह यह गड़बड़ियां हुई। सहकारी विभाग के अन्दर इन्डस्ट्रियल क्षेत्रों को दिया जा रहा है, यह तभी सफल हो सकते हैं जबकि इनको पर्याप्त मात्रा मे धन उपलब्ध हो, ये सहकारी समितियां सेल्फ सफिसियेन्ट हैं। इसके लिए ट्रेनिंग देने के कार्य को जल्दी से तेजी के साथ बढ़ाने की आवश्यकता है। लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए ट्रेनिंग सेन्टर्स खोले जाय, रूरल ट्रेनिंग कैम्प्स चालू किये जांय, पर आपने ट्रेनिंग कैम्प्स बढ़ाये नहीं। गांवो म अनपढ़ सदस्यो को ट्रेन्ड करने के लिए रूरल ट्रेनिंग कैम्प्स ज्यादा से ज्यादा तादाद में लगाने चाहिये। यदि इस प्रकार के ट्रेनिंग कैम्प्स गांवों में अधिक से अधिक सख्या मे खोल कर गावों के लोगों को ट्रेनिंग नहीं देंगे और धीरे धीरे ट्रेनिंग देन का सिलसिला चलायेंगे तो ४ से ६ साल के अन्दर सब को ट्रेन्ड करने का आपका टार्गेट है, वह कभी पूरा नहीं हो सकेगा और जो आपकी यह विलीनीकरण की योजना पूरी करने का लक्ष्य हैं वह लक्ष्य पूरा नहीं हो सकेगा।

इसलिए माननीय उपाध्यक्षजी, इस ट्रेनिंग के प्रोग्राम को, हर तरह हर क्षेत्र में, कन्ज्यूमर्स स्टोर्स, बैंकिंग इन्स्टीट्यूशन्स, मार्केटिंग सोसायटीज, सहकारी कोआपरेटिव सोसायटीज आदि में तेजी के साथ चलाया जाय। आज मंडी कमेटीज काम नहीं कर रही है, जो कानून बनाया वह खटाई में पड़ गया हैं। अत: यह आवश्यक है कि ट्रेनिंग देने का काम तेजी के साथ चलाया जाय।

इसके साथ ही साथ मै निवेदन करना चाहता हूँ कि राजस्थान मे कृषकों के उत्पादन का मूल्य है वह एक साल के अच्छे उत्पादन से ही कम हो गया है। इसकी वजह यह है कि आपकी मार्केटिंग सोसायटीज कमजोर हैं। उनकी आर्थिक हालत कमजोर है इसलिए ये भावों का कन्ट्रोल नहीं कर सकतीं। अगर ये मार्केटिंग सोसायटीज कृषकों की उपज के भावों का कन्ट्रोल नहीं कर सकें, किसानों को उनकी आवश्यकता की चीजें उपलब्ध नहीं करा सके तो यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, इसके सम्बन्ध में सरकार को सक्रिय कदम उठाने की आवश्यकता है।

इसके साथ मैं यह भी कहूंगा कि कोआपरेटिव कन्ज्यूमर्स स्टोर्स ने कन्ज्यूमर्स होलसेल सेन्टर्स ने प्राइसेज को कन्ट्रोल करने में अच्छा काम किया है। डीवेल्यूएशन के बाद सरकार के द्वारा यह एक अच्छा कदम उठाया गया है, प्राइसेज को कन्ट्रोल करने

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

के लिए यह एक अच्छा कदम था। इनको और सशक्त बनानेके लिए इनकोराज्य सरकार द्वारा जितनी पैसे की मदद की आवश्यकता है, उतनी मदद राज्य सरकार को करनी चाहिये। मार्केटिंग सोसायटीज को मजबूत करने के लिये पूरा धन राज्य सरकार को उन्हें उपलब्ध कराना चाहिये।

इसके साथ ही साथ सहकारी आंदोलन में बजट के जो एस्टीमेट्स है पहले ट्रेनिंग के मद में कटौती की, इस साल यह प्रोग्राम बढ़े, ऐसी चीज मुझे दिखती नहीं है। इसके लिए सहकारी मन्त्रीजीको जोर लगाना चाहिये ताकि आपका यह आंदोलन गांव गांव में हर फेमिली में पहुंच सके। यह तभी हो सकता है जबकि पूरे साधन उपलब्ध हों और सोसायटीज के सारे सदस्य ट्रेन्ड हों, ताकि फालतू अवांछनीय तत्व इनमें नहीं घुस सकें और वे लोग गड़बड़ी नहीं कर सकें।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि सारी सोसायटीज में भ्रष्टाचार हैं, यह मैं नहीं मान सकता, बराबर इनका आडिट होता है और जहां कहीं गड़बड़ी होती है तो राज्य सरकार एक्शन लेती है। तो हम यह नहीं मान सकते कि सब में भ्रष्टाचार है और सहकारी आंदोलन खराब है। आप यदि अपनी नीति के रूप में यह मानें कि सहकारी आंदोलन खत्म कर दो तो यह हो नहीं सकता। हमारे यहां समाजवादी समाज की स्थापना में यह सहकारी आंदोलन भविष्य में बहुत अच्छा रोल अदा करेगा। हां यह जरूर है कि इसमें जो थोड़ी खामियां हैं उनको दूर करने के लिए राज्य सरकार द्वारा व्यवस्था की जाय जिससे कि वे प्राइवेट ट्रेडर्स से कम्पीट कर सकें। इसलिए मै सहकारी मन्त्रीजी से इस रूप में कमियों को दूर करने के लिए आग्रह करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की बैठक का समय आधे घण्टेके लिए और बढाया जाताहै।

श्री जयनारायण सालोदिया !

श्री जयनारारण सालोदिया (निवाई) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं थोड़े से समय में ही अपनी बात समाप्त कर दूंगा। भूमिका न बांध कर प्रश्नों के रूप में सहकारी मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी सहकारी समितियों के सम्बन्ध में कट मोशन्स दिये हैं, उनमें मेरे तीन प्रश्न मुख्य हैं। एक कट मोशन मे यह है कि निवाई में मार्केटिंग सोसाइटी है और वह बहुत दिनों से काम कर रही है, काम क्या कर रही है बहुत दिनों से करप्शन फैलाने में सहयोग दे रही है। मैं कहता हूं कि ऐसी गन्दी संस्थाओं के द्वारा ही सहकारी आन्दोलन बरबाद हो रहा है। मैंने इस मामले को पिटीशन कमेटी में उठाया, पिटिशन कमेटी ने जो रिमार्क्स इस सहकारी समिति के बारे में दिये हैं, उन्हें अगर मैं यहां पढ़ कर सुनाऊं तो सहकारी मंत्रीजी का सिर शर्म के मारे झुक जायगा।

इस सहकारी समिति को २५ हजार रुपया गोदाम के निर्माण के लिए अनुदान के रूप में दिया गया। ६-७ साल होने आये फिर भी आज तक गोदाम जैसी चीज इस

(श्री जयनारायण सालोदिया)

सहकारी समिति ने नहीं बनाई है, पिटीशन कमेटी की मार्फत पूछा तो उन्होंने कहा कि अन्य कामों में यह रुपया खर्च हो गया।

(५ म. प.)

जहां तक काम का प्रश्न है, कोई काम नहीं करते हैं। अपने कर्मचारियों को बैठे २ वेतन देने में सारा रुपया खर्च हो जाता है। इसलिए मंत्री महोदय अपने जवाब में इस मामले की पूरी जांच करके मुझे सन्तुष्ट करने की कोशिश करेंगे कि आया वह २५ हजार रुपये सहकारी समिति से वसूल करना चाहते हैं या नहीं।

इसी सहकारी समिति के विरुद्ध करीब १८ हजार सेल्स टैक्स के बाकी हैं, वह दे नहीं पाती क्योंकि दे कहां से ? उसके पास पैसा नहीं है न कोई जायदाद है। इस तरह की सहकारी समितियों को भंग किया जाय तो वह सहकारिता के हक में होगा।

यहां कोई जयपुर में हाउसिंग सहकारी समिति बनी है जय अम्बे कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, अजमेरी रोड पर बनी है। उसने आस पास के कई प्लाट्स ६,००० के करीब खरीदे हैं और उसका मंत्री है श्री एस. सी. सत्संगी जो श्री हरिश्चन्द्र माथुर के भतीजे के लड़के हैं, उपमंत्री हैं श्री शंकर लाल शर्मा, श्री आर. के. चतुर्वेदी, चेयरमैन बोर्ड आफ रेवेन्यू के दामाद हैं। इसमें मन्त्री और उपमंत्री इन्वाल्ड हैं। जो सदस्यों की शेयर मनी का रुपया इकठ्ठा किया है उसका हिसाब नहीं देते हैं न मीटिंग बुलाते हैं न आडिट कराते हैं और न ही चुनाव कराते हैं। सदस्यों ने जब कहा, हिसाब किताब हमारे सामने रखो, तो मंत्री ने कहा कि हिसाब किताब मेरे पास से गुम हो गया है। इसलिए मंत्री महोदय उत्तर देने की कृपा करेंगे कि कितना हिसाब किसके पास था, कौन जिम्मेदार है।

एक कृषि सहकारी समिति है पूर्वी क्षेत्र सहकारी समिति कूकस में अनुसूचित जाति के लोगों के लिए बनाई। उसका रजिस्ट्रेशन हुआ क्रमांक १२३० दिनांक २१-८-५९ को और उसको ६१ बीघा २ बिस्वा जमीन एलाट की गई। उसके बाद समिति ने जमीन पर कब्जा किया, वह जमीन का लगान दे रही है और काश्त कर रही है। दो तीन साल बाद कुछ प्रभावशाली लोग, जो सचिवालय में सरकारी कर्मचारी हैं उन्होंने मिलकर तहसीलदार से, कर्मचारी का नाम है श्री रामेश्वर प्रसाद, यह सचिवालय में क्लर्क हैं, अपने पिताजी सुवालाल और उसकी पत्नी श्रीमती प्रेमलता के नाम से उस सहकारी समिति की जमीन में से १५-१५ बीघा अलाट करवाई। जब समिति के सदस्यों को मालूम हुआ और जब जमीन पर मकान बनने लगे तो मालूम हुआ कि यह जमीन सहकारी समिति को आज से ४ साल पहले एलाट हो चुकी है। उन्होंने कहा कब्जा कुछ नहीं, यह हमें एलाट हो गई है। फिर उन लोगोंने कलक्टर जयपुर को अपील की, अपीलमें सहकारी समिति के हक में फैसला हो गया। मैंने इस प्रश्न को ध्यानाकर्षण के रूप में सदन में उठाया था और उसी संदर्भ में मौजूदा राजस्व मन्त्री ने आश्वासन दिया कि मामला

(श्री जयनारायण सालोदिया)

बिल्कुल वाजिब है, इसकी जांच कराएंगे और जल्दी से जल्दी सहकारी समिति की बाउंडरी की पत्थरगढ़ी करायेंगे। इसी सिलसिले में राजस्व विभाग ने उनसे पत्थरगढी के लिए १०) रु० फीस मांगी, उन्होंने १०) जमा कराए लेकिन आज तक दुख इस बात का है कि मामला विधान सभा में आया, आश्वासन हुआ और राजस्व मन्त्री स्वयं ने कई बार इस तरह के उनके प्रार्थना पत्रों पर आदेश दिये हैं कि कलक्टर खुद इसमें दिलचस्पी लेकर सहकारी समिति कोजमीन का कब्जा जल्दीसे जल्दी दिलायें। आखिरी प्रार्थना पत्र जो सहकारी समिति के सदस्यों ने श्री अमृतलाल यादव को दिया है वह २२-१२-६७ का है। श्री यादव ने लिखा है :

"माननीय राजस्व मन्त्री महोदय कृपया आवश्यक आदेश प्रदान करें".

राजस्व मन्त्री ने आदेश दिया उस पर :

'कलक्टर जयपुर स्वय मामले को देखें। पत्थरगढ़ी के लिए कई प्रार्थना पत्र पेश हुए तहसील में, कोई कार्यवाही नहीं होती है, पत्थरगढी की कार्यवाही की जाकर मुझे रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

ह० बृजसुन्दर शर्मा।"

इस तरह राजस्व मन्त्री ने आदेश दिए कलक्टर को, उसके बाद कई बार राजस्व मन्त्री से मिला हूं और कलक्टर से निवेदन किया है लेकिन वहां के वहां हुक्म होते हैं नीचे पटवारी तक जाकर राजस्व मन्त्री का हुक्म, अमृतलाल यादव का हुक्म और सहकारी विभाग के आदेश, सब निरस्त हो जाते हैं। इसी बीच में सहकारी समिति पर उक्त रामेश्वर प्रसाद ने, जो सरकारी कर्मचारी है, वहां जमीन पर जाकर जो सहकारी समिति के शिड्यूल्ड कास्ट के लोग थे, उन पर जयपुर से जीप में गुंडों को लाकर गोलियां चलवाईं। एक आदमी जिसका नाम है रामपाल पुत्र किशिना, उसके हाथ में छर्रों की चोट लगी। दूसरा उसका भाई है मैरों उन लोगों को पीटा और उसकी पसली तोड़ दी, वह अस्पताल में भर्ती हुआ, आज तक प्लास्टर बंधा हुआ है। तो इन कृषि सहकारी समितियों की क्या हालत है? किस तरह राजस्व विभाग और सहकारिता विभाग के सहयोग न होने के कारण लोगों को परेशानियां उठानी पड़ती हैं, उनके पास पैसा नहीं है, रिश्वत देने के लिए पैसा नहीं है, न कानून की जानकारी है।

एक सहकारी समिति रजिस्ट्रेशन करके जमीन अलाट कराके बैठ जाय और जो उन पर आक्रमण करे, उनकी मदद सरकार न करे तो फिर कैसे आपका सहकारी आंदोलन चलेगा? अभी मेरे पूर्व वक्ता ने एक दूसरी सहकारी समिति का जिक्र इस तरह से किया था तो सभी सहकारी समितियों में इस प्रकार की गडबडी हैं।

(घंटी)

(श्री जयनारायण सालोदिया)

कृषि मण्डियों के संबंध में निवेदन करना चाहता हूं कि ये कृषि मंडियां जो सरकार ने कायम की हैं, उससे व्यापारी को परेशानियां तो हुई हैं लेकिन इसके साथ-साथ किसानों को भी हुई हैं। उनके माल की जितनी वाजिब कीमत मिलनी चाहिये, नहीं मिल सकती।

श्री रघुनाथ विश्नोई : कैसे नहीं मिल सकती, जब आक्शन होता है ?

श्री जयनारायण सालोदिया : आक्शन का तरीका है जैसे निवाई में मन्डी है, रोजाना ५००-६०० गाड़ियां आती हैं। पहले वे गाड़ियां अलग अलग आड़तियों के पास आती थीं। १०-१० गाडियां आती थीं। इससे अच्छा दाम मिल जाता था। अब क्या होता है। कृषि मन्त्री का आदमी जाता है और सब गाड़ियों पर खड़ा रहेगा, बोली बोलेगा एक दो तीन।

तो यही तो मैं कहता हूं किसान को इस तरह से कम पैसा मिलता है।

श्री हंसराज आर्य : यह कैसे ? मन्डी कमेटी से व्यापारियों को नुकसान है। किसान को नहीं। यह बिल्कुल गलत है कि किसान को कम पैसा मिलता है।

श्री जयनारायण सालोदिया : बोली वहां लगाते हैं और जल्दी-जल्दी एक दो तीन करके समाप्त कर देते हैं। इससे किसान की एक दो तीन हो जाती है।

यह सब बातें कृषि मण्डी की वजह से है। इसमें भी मैं अपने अनुभव की बात निवेदन कर देना चाहता हूं। हमारे जिले में कई जगह कृषि मण्डियां हैं और जहां तक मेरी जानकारी है टौंक में भी है। वहां का सारा स्टाफ काम के अभाव में बैठा रहता है। मैंने पूछा क्यों क्या काम नहीं है। वहां से उत्तर मिला कि कृषि मन्त्री का आदेश है कि टौंक में काम नहीं किया जावे। आदेश बतलाया भी मुझे। अब उन्होंने दफ्तर में रक्खा है, स्टाफ है उसका किराया तनखा सभी लगते हैं। और सब जगह काम कर रही हैं, पर टौंक में कृषि मण्डी क्यों नहीं काम कर रही है। मैं निवेदन कर दूं मन्त्री महोदय से कि यह उनके आदेश से बन्द है।

इसी के साथ मैं पशु पालन विभाग के सम्बन्ध में थोड़ा कहना चाहता हूं।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

पर समय नहीं है इसलिए कभी और टाइम कहूंगा। जो-जो बातें इस विभाग के बारे में सुनने को मिली हैं डाइरेक्टर साहब की उम्र के सम्बन्ध में हो सकती है, योग्यता के सम्बन्ध में हो सकती है धान्धली और पक्षपातपूर्ण रवैये के बारे में हो सकती हैं। ये सब बातें बाद में टाइम मिलेगा तो इसी सेशन में निवेदन करूंगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह सब तो कह चुके।

श्री जयनारायण सालोदिया : नहीं, कुछ नहीं कहा। तफसील में कहना चाहूंगा। तैयारी भी कर रहा हूं। उस सब का क्या बैक ग्राउण्ड है यह सब बाद में कहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदय।

एक माननीय सदस्य : एक घंटे का समय बढाया तो बोलने तो दीजिये।

श्री मोहनलाल मोदी : आपके दल का समय समाप्त हो चुका।

श्री लादूराम सुलानिया : मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : समय हो गया है। माननीय मन्त्री महोदय।

श्री महेन्द्रसिंह हाड़ा : पांच मिनिट में मैं बोल लूंगा। इतना समय मुझे भी दिया जाय।

श्री नाथूलाल बागीदुरा : पांच मिनट महेन्द्रजी को दे दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री महोदय।

श्री मोहनलाल मोदी : मैं सहकारी समितियों में फैले भ्रष्टाचार पर बोलना बड़ा महत्वपूर्ण मामला है, समय चाहूंगा। चाहता हूँ मिलना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष (श्री लादूराम सुलानिया और श्री मोहनलाल मोदी के एक साथ बोलने पर) : दोनों एक साथ ही बोल लीजिये। दो निपट जावेंगे। कृपया स्थान ग्रहण करें। समयाभाव है। समय बढाने के बाद भी सब बोल नहीं सकेंगे। जो आज नहीं बोल पावेंगे उनको कल अवसर मिल जावेगा। समय काफी हो गया है। रोजाना समय बढाते जाना भी उचित नहीं है। जो आज नहीं बोल पाये हैं उनका कल अवश्य ध्यान रखा जावेगा।

श्री मोहनलाल मोदी : आज की तैयारी कल सब पत्ते में चली जावेगी। मैंने भ्रष्टाचार के बारे में कटौती का प्रस्ताव रक्खा है। मेरे को थोड़ा समय मिलना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आपके कटौती प्रस्तावों के लिखित में उत्तर भिजवा दिये जावेंगे।

श्री मोहनलाल मोदी : मैं सदन के सामने ऐसे भ्रष्टाचार के आरोप रखना चाहता हूं कि आज जितना भ्रष्टाचार इस सहकारिता विभाग में देखने को मिलता है उतना चिराग लेकर ढूंढेंगे तब भी कहीं और मिलेगा नहीं। तो इसलिये

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज आर्डर। कल मैं माननीय सदस्यों का जो आज नहीं बोल पाए उनका ध्यान रक्खूंगा। निवेदन कर दिया। आज समयाभाव है। आपको भी बोलने का आनन्द नहीं आवेगा। कल आपको पहले बोलावेंगे सबसे।

श्री लादूराम सुलानिया : सहकारिता

(श्री लादूराम सुलानिया)

का नारा लगा कर, ढोल पीट कर करोड़ रुपया खर्च करके जिस सहकारिता को पन-पाना चाहते है....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदय का भी उत्तर नहीं सुनना चाहते ?

श्री नत्थीसिंह : नहीं सुनना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : सुनना चाहते हैं तो फिर सहयोग दीजिये । माननीय मन्त्री महोदय ।

श्री लादूराम सुलानिया : मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं । तीन चार सहकारी समितियों के बारे में निवेदन करूंगा बस ।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने निवेदन कर दिया कि समयाभाव है ।

श्री लादूराम सुलानिया : और मैं बहुत ही थोड़े समय में निवेदन कर दूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष : बिना इजाजत के नहीं, कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री शोभाराम (कृषि व सहकारिता मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले सहकारिता के बारे में मुझे निवेदन करना है । जो तथ्य इसके पक्ष विपक्ष में रक्खे गये उन पर अपने विचार प्रकट करते हुए मुझे जो कहना है उससे पहले मैं सहकारिता के सिद्धान्त के बारे में दो शब्द कह देना चाहता हूं सक्षेप में । सहकारिता कोई राज सरकार की चीज बने मैं इस बात को नहीं मानता ।

मैं इसकी पृष्टभूमि में यह देखता हूं कि किसान और मजदूर जिनका जमाना पिछले कई युगों में नहीं आया उनके सामने आज नई रोशनी और एक नई चेतना का युग लेकर यह सहकारिता आई है । न केवल हिन्दुस्तान में ही, बल्कि दुनिया भर में । जहां पर कि यह सहकारिता आन्दोलन जागृत हुआ, मजबूत बना । उन सबकी हवा का प्रभाव है कि यहां पर भी सहकारिता आन्दोलन पनपा और सहकारिता आन्दोलन को कौन चाहता है, किसके लिये है यह मर्म की बात जबतक हम नहीं समझ लेंगे तबतक सहकारिता का मतलब हम नहीं समझ पावेंगे ।

आज बोलने के लिये मैंने सदन में ऐसे लोगों को सहकारिता के पक्ष में बोलते देखा जिनका कि बिजनेस और जिनका कि पैसा और जो भी कुछ वे कार्य करते हैं वह बिलकुल सहकारिता के विपरीत है । मैं नहीं समझ सकता कि एक स्थापित स्वार्थ और एक दूसरा स्वार्थ जो गरीब लोगों का है इन दोनों के बीच में टकराव किस माने में सामने आता है तो मैं यह मानकर चलता हूं कि कम से कम स्थापित स्वार्थ वाले लोग नये आन्दोलन को नई जिन्दगी की प्रणाली को चलाने की व किस तरह से अपने दिमाग में और दिल में बिठाने की कोशिश करेंगे ।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि एक जमाना था मनी लेंडर का जब वह तीन रुपया सैंकडा की दर से ब्याज लेता था । उस जमाने की पृष्ठभूमि में कमशियल बैंक की स्थापना हुई और उस जमाने में सन् १९६७ से लेकर १९२७ तक दर्जनों बैंक इस तरह के फेल

(श्री शोभाराम)

हुए। पर जमाने का तकाजा था मांग थी इसलिये आज कर्मशियल बैंक कामयाब होते जा रहे हैं।

और मैं यह भी कहना चाहता हूं और इसलिये भी कि यह राजनीति का सवाल नहीं है। पार्टी विशेष का भी सवाल इसमें नहीं है। सरकार का भी इसमें सवाल नहीं है। आज जमाने का तकाजा है कोई सरकार सहकारी आन्दोलन को पनपावे या नहीं पर आने वाले दस सालों में हिन्दुस्तान में सहकारी माध्यम से यहां की अर्थ प्रणाली पर सबसे बड़ा प्रभाव पडने वाला है और किसान इस प्रणाली के माध्यम से अधिकाधिक पनपने वाला है। यह मैं स्पष्ट देख और अनुभव कर रहा हूं।

यह मैं आपको बताना चाहता हूं और यह भी कहना चाहता हूं कि सहकारिता के बारे में लोग बहुत सी बातें करते हैं और मैं समझता हूं कि दस साल पहले सहकारी आन्दोलन की इतनी मुखालफत नहीं हुई लेकिन जब आज मुखालफत ज्यादा होती है तो मुझे अनुभव होता है कि सहकारी आन्दोलन ज्यादा मजबूल बना है। क्योंकि जिस चीज की जितनी ज्यादा मुखालफत होती है वह उतनी ही मजबूत बनती है....

श्री महेन्द्रसिंह पवार : मजबूत तो नहीं ढीली है।

श्री शोभाराम : लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो गड़बड़ियां हैं वह कैसे दूर होंगी। शैशवावस्था में यह आन्दोलन चल रहा है, यह गिरकर उठेगा और चलेगा और गलत आदमी इसमें से निकलेंगे और बेईमान आदमियों को इसमे घुसने की गुंजाइश नहीं मिलेगी। इसका भी एक नक्शा है और चित्र हैं वह मैं थोड़े में आपको बता देना चाहता हूं....

श्री मोहनलाल मोदी : आपकी शक्ति नहीं है गलत आदमियों को निकालने की।

श्री नत्थीसिंह : नीहित स्वार्थ दोनों तरफ है।

श्री शोभाराम : मैं समझता हूं और आप भी समझते हैं।

मैं आपसे यह कह रहा था कि बहुत सी बातें कटमोशन्स में माननीय सदस्यों ने रखी इर्रेगुलेरिटीज के बारे में, चुनावों के बारे में, एम्बेजलमेन्ट के बारे में और मिसएप्रोप्रियेशन के बारे में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो राजस्थान स्टेट कोआपरेटिव एक्ट बना इसके अन्दर सबसे बड़ी मूलभूत बात अगर हम एक बार कबूल करलें कि सहकारी संस्थाओं को क्या हमको आटोनामस इन्स्टीट्यूशन बनाना है या सरकार के ऊपर आधारित ही इसको रखना है अगर इनको आटोनामस इन्स्ट्रीट्यूशन रखना तो है निश्चित तरीके से जो आटोनामस तरीके की आजादी हैं उसको हमें सुरक्षित रखना पड़ेगा। यहां इस एक्ट के अन्दर प्रावधान आपको मिलेगा—मैं आपको बताता हूं चुनावों के बारे में अगर आप देखतें हैं कि किसी लेवल पर कोई चुनाव में गड़बड़ी होती है तो दफा ७५ के अन्दर वह झगड़े की तारीफ में आता है। यही मामला आर-

(श्री शोभाराम)

बीट्रेटर के पास जाता है जो कि इन्डीपेन्डेन्ट ट्रिव्यूनल की तरह से बैठता है और मैं बताना चाहता हूं कि उस फैसले के खिलाफ भी अगर कोई गलती होती है तो रेवेन्यू बोर्ड और हाईकोर्ट में जाने की सबको इजाजत है। इस प्रकार की एक प्रणाली हमने कायम की। अब मैं यह भी चाहता हूं कि ऊपर से बैठकर चुनावों के बारे में झगड़ों को तय किया करें तो यह ठीक नहीं हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि आखिरकार कोई एक आदमी १२ हजार कोआपरेटिव सोसाइटीज जो काम कर रही हैं और इसके अलावा बहुत सी सेन्ट्रल सोसाइटीज और अपेक्स सोसाइटीज काम कर रही हैं और जिनमें सालभर के अन्दर हजारो की तादाद में चुनाव होते हैं और कम से कम हजारों की तादाद में लोग उसके लिए लड़ते हैं, चुनाव कोई गिरता है कोई कामयाब होता है मै मानकर चलता हूं कि बहुत सी जगह होता होगा कि चुनाव के परिणाम ठोक ढंग से नहीं होते होंगे ...

श्री मोहनलाल मोदी : एक जगह भी नहीं होते हैं।

श्री शोभाराम : मैं यह मानकर चलता हूं कि जहां तक सदस्यता की भर्ती का सवाल है जो मैनेजमेन्ट में बैठ जाते हैं वह नये मेम्बर्स को आने के लिए वंचित रखते हैं या रुकावट डालते हैं लेकिन फिर भी हम सोचते हैं तो आखिरकार क्या किया जाये। इसका तरीका यह है कि सेन्ट्रेलाइज होकर एकआदमी गवर्नमेंटमें बैठकर रजिस्ट्रार चीजों का फैसला करें क्या मतलब है इन्डीपेन्डेन्ट एक इन्सटीट्यूशन कायम किया जाकर चुनाव का फैसला करे। यह मैं समझता हूं कि सन् ६५ के एक्ट में सबसे बड़ा प्रावधान रखा गया था कि इन्डीपेन्डेन्ट ट्रिव्यूनल के तौर से तमाम बातों का फैसला होना चाहिए मैं भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य को यह निमंत्रण देना चाहता हूं जो भी उन्होंने एक्ट में खामियां बताई—कुछ उनके प्रोपोजल्स हमारे सामने आये और मैं मानता हूं कि जहां कि लोग यह करते हैं कि मेम्बर्स को स्वीकार नहीं करते दो दो साल तक वह बिना मेम्बर हुए पड़े रहते हैं—मै इसके लिए व्यक्तिशः तरीके से सोचता हूं और इस प्रकार का अमेन्डमेन्ट पेश करना चाहता हूं कि २ महीने तक किसी की दरख्वास्त पर मेम्बर की एप्लीकेशन पर फैसला नहीं होता है तो वह आटोमेटिक मेम्बर माना जायेगा। अगर २ महीने के अन्दर डिस्क्वालीफिकेशन के आधार पर रिजेक्ट किया जाता है तो जब तक कारण नहीं होंगे मैं समझता हूं कि वह भी एक एक तरीके से रिजेक्शन पर नहीं माना जायेगा। अगर किसी को डिस-क्वालीफिकेशन के आधार पर करना है तो उसके रीजन्स देने पड़ेंगे यह नहीं कि उसके कारण नहीं दिये और फैसले के तरीके से लेखपत्र नहीं गया तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार के फैसले किसी हालत में कबूल नहीं किये जायेंगे। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि इर्रेगुलेरिटीज के बारे में बहुत सी बातें सामने आई। इर्रेगुलेरिटीज इस तरह की होती है कि आडिट आंबजेक्शन्स में दो—तीन प्रकार की होती हैं। एक तो वह

(श्री शोभाराम)

इरेंगुलेरिटी जिसमें कि बुक एडजस्टमेन्ट में गलती हो और जिसको रेगुलेराइज़ किया जा सकता है। यह तो बोर्ड ग्राफ डाइरेक्टर्स के देखने की बात है और मैनेजमेन्ट के देखने की बात है। अगर वह कम्पलायेन्स नहीं करते हैं तो निश्चित तरीके से ग्राडिट रिपोर्ट में एक बड़ा कारण बनता है और उस पर एक्शन लिया जा सकता है और दूसरी इरेंगुलेरिटीज होती हैं एम्बेजलमेन्ट की। मैं मानता हूं कि ग्राडिट रिपोर्ट में इस प्रकार के उल्लेख हैं कि जहां किसी व्यक्ति विशेष के बारे में उसने गड़बड़ी की या बोर्ड ग्राफ डाइरेक्टर्स ने गड़बड़ किया जिससे धन की हानि हुई तो मैं समझता हूं कि इस पर एक्शन लेना चाहिए।

मेरे सामने प्रश्नकाल में ११ और १२ के बीच में बहुत सी बातें आती है और वह जनरल तरीके की बातें आती है। लेकिन यह देखना पड़ेगा कि कौनसी इरेंगुलेरिटी को दूर करने के लिए, एम्बेजलमेन्ट को दूर करने के लिए सबसे बड़ा प्रावधान है कि कहीं तो असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार अपने लेवल पर एक्शन ले सकता है, कहीं नहीं ले सकता है, कहीं सोसाइटी लेवल पर एक्शन ले सकते हैं, कहीं डी० आर० लेवल पर एक्शन हो सकता है, कहीं रजिस्ट्रार ले सकता है इन तमाम चीजों के प्रावधान का लेखा-जोखा है। फिर कौन उसकी दरख्वास्त पेश करे ? कई ऐसे मामले होते हैं जो कि सहकारी समिति के मेम्बर्स जिम्मेदार होते हैं और बाहर के आदमी को शिकायत करने का हक नहीं है। दूसरे एम्बेजलमेन्ट के केसेज़ होते हैं जो कि किसी भी अधिकारी के नोटिस में आते हैं तो निश्चित तरीके से एक्शन नहीं लेता है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बजाय इसके कि यह होगा वह होगा ...

श्री उपाध्यक्ष : सदन की अनुमति से बैठक का समय आधे घण्टे के लिए बढ़ाया जाता है।

श्री शोभाराम : एम्बेजलमेन्ट के केसेज़ हैं उनके लिए उनकी पृष्ठभूमि में कारण बताते हुए तथा फैक्ट्स देते हुए अगर हमारे सामने आयेंगे तो उनकी जानकारी करेंगे।

इस सिलसिले में मैं झुंझुनूं सहकारी बैंक के बारे में कुछ अर्ज करना चाहता हूं। ४-५ साल पहले वहां एक ग्राडिट किया गया था। एक इन्सपेक्टर को भेजा गया था और निश्चित तरीके से २॥ लाख रुपये का जिसको कहते हैं मिस-एप्रोप्रियेशन या प्रापर एन्ट्रीज़ नहीं थी उसका मामला चला और मामला चलने के बाद कुछ केसेज़ चले और निश्चित तरीके से १ लाख ७१ हजार के ६ कोआपरेटिव सोसाइटी में वह मामले अटके हुए हैं — हमारे पास इस प्रकार की सूचना आई। मैं कहना चाहता हूं कि १॥ महीने के अन्दर जो वहां का एडमिनिस्ट्रेटर है वह तय करे और यह रेस्पान्सीबिलिटी ग्रायद करें कि इस सोसाइटी की कितनी जिम्मेदारी है और वह यह भी बताये कि कौन से पुलिस के लायक केसेज़ है और कौन से डिपार्टमेन्टल एक्शन वाले केसेज़ हैं ? मैं सदन के मेम्बर्स को विश्वास दिलाता हूं कि उसकी रिपोर्ट आने के बाद हम किसी तरह की कुताई नहीं करेंगे चाहे वह बड़े से बड़ा

(श्री शोभाराम)

आदमी हो या अच्छे से अच्छी या बुरी से बुरी सोसाइटी हो जिसने गबन की बात की है हम एक्शन लेंगे ।...

मैं माननीय सदस्यों से यह दरख्वास्त करना चाहता हूं कि अगर वे यह चाहते हैं तो २-४ घन्टे झुन्झुनूं के बारे में बहस करके उसको लिया जाना चाहिए । झुन्झुनूं को किसी भी तारीख को हाथ में लेकर कहां शिथिलता हुई है, कहां चालान होना चाहिए था पुलिस में उसको क्यों नहीं किया, कहां पर फालो अप करने के लिए बैंक की तरफ से वकील को इजाजत देना पड़ेगी, इस तरह की चर्चा करेंगे तो निश्चित तौर से कुछ फैसला होगा, और मैं समझता हूं कि उसका कुछ परिणाम होगा । इसके साथ ही साथ मैं आपके सामने कुछ बातें ..

एक माननीय सदस्य : (कांग्रेस पक्ष) सगोटरा के लिए मैं चलने को तैयार हूं अगर मंत्रीमहोदय तैयार हों तो । वहां पर बहुत बड़ा घोटाला है ।

श्री शोभाराम : मेरा निमन्त्रण सबके लिए है ।

इसके बाद माननीय विश्नोई जी ने जो ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में जोर दिया मैं भी इस बात का हामी हूं । पिछले साल ६७-६८ में तीन लाख के बजाय ४,६०,००० रु० का प्रावधान रखा जाय । मेरी यह कोशिश होगी कि इससे कम का प्रावधान ६८-६९ में न रखा जाय जो कि आपको अन्देशा है । लेकिन इसमें दिक्कत क्या होती है कि जो आपका बजट ६८-६९ का है उसमें ४८ लाख का सीलिंग के तरीके से मानकर चल रहे थे लेकिन वह ३७ लाख रु० का सीलिंग हमारे सामने आया । मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि उसके हिसाब से वह एक प्रोपोर्शनेट कटोती होती है उसके हिसाब से ३७ लाख रुपये का सीलिंग प्लान बजट के तरीके से ६८-६९ का सहकारिता के लिए मिलता है उसकी जगह ४० लाख और ज्यादा है, क्योंकि वित्तीय साधनों के अभाव में जिस प्रोपोर्शन से ३ लाख से ऊपर लगेगा । हम कह दें कि ५० लाख रुपये दे दिये जायं और दूसरे महरूम रहें और इस प्रकार से प्रावधान ५० से २५ पर्सेन्ट कर दिया जाय यह असम्भव बात है, क्योंकि ऐसे बहुत से डिपार्टमेंट हैं, जैसे बिजली का, तो बिजली भी बहुत जरूरी है । जैसा कि हम जानते हैं कि दो साल के बाद जैसा कि वित्त मंत्रीजी ने कहा था कि आटोमेटिक पावर स्टेशन से हमें २०० मेगावट बिजली मिलेगी उसके लिए ट्रान्समिशन और डिस्ट्रिब्यूशन लाइन के लिए योजना नहीं बनाते हैं तो जिस वक्त २०० मेगावाट बिजली हमको मिलेगी तो उसका इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हैं । उसके बाद फिर दो साल में २०० मेगावाट बिजली और एटोमिक पावर स्टेशन से मिलने वाली है, इस तरह से ४० मेगावट बिजली का उपयोग किस प्रकार से हो इसलिए रुपया खर्च करना पड़ता है । इसी तरह से ईरिगेशन की बात करते हूं तो इस बात को भी नजरअन्दाज नहीं कर सकते कि आखिरकार ईरिगेशन और सहकारिता की बात कुल मिलाकर एक बात मानता हूं । आज

(श्री शोभाराम)

कोई भी प्रवृत्ति जितनी भी समाज की चल रही हैं वे अच्छी तरह से सहकारिता के जरिये ही चल रही हैं इस बात को मानकर नहीं चल सकते है । आखिरकार किसानों की हालत अच्छी होगी तो फिर सेविंग, बचत ज्यादा मात्रा में आती है और डिपाजिट ज्यादा होंगे । इससे मैं समझता हूँ कि सहकारी समितियां ज्यादा सक्षम बन सकती हैं ।

रिवाइटेलाइजेशन के प्रोग्राम के बारे में माननीय विश्नोई जी ने फरमाया । उस सम्बन्ध में मैं इतना कहना चाहता हूं कि १२ हजार के ऊपर कुछ कोआपरेटिव सोसाइटीज उस वक्त काम कर रही थीं । मैं इनकी सूचना के लिए कहना चाहता हूँ कि ७।। हजार के करीब रखा जायगा । इसका कौनसा क्राइटेरिया या आधार होगा जिसके ऊपर इनको वायेबल युनिट कह सकें तो हम चाहते हैं कि चार हजार की सालाना आमदनी नहीं होती है तो एक मैनेजर होल टाइम वर्कर नहीं रह सकता है, क्योंकि वह अपना खर्चा नहीं निकाल सकता है । उसकी एफिसिएन्सी के बारे में एक चौकीदार के लगाने की जरूरत है तो वह खर्चा भी वह नही निकाल सकता है । इसका कुछ क्राइटेरिया मुकर्रर किया है । नान क्रेडिट फण्ड और क्रेडिट फण्ड्स कितना हो वह लक्ष्य एपेक्स बैंक और सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक को देकर चलना चाहिए । आखिर ३-४ साल में यह हो सकता है शुरू मे । जैसा कि डिमार्केशन कर रहे है हो सकता है ३ हजार हीहो, लेकिन चार हजार की बात को ध्यान में रखकर कितना पहुँचे, उसका विस्तार करने की जरूरत पड़ेगी इसको हमें नहीं भूलना चाहिए । मैं यह बात आपके सामने कहना चाहता हूं ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए ।

इसके अलावा एक बात जो जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने फूड ट्रेडिंग के लिए बहस कर रहे थे तो उन्होने यह मुद्दा उठाया था कि जितने भी एडवान्सेज हुए हैं, जितने एक तरीके से चुकाई हुए है, एडजस्टमेंट हुआ है, वह मैं फीगर्स आपके सामने रखना चाहता हू । ए० सी० बिल्स की तादाद जैसा कि ३,८८,६६,७०६-३४ रु० के एकाउन्ट के एडजस्टमेंट की जो बात उन्होने जो कही····

श्री विजयसिंह रावत : क्या कहा, दुबारा कहें ।

श्री शोभाराम : ए० सी० बिल्स ।

श्री भैरोंसिंह : क्या हुआ ?

श्री शोभाराम : एडवान्सेज कितने तीन साल तक हुए उसका टोटल ३,८८ ६६, ७०६-३४ रु० हैं, और आपने यह बताया कि १-४-६७ को ३६,४३ ००० रु० का एडजस्टमेंट हुआ । यह वह रुपया है जो कि ए० जी० के दफ्तर मे मुकम्मल तरीके से एडजस्ट हो गया । मैं यह भी बताना चाहता हूं कि करेन्ट यिअर में ३६ लाख के अलावा हमने १,४०,००,००० रु० का एडजस्टमेंट ए० जी० के दफ तर से आया तो मैं यह कहना चाहता हूं कि····

श्री भैरोंसिंह : मेरा यह डिस्प्यूट नहीं था।

श्री शोभाराम : मैं आ रहा हूं उस पर। दो–तीन साल में ३९ लाख का एडजस्टमेंट हुआ वह एक साल के अन्दर १ करोड़ ४० लाख के करीब एडजस्टमेंट कराया।

और मै यह भी बताना चाहता हूं कि शायद इस बात में आप दिलचस्पी रखते होंगे कि फाल्स बुकिंग के बारे में फीगर्स मेरे पास हैं। उसमें २५ के करीब आदमी शामिल हैं। फाल्स बुकिंग १,२५,२८३ रु की राशि निकलती है। उसमें कौन कौन हैं वह आपको बताऊं, अगर नाम बताऊं तो बहुत से आदमियों को सस्पेन्ड कर रखा है। ५ लाख का एक ऐसा एमाउन्ट है जो कि डिपार्टमेंट में से तो गया लेकिन ए० जी० के दफ्तर में एडजस्टमेंट नहीं हुआ। केवल ५ लाख रुपये की रकम ऐसी है जिसका एक तरीके से वहां के डिस्ट्रिक्ट आफिसर के यहां से वह रकम एडजस्टमेंट के लिए हमारे डाइरेक्टर के दफ्तर में नहीं आई है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले दो–तीन महीनों में हमने जो कोशिश की है और हम उम्मीद करते हैं ३ महीनों के अन्दर यह ५ लाख जो रक्खा गया है इसका पूरा चित्र इस सदन के सामने यदि माननीय सदस्य चाहते हैं तो फिर रखने का प्रयत्न करूंगा कि पांच लाख में से कितना एडजस्ट होने लायक है और कितना एक तरीके से गड़बड़ हुआ है। वह रकम भी आपको बताऊंगा और मैं यह भी बताऊंगा कि जिन लोगों ने यह कार्यवाही की है जो कि डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर पर अन्न खरीदने के लिए चले गए या बीकानेर जाते हैं उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है और उनकी सूची यदि माननीय सदस्य चाहेंगे तो सदन के सामने रखूंगा....

श्री भैरोंसिंह : सूची से कोई मतलब नहीं है। इस डिपार्टमेंट में आपने बूचड़खाना मचा रखा है जिसकी मुझे पहले ही आशा थी। आप स्टाफमेनों और इन छोटे लोगों को सस्पेन्ड भी कर रहे हैं, उनके खिलाफ एन्क्वायरी भी आप करा रहे हैं, उनके खिलाफ डिसमिसल के नोटिसेज भी इश्यू कर दिये हैं, लेकिन जिन जिन आफिसरों की यह जिम्मेदारी थी, जिनके कारण मे एडवान्स किया गया वह दो–तीन महीनों के बाद ही एडजस्ट नहीं हुआ और बरसों तक चलता रहा, और जैसा कि आपने बताया कि चार वर्षों के बाद १,४०,००,००० रु० का गए साल में एडजस्टमेंट किया गया है, ये बातें हम स्वीकार करके चलते हैं कि यह समय पर नहीं हुआ और बरसों तक नहीं हुआ तो इसके लिए हैड आफ दी डिपार्टमेंट रेस्पान्सिबल है।

श्री शोभाराम : मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि यदि किसी आफिसर की जिम्मेदारी मालूम पड़ेगी कि उसका हाथ है....

श्री भैरोंसिंह : हाथ तो गबन करते हैं तो उसमें है लेकिन नेग्लीजेन्स तो प्रूव्ड हैं।

श्री शोभाराम : नेग्लीजेन्स प्रूव्ड हैं गबन की भी बात कही जाती है यह सब

(श्री शोभाराम)

देखना होगा । दूसरी बात आपने जयपुर और जोधपुर के बारे में कही....

श्री भैरोंसिंह : मुझे इसमें आपत्ति नहीं कि आप तारीफ करें तो भी आपत्ति नहीं लेकिन प्रश्न यह है कि जिन लोगों के कारण वर्षों तक एडजस्टमेंट नहीं हुए, फाल्स बुकिंग हुआ उन लोगों के खिलाफ एक्शन क्या ले रहे है ।

श्री शोभाराम : हम जानकारी कर रहे हैं कि कितने आदमी इन्वोल्व्ड हैं ...

श्री भैरोंसिंह : आदमियों का झगड़ा नहीं है क्लर्क्स को सस्पेन्ड कर देंगे लेकिन हैड आफ दी डिपार्टमेंट बच जाय, हैड आफ डिपार्टमेंट की ड्यूटी थी कि दो महीनो के अन्दर क्यों नहीं आया बरसों तक पड़ा रहा एडजस्टमेंट नहीं किया । आज कहते है कि एडजस्टमेंट कर दिया । सीड्स के लिए रकम दी वह भी एड्जस्ट नहीं की ।

श्री शोभा राम : पिछले चार साल के आंकड़े आ गये । परचेजेज के लिये रुपये दिये जाते हैं निश्चित तौर से एक साल में दो दफा रकम दी जाती हैं, लौट कर आती है तो एक साल वैसे ही लग जाता है । पहले शुरुआत का मौका था ..

श्री भैरोंसिंह : मैं समझता हूं फाइनेन्शियल रूल्स को आप गलत ढंग से इन्टरप्रेट कर रहे है । आप कहते है कि जिस आदमी को एडवान्स दिया उसकी रसीद थी, २ महीने में भेजनी चाहिये वह तीन तीन साल तक नहीं भेजी ।

श्री शोभाराम : मै आपसे निवेदन कर चुका हुं कि पहले एडवान्सेज के लिए रूल्स नहीं बने थे । मैं बताना चाहता हूं कि ऐसे रूल्स, परचेजेज की मेन्युअल और कितने दिनो में एन्ट्री का एडजस्टमेंट होना चाहिये, कितने दिनों में आना चाहिये यह सब निश्चित हो चुका है ।

श्री भैरोंसिंह : मैं यह मानने को तैयार नहीं हूं कि पहले रूल्स नहीं थे, मैं जानता हूं कि पहले रूल्स थे । पिछले सत्र मे मन्त्रीजी ने कहा था कि जनरल फाइनेन्शियल रूल्स के अनुसार ए. सी. बिल्स का एडजस्टमेंट एक महीने में होना चाहिये लेकिन शीप एंड वूल का डिपार्टमेंट नया है इसलिए २ महीने रखे हैं । रूल्स पहले भी थे । पिछले साल की प्रोसिडिंग मौजूद है ।

श्री शोभाराम : मैं समझता हूं आप जो चाहते है उसका जवाब क्या चाहते है, जो कहना चाहते है वह समझते हैं मेरे से जवाव क्या चाहते है ?

श्री भैरोंसिंह : गवर्नमेंट नेग्लिजेन्स होना मंजूर करती है, फाल्स बुकिंग को मंजूर करती है लेकिन उस आदमी को जिसके अंडर में यह सब हुआ है, कुछ नहीं कहना चाहती, अगर वह आई. ए. एस. सीनियर है तो उसको चीफ सेक्रेटरी बना दीजिये लेकिन जो गड़बड़ी करता है उसको उसको सजा मिलनी चाहिये ।....

श्री शोभाराम : मैं गड़बड़ी नहीं मानता । नेग्लिजेन्स और गड़बड़ी में फर्क है गड़बड़ी करना तो बहुत सीरियस चीज है लेकिन यदि एडजेस्टमेंट नहीं होता है तो

(श्री शोभाराम)

हम मानते हैं कि नेग्लिजेन्स है।

श्री भैरोंसिंह : परचेजेज के बारे में ?

श्री शोभाराम : स्टेट ट्रेडिंग की जो डिमाण्ड थी १२४ नं० की वह डिमान्ड परसों पास हो गई। सहकारी व्यापार का जो प्रश्न उठाया था उसका उत्तर दे चुका हूं ...

श्री भैरोंसिंह : आपने कहा था कि सदन में परसों डिमान्ड आयेगी उस समय जवाब दूंगा।

श्री शोभाराम : मैं इस पर भी आऊंगा। मैंने कहा था कि कागजात पूरे नहीं लाया हूं मैं २१ तारीख को एडजेस्टमेन्टस के बारे में जवाब दूंगा।

दूसरी बात जोधपुर और जयपुर के सहकारी बाजार के बारे में कहा। जहां तक जयपुर सहकारी बाजार की बैलेन्सशीट तैयार हुई है उसके अनुसार २१,०००) रु० का फायदा होना बताया गया है। जोधपुर सहकारी बाजार में २ लाख रुपये से ऊपर का घाटा हुआ है। १ लाख ३० हजार रुपयों का घाटा खरीददारी में हुआ और ७०,०००) रु० का दूसरों में हुआ और इसका मुख्य कारण जैसा कि हमको मालूम हुआ और जैसी रिपोर्ट आई, वहां के तत्कालीन अध्यक्ष थे उनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। मैं समझता हूं जल्दी ही जानकारी दूंगा कि किस वजह से यह घाटा हुआ। ....

श्री श्रवणलाल (हिन्डोन) : जोधपुर सहकारी बाजार के अध्यक्ष कौन थे ?

श्री शोभाराम : उस वक्त काशीनाथजी थे।

श्री विजयसिंह रावत : आप नेग्लिजेन्स को गुनाह नहीं मानते क्या ?

श्री लादूराम सुलानिया : कांग्रेस के राज्य में कोई गुनाह नहीं होता।

श्री उपाध्यक्ष : टेक्निकल और लीगल टर्म है, एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म अलग है इसलिये इसकी गहराई में मत जाइये।

श्री विजयसिंह रावत : गवर्नमेंट ने नेग्लिजेन्स माना है लेकिन इसको गुनाह माना है या नहीं ?

श्री शोभाराम : मैं निवेदन करता हूं कि राजस्थान में करीब १० हजार कोआपरेटिव सोसाइटीज हैं, २५ होल सेल स्टोर्स चलते हैं, बहुत से वार्ड कोआपरेटिव स्टोर्स चलते हैं। यह मानकर नहीं चल सकते कि जहां सैकड़ों और हजारों संस्थाएं चलती हैं वहां कुछ भी गड़बड़ी नहीं हो। यदि यह गड़बड़ी बिजनेसमेन की होती है तो वह दीवाला निकालता है लेकिन कभी किसी को एडमिट करते नहीं देखा कि उसने गड़बड़ी की है। तीसरी बात मैं कह रहा था

श्री लादूराम सुलानिया : एक बात और बतादी जाय, १०.१२ हजार कोआपरेटिव सोसाइटीज चलती हैं उनमें घाटा ही घाटा चलता है या लाभ में भी कोई चलती हैं ? लाभ में कितनी चलती हैं उनके आंकड़े बताये जावें ?

श्री शोभाराम : लाभ में नहीं चलती है, शेयरमनी होती है वह लिमिटेड होती है। बाहर के लोगों को जानकारी नहीं होती उनको मैं जानकारी करा देना चाहता हूं कि हमारे यहां पर जितनी सहकारी समितियां चलती हैं उनमें से करीब ६० प्रतिशत समितियां क्रेडिट एवं थ्रिफ्ट सोसाइटीज है, सेन्ट्रल कोग्रोपरेटिव बैंक्स के माध्यम से उनको रुपये दिये जाते हैं और १ साल के अन्दर वे अगर रुपये नहीं लौटाते है तो डिफाल्टिग सोसाइटी करार दे दी जाती है और उनको फरदर मनी एडवान्स नहीं होती। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे यहां फर्टीलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन में ४० लाख के गवर्नमेन्ट शेयर थे और ढाई करोड़ रुपये देने के लिये रिजर्व बैंक ग्रोफ इंडिया ने स्टेट कोग्रोपरेटिव बैंक को देने तय किये हैं। आखिर रिजर्व बैंक बहुत सोच समझ कर रुपये एडवान्स करती है। उनके इन्सपेक्टर्स जाते हैं और वे हरेक सेन्ट्रल कोग्रापरेटिव बैंक का हिसाब किताब देखते हैं और जो एजेन्सी डिफाल्टर होती है उनके खिलाफ जो एक्शन होता है वह हम जानते हैं। यदि उनकी कडीशन फुलफिल नहीं होती है तो उसको फरदर क्रेडिट नहीं दी जाती है। झुन्झुनू की कोग्रापरेटिव बैंक को मिसाल आपके सामने है, रिजर्व बैंक ने उसको मनी देने से इन्कार कर दिया। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि नये बैंकिंग रेगुलेशन्स ऐक्ट में इतने प्रावधान रखे हैं और इतना कंट्रोल रखा है, यदि उसे देखें तो बहुत अंदेशा है।

मैं दूसरी बात आपके सामने कहना चाहता हूं अंडर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड के बारे में। जालोर की तरफ से आने वाले माननीय सदस्य विश्नोईजी ने मुद्दा उठाया और आईदानसिंहजी ने भी कुछ बातें कहीं। एक्सपेरिमेन्टल ट्यूबवेल ओरगेनिजेशन ने जो अब तक प्रगति की उसके बारे में मैं इतना ही कह सकता हूं कि अब तक राजस्थान अंडर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड को २ कुए हैंड ओवर किये और यह मापदंड रखा है कि जो ३० हजार गैलन से ज्यादा डिस्चार्ज के हैं वे एग्रीकल्चर के काम में आयेंगे और गांव वालों को ट्रान्सफर होंगे और उससे नीचे के ड्रिंकिंग वाटर के लिये रखे गये हैं। हम चाहते हैं कि अजमेर किशनगढ़ में जहां जहां रखे हैं वहां सम ४०.५० के करीब लेने को तैयार हैं। जालोर डिस्ट्रिक्ट के लिये आपने बताया कि कई कुए ऐसे हैं जो ४०.५० हजार गैलन के डिस्चार्ज के हैं। मैं स्वयं मई जून में वहां जाना चाहता हूं और अंडर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड के इंजीनियर्स, और दूसरे जो संबंधित हैं उन तीनों पार्टों की वहां पर मीटिंग करके देखना चाहता हूं कि जो कमीशन्ड हो गये हैं और कुछ और किये जा सकते हैं उन सब के लिये मैं कोशिश करूंगा कि ६ महीनों में ४० कुओं को इस लायक बनादें जिनसे काम चलता रहे...

दूसरी तवज्जह देने की जरूरत इटावा प्रोजेक्ट के बारे में है। मैं मानता हूं कि गलती हुई है।

इसके सिवाय यह था कि जिस वक्त एग्रीकल्चर रीफाइनेन्स कोर्पोरेशन ने ३१-३२ लाख की स्कीम को मन्जूर किया तो उसका ७५ पर्सेन्ट खर्चा एग्रीकल्चर रीफाइनेन्स कोर्पोरेशन ने देना मंजूर किया, उसमें एक पर्सेन्ट, दो पर्सेन्ट, तीन पर्सेन्ट की बात होती तो बात दूसरी थी....

श्री हरिवल्लभ शर्मा : मंत्री महोदय, सम्बोधित किसको कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आसन को कर रहे हैं।

श्री शोभाराम : हमने चौदह लाख की जिम्मेदारी ली है। उस वक्त एक एकड़ के अन्दर ३२० रुपये पर एकड़ का खर्च उन्होने तय किया था। लेकिन आज की हालत और खर्च को देखते हुए वह ६०० रुपये पर एकड़ का खर्च हो गया तो जहां पहले ३२ लाख रुपये की स्कीम बना कर दे रहे थे, वह स्कीम अब पचास, ५२ लाख की हो गई है और एग्रीकल्चर रीफाइनेन्स कोर्पोरेशन कन्ट्रीब्यूट करता है तो वह ३८ लाख के करीब होता है, तो भी हमको १४ लाख की एग्रीकल्चर रीफाइनेन्स कोर्पोरेशन से मांग करनी है। हमने उनको बता दिया है और अभी जो सीनियर आफिसर्स कमेटी आई थी उसको हमने कहा कि इससे काम नहीं चल सकता है, १४ लाख और जरूरी है। इसका हम परस्यू कर रहे है।

एक सवाल जिसको श्री जुझारसिंह जी हमेशा रखते हैं, वह है, जो छोटे-छोटे बांध सोइल कन्जर्वेशन के लिए बांध दिये जाते हैं, उनकी मरम्मत करने की किसकी जिम्मेदारी है। आपको बोलने का मौका नहीं मिला लेकिन हमने इस पर विचार किया है। हम मानते हैं, डिपार्टमेंट रुपया खर्च करने की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि बांधों को ठीक करने के लिए किसी तरह से इस काम के लिए पांच सौ, या हजार बांधों को लें। उसके लिए एक लाख रुपये का प्रावीजन करने की एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जिम्मेदारी लेता है। किसी तरह से सेविंग करके भी इस प्रकार के कार्य कराये जायं। इसके लिए फेज प्रोग्राम तैयार करना होगा क्योंकि सब एक साथ नहीं हो सकते। जो मजबूत होंगे और जिनकी दस साल की जिन्दगी होगी, उनको हम दस साल के अन्दर रोटेशन से ठीक करना चाहते हैं।

एक प्रश्न रह गया, जिसके लिए मैं सोचता हूं, कट मोशन था। जो ऊबड़ खाबड़ जमीन थी। उसका सोइल कन्जर्वेशन से एलाटमेंट हो रहा है। आपने पिछले सेशन में यह रखा था कि कोई रेवेन्यू डिपार्टमेंट और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के बीच में कार्डीनेशन नहीं है। यह इस प्रकार की बात शायद कही थी। मैं मान कर चलता हूं और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को इस बात के लिए ताकीद कर रहा हूं कि वह एरियाज जहां एलाटमेंट नहीं होना चाहिए अभी-यह बात समझ में नहीं आती कि एक तरफ सोइल कन्जर्वेशन का प्रोग्राम रखने के लिए लाखों रुपया खर्च करते हैं, दूसरी तरफ इरोजन का प्रोग्राम न करके इरोजन के क्षेत्र को बढ़ाते है। तो मैं समझता हूं, यह बुनियादी चीज है और मैं इसको उच्चस्तरीय आधार पर तय करना चाहता हूं।

मैं ज्यादा वक्त न लेकर एक बात कहना चाहता हूं एग्रीकल्चर प्राडक्शन के बारे में, ज्यादा वक्त नहीं है, मैं मानता हूं, इसलिए मैं पांच सात मिनिट में समाप्त कर देता हूं। जो मुख्य मन्त्रीजी ने तकरीर की थी उसमें १९५१-५२ में ५९ लाख और

(श्री शोभाराम)

१९६६-६७ में ६६ लाख एकड़ की बात कही थी। यह ठीक है एकरेज। अब मैं इम्प्रूव्ड शीट के बारे में कहना चाहता हूं कि पिछली साल जो हाई ब्रीड, वैराइटी प्रोग्राम-यह दोनों प्रोग्राम मिला कर इम्प्रूव्ड शीट १९६६ में १ लाख ९२ हजार क्विटल, गेहूं, बाजरा, ज्वार आदि के वितरित किये और उसके मुकाबले में १९६६-६७ में ६ लाख १० हजार क्विटल बीज वितरित किया है ...

श्री रामचन्द्र आर्य : जो बाजरे का बीज दिया है वह बिल्कुल कन्डम दिया गया है। क्या उसकी जांच की है और दोषी व्यक्तियों को सजा दी है या नहीं।

श्री शोभाराम : इसके लिए ऐसा है, मैं बताऊं, इसमें दोष क्या है। अभी रिसर्च वर्कर्स ने आर. एस. ३१. ३१ यह वैराइटी पैदा की है. इसके अलावा मूंगफली की वैराइटी तैयार की है, हम इस साल चार पांच गेहूं की वैराइटी भी तैयार कर रहे हैं। बहुत से माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि अभी फार्मर वीक मनाया गया, २३ से २९ फरवरी तक, उसमें बताया कि बाजरे की जो क्वालिटी है, आर. एस. ३१. ३१ उससे एक एकड़ में ६०-६५ मन तक पैदावार होतीं है और एक दूसरी क्वालिटी पैदा कर रहे हैं वह औसतन एक एकड़ में ८० मन तक पैदा करेगा....

श्री रामचन्द्र आर्य : आठ मन एक बीघा में होता है वैसे सात आठ मन भी पैदा नहीं हुआ है। राजस्थान कैनाल एरिया में शंकर बाजरे का शीड कन्डम दिया गया है।

श्री शोभाराम : सुनिए, सुनिए। मैं आपका समाधान कर रहा हूं। हम कहना चाहते हैं कि जो हाई ब्रीड या दूसरे मैक्सिकन वीट के शीड का प्रश्न है, वह काश्तकार लोग डिपार्टमेंट की तरफ से ही लें और दूसरे लोगों से न लें क्योंकि रजिस्टर्ड शीड ग्रोवर्स हैं, उनमें से कहीं-कहीं एडल्ट्रेशन करके बीज को बेचा, और मैक्सिकन में दो तीन प्रकार का मिला कर बेचा। अब यह फैसला करना चाहते हैं कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के माध्यम से लें और रजिस्टर्ड शीड ग्रोवर्स से जो लेते हैं उसकी जिम्मेदारी से हम मुक्त होना चाहते हैं।

श्री रोशनलाल (सलूम्बर) : जो गेहूं भेजा गया था वह खरीदा नहीं गया था। सूरतगढ से भेजा मेक्सिकन गेहूं, व गंगानगर से भेजा गया वह लेवी से इकट्ठा किया हुआ था और मेक्सिकन कहकर उदयपुर जिले में भेजा गया। आज इसलिए उदयपुर जिले में बुरी हालत है। यह मत कहिये कि रजिस्टर्ड शीड ग्रोअर से खरीदा। लेवी का वीट लिया गया गंगानगर में वह उदयपुर में भेजा। वहां जाकर देखें, लोग अगली साल मेक्सिकन गेहूं नहीं लेंगे सिवाय एक तहसील के। वैसे जमीन जो वहां है वह बहुत अच्छी हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री महोदय, समय समाप्त हो रहा है। दो मिनिट बचे हैं।

श्री लादूराम : एक बात, माननीय मन्त्री, मैं पूछना चाहता हूं। क्या राजस्थान में उत्तम बीज खरीदा गया है जहां जहां वहां क्या घोटाला नहीं हुआ ? और उसकी सब जगह क्या जांच नहीं हो रही हैं ?

श्री विजयसिंह रावत : मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं....

श्री परसराम गंगाराम : हरिजन कोपरेटिव सोसाइटी के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री परसराम गंगाराम : आपने हरिजन कृषि कोपरेटिव सोसाइटी के लिए कुछ नहीं कहा। तहसीलदार द्वारा, ४०० बीघा जमीन ली गई थी, उस जमीन से बेदखल किया गया है। उसके लिए कुछ नहीं कहा।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैंने परसों केशोरायपाटन शुगर मिल या फैक्ट्री में जो मशीनरी खरीदी उसके लिए उस समय कहा था....

श्री उपाध्यक्ष : आज प्रश्न आया नहीं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : सहकारिता का है, शुगर सहकारी फैक्ट्री का है। रजिस्ट्रार ने १४ लाख एडवांस में पेमेंट करवा दिया जब कि डिप्टी फाइनेन्स सेक्रेटरी ने यह रिपोर्ट की कि जब तक बिल्डिंग नहीं बनती है तब तक मशीनरी नहीं खरीदनी चाहिये। इन्होंने एग्रीमेंट किया वह गलत किया, इस पर....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! समय समाप्त हुआ ! मांगों पर मतदान !

श्री लादूराम सुलानिया : एक घंटे का समय बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री लादूराम सुलानिया : एक घण्टे का समय बढ़ा दिया जाय। हमें एतराज नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : थोड़ा नियमों का पालन कीजिये। समय समाप्त हो रहा है। मांगों पर मतदान करना आवश्यक है।

श्री विजय सिंह : एक सप्लीमेंट्री पूछना है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि राजस्थान विधान सभा की वित्तीय समितियों, जनलेखा समिति तथा प्राक्कलन समिति १९६८-६९ के सदस्यों के चुनाव के सम्बन्ध में नामजदगी के पर्चों को पेश करने की तिथि कल दिनांक २२ मार्च, १९६८ के स्थान पर अन्य तिथि निश्चित की जायगी और इसकी सूचना माननीय सदस्यों को पृथक् से भेज दी जायगी।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, कुछ प्रश्न तो ऐसे रह गये हैं, जिनका उत्तर मिलना आवश्यक था किन्तु मन्त्री महोदय ने उत्तर नहीं दिया है....

श्री उपाध्यक्ष : समय समाप्त हो गया समय का ख्याल कीजिये....

एक माननीय सदस्य : समय बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : एक घन्टे का समय बढ़ाने के बाद समय तभी बढ़ाया जा जा सकता है जब कि प्रस्ताव आवे, फिर समय बढ़ाना आसन के हाथ में नहीं है, एक प्रस्ताव आये, तभी समय बढ़ाया जा सकता है।

श्री भैरोंसिंह : एक तो शीप ब्रीडिंग का है ...

श्री उपाध्यक्ष : समय समाप्त हो रहा है ।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, समय समाप्त हो रहा है यह सही है । मैं यह पूछना चाहता हूँ कि शीप ब्रीडिंग फार्म के बारे में....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य नियमों का कतई ध्यान नहीं रखना चाहते ।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, हम समय का ध्यान रखते हैं पर सरकार नहीं रखती है, क्यों तो इतने कट मोशन्स रखाये और क्यों जवाब नहीं देना चाहती है....

श्री उपाध्यक्ष : मांगें पास होने तक के लिये सदन का समय बढ़ाया गया ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : उपाध्यक्ष महोदय मेरा एक प्रश्न है....

श्री उपाध्यक्ष : किसी कटौती प्रस्ताव के विषय में आप बोले नहीं, कट मोशन दिया नहीं तो मन्त्री महोदय को कैसे सूचना मिलेगी, वे जिसकी उनको पूर्व सूचना नहीं है, उसका कैसे उत्तर देंगे ?

श्री देवीदत्त गाड़िया : मेरा कट मोशन है....

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री उपाध्यक्ष : नियमों का ध्यान रखें । एक दो माननीय सदस्य नियमों का उल्लंघन करें तो आसन को मजबूर न करें ।

माननीय भैरोंसिंह !

श्री भैरोंसिंह : मैं दो सवाल पूछना चाहता हूं । एक तो यह कि दो साल पहले राज्य सरकार ने घोषणा की थी कि राजस्थान में शीप ब्रीडिंग फार्म खोलेंगे । यू. एन. ओ. के माध्यम से राजस्थान में एक योजना चालू करने का था जिसमें करीब ३ करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने की योजना थी, तो क्या वह हरियाणा में शिफ्ट हो गया और राजस्थान सरकार की निष्क्रियता के कारण वह राजस्थान में नहीं खुल सका ?

दूसरा मेरा प्रश्न था वूलपैक्स के संबंध में, मन्त्री महोदय ने वूल पैक्स के सम्बन्ध में कोई जिक्र नहीं किया ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : एक प्रश्न मेरा है........

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री महोदय की जानकारी में अगर वह प्रश्न है, और मन्त्री महोदय कहते हैं कि जो प्रश्न पूछा जा रहा है, उसकी जानकारी उन्हें है, तो मुझे आपत्ति नहीं है, आप पूछ सकते हैं ।

श्री विजयसिंह (नसीराबाद) : आपने व्यवस्था दी उससे मुझे आपत्ति नहीं है....

श्री उपाध्यक्ष : वह हो भी नहीं सकती ।

श्री विजयसिंह : ट्रेजरी बैंचेज पर बैठने वाले मन्त्रियों को इतना बड़ा अधिकार मत दीजिये कि उनको जिस प्रश्न की जानकारी हो वही प्रश्न उन्हें पूछा जाय और

(श्री विजयसिंह)

जिसकी जानकारी नही हो जिसका उत्तर वे नहीं दे सकते हों, ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जाय। इसको आप रिलेक्स कीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने ऐसा नहीं कहा । मेरा कहने का आशय यह था कि जो बात चर्चा में आई नहीं और उसे माननीय सदस्य पूछना चाहें और मन्त्री महोदय उत्तर नहीं दे सकें तो कोई फायदा नहीं । उसके सम्बन्ध में मन्त्री महोदय इस स्थिति में हों कि उत्तर दे सकते हैं तो पूछ लें ।

श्री हरिवल्लभ : जो कट मोशन्स में है पर बोलने का समय नहीं मिला उनका तो जवाब देना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष : (मन्त्री महोदय की ओर मुखापेक्ष हो कर) आपको कुछ कहना है क्या ? नहीं तो जो प्रश्न पूछे गये हैं उनका उत्तर दे दें ।

श्री शोभाराम : एक तो सालोदिया साहब ने दो तीन बातें रखी हैं, निवाई मार्केटिंग सोसायटी के बारे में, जय अम्बे हाउसिंग सोसायटी, जयपुर के बारे में और कूकस सहकारी क्षेत्र के बारे में झगड़ा था, इनके सम्बन्ध में मैं जानकारी करना चाहूंगा और माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वे इसमें मुझे सहयोग दें ।

फिर जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने दो प्रश्न उठाये, एक तो यह उठाया कि ३ करोड़ रुपयों की स्कीम थी शीप ब्रीडिंग फार्म की । यह वे खुद मानते हैं कि हरियाणा और पंजाब के अन्दर टसल थी, उन्होंने भी इसके लिए कोशिश की । यह तो नहीं कि अनंइन्वाइटेड को दे दें, राजस्थान को नहीं मिल कर हरियाणा को मिल गई यह सेंटर के देखने की बात थी । मैं नहीं कह सकता कि सेंटर किस कारण हरियाणा में ले गया, इसकी जिम्मेदारी और कारणों के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता ।

वूल परचेज के बारे में........

श्री भैरोंसिंह : वूल परचेज के बारे में नहीं, मैंने वूल पैक्स के बारे में पूछा है ।

श्री शोभाराम : वूल पैक्स के बारे में मैंने मिसल मंगाई है, परसों भी मैंने मिसल मंगाई थी, पर वह मिसल नहीं आई । मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, जल्दी ही फाइल मंगा कर यह सेशन खत्म होगा उससे पहले जानकारी दूंगा । पर जब तक मिसल ही नहीं देख लूं तब तक कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं ।

श्री भैरोंसिंह : क्या आस्ट्रेलियन एड्वाइजर्स ने राजस्थान सरकार के भेड-ऊन विभाग की गति-विधि देख कर यू. एन. ओ. को इस प्रकार की रिपोर्ट भेजी थी कि राजस्थान में शीप ब्रीडिंग फार्म खोलने की जरूरत नहीं, हरियाणा में खोलने की जरूरत है, क्या राजस्थान सरकार के पास वह रिपोर्ट आई है ?

श्री शोभाराम : एड्वाइजर्स ने क्या लिखा वह मेरी जानकारी में नहीं है....

श्री लादूराम सुलानिया : तो आप करते क्या हैं ?

श्री शोभाराम : ३ करोड़ की शीप ब्रीडिंग फार्म की योजना का कटौती प्रस्ताव में जिक्र नहीं, इसलिये मैं पूरी जानकारी नहीं दे सकता।

एक माननीय सदस्य : जो मन्त्री महोदय प्रश्न का जवाब नहीं दे सकते वे मन्त्री रहने के काबिल नहीं हैं।

श्री शोभाराम : पाटोदिया के बारे में आपने जिक्र किया, उसकी जानकारी की गई, वह सदस्य नहीं हैं, न मीटिंग में बैठते हैं, उसकी जगह दूसरा नोमिनेशन करना है।

श्री नत्थीसिंह : कृषि उपज मंडियों के बारे में नहीं कहा, शेअर अधिनियम के बारे में रुपया ले लिया, उसको लागू कर रहे हैं या नहीं।

श्री शोभाराम : शायद आप उस समय मौजूद थे या नहीं मुख्य मन्त्री जी ने कहा कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग सोसायटी रहेगी और जब तक नाहर कमेटी की रिपोर्ट नहीं आ जाती है, मैं इत्मिनान दिलाता हूं कि किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए उन पर कोई आघात नहीं पहुँचे और जो कुछ शीघ्र हो सकता है, उन बातों पर विचार करके फैसला लेंगे। मुख्य मन्त्री जी अपने वक्तव्य में कह चुके हैं। जसवन्तसिंह जी नाहर से मैंने बात की है कि वे जल्दी रिपोर्ट पेश करें। उन्होंने आश्वासन दिया है कि वे जल्दी ही रिपोर्ट पेश कर देंगे।

श्री नत्थीसिंह : कोपरेटिव एक्ट में प्रावधान है कि जिन साहूकारों को लाइसेंस मिला हुआ है वह सहकारी समिति में पदाधिकारी नहीं हो सकेगा, वह लागू नहीं होने से वे हावी हो रहे हैं और आप कहते हैं कि समाजवाद है, आप उनसे दबते क्यों हैं ?

श्री शोभाराम : मैं आपकी भावनाओं की कद्र करता हूं।

श्री परसराम गंगाराम : मैंने इससे संबंधित ही प्रश्न रखा उसका जवाब नहीं दिया ?

श्री उपाध्यक्ष : एक एक का उत्तर दे रहे हैं.......

एक माननीय सदस्य : मेरा प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं।

श्री देवीदत्त गाडिया : मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि केशोराय पाटन में सहकारिता के आधार पर शुगर फैक्ट्री खुलनी थी। अभी भी भवन नहीं बना और रजिस्ट्रार ने पिपरी में जाकर १,४०,००,०००) रु० की मशीनरी का आर्डर दिया। उसके अन्दर १४ लाख एक किश्त के रूप में एडवान्स करा दिया। दूसरी किश्त दिए जाने के आदेश दिये गए हैं जब कि डिप्टी फाइनेन्स सेक्रेटरी ने इस प्रकार के रिमार्क्स लिखे हैं और राय दी है कि जब तक केशोराय पाटन में फैक्ट्री की बिल्डिंग तैयार न हो तब तक रुपया नहीं दिया जाना चाहिए। तो रुपए क्यों दे दिये ?

दूसरी बात यह जो आपने राजस्थान में कोपरेटिव जनरल सोसाइटी है उसके अन्दर रजिस्ट्रार का लड़का वहां पर.......

श्री उपाध्यक्ष : यह नया प्रश्न है।

श्री शोभाराम : आपके कटौती प्रस्ताव में इस प्रकार का जिक्र नहीं आया, न ही भाषण में आया।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं परसों जब बोला था.......

श्री शोभाराम : आप अगर चाहते हैं, तो अलग से प्रश्न उठाइये, मैं जवाब दे दूंगा।

श्री लादूराम सुलानिया : आप एक भी सहकारी समिति का उदाहरण दें कि इसमें लाभ हुआ है और अगर सब में घाटा हुआ है तो........

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर....

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री मोहनलाल मोदी : मैंने ५ मार्च को सहकारी विभाग के विरुद्ध आरोप लगाए थे। आपने कहा था कि मांग के दिन जवाब मिलेगा राजा निरंजनसिंह।×

श्री उपाध्यक्ष : बिना पूर्व सूचना के इस तरह के आरोप....

(शोरगुल)

श्री नत्थीसिंह : व्यवस्था का प्रश्न है..

श्री रघुनाथ विश्नोई : ये जो शब्द उन्होंने कहे रजिस्ट्रार के बारे में, इनको एक्सपंज किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : इन शब्दों को एक्सपंज किया जाय।

श्री नत्थीसिंह : इस सदन में ऐसी परम्परा चल रही है कि किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ वातावरण पैदा किया जाय, यह तो नेग्लीजेन्स की बात थी, कई हैड्स आफ डिपार्टमेंट्स के सम्बन्ध में नेग्लीजेन्स की बात कही गई, यह कभी नहीं कहा कि नेग्लीजेन्स के लिए क्रिमिनल कैसेज करो, जानबूझकर एक आदमी का नाम लेकर उधर से शुरुआत की जाती है, फिर बदल जाते हैं, तो क्या व्यवस्था चलेगी ? चले तो फिर उस व्यवस्था को सब डिपार्टमेंट्स के विषय में चलाया जाय। यह जो निहित स्वार्थ का दोनो तरफ से जानबूझकर वातावरण बनाना चाहते हैं, क्या इसमें ट्रेजरी बेन्चेज भी सहायक हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। स्थान ग्रहण करें।

श्री भैरोंसिंह : वातावरण के अंतर्गत किसी नेग्लीजेन्स के लिए अधिकारी को सदन प्रोटेक्शन नहीं देगा।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : मन्त्री महोदय से एक जानकारी लेना चाहता हूँ। एक्सपेरीमेंटल ट्यूबवेल आर्गेनाइजेशन, भारत सरकार का जो रेगिस्तान में ट्यूबवेल्स खोदने के लिए आये हैं, काम आपने पूरा नहीं किया, उसके सारे अधिकारी दक्षिण के रहने वाले है, वे सारे आर्गेनाइजेशन को दक्षिण में ले जाना चाहते हैं, हमारे यहां उसका क्या होगा ?

× अध्यक्ष पीठ के आदेसानुसार निकाले गये।

एक माननीय सदस्य : दक्षिण में नहीं जायेगा ।

श्री उपाध्यक्ष : मांगों पर मतदान ।

श्री गोकुलप्रसाद : मन्त्री महोदय मेरे सवाल का जवाब दें ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३४—सहकारिता के संबंध में ३१ मार्च, १९६९, को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को....

(शोरगुल)

आर्डर प्लीज ।

राज्यपाल महादय को १,२४,४३,००० रु. की राशि प्रदान की जाय ।

श्री लादूराम सुलानिया : बिल्कुल जबरदस्ती हां या नां करवा रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : हां पक्ष जीता ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

श्री लादूराम सुलानिया : इसका मतलब क्या है ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री लादूराम सुलानिया : हम सबका अधिकार है कि जो सवाल पूछा जाय उसका उत्तर दें नहीं तो आप दिलायें, अगर आप भी नहीं दिलाते तो किसके सामने अपनी बात रखेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१–कृषि के संबंध में ३१ मार्च, १९६६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ५,१६,१३,०००) रु. तक की राशि प्रदान की जाय ।

(शोरगुल)

(ध्वनि मतदान के पश्चात्)

श्री भैरोंसिंह : नां पक्ष जीता ।

श्री लादूराम सुलानिया : नां पक्ष जीता ।

श्री भैरोंसिंह : एक व्यवस्था के नाते मैं अपनी बात कह रहा हूं । हां या नां पक्ष का सवाल नहीं है । इस सदन में कटौती प्रस्ताव मूव किये जाते हैं, आपने व्यवस्था दे दी कि कटौती प्रस्तावों का जवाब नहीं दिया जायगा, उसका लिखित उत्तर मिलेगा लेकिन पिछले ४ दिन में जिन माननीय सदस्यों ने कटौती प्रस्ताव दिए उनका जवाब नहीं मिला ।

दूसरी बात, कई बार जब कटौती प्रस्ताव मूव किए जाते हैं, काल अटेन्शन के लिए नोटिस दिया जाता है, आसन की तरफ से व्यवस्था होती है कि इसको मांग पर जिस दिन चर्चा होगी, मन्त्री महोदय उत्तर देंगे, उसमें भी नहीं मिलता है तो सदस्य अपना जो कुछ कार्य कर रहे हैं कटौती प्रस्तावों द्वारा, उसका यदि कोई सवाल पूछा जाय तो मैं समझता हूँ कि आसन को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, थोड़ा समय लगता है, सदस्यों को सन्तोष हो जायेगा, वह भी अपना कर्त्तव्य निभा पायेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रश्न पूछने का काफी अवसर दिया जाता है और उसके बाद में भी सदन आसन को बतादे क्योंकि सदन अपनी कार्य-प्रणाली खुद तय करता है। ६ घटे का समय है, जिसको ८ घंटे कर दिया जाय, १० घंटे कर दिया जाय, १२ घटे कर दिया जाय, हमें कोई एतराज नहीं लेकिन अनन्त काल के लिए डिबेट चलती जाय........

श्री भैरोंसिह : अनन्त काल के लिए तो हम भी नहीं हैं, डिबेट चलने का सवाल नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : एक प्रश्न पूछा, उसका उत्तर आया, फिर उसके पूरक प्रश्न पूछे और कई माननीय सदस्य ने, जो सदन के नियम हैं, उनको शायद देखा नहीं, पढ़ा है तो ध्यान से नहीं पढ़ा है। आखिर आसन की दिक्कत को आप जानते हैं, समय की सीमा से कार्य पूरा करना होता है। जहां तक हो सकता है हरेक माननीय सदस्य अपना प्रश्न पूछ सके, उसके लिए सुविधा दी जा सकती है लेकिन हरेक माननीय सदस्य संतुष्ट हो जाय, न तो डिबेट का यह उद्देश्य है और न संसदीय प्रणाली ही इस पर आधारित है। समय सीमा के अंदर दोनों पक्ष अपनी अपनी बात कह दें और उसके बाद में निर्णय सदन देता है। मंत्री महोदय और सामने वाले माननीय सदस्य खींचा-तानी में पड़कर जैसे वकील और गवाह के संबंध होते हैं, उस दृष्टि से पार्लियामेंट में सम्बन्ध नहीं होते हैं। पार्लियामेंट में कोई मंत्री महोदय किसी प्रश्न का जवाब अगर नहीं दे सकता तो उसके मायने यह हैं कि जो बात विपक्ष ने की है, वह बात सही है। इसलिए अगर वह चुप रहते हैं तो सदन एडवर्स इन्फरेन्स उसमें निकाले। उसका नतीजा यह हो सकता है कि शायद जब वह प्रश्न वोट पर रखा जाय, उस समय उसके लिए समर्थन सदन नहीं करेगा, आखिर में जाकर इसके मायने यही निकलते हैं। मुझे अफसोस है कि कुछ माननीय सदस्य, इतना कुछ होने के बाद भी सतुष्ट नहीं हो रहे हैं और मैं नहीं कहता कि उनके प्रश्न वाजिब नहीं होंगे लेकिन आखिर समय सीमा के अन्दर आसन को काम करना होता है। इसमे मैं माननीय सदस्यों से अपील करूंगा कि वे इसमें सहायता दें।

दूसरी बात अगर प्रश्न पूछें तो माननीय सदस्य, जिन्होंने प्रश्न उठाए हैं, केवल वही प्रश्न पूछें लेकिन आम तौर से प्रश्नकर्त्ता कहीं रहता है, दूसरे माननीय सदस्य और पूछ लेते हैं, उससे भी सदन का समय चला जाता है। अब क्योंकि मांग को वोट पर रख दिया तो कल से और देखेंगे, जहां तक हो सके....

श्री लादूराम सुलानिया : व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : यह इतना सरल नहीं है, काफी पढ़ना पड़ता है, लिखना पड़ता है, समझना पड़ता है उसके बाद में व्यवस्था का प्रश्न उठता है। व्यवस्था के प्रश्न का केवल यह मतलब नहीं है कि पैरों पर खड़े होकर व्यवस्था का प्रश्न कह दिया और वह होगया, इतना सरल नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : मैं क्वेश्चन नहीं करता। इस व्यवस्था के सम्बन्ध में मुख्य-मन्त्रीजी भी यहां उपस्थित हैं। कुछ कट मोशन्स यहां हैं। इनका जवाब दूसरे दिन असेम्बली के सचिवालय में आ जावे और हमें वह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जावे। एक तो इसकी व्यवस्था जरूर दी जावे।

श्री उपाध्यक्ष : कट मोशन्स जो यहां मूव नहीं हो पाये और डिबेट में जिन्होंने हिस्सा नहीं लिया उनके उत्तर उनको भिजवा दिये जावें।

श्री मूलचन्द डागा : जिनका उत्तर नहीं मिला, उनका एडवर्स इन्फेरेन्स निकाला जाय यह सवाल नहीं पैदा होता।

श्री उपाध्यक्ष : यह सदन बहुत समझ-दार व्यक्तियों का है। किसका उत्तर देना है किसका क्या करना है यह सदन जानता है। बहुत आवश्यक हो और उत्तर उसका भी नहीं दिया तो वह भी सदन जानता है।

श्री शोभाराम : जो स्पेसिफिक कट मोशन्स थे, अब भ्रष्टाचार पर चर्चा यह तो स्पेसिफिक है नहीं, पर जिन स्पेसिफिक कट मोशन्स का उत्तर नहीं दिया गया है उनका जवाब दे दिया जावेगा।

श्री भैरोंसिंह : इनका जवाब देने के लिए एक समय निर्धारित कर दिया जावे। हाउस एडजोर्न हो जाय और इसके बाद उत्तर दें ऐसा नहीं हो। समय निर्धारित कर दिया जावे कि इनका कब तक उत्तर दे दिया जावेगा।

श्री उपाध्यक्ष : कितने अरसे में इनका जवाब दे दिया जावेगा ?

श्री शोभाराम : एक सप्ताह में भिजवा दूंगा।

श्री विजयसिंह रावत : जैसा कि सुबह के समय कहा था उस समय मुझे यह आभास जरूर हुआ था कि चेयर जरूर सद-स्यों को प्रोटेक्शन देगी पर बाद में जो वातावरण देखा, हमारे दल की तरफ से परसरामजी ने निवेदन किया दस पन्द्रह टाइम पर दूसरों की ओर से या तो दुखा नहीं या यह कुछ ऐसा हुआ इसलिये इतना विवाद खड़ा हुआ तो मैं चाहूंगा कि आसन का आश्रय लेकर सारा सदन बैठा रहता है।

श्री उपाध्यक्ष : आपको इतना विश्वास है आसन में तो आसन भी इसमें खरा उत-रेगा आपको अफसोस करने की या डरने की आवश्यकता नहीं है। तो अब........हां पक्ष जीता हां पक्ष जीता।

श्री मदनसिंह : एक पक्ष ना बोला, इसके बाद में बहस हो गई। मिनि-स्टर ने बाद में फिर जवाब दिया, अब यह कौनसी स्टेज है ?

श्री उपाध्यक्ष : इससे असर नहीं पड़ता। हां पक्ष जीता हां पक्ष जीता। मांग स्वीकार की गई।

(स्वीकृत)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या २४ मुख्य

(श्री उपाध्यक्ष)

शीर्षक ३१-विविध सामाजिक तथा विकासीय संघटन के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६९ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,९५,०३,०००) रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ?

श्री जयनारायण सालोदिया : यह नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : अच्छा।

श्री भैरोंसिंह : पहले वाली तो सही मानें।

श्री उपाध्यक्ष : पहले वाली सही है।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ३६, मुख्य शीर्षक ९५-कृषि उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६९ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २२,२७,००८) रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३३–पशु पालन के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६९ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २,११,३८,०००) रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की कार्यवाही कल प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनतर सदन की कार्यवाही सायं ६.२५ बजे शुक्रवार दिनांक २२-३-६८ के म.पू. ११ बजे तक के लिये स्थगित की गई)

परिशिष्ट १

(तारांकित प्रश्न संख्या ७१८ की सूची)

कार्यालय अधीक्षक, आरक्षी मंडल, अजमेर

दिनांक २४-१-६८

क्रमांक—अजमेर । अशा । वि० सभा ।६८।६७७

वास्ते—इन्चार्ज असेम्बली कन्ट्रोल रूम
अपराध, अनुसंधान विभाग
अपराध शाखा (जयपुर)

विषय—वि० सभा प्रश्न १८६/एच. एम./द्वारा श्री विजयसिंह-

प्रसंग—आपका मेसेज दिनांक १५-१-६८

वांछित सूचना बाबत पिछले ६ साल की चोरियों का विवरण निम्न प्रकार है :—

सन्	रिपोर्ट	झूठे	१५७ जा०	अदम पता	अदम सबूत	जेर तफतीश	५१२ जा०	चालान	सजा	रिहावरी	राजीनामा
१९६२	५६४	५४	६	२७८	११	—	३	२०६	१२५	३७	३६
१९६३	७८२	७१	१०	३०८	१५	—	२	३७६	२५१	५२	६८
१९६४	६२१	८२	१०	४८०	११	—	३	३३५	२२७	३६	५२
१९६५	७८७	५५	३	४०५	१६	—	२	३०६	१८०	४३	५६
१९६६	८८६	७६	८	३८०	१२	४	—	४०३	२२१	४६	४७
१९६७	१००१	७१	८	४३८	२५	८०	१	३७७	१४३	८	३४

जैर तफतीश अदालत	मसरूका	बाजयाफता पब्लिक	बाजयाफता पुलिस	टोटल बाजयाधता	गिरफ्तार	१६६ जा०	जैर तफ०	चालान	सजा	रिहा बरी	राजीनामा	पैण्डि	५१२
८	१६५०४२-७७	१६२७३-००	५४६८२-८७	७१२५५-८७	३७१	२३	—	३४८	१६५	६६	७२	१२	—
५	२०६६०१-३६	१४५०-००	१३०७५६-०१	१३२२०६-०१	५४६	३०	—	५१६	३३४	८५	६०	६	१
१७	२४३४१४-३७	३१०१-००	१३६५७१-१४	१३७८७२-१४	५१७	५२	—	४६५	३८६	७६	७६	२४	—
२४	२०१५८५-४७	११४७-००	६८३४३-३८	६६४६०-३८	५६५	८५	—	४८०	२५५	८८	८५	५१	१
८६	२८२१०४-५०	७५०-००	१५५१२१-२४	१५५५८७१-२४	५६६	४१	—	५५५	२६१	८३	५८	१५२	१
१६२	२१०८२८-५३	२६५२-५०	१५१४४८-८७	१५४१०१-३७	७२२	६२	६१	५६६	१६६	१३	४७	३६४	६

(ह०) भागीरथ राम
अधीक्षक, आरक्षी मंडल,
अजमेर ।

परिशिष्ट २

(तारांकित प्रश्न संख्या ७२० की सूची)

सूची ग्राम जो जयपुर नगरपरिषद् की सीमा में मिलाये गये हैं

तहसील जयपुर

छापर, मीर जैसला और बीर सरकारी, झोटवाड़ा, परसरामपुरा, चामहसमपुरा, सिहाजपुरा, साल्यावास, खातीपुरा बीर खातीपुरा, प्रेमपुरा, जगन्नाथपुरा, सुशीलपुरा, चूहावाल, ब्रिजलालपुरा, रामपुरा रूपा, मानपुरा, देवरी, मीनावाला व जामरोली ।

तहसील सांगानेर

सोजा का बास, घो लकाबाथ, झालानाछौर देवरा, गोपालपुरा, दुर्गापुरा, रामजीपुरा, चैनपुरा, घाटी सुरजपुरा, गैटोर, झालाना डूंगर, धुला, चकधुला, रायबारिघान, बिदायका, टोडी रामजानकीपुरा, अंहसिपुरा ।

परिशिष्ठ ३

(समयाभाव के कारण सदन में न लिये जा सकने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

ग्राम रांवा में रेबारी के कत्ल का मामला

७२५ श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) कोटा जिले में थाना छीपा बड़ौद, थाना छबड़ा व थाना जैपला के क्षेत्रों में १ जनवरी, १९६७ से ३१ दिसम्बर, १९६७ तक कत्ल के कितने मामले हुए और किन-किन गांवों में ?

(२) क्या यह सही है कि ग्राम रांवा, तहसील छीपाबड़ौद में एक रेबारी का कत्ल हुआ है ? अगर हां, तो इसमें पुलिस द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(सरकार द्वारा स्थगित किये जाने हेतु प्रार्थना की गई)

मोचियों की कालोनी, पाली

७२७. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या स्वयत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या पाली शहर में मोचियों की कोई कालोनी है ? यदि हां, तो उसमें क्या नगरपालिका ने सड़क, पानी व बिजली की व्यवस्था कर रखी है ?

(२) क्या यह सही है कि नगरपालिका पाली ने कई लोगों को भूखण्ड दे दिये है और उनकी रजिस्ट्री भी हो गई और मकान भी बन गए ? यदि हां, तो फिर दूसरे लोगों को अपने भूखण्डों पर मकान बनाने से क्यों रोका जाता है ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जी हां। भूतपूर्व पालिका द्वारा भूमि को आबादी में परिवर्तन कराये बिना ही भूखन्ड एलॉट कर रजिस्ट्रियें करवादी थीं और भूखन्डों पर भवन निर्माण की इजाजतें भी प्रदान करदी थीं। इसमें जिलाधीश द्वारा स्थगन आदेश जारी कर दिये हैं। जिलाधीश के निर्णय के बाद ही और कार्यवाही की जावेगी।

ग्राम आनन्दपुर कालू की नल योजना

७२६. श्री शंकरलाल (जैतारण) : क्या जन-स्वास्थ्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) पाली जिले के गांव आनन्दपुर कालू तहसील जैतारण में नल योजना का कार्य कब प्रारम्भ किया गया और इस कार्य के लिये कितने धन की स्वीकृति है ?

(२) यह कार्य अभी तक सम्पूर्ण नहीं

(श्री शंकरलाल)

होने के क्या कारण हैं और अब कब तक सम्पूर्ण होने की आशा है ?

उत्तर

(१) कार्य माह जनवरी १९६७ से चालू किया गया इस कार्य के लिए १,८८,००० रुपये की योजना स्वीकृत हुई है।

(२) कार्य निर्माणाधीन हैं, जैसे २ योजना के लिए धन की उपलब्धि होती है उसी के अनुसार कार्य किया जाता है योजना का कार्य धन की उपलब्धि पर मार्च, १९६९ के अन्त तक पूर्ण किया जा सकेगा।

खादी ग्रामोद्योग समिति के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच

७३०. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या खादी तथा ग्रामोद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग मण्डल ने राजस्थान की एक खादी ग्रामोद्योग समिति के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच का कार्य पंजीयक सहकारी विभाग, राजस्थान को सौंपा है ? यदि हां, तो कब और उस जांच का क्या नतीजा निकला ?

(२) इस संस्था का नाम क्या है इसके विरुद्ध किस प्रकार की शिकायतें थीं ?

उत्तर

(१) जी हां। पंजीयक सहकारी समितियों को जांच के लिए राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा दिनांक २५-९-६३ को लिखा गया। फलस्वरूप सहायक पंजीयक द्वारा जांच की गई। जांच रिपोर्ट पर पंजीयक सहकारी विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।

(२) इस संस्था का नाम खादी ग्रामोदय सहकारी संघ, पाली है। इस समिति के विरुद्ध हिसाबी अनियमितता व सहकारी अधिनियम तथा संघ के उपनियमों के विपरीत कार्यवाही किये जाने सम्बन्धी शिकायतें थी।

स्टेट रोडवेज के खराब टायर

७३१. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान स्टेट रोडवेज़ के पास बहुत से टायर खराब हालत में पड़े हैं ? यदि हां, तो कितने टायर कौन कौन सी साइज के तथा किस तारीख को खरीदे हुए तथा कितने माइल चलने के बाद खराब हुए पड़े हैं तथा उनके खराब होने की तारीख व खरीद का मूल्य क्या था ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या यह भी सही है कि जो टायर

(श्री हरजीराम बुरड़क)

खराब हो गये उनको दुबारा ठीक करके काम में लेने का साधन रोडवेज के पास नहीं है और उनको नीलामी द्वारा बेचना था ? यदि हां, तो वे कब कब नीलामी द्वारा बेचे गये और उस नीलामी से क्या आय हुई और यदि नहीं बेचे गये तो क्यों नहीं ?

(३) क्या यह भी सही है कि टायर समय पर नीलाम नहीं किये गये और धूप व वर्षा से बचाकर नहीं रखे गये जिससे उनकी हालत और ज्यादा खराब हो गई और कीमत घटी है ? यदि हां, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है और नहीं तो इन टायरों को धूप व वर्षा से बचाने की क्या व्यवस्था है ?

(४) एक टायर कितने माइल चलने से बेकार हो जाता है ?

(५) अब तक जितने टायर खराब हुए हैं उनमें प्रत्येक टायर औसतन कितने माइल चल कर खराब हुआ है ?

उत्तर

(१) जी हां। जो टायर खराब पड़े हैं उनका विवरण निम्न प्रकार है :

	साईज	संख्या
(१)	६-००.२०	३५००
(२)	८-२५.२०	३५००
(३)	छोटी साईज	१५०

इनमें से ज्यादातर टायर सन् १९६२-६३, १९६३-६४ में खरीदे गये थे जो करीब औसतन २५००० मील चलने पर सेवाओं से हटाये गये हैं प्रत्येक टायर की औसतन दर विभिन्न साइजों के अनुसार अलग अलग हैं जो इस प्रकार हैं :—

साईज	औसतन दर
(१) ६-००.२० (१० प्लाई)	४५३) रु. प्र. टा.
(२) ६-००.२० (१२ प्लाई)	५२५) रु. प्र. टा.
(३) छोटी साईज (६ प्लाई)	१२८.४८ प्र. टा-

प्रत्येक खराब टायर का पृथक से विवरण इस समय उपलब्ध नहीं होने के कारण देने में असमर्थता है।

(२) जी नहीं। निगम के पास एक आधुनिक टायर ग्रेडिंग मशीन है।

(३) ये बेकार टायर सन् १९६७ में बेचे गये हैं। अनुमानतः इनकी आय २४०१६६ रु० की होगी। उपरोक्त टायर जो किसी काम के नहीं हैं पिछले ४-५ वर्षो से पर्याप्त स्थान नहीं होने के कारण खुली जगह में पड़े हुए हैं और जो टायर वापस काम में आने वाले हैं वे सुरक्षित बन्द स्थान में रखे हुए हैं ताकि उनकी आयु समाप्त न हो।

(४) साधारणतया एक टायर ३०, हजार मील चलने के बाद बेकार हो जाता है।

(५) सूची सदन के पटल पर रखदी गई है।

YEARLY MIIEAGE OF REMOVED TYRES

Sl. No.	Tyres	Size	Year 1964	No. of removed tyres.	Year 1965	No. of removed tyres.	Year 1966	No. of removed tyres.	Year 1967 January to June 67	No. of removed tyres	Remarks.
1.	Dunlop	9×20	31148	179	28535	201	24802	178	27435	123	
		8×25	32807	169	28884	255	27031	130	30437	48	
2.	Firestone	9×20	31694	67	27907	119	24674	177	29716	106	
		8×25	34266	89	31605	99	24679	105	29624	47	
3.	Goodyear	-do-	22799	48	28010	106	23990	67	29209	40	
			28864	70	25051	61	25810	82	23885	23	
4.	Geat	-do-	32499	214	30187	265	23778	208	28596	80	
			31535	124	33316	226	26163	133	28373	32	
5.	India Super	-do-	28220	67	28264	106	23792	31	21207	6	
			28524	77	28957	66	27675	65	36752	10	
6.	Stonil (Imported)	-do-	–	–	–	–	–	–	–	–	
			24973	11	34233	3	–	–	–	–	

Sl. No.	Tyres	Size	Year 1964	No. of removed tyres.	Year 1965	No. of removed tyres.	Year 1966	No. of removed tyres.	Year 1967 January to June 67.	No. of removed tyres.	Remarks.
7.	Mansfield	-do-	28730	83	28635	132	23682	159	25728	116	
			33161	1	33310	35	25573	31	24139	37	
8.	Premier	-do-	–	–	31849	12	24263	25	28896	11	
			–	–	34305	20	32900	3	–	–	
9.	Sual (Imported)	-do-	–	–	–	–	–	–	–	–	
			–	–	36516	2	–	–	–	–	
10.	IncLeck	-do-	–	–	–	–	–	–	22185	3	
			–	–	23379	10	25182	59	31916	26	
				1199		1718		1453		708	Grand Total =5078

ग्राम जनाना के चौधरी के कत्ल का मामला

७३२ श्री हंसराज आर्यः (मादरा) क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या यह सही है कि आज से तीन साल पहले गंगानगर जिले के कस्बा मादरा में मादरा से एक माइल पर गांव जनाना को जाते समय शाम के ७ बजे मादरा-भांसल रोड पर एक नायक जो कि गांव जनाना के एक चौधरी का सीरी था, कत्ल कर दिया गया ?

(२) क्या यह भी सही है कि कातिल उस मृतक का एक हाथ काट कर ले गए थे ?

(३) क्या यह भी सही है कि उस मृतक के पास ऊंट था जिसे भी कातिल ले गए थे ?

(४) क्या आज तक उस कत्ल के मामले में कोई कातिल गिरफ्तार किया गया है ?

(५) क्या उस कत्ल में जो ऊंट चोरी गया था उसका पता लगा है ?

(६) यदि नहीं, तो सरकार अब इस कत्ल की जांच के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

१–जी हां ।

२–जी हां, लाश को जब पुलिस द्वारा सर्व प्रथम देखा गया तब एक हाथ गायब था ।

३–जी हां ।

४–जी नहीं, जिला पुलिस व क्राइम ब्रांच के अधिकारी द्वारा तफतीश की गई किन्तु कोई कातिल गिरफ्तार नहीं हो सका ।

५–जी नहीं ।

सुरक्षा कोष की रकम

७३३. श्री हरलालसिंह खर्रा : (श्री माधोपुर) क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगें:—

(१) सीकर जिले में कितने सरपंचों में सुरक्षा कोष की रकम कितनी कितनी अब भी बकाया है अथवा उसका गबन कर लिया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(२) आज तक उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(१) सीकर जिले के सरपंचों में जो सुरक्षा कोष की रकम बकाया है—उसकी सूची सदन की मेज पर रखदी गई है ।

(श्री मुख्य मन्त्री)

(२) पंचायत समिति श्रीमाधोपुर के सरपंचों को रकम जमा कराने के लिए रजिस्टर्ड नोटिसेज दिये गये हैं।

पंचायत समिति पिपराली एवं नीमकाथाना के सरपंचो के मामलों की पुलिस द्वारा तफतीश की जा रही है।

जिला सीकर के सरपंचों में सुरक्षा कोष की बकाया धनराशि का विवरण पंचायत समिति श्री माधोपुर

१. श्री कालीदास सरपंच जेतुसर ७६०)

२. श्री मांगूसिह सरपंच महरोली ३३३)

३. श्री गंगाराम सरपंच बागरियावास ८०)

४. श्री हरीसिंह सरपंच सरगोठ)

५. श्री हनुमानसिह पच) १८६)

६. श्री हनुमानसिह सरपंच शिमारला २५६)

७. श्री गोविन्दसिंह सरपंच ढानी जोरावर सिंह १५१)

१,७९६)

पंचायत समिति पिपरौली

१, श्री गंगासिह सरपंच सिंहासन २६१)

२६१)

पंचायत समिति नीमकाथाना

१. श्री सगराराम भू० सरपंच मोक्लवास ५९२)

२. श्री मनीराम भू० सरपंच डूंगा की नागल)६०

३. श्री रामनारायण सरपंच मडोली ५३४)

४. श्री नारायणसिह सरपंच गोडावास ११३)

१,२३९'६०

रोडवेज की बसों को चैक करने की व्यवस्था

७३४. श्री जयनारायण सालोदिया: (निवाई) क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(१) राजस्थान स्टेट रोडवेज कारपोरेशन की बसों को चैक करने के लिये किस किस रूट पर कितने टी. आई. व ए. टी. आई. हैं? रूटवार सूची सदन की मेज पर रखें?

(२) उक्त पदों पर कार्य करने वाले व्यक्तियों की ड्यूटीज क्या हैं और ये लोग ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करते हैं या नहीं इसकी जांच के लिए क्या व्यवस्था है?

उत्तर

(१) निगम द्वारा विभिन्न मार्गों पर

(श्री यातायात मन्त्री)

१९ टी० आई० व ६२ ए० टी० आई० नियुक्त हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(२) टी० आई० व ए० टी० आई० की ड्यूटीज की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई हैं। इनके कार्य की जांच करने के लिये इनके रोजमर्रा के कार्य की रिपोर्ट आगार प्रवन्धकों के पास जाती हैं जो उनकी जांच करते है। हर माह की रिपोर्ट आगार प्रबन्धक, क्षेत्रीय प्रबन्धक व मुख्यालय को भेजते हैं जहां कि जांच की जाती हैं कि टी० आई० व ए० टी० आई० अपनी निर्धारित ड्यूटी ठीक तरह अन्जाम दे रहे हैं या नहीं। काम में त्रुटि पाई जाने पर उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती हैं। इसके अलावा आगार प्रबन्धक, क्षेत्रीय प्रबन्धक व अन्य मुख्यालय के अधिकारी समय समय पर दौरों पर जाते रहते हैं और इनके कार्य की जांच करते है। कार्य में त्रुटि पाई जाने पर तुरन्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती हैं।

सूची विस्तृत होने से विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई)

ग्राम सराड़ा की जल प्रदाय योजना

७३५. श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा: (अकलेरा) क्या जनस्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या ग्राम सराड़ा, पंचायत समिति बकानी में जल प्रदाय की कोई योजना राज्य सरकार ने स्वीकृत की है?

(२) क्या पंचायत सराड़ा द्वारा निर्धारित अंशदान की राशि पचायत समिति बकानी के माध्यम से जमा करवा दी गई है?

(३) सरकार इस योजना को कब तक प्रारम्भ करने जा रही है?

(४) क्या उक्त गांव में पानी का घोर संकट है और सैकड़ों आदमी जल के अभाव में बाला रोग से पीड़ित हैं?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) जी नहीं।

(३) योजना बनाई जा चुकी है योजना की स्वीकृति एवं धन की उपलब्धि के बाद ही निर्माण कार्य हाथ में लिया जावेगा कार्य प्रारम्भ करने की निश्चित तिथि अभी घोषित करने में असमर्थ हूं।

(४) जी हां, पानी की कमी है। जी नहीं इस सम्बन्ध में कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई।

ग्राम सादड़ी (जिला पाली) में चोरियों के मामले

श्री फूलचन्द बाफना (सुमेरपुर): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री फूलचन्द बाफना)

(१) दिसम्बर, ६७ महीने में जिला पाली में सुमेरपुर, फालना, बाली, सादड़ी घानेराव व नाटलाई ग्रामों में कितनी चोरियां हुई हैं ? उनके विषय में क्या कार्यवाही की गई है ?

(२) क्या यह सही है कि दिसम्बर के अन्तिम सप्ताह तथा जनवरी १९६८ के प्रथम सप्ताह में सादड़ी (जिला पाली) में आये दिन रात्रि को दो तीन चोरियां हो जाती हैं परन्तु लोग पुलिस में रिपोर्ट कराने से भी डरते हैं ?

(३) यदि चोरियों की रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई जाती हैं तो उन चोरियों के विषय में क्या कार्यवाही की जाती है ?

(४) क्या यह सही है कि लोग रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करवाने से इसलिये डरते हैं कि चोरी का माल आने का तो उन लोगों को विश्वास नहीं रहा है और ऊपर से उन्हें पुलिस में लगातार बुलाते रह कर परेशान किया जाता है ?

(५) क्या यह सही है कि सादड़ी (जिला पाली) में पुलिस चौकी में केवल छः सिपाही रहते हैं जिनमें से बारी बारी चार सिपाही तो चौकी में ही पहरा लगाने में काम आते हैं, एक न एक छुट्टी में ही रहता है और शेष एक सिपाही रात को गश्त लगाता है ? क्या सादड़ी सरीखे इतने बड़े कस्बे में सिपाहियों की यह संख्या पर्याप्त है ?

(६) क्या यह सही है कि सादड़ी में चौकी में पुलिस की अपर्याप्त संख्या ही अधिक और लगातार होने वाली चोरियों का प्रधान कारण है अतः क्या सरकार सादड़ी (जिला पाली) की चौकी में पर्याप्त और इन विशेष दिनों में विशेष संख्या सिपाहियों की बढ़ायेगी ?

उत्तर

१-ग्राम सुमेरपुर, फालना, बाली, सादड़ी, धानेराव व नाटलाई में चार चोरियां हुई हैं जो जेर तफतीश हैं।

२-जी नहीं डरने की कोई बात नोटिस में नहीं आई।

३-पुलिस को जिन चोरियों का मालूम हो और उसकी रिपोर्ट थाने पर न हुई हो तो थाना इन्चार्ज खुद रिपोर्ट दर्ज कर उस मामले की तफतीश शुरू कर सकता है।

४-चोरी का माल वापस नहीं आता है यह सत्य नहीं है जो माल चोरी जाता है उसमें से माल की बरामदगी होती है। पुलिस में बुलाकर लोगों को परेशान करने की कोई शिकायत नहीं पाई गई।

५-सादड़ी पुलिस चौकी में एक मुख्य आरक्षी व छः सिपाहियों की मंजूर शुदा नफरी है चौकी में पहरा नहीं लगाया जाता बल्कि निगरानी पहरा रहता है। बकाया तमाम मुलाजिमान कस्बे में गश्त करते रहते हैं इनके अतिरिक्त हैड कान्स्टेबल

(श्री गृहमन्त्री)

चौकी सादड़ी हैड़ कान्स्टेबल थाना देसूरी व सब इन्सपेक्टर थाना देसूरी समय समय पर कस्बा सादड़ी में गश्त करते रहते हैं। दस प्रतिशत से ज्यादा मुलाजमान अवकाश पर नहीं रह सकते। जब उपार्जित अवकाश पर कोई कर्मचारी जाता है तो थाना से उसकी जगह दूसरा कर्मचारी लगा दिया जाता है। पुलिस चौकी सादड़ी में पुलिस दल की संख्या पर्याप्त है। व इन्तजामी मामलों के अवसर पर थाना देसूरी व चौकी घानेराव से भी और मुलाजिम बुला लिए जाते हैं।

६–जी नहीं। क्योंकि कस्बा सादड़ी में लगातार कोई चोरियां नहीं हुई हैं ? इसलिए विशेष सिपाही लगाने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

जयपुर–रतनगढ़ वाया सीकर फतहपुर मार्ग पर बस परमिटों के लिए दरख्वास्तें

७३७. श्री रावतराम (छापर-सु) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) जयपुर से रतनगढ़ वाया सीकर फत्तहपुर मार्ग पर बस परमिट प्राप्त करने के लिए कितनी दरख्वास्तें सन् ६५ से आज तक आईं ? और इनमें से कितने लोगों को परमिट दिये गये ? यदि कोई परमिट नहीं दिया गया तो क्यों ?

(२) जयपुर से सरदारशहर वाया चूरू कितनी दरख्वास्तें आईं और कितने लोगों को परमिट दिये गये हैं ? यदि परमिट नहीं दिये गये हैं तो इसका क्या कारण है ?

(३) क्या उक्त दरख्वास्तों में भूतपूर्व सैनिकों की दरख्वास्तें भी आई है ? यदि हां, तो कितनी और उनमें से किस किस को परमिट दिये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(४) क्या सरकार भूतपूर्व सैनिकों एवं अनुसूचित जाति के लोगों को परमिट देने में प्राथमिकता देती है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या नियम हैं ?

उत्तर

(१) सन् १६६५ से दिसम्बर ६६ तक कुल ५ दरख्वास्तें इस मार्ग के लिये आई थी जो कि आर० टी० ए० के प्रस्ताव सख्या २१ दिनांक ६-२-६७ के द्वारा स्कोप निर्धारित न होने के कारण अस्वीकृत कर दी गई। इसके बाद सन् ६७ में इस मार्ग के लिए १७ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए जिन पर आर० टी० ए० द्वारा अपने प्रस्ताव सख्या १७ दिनांक २२-१२-६७ में यह निर्णय लिया गया कि अव्वल सीधे मार्ग की उपयोगिता के सम्बन्ध में जिलाधीश सीकर-चूरू से राय मांगी जावे और उसकी राय आने के बाद इस विषय को विचारार्थ रखा जावे। जिलाधीश के प्रतिवेदन के साथ अधिकरण की अप्रेल माह में होने वाली बैठक में यह मद निर्णय के लिये लिया जावेगा।

(श्री यातायात मन्त्री)

(२) इस मार्ग पर ९४ दरख्वास्तें आई थी जिनको प्रादेशिक परिवहन अधिकरण ने अपने प्रस्ताव संख्या २७ दिनांक १५-९-६७ द्वारा इस मार्ग को खोलना उचित न समझ कर अस्वीकृत कर दी।

(३) प्रार्थना-पत्रों के अनुसार केवल ५ भूतपूर्व सैनिकों की दरख्वास्तें जयपुर-सरदार शहर मार्ग के लिये आई थी जो उत्तर नम्बर २ में दिये हुए कारणों से अस्वीकृत करदी गई।

(४) परमिट मोटर व्हीकल एक्ट एवं उसके अधीनस्थ बने हुए नियम के अन्तर्गत दिये जाते हैं। इन नियमों में ऐसी प्राथमिकता देने का कोई प्रावधान नहीं है।

थाना दबलाना के थानेदार के विरुद्ध शिकायतें

७३८. श्री केशरीसिंह हाड़ा (हिण्डोली) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि एस. पी. बूंदी के पास तहसील हिण्डोली के थाना दबलाना में नियुक्त थानेदार द्वारा कांग्रेस का चुनाव प्रचार करने और मतदाताओं को दबाने के संबंध में कोई शिकायत की गई है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

उत्तर

१. जी नहीं। थाना दबलाना के थानेदार के खिलाफ चुनाव प्रचार करने व मतदाताओं को दबाने की कोई लिखित शिकायत प्राप्त नहीं हुई, अतः आगे कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

जोधपुर शहर में पानी की सप्लाई की न्यूनतम दर

७३५. श्री ओमदत्त भाटी (सरदारपुरा) : क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(१) जोधपुर शहर में मकान बन्द रहने की स्थिति में पानी की सप्लाई के लिये चार्ज की जाने वाली न्यूनतम दर क्या है?

(२) क्या यह सही है कि जब मीटर की रीडिंग लिये जाने पर जो धनराशि वसूल की जाती है उसमें से वह राशि नहीं काटी जाती है जो कन्जूमर द्वारा पहले ही भुगतान की जा चुकी होती है?

(३) क्या सरकार इस अनियमित कार्यवाही को तुरन्त बन्द करने के प्रश्न पर विचार करेगी?

उत्तर

(१) रु० ४-५० प्रतिमाह।

(२) जी हां।

(३) यह कार्यवाही अनियमित नहीं अतएव इस कार्यवाही को बन्द किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

नगरपालिका फलोदी के कर्मचारियों के भत्तों का भुगतान

७४०, श्री दीपचन्द छंगाणी (फलोदी): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि नगरपालिका फलोदी के कर्मचारियों का अप्रेल, ६६ से बढा हुआ महंगाई भत्ता रु. ८ व अक्टूबर, ६६ से बढा हुआ मंहगाई भत्ता २) रु. व जनवरी सन् ६७ से बढा हुआ महंगाई भत्ता रु. १२) कुल २२) रु. प्रति माह अभी तक उनको नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो ऐसा करने के कारण नगरपालिका फलोदी के विरुद्ध क्या कार्यवाही अमल में लाई गई है या लाई जा रही है और अब कर्मचारियों को एक साथ उनका (एक साल का) बकाया पिछला महंगाई भत्ता कब दिलवाया जा रहा है ?

(२) क्या यह सही है कि नगरपालिका फलोदी के कर्मचारियों का सन् १९६४ से ही मैडिकल एलाउन्स वेतन का ५ प्रतिशत नगरपालिका फलोदी में बकाया है ? अगर हां, तो बकाया मैडिकल एलाउन्स कर्मचारियों को कब से दिलवाया जा रहा है ?

उत्तर

(१) जी नहीं । कर्मचारियों को माह अप्रेल १९६७ से (अप्रेल ६६,८) रु० अक्टूबर ६६ से २) रु० जनवरी ६७ से १२) रु० बढा हुआ महंगाई भत्ता दिया जा रहा है । नगरपालिका को आर्थिक स्थिति सुदृढ न होने से पिछला एरियर नहीं दिया गया है । नगरपालिका के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

(२) जी नहीं ।

स्थगित प्रश्न

(१-३-६८)

निलम्बित कर्मचारियों एवं अधिकारियों की विभागीय जांच

३११. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या मुख्यमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने यह नीति निर्धारित की है कि निलम्बित सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ शुरू की गई विभागीय जांच अधिक से अधिक निलम्बन की तारीख से ६ माह के भीतर पूर्ण करली जाय ? यदि हां, तो ३० सितम्बर, ६६ को निलम्बित अराजपत्रित व राजपत्रित कर्मचारियों व अधिकारियों के खिलाफ कितने विभागीय जांच के मामले चल रहे थे ? और उनको कितना कितना समय हो चुका ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(२) उपरोक्त कर्मचारियों व अधिकारियों के खिलाफ चल रही जांच के लम्बे समय तक चलते रहने के कारण सरकार को उनकी तनख्वाह आदि पर कितना रुपया खर्च करना पड़ा ?

उत्तर

(१) जी नहीं। इस बारे में जांच की प्रक्रिया में विभिन्न स्तरों के लिए जो समय निर्धारित किया गया है उसके आदेश की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है। अनुभव के आधार पर निर्धारित समय की पाबन्दी व्यावहारिक नहीं पाई गई है एवं इस प्रश्न पर पुर्नविचार हेतु एक विशेष समिति बनाई गई है। अभी तक प्राप्त सूचना के अनुसार ३२ राजपत्रित अधिकारी एवं ४१४ अराज-पत्रित कर्मचारियों के विरुद्ध ऐसी कार्यवाही चल रही थी जिसकी सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

प्राप्त सूचना के अनुसार दि० ३०-९-६६ तक रु. ६,१६,८४०.१४।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।

स्थगित प्रश्न

(७-३-६८)

किसानों को ऊंची दर में बीज

४९९. श्री फूलचन्द बाफना (सुमेरपुर) : क्या सहकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि सहकारी समितियों द्वारा किसानों को बाजार भाव से बहुत ऊंची दरों से बीज दिया जाता है, जैसे सिरियारी (जिला पाली) क्षेत्र में बाजार में जौ के बीज का भाव ४० किलो का २८) रु. था परन्तु सहकारी समिति ने भाव ४० किलो का ३९) रु. लिया ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

१. जी नहीं। सिरियारी (जिला पाली) क्षेत्र में सहकारी समिति ने जौ का का बीज पचायत समिति, खारची के एजेन्ट के रूप में कमीशन के आधार पर ९०) रु० २० पैसा प्रति क्विटल की दर से बेचा जिसमें सैलसटैक्स खाली बारदाने की कीमत, गोदाम किराया, ट्रक भाड़ा व मजदूरी का खर्चा सम्मिलित था। इन दिनों इस क्षेत्र में जौ का बाजारी भाव ६५) रु० से ९०) रु० प्रति क्विन्टल था।

स्थगित प्रश्न

(७-३-६८)

निर्धारित संख्या से अधिक पदों का निर्माण

५२६. श्री भैरोसिंह शेखावत (किशनपोल, जयपुर) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(१) क्या राज्य में ६६-६७ व ६७-६८ में सुपरन्यूमरेरी पोस्ट निर्धारित की गई थी ?

(२) निर्धारित संख्या से अधिक और कितने पदों का निर्माण किया गया तथा क्यों, कब से ? इन पदों पर किन-किन अधिकारियों को नियुक्त किया गया ?

(श्री भैरूसिंह शेखावत)

(३) किन-किन अधिकारियों की नियुक्ति से पूर्व की तारीख से इन पदों पर नियुक्त किये जाने का लाभ दिया गया और क्यों ?

(४) नियुक्ति की पहले की तारीख से प्रभावशील करने के कारण किस-किस अधिकारी को अतिरिक्त वेतन एवं भत्ते के रूप में कितना-कितना रुपया मिला ?

(सरकार द्वारा स्थगित करने हेतु प्रार्थना की गई) ।

———

परिशिष्ट ४

(अतारांकित प्रश्न संख्या ३२५ की सूची)

नागौर, परबतसर एवं मेड़ता पशु मेलों में तम्बू एवं फर्राशखाने मद पर सन् 1959 से तारीख 1 जुलाई '67 तक निम्न व्यय किया गया है :—

वर्ष	नागौर	परबतसर	मेड़ता
1959	707.00	1376.68	500.00
1960	3457.25	1525.60	3000.00
1961	10575.00	1700.00	900.00
1962	992.00	901.00	700.00
1963	1178.47	1607.15	1384.70
1964	959.00	1496.35	1085.00
1965	2023.00	3945.57	888.00
1966	999.00	1992.13	1491.00
1967	1628.60	3100.00	2411.25
कुल योग	22,519.32	17,644.48	12,359.95

सूची

नागौर, परबतसर एवं मेड़ता पशु मेलों में सन् 1959 से लेकर 1-7-67 तक रस्सियों एवं बल्लियों पर निम्नांकित व्यय किया गया है :—

	नागौर		परबतसर		मेड़ता	
वर्ष	रस्से	बल्लियां	रस्से	बल्लियां	रस्से	बल्लियां
1959	–	–	–	–	–	687.12
1960	62.61	–	–	–	–	800.00
1961	–	24.00	–	–	–	500.00
1962	–	–	3.66	237.81	–	205.62
1963	–	–	–	–	–	–
1964	–	–	–	–	–	–
1965	–	–	250.00	–	–	–
1966	–	172.00	–	266.00	–	350.00
1967	–	–	–	–	–	–
कुल योग	62.61	196.00	253.66	503 81	–	2542.74

कतिपय वर्षों में खर्चा न होने का कारण यह है कि एक मेले हेतु खरीद की गई रस्सियां एवं बल्लियां इन तीनों मेलों में काम में ले ली जाती हैं ।

शुद्धि पत्र

(बृहस्पतिवार, दिनांक २१ मार्च, १९६८)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या		अशुद्ध	शुद्ध
१	२		३	४
१		७	सहकारो	सहकारिता
१	अंतिम से	६	(कुट्ठमर सु.)	(कठ्मर सु.)
२	,,	६	पदो समान	समान पदों
२	अंतिम से	५	कास्ट	कास्ट्स
६	,,	१२	हस्तानान्तरण	हस्तान्तरण
१४	,,	६	महिनों	महीनों
१८		७	७१५	७१४
१९		८	मुख्यता	मुख्यतया
२२	अंतिम से	३	संक्चुरीज	सेंक्चुरीज
४१	,,	९	लिये गये हैं	में लिये गये हैं
४२		२	स्वाप्रत	स्वायत्त
,,		२	(श्रीमति	(श्रीमती
४८	अंतिम से	४	खतूरिया	कथूरिया
४९		२	,,	,,

१	२	३		४
,,		८	कर	करें
५२	अंतिम से	५	अलम	अलग
५४		१५	रिक्येस्ट	रिक्वेस्ट
५७	अंतिम से	३	अश्रव्म)	अश्रव्य)
६६		१५	कम्पन्सट्री	कम्पन्सेट्री
,,	अंतिम से	८	वद्य	वैद्य
,,		अंतिम	पुर्नंनियुक्ति	पुनर्नियुक्ति
७०		११	एन्ट्रीसिपेन्टरी	एन्टीसिपेट्री
७८		१५	मामना	सामान
८१		३	संभावना	संभावना है
८३		१०	प्रतिज्ञ-पत्र	प्रतिज्ञा पत्र
,,		१-४	३१३	३३३
८५		२	—	३३५
८६		४	ऑडिट की	ऑर्डिट की रिपोर्ट
९०		१०	—	३४०
१०६	अंतिम से	८	ताल्लुक का	ताल्लुक
१२८		१६	निवेनन	निवेदन
१२९		७	के	की

१	२	३	४
१३०	३.२७	इक्ठ्ठा	इकट्ठा
,,	१५,२८	महोदय	महोदय,
१३१	१	गवर्नमेट	गवर्नमेंट
,,	अंतिम से ५	अड्ढे	अड्डे
१३५	१५	कुनिनन्दा	कुनिन्दा
१३७.३८	शीर्षक	तारांकित प्रश्नोत्तर कटोती प्रस्ताव	मांग संख्या २०, १८, ३६, व १६ का प्रस्तुतिकरण
१४० से १६०	शीर्षक	व १६ कटोती प्र.	व १६ पर कटोती प्रस्ताव
१४२	२	जाय कृषि	जाय (कृषि
,,	१५	bugs	bogus
,,	अंतिम	सम्बव	सम्बन्ध
१५०	अंतिम से ७	६०० रु. कम	१०० रु.
,,	अंतिम	सहकातिरा	सहकारिता
१५१	शीर्ष	(श्री सूवालाल)	(श्री सुवालाल)
१५४	अंतिम से ३	की	को
१५७	१	क्रियान्वन	क्रियान्यन
१५८	२	सांचोर	सांचोर में
,,	अंतिम से ६	हिसाब में	हिसाब में अनियमितता

१	२	३	४
१५६	१	ताय	जाय
,,	८	संज्या	संख्या
,,	१५	कृपि	कृषि
१६०	६	वर्तसान	वर्तमान
१६६	शीर्षक	प्रस्ता	प्रस्ताव
१६८	अंतिम से ५	मुल्म	मुख्य
१५६	शीर्ष	—	(श्री रामनारायण चौधरी)
१७१	१०	गें	में
१७३	अंतिम से २	कृपि	कृषि
१७४	६	सबध	सम्बन्ध
१८२	२	खाद्य	खाद
१६१	शीर्ष	(श्री हरिबल्म शर्मा)	(श्री हरिवल्लम शर्मा)
१६२	५	मुज्य	मुख्य
१६४	१५	राज्व	राज्य
१६८	४	रकम वसूली	रकम की वसूली
२०५	२,३,५,७,२४,२५	फुट	फीट
२०६	५	वसूसी	वसूली
२१३	२०	वर्षा	बर्षो

१	२		३	४
२१६		५	ब्यास	व्यास
,,		८	डाइरेक्टर	डाइरेक्ट
२२४	अंतिम से	१,४	सुनारा	सोनारा
२२६	,,	६	उस अध्यक्ष	उसके अध्यक्ष
२३०		१०	करना	करनी
,,	अंतिम से	६	मत्रियों	मंत्रियों
२३२	,,	६	७ह	यह
२३३		अंतिम	उनमें	उनमें से
२३४		१	श्री चढा	श्री चड्ढा
,,		८	जायज	जाया
,,		१८	समा	सीमा
,,		२२	य	ये
२३५	अंतिम से	८	पजाब मे	पंजाब में
२३६	,,	५,१०,११,१२	है	हैं
२३७		शीर्ष	भाय)	आयं)
,,		२	मक्सद	मक़सद
२३८		२	ढग	ढंग

१	२	३	४
,,		२० ठडे	ठंडे
२३६		३ बगले	बंगले
,,		७ से ६ इस प्रकार—....रही है	—
,,	अंतिम से	३ चकढ़र	चढ़कर
२४१		१० वषों	वर्षों
,,	अंतिम से	४ कोआपरेटिव	कोआपरेटर्स
२४६		२ (डूंगरपुर)	(डूंगरगढ़)
२५०	अंतिम से	२ द्वारा	द्वार
२५२		१३ आना	जाना
२६०		६ बोर	बारे में
,,	अंतिम से	१३ ग्राउन्डर	ग्राउन्ड
२६१		६ में बारे	बारे में
२६४		१५ चांच	जांच
२७०		१७ मेढ़े	मेंढे
२७१		१६ जिस इस	जिस
२७१	अंतिम से	३ उड़ाते हैं	उठाते हैं
२७३	,,	१० एफटर्स	एफर्ट्स

	२	३	४
२७६	अंतिम से ६	मल	माल
२७८	६	मैंटेन	मेन्टेन
२७६	अंतिम से ५	अई	आई
२६०	अंतिम से १५	लगत	लगता
३०२	११	उपध्यक्ष	उपाध्यक्ष
३०५	११	चतुयदी	चतुर्वेदी
३०८	१	उ ।से	उनसे
,,	१७	का	को
३०६	१२	दिये	किये
३१०	१२	एडमिनिस्ट्रेटर	एडमिनिस्ट्रेटर
३११	अन्तिम से ३	सोसइटी	सोसाइटी
३१२	२	सस्था	संस्था
,,	अंतिम से ७	में सहकारिता	में जो सहकारी
,,	,, ३	रिवार्ड	एवार्ड
३१३	३,५ व ८	रिवार्ड	एवार्ड
,,	६	क	के
३१४	४	सस्कार और सस्कृति	संस्कार और संस्कृति
,,	१५	पुस्त	पुश्त

१	२	३	४
,,	अंतिम से	११	मूतभूत	मूलभूत
३१७	,,	१०	सामन	सामने
३१८		१२	ह	हैं
३१९		३	विमाग	विभाग
,,		८	ता	तो
,,	अंतिम से	६	हा	हो
३२०	,,	१३	खला	खेला
,,	,,	४	लोन	लेने
३२१		१७	देने मतलब है	देने का मतलब है
३२२		१४	नहाल	निहाल
,,		१८	मत्री	मंत्री
३२४		८	कलेक्टरेट	कलेक्टरेट
३२५		१२	खनाने	खजाने
३२८		७	घनी	घन्टी
३३०	अंतिम से	१६	सकट	संकट
,,	,,	१३	स्वाभावक	स्वभाविक
,,	,,	११	हा	हो

१	२	३	४
,,	,, ११	क	के
,,	,, १०	देखत	देखते
,,	,, ६	अफक्ट	अफेक्ट
३३१	शीर्ष	(श्री रघुनाथ विश्मोई)	(श्री रघुनाथ विश्नोई)
,,	अन्तिम	आवश्यफ	आवश्यक
३३२	१	कदन	कदम
,,	२	राज्थ	राज्य
३३३	अन्तिम से १२	खाले	खोले
,,	,, ११	कम्पस	केम्पस
,,	,, १०	म	में
,,	,, ६	करन	करने
,,	,, ५	का	का
३२४	८	मडी	वड़ी
,,	अंतिम से १०	ता	तो
३३५	१४	थह	यह
३३७	११	आया	आप
,,	अंतिम से ३	इन्वाल्ड	इन्वाल्वड

१	२	३	४
३४१	शीर्ष	(जी जयनारायशा सालोदिया)	(श्री जयनारायण सालोदिया)
३४३	अंतिम से ६	श्री नागूलाल बागीपुरा	श्री नाथूराम (बागीडोरा)
,,	,, ५	बोलना	बोलूंगा
३४४	शीर्षक	विम	विमर्श
३४४	११	घत्ते	खत्ते
३४४	१६	आराप	आरोप
३४५	अन्तिम से ७	बरे	बारे
३४६	,, १२	मा ो	माने
,,	,, २	सन् १९६७	१९१७
३४८	अन्तिम	मामला	मामला
३५०	अन्तिम से ८	स	से
३५१	,, ८	डी. आर.	डी. आर.
३५२	१७	२।। लाख	२½ लाख
३५४	२१,२८	मेगावट	मेगाबाट
,,	अन्तिम से १०,४	हूं	हैं
३५५	,, १०	एफिसिएन्सी	एीफीशएन्सी
,,	,, ५	ब्रैंक	बैंक

१	२	३	४
३५६	१५	जो	—
,,	अन्तिम से ५	श्रो	श्री
३५८	११	आय	आप
३५९	अन्तिम से ६	हं	हूं
,,	,, ३	उसफी	उसकी
३६०	२	हुं	हूं
,,	अन्तिम से ४	श्री शोमाराम	श्री शोभाराम
३६२	,, ४	सोसाइटोज	सोसाइटीज
३६३	,, ७	में	मैं
,,	,, ५	इतते	इतने
३६४	२	आईनसिंहजी	आईदानसिंहजी
,,	३	ओरगेनिजेशन	ओरगेनाइजेशन
३६६	४,८	कोपरेटिव	कोऑपरेटिव
३७०	अन्तिम से ३	जा	—
३७१	,, ७	वे	—
,,	,, ६	उसका	वे उसका
३७२	७	राजस्यान	राजस्थान

१	२	३	४
३७४	११	वूस	वूल
३७५	अन्तिम से ३	कोपरेटिव	कोआॉपरेटिव
३७६	,, २	,,	,,
३७८	,, १२	श्री मरोंसिह	श्री भैरोंसिह
३८०	६	--	--
३८६	२	बाजयाघता	बाजयाफता
३६२	१	परिशिष्ठ	परिशिष्ट
,,	अन्तिम से ८	स्वयत्त	स्वायत्त
३६५	,, १२	की थी	थी
३६७	१६	अमुमानतः	अनुमानतः
,,	अन्तिम से १०	नर्ही	नहीं
३६८	१	Miieage	Mileage
३६६	२	recmoved	removed
४०४	अन्तिम से ६	सूची	(सूची
४०५	,, ३	श्री फूलचन्द	७३६. श्री फूलचन्द
४०६	शीर्ष	बाफका	बाफना
,,	१३	चोरिको	चोरियों

१	२	३	४
,,	अन्तिम से ६	।ादड़ी	सादड़ी
४०७	१४	पुलिस की	पुलिस को
४०६	अन्तिम से ११	मर्ग	मार्ग
४११	६	७३५.	७३६.
,,	अन्तिम से ३	नहीं	नहीं है
४१२	१६	बकाथा	बकाया
४१४	१४	प्राप्त	(२) प्राप्त
,,	१७	गई।	गई)
४१५	७	का	--
,,	अन्तिम से ८-७	किशनपाल	किशनपोल
४१६	शीर्ष	श्री मैरूसिंह	श्री मैरोंसिंह
,,	१	अधिकारियों की	अधिकारियों को
४१७	१	नियुक्ति की	नियुक्ति को

———